विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 11, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1991/14 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 202 से 206	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—242
तारांकित प्रश्न संख्या : 206 से 221	26—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2288 से 2304, 2306 से 2331, 2333 से 2336, और 2338 से 2498	38—217
सभा पटल पर रखे गए पत्र	242—244
राज्य सभा से संदेश	244—245
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए	245
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	245—249 तथा 283—286
(एक) पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए भूचाल से उत्पन्न स्थिति	
श्री बलराम जाखड़	245
(दो) दिल्ली में शासकीय ढांचे का पुनर्गठन	
श्री एस० बी० चव्हाण	283
कार्य मन्त्रणा समिति	249
नौवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 250—512

(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का सर्वांगीण विकास कने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनकू राम सोडी 250

(दो) ए० जी० एन० यात्री रेलगाड़ी को हाथरस तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल 250

(तीन) कश्मीर और पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को अधिक केन्द्रीय सहायता देने और उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री मदन लाल खुराना 251

(चार) जूट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्षेत्र से बाहर करने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान 251

(पांच) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों लिए सरल कानूनों और नियमों/विनियमों की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम 252

(छ.) केरल की मुलामथुरूथी-एरनाकुलम रोड पर नए रेल ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पी० सी० थामस 252

(सात) आठवीं योजना के दौरान श्रीकाकुलम के निकट नरेडी में दिक्परिवर्तन बांध निर्माण परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता

डा० विश्वानथम कैनिथी 2[illegible]

(आठ) 1991 की जनगणना के आधार पर सिक्किम को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल और रसोई गैस की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी 253

नियम 193 के अधीन चर्चा 254—283 तथा 286—28०

बंगाल की खाड़ी में हाल में आए समूद्री तूफान के कारण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

श्री दत्तात्रेय बंडारू 254

श्री के० राममूर्ति टिंडवनाम 256

श्री के० तुलसिऐया बान्डायार 259

मोहम्मद अली अशरफ फातमी 260

डा० सुधीर राय 251

श्री वी० धनंजय कुमार 263

श्री धर्मभिक्षम 265

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या 267

श्री डी० पंडियन 269

डा० एस० पी० यादव 272

श्री के० पी० सिंह देव 274

श्री लोकनाथ चौधरी 279

श्री बी० अकबर पाशा 280

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 282

श्री गंगाधर सानीपल्ली 288

डा० विश्वनाथम कैनिथी 289

श्री के० एच० मुनियप्पा 290

श्री पी० पी० कालियापेरूमल 292

श्री बलराम जाखड़ 293

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक 299—308

राज्य सभा द्वारा यथापापित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री विजय एन० पाटील 299

विषय	पृष्ठ
श्री गिरधारी लाल भार्गव	300
श्रीमती गीता मुखर्जी	301
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	30
श्री सूर्य नारायण यादव	302
श्री रामश्रय प्रसाद सिंह	303
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति	304
श्री पाला के ० एम मैथ्यू	304
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	305
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	308

लोक सभा

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1991/14 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कोयले की खपत

*202. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले की राज्यवार खपत कितनी है ;

(ख) किन राज्यों ने उन्हें आवंटित माल डिब्बों में निर्धारित समयावधि के भीतर कोयले की पूरी मात्रा का लदान कर दिया है;

(ग) क्या गत छः महीनों के दौरान कोयला उठाने के मामले में कुछ अनियमितताएं पायी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गए लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) ईंट भट्टों की गत एक वर्ष के दौरान कोयले की राज्यवार कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) इस संबंध में एक विव-सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले की कुल आपूर्ति 210.07 मिलियन टन थी ।

कोयले की (जिसमें हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक शामिल है) वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति निम्नलिखित रूप में की गई :

('000 टन में)

राज्य	कुल प्रेषण		
	को० इं० लि०	सि० को० कं० इं० लि०	जोड़
बिहार	17448	—	17448
उत्तर प्रदेश	27722	—	27722
उड़ीसा	8593	—	8593
मध्य प्रदेश	31588	—	31588
पश्चिम बंगाल	15887	—	15887
महाराष्ट्र	20838	754	21592
गुजरात	14602	—	14602
राजस्थान	3853	—	3853
दिल्ली	4953	—	4953
पंजाब	6095	—	6095
हरियाणा	2976	—	2976
तमिलनाडु	7983	420	8400
आंध्र प्रदेश	3547	14485	18032
कर्नाटक	2049	1839	3888
केरल	174	42	216
हिमाचल प्रदेश	220	—	220
असम	1009	—	1009
जम्मू एवं कश्मीर	302	—	302
अन्य	149	—	149
जोड़ :	169988	17540	187528*

*इसमें कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी द्वारा रेलवे तथा रक्षा बलों आदि को कोयले की की गई आपूर्ति शामिल नहीं है, जिसका राज्यवार विभाजन नहीं किया है।

(ख) रेलवे, राज्य नियंत्रित प्राथमिकताओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कोयले, साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक का केलेण्डर-वार संचलन किए जाने के लिए मासिक रूप में अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। ऐसे राज्य, जिन्होंने वर्ष 1991 (जुलाई तक) की अवधि में अपनी वैगनों का अधिकतम सीमा में आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः प्रयोग कर लिया है, वे राज्य निम्नलिखित हैं :

(1) बिहार
(2) उड़ीसा
(3) हरियाणा
(4) पंजाब
(5) दिल्ली
(6) उत्तर प्रदेश
(7) पं० बंगाल
(8) आंध्र प्रदेश
(9) जम्मू एवं कश्मीर
(10) हिमाचल प्रदेश
(11) राजस्थान
(12) कर्नाटक
(13) केरल
(14) तमिलनाडु
(15) गोवा
(16) चण्डीगढ़ (यू० टी०)
(17) पांडिचेरी
(18) गुजरात
(19) मध्य प्रदेश
(20) महाराष्ट्र

(ग) और (घ) आमतौर पर कोयले की आपूर्ति न किए जाने अथवा आपूर्ति में विलम्ब करने,

आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा अथवा/और गुणवत्ता, उपभोक्ता के सही होने, जिन्हें कोयले का आवंटन आदि किया गया है, जैसी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सम्बद्ध कोयला कंपनियों द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है। यदि किसी कर्मचारी की बुरी मंशा तथा उसकी लापरवाही आदि पकड़ी जाती है तो उस कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) कोल इण्डिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० से वर्ष 1990-91 के दौरान ईंट-भट्टा उद्योग की आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है—

(आंकड़े '0000 टन में)

राज्य	1990-91
1	2
बिहार	1146
पश्चिम बंगाल	178
उत्तर प्रदेश	662
उड़ीसा	2
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र	152
गुजरात	30
राजस्थान	331
दिल्ली	102
पंजाब	101
हरियाणा	32
तमिलनाडु	37·668
आंध्र प्रदेश	18·250
कर्नाटक	9·360
केरल	—
हिमाचल प्रदेश	—
असम	70
जम्मू और कश्मीर	291
अन्य	52
जोड़	3263·278

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मंत्री महोदय ने जो बताया है उसमें आमतौर पर कोयले की आपूर्ति न दिए जाने अथवा आपूर्ति में विलम्ब करने आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में बताया है और साथ ही कहा है कि गड़बड़ी की जांच की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे कर्मचारी पाए गए जिन्होंने कोयले की दलाली के पैसे कमाए और उनके खिलाफ एक्शन लिए गए ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : यह प्रश्न कोयले के लदान में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि अनेक अनियमितताएं हुई हैं लेकिन वर्तमान नियम इस प्रकार के हैं कि इन अनियमितताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि न तो कोयला नियन्त्रित मद है और न ही अनियंत्रित मद है। अत: हम कोयला खान नियंत्रण आदेश की जांच कर रहे हैं। इन अनियमितताओं को रोकने के लिए उचित उपबन्ध करने के लिए सरकार एक संशोधन लाएगी। लेकिन इसी बीच हमने सुपुर्दगी आदेश जैसे कुछ प्रशासनिक उपाय किए हैं जो तब कोयले के लदान की अनुमति देते हैं यदि प्रशासनिक आदेश द्वारा सुपुर्दगी आदेश के हस्तांतरण को प्रतिबन्धित किया जाता है। हमने रोकड़ में सौदा करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है और जिस व्यक्ति के पास सुपुर्दगी आदेश हैं उसके लिए हमने यह अनिवार्य कर दिया है कि उसका बैंक में खाता हो और बैंक इस बात की पुष्टि करे कि उसका खाता है। अत: पिछले महीने की 4 तारीख से यह योजना लागू करने के बाद बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं फिर भी यह कुछ हद तक कम हो जाएगी तथा हम कोयला खान नियंत्रण आदेश की गम्भीरता से जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही हम संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मंत्री जी ने बताया कि वे कोई विधेयक ला रहे हैं और जल्दी ही हाउस में पेश करेंगे। मैं शैडयूल कास्ट, शैडयूल ट्राईब्स का चेयरमैन रहा हूं और मैंने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश का दौरा किया है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के अपने दौरे के दौरान मुझे इस प्रकार की शिकायतें मिली थीं कि कोयला कम्पनियां स्थानीय लोगों की जमीन ले लेती हैं लेकिन उसके बदले उस जमीन के मालिकों को नौकरी नहीं देती और न समय पर जमीन की रकम अदा की जाती है। क्या सरकार इस बारे में उपयुक्त कदम उठाएगी ? आंध्र प्रदेश की सिंगरेणी कालरी में कोयला देने से पहले पैसा जमा करा लिया जाता है और वे किसी बिचौलिए को कोयला न देकर सीधे उपभोक्ताओं को ही कोयला देते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार अपनी कोयला खदानों में भी ऐसा कदम उठाने जा रही है ? कम्पनियों को जो कोयला जारी किया जाता है वे उनका पूरा उपयोग करती है या नहीं ? इसे जांचने का····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, आपको प्रश्न पूछना है ?

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई सरकार के पास इसकी मॉनिटरिंग करने का सेल मुकर्रर है जिससे यह पता लग सके कि ऐसे कितने आदमी हैं जो कोयला लेकर उसका ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं और बिचौलियों के जरिए पैसा लेकर उसका गलत तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं ? हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, आपको प्रश्न पूछना है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : इस कम्पनी के जो बिचौलिए हैं, उनको उधार दिया जाता है। इस तरह का एमाउण्ट इनकी तरफ लाखों और करोड़ों में है। क्या मंत्री जी इसको वसूल करने के लिए कोई पग उठा रहे हैं ? इसके साथ ही कोयला कम्पनियों का कितना पैसा उपभोक्ताओं की ओर बकाया है और उसे वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रश्न बहुत लम्बा पूछा गया है। इसका उत्तर छोटा होना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री पी०ए० संगमा : जहां तक बिचौलियों का सम्बन्ध है मैंने पहले ही कहा हैं कि प्रशासनिक आदेश द्वारा सुपुर्दगी आदेश के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा बैंकों को भुगतान करने के लिए कहकर हमने बिचौलियों की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम नयी बिक्री संहिता भी जारी कर रहे हैं। हमें आशा है कि अगले वर्ष जनवरी तक नई संहिता का कार्य पूरा हो जाएगा।

जहां तक क्षतिपूर्ति देने का सम्बन्ध है जब भी कोई नई खान खोली जाएगी उसके लिए भूमि लेनी होगी और भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को सम्बन्धित सरकारें लागू करेंगी। यह सत्य है कि अनेक मामलों में भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हमारी परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब हुआ है। दूसरे, जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान से प्रभावित होते हैं। वे भी इसमें विलम्ब करते हैं लेकिन हम सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और जहां तक सम्भव है हम भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान को शीघ्र कराने का प्रयास कर रहें हैं। हम इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

जो व्यक्ति खान क्षेत्रों से विस्थापित किए गए हैं उनके पुनर्वास सम्बन्धी प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले सत्र में भी सभा को बताया था कि हम जल्दी ही पुनर्वास सम्बन्धी एक आकर्षित योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री हाराधन राय भी उसी क्षेत्र के हैं। कृपया उन्हें भी बोलने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अनियमितता से सम्बन्धित है। कोयले

की जो अलास्टिंग की जाती हैं····(व्यवधान)····

एक माननीय सदस्य : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सूर्यनारायण यादव : मैं वही पूछ रहा हूं। उसमें भी अनियमितताएं होती हैं। जैसाकि मन्त्री जी ने कहा कि अनियमितता को दूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन नही है। ट्रक पर लादारी हो···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए। आपको प्रश्न पूछने के लिए टाइम दिया है। हम समझते हैं कि आपने प्रश्न पढ़ लिया है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तीन महीने के बिहार में धनबाद में क्या कोलयारियों में अनियमिततायें पकड़ी गईं, क्या कोई सख्त कार्रवाई की गई और अगर नहीं की गई तो कितने दिन के अन्दर आप कार्रवाई करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : माननीय सदस्य ने आम बात कही है कि वहां अनियमितताएं हुई हैं। मैंने स्वीकार किया है कि अनियमितताएं हुई हैं। मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब तक मेरे ध्यान में अनियमितता का एक मामला विशेष नहीं लाया जाता ह मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अनियमितताओं का मामला विशेष मेरे सामने लाएं। मैं उसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० ए० संगमा, यदि आप यह बात स्वीकार करते हैं कि अनियमितताएं हुई हैं तब आपको इसके लिए कदम उठाने चाहिएं।

श्री पी० ए० संगमा : इसीलिए मैंने यह कहा है। मैंने स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश में कोयले की कमी की बात हर जगह उठती है, लेकिन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो कोरबा कोल फील्ड है, वहां पर लगान की व्यवस्था····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूं कि आपने प्रश्न पढ़ा है। अगर वह उस सन्दर्भ में है तो एलाऊ करूंगा और अगर नहीं है तो मैं एलाऊ नहीं करूंगा ?

श्री पवन दीवान : मैं वहीं पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह उस सन्दर्भ में नहीं है।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां रेल लाइन है, वहां तक कोयले की शिफ्टिंग रेल से होनी चाहिए लेकिन ठेकेदार कान्ट्रैक्ट ट्रकवालों को देते हैं और नियम से उनको पैसा देते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जहां तक रेल सुविधा है, वहां ट्रकवालों को कान्ट्रैक्ट क्यों देते हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब रेल सुविधा है तब ट्रक का उपयोग क्यों लिया जा रहा है ?

श्री पी० ए० संगमा : हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम रेल से कोयले की पूरी मात्रा ले जाएं क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं हैं।........**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, हर राज्य में कोल-सैक्टर और नॉन-कोर-सैक्टर है, जैसे स्टील है, पावर हाउसेज हैं, सीमेंट है। हर स्टेट में कोल सैक्टर के लिए स्पेशल एलाटमेंट है नॉन-कोर सैक्टर के लिए भी है। मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसको मैंने देखा है, वह सही नहीं है। मंत्री महोदय को बताना चाहिए था कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट उनकी कितनी है, उसको कितना एलाट किया गया है और कितना सप्लाई हुआ......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह जो गड़बड़ी हो रही है, उसके बारे में प्रश्न है। स्टेट की रिक्वायरमेंट का प्रश्न नहीं है।

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिस्ट है गवर्नमेंट के जितने पावर सैक्टर हैं, स्टील सैक्टर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट का एक महीने का स्टाक उनके पास होना चाहिए, लेकिन उनको पांच-छः दिन का भी स्टाक नहीं मिल रहा है। जो सप्लाई हो रहा है, वह भी सब-स्टैंडर्ड कोल हो रहा है। डी० पी० एल० को उसके कोल की रिक्वायरमेंट की सप्लाई नहीं हो रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, स्टेटवाइज एक्चुअल कोकिंग कोल और नॉन-कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट के अनुसार कितनी एलाटमेंट तथा सप्लाई हो रही है और कितना सप्लाई किया गया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रद्द किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह अति संगत प्रश्न है प्रश्न यह है कि क्या यह आवश्यकता के अनुसार है या नहीं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे रद्द कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष जी, हम लोगों को भी प्रश्न पूछना है। ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी आप बैठ जाइए। दूसरे प्रश्न भी हैं। इस एक प्रश्न पर पन्द्रह मिनट दिए हैं। आप ऐसे चर्चा नहीं करेंगे। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन···(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तब मैं इसके लिए आधे घंटे की चर्चा नियत कर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : हम आप की बात मानते हैं।······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए। देखिए, पन्द्रह मिनट में एक प्रश्न हुआ है, तो एक घंटे में चार क्वैश्चन होते हैं। आप चार क्वैश्चन करना चाहेंगे, छः क्वैश्चन करना चाहेंगे या आठ क्वैश्चन करना चाहेंगे — यह सवाल है।

(व्यवधान)

अध्ययक्ष महोदय : अगर आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है तो हाफ-एन-आवर-डिसकशन के लिए आप नोटिस दे सकते हैं। मैं उसको एलाउ करूंगा। आप लोगों ने रूल नही पढ़ा है, अगर इसी घंटे में इस प्रकार से करना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

आप सूचना दीजिए। मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

"मुम्बई हाई" से दक्षिणी राज्यों के लिए गैस पाइप लाइन बिछाना

+

*203 **श्री पी० सी० थामस :**

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गैस ग्रिड के प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थापित किये गये अन्तर मंत्रालय ग्रुप ने "मुम्बई हाई" से दक्षिण राज्यों के लिए गैस पाइप लाइन बिछाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछिए। श्री जोशी आपको यह बात समझनी चाहिए कि मैंने अन्य सदस्यों को भी अमुमति दी है। श्री यादव कांग्रेस के नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उपाध्यक्ष महोदय रह चुके हैं और आप समझते हैं कि क्या किया जाना है। कृपया बैठ जाइए। आप आधे घंटे की चर्चा के लिए कहें तब मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी ० सी ० थामस : महोदय, जो उत्तर दिया गया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दक्षिण गैस ग्रिड शुरू करने के लिए अंतर-मंत्रालीयीय समिति गठित होने के बाद कुछ विचार-विमर्श हुआ था। यदि ऐसा है तो क्या कोई रूपरेखा बनाई गई है और क्या मैं यह जान सकता हूं कि दक्षिण गैस ग्रिड कब तक स्थापित करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : महोदय, दक्षिणी राज्यों से सदैव इसकी मांग रही है क्योंकि वहां विद्युत उत्पादन और आपूर्ति का अभाव है। मैं यह जानना चाहता

हूं कि भारत सरकार को सुविधाएं देने के विषय में सोचना होगा क्योंकि एच० बी० जे० लाइन द्वारा बंबई हाई से उत्तर की ओर गैस ले जानी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह मांग की कि राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए गैस लेने के प्रयास करने चाहिएं। भारत सरकार ने मई, 1990 में समिति गठित की थी जिसे यह अध्ययन करना था कि क्या ऐसी परियोजना बनाई जा सकती है और इस संबंध में कदम उठाए जा सकते हैं।

मुझे इस बात पर खेद है कि समिति ने सरकार को आवश्यक अध्ययन रिपोर्ट नहीं दी है ताकि वह इस संबंध में कदम उठा सके।

सभा को जानकारी देने के लिए मैंने कल ही अधिकारियों से बातचीत की थी और मैंने उनसे कहा था कि समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट देना अति आवश्यक है ताकि सरकार इस मामले पर विचार कर सके और सभा को विश्वास में ले सकें कि क्या ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। महोदय, मेरे ख्याल से जल्दी ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तथा इस संबंध में कोई कदम उठाने से पहले मैं सभा को विश्वास में लूंगा।

श्री पी० सी० थामस : मुझे खेद है कि अब तक समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है इसलिए हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि समिति में क्या चर्चा हुई। इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित किया जाना चाहिए जो पूरे राष्ट्र के लिए लाभदायक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट पर विचार किया गया है और क्या सरकार ने इस पहलू पर अपना कोई विचार व्यक्त किया है। यदि हां, तो इसके संभावित परिणाम क्या हैं?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, राष्ट्रीय गैस ग्रिड का प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है। यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1989 में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी थी। यह अध्ययन उस समय उपलब्ध प्रमाणित गैस भण्डारों तथा अनुमानित गैस भण्डारों पर आधारित था। रिपोर्ट में दक्षिण ग्रिड, उत्तरी ग्रिड, मध्य ग्रिड, पूर्वोत्तर ग्रिड तथा पूर्वी ग्रिड के बारे में सुझाव था, परन्तु इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रिड से सम्बन्धित अनेक बातों को क्रियान्वित कर दिया गया, एच० बी० जे० पाइप लाइन, आन्ध्र प्रदेश में एक पाइप लाईन तथा असम में एक पाइप लाईन इत्यादि। दक्षिण गैस ग्रिड प्रस्ताव भी वास्तविक राष्ट्रीय गैस ग्रिड का ही एक भाग है।

श्री मोरेश्वर सावे : उत्तर में यह स्पष्ट है कि सरकार दक्षिणी राज्यों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रही है। मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1988 को भेजे गए प्रतिवेदन तथा उस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1989 को भेजे उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि यह कहा गया है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अब एच० बी० जे० पाइप लाईन से विद्रभ और मराठवाड़ा को गैस उत्तर पूर्व के लिए शरदा लाइन बनाना संभव हो गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है अथवा नहीं।

श्री बी० शंकरानंद : यह सत्य है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री महोदय द्वारा ऐसा प्रतिवेदन भेजा गया था जब समिति की रिपोर्ट अन्तिम रूप में सरकार को भेजी जायेगी तो इन सभी बातों पर गौर किया जायेगा।

श्री ए० चार्ल्स : केरल में ऊर्जा की कमी है। केरल अधिकतर पन बिजली परियोजनाओं पर निर्भर है ? केरल की सहायता करने का यही एकमात्र रास्ता है। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि अगर समिति अनुकूल रिपोर्ट नहीं देती है तथा कोई निजी पार्टी केरल में व्यर्थ जा रही गैस का उपयोग करने के लिए आगे आती है तो क्या उस पर सरकार सकारात्मक रूप में विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानंद : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री राम नाईक : आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर आपने समस्या का समाधान न करना हो तो एक समिति गठित कर दी जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का गठन मई, 1990 में किया गया था तथा अभी तक समिति द्वारा कोई अर्थपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति के सदस्य कौन हैं, समिति की बैठक कितनी बार हुई तथा क्या सरकार समिति को तीन महीने की अवधि में कम से कम अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 'अन्तर मंत्रालय ग्रुप' जिसे यहां पर समिति कहा गया है। उसकी पहले ही तीन बैठकें हो चुकी हैं। उसे बड़े स्पष्ट निदेश पद दिए गए हैं। दक्षिण गैस ग्रिड से कई प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण जुड़ा हुआ है जिसमें वर्तमान में उपलब्ध गैस की मात्रा तथा भविष्य में इसके लिए खोज के परिणाम सम्मिलित हैं। सगिति का संचालन डॉ० ई० एस० शर्मा, सलाहकार (ऊर्जा), कर रहे हैं तथा योजना आयोग, मेरे मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एक्सपलोरेशन) इसके संयोजक है। उर्वरक विभाग, इस्पात, आर्थिक मामलों संबंधी विभाग, केन्द्रीय बिजली अधिकरण, 'गेल' ओ० एन० जी० सी०, तथा ई० आई० एल० के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने पहले ही समिति के सभापति को समिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने का निदेश दे दिया है।

श्री पी० जी० नारायणन : मुम्बई से लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल्य की फालतू गैस उपलब्ध है। वर्तमान में गैस व्यर्थ जा रही है। यह गैस दक्षिणी क्षेत्रों में प्रयोग हो सकती है जोंकि कोयला क्षेत्रों से दूर हैं ताकि दक्षिण क्षेत्रों को तीव्र गति से औद्योगिक रूप से विकसित किया जा सके ? इस सम्बन्ध में मुम्बई से टुटीकोरन तक कोनकन रेल मार्ग के साथ 1200 कि० मी० लम्बी पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। यह ठीक नहीं है।

श्री पी० सी० नारायणन : महोदय, यह एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव नहीं दे सकते। कृपया प्रश्न पूछिए। यह ठीक नहीं। कृपया प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सुझाव नहीं देना है, प्रश्न पूछना है। अगर मैं आपको अवसर देता हूं तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। आपकी सुझाव नहीं देना चाहिए कृपया, प्रश्न पूछिए।

श्री पी० जी० नारायणन : मैं समझता हूं, महोदय। विशेष अध्ययन में पहले ही दक्षिण क्षेत्र को पाइप लाईन के द्वारा जोड़ने के लिए गैस ग्रिड के कार्यान्वियन का सुझाव दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वय्न से सम्बन्धित विशेष अध्ययन में दिए गए सुझावों पर विचार कर रही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इन सभी सुझावों पर वर्तमान समिति विचार करेगी। अनेक विशेषज्ञों तथा दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा बहुत से सुझाव दिए गए हैं। इन सभी बातों पर समिति विचार करेगी।

श्री के० पी० रेड्डप्पा यादव : दक्षिणी राज्यों में ओ० एन० जी० सी० द्वारा उत्तरी राज्यों की अपेक्षा पाई लाईन बिछाने क लिए बहुत कम निवेश किया गया है। अब जब कि विशेषज्ञ समिति की बैठक होनी है तो क्या मंत्री महोदय दक्षिण ग्रिड को तुरन्त बनवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके लिए तकनीकी जानकारी ओ० एन० जी० सी० के पास उपलब्ध है क्योंकि पहले भी उन्होंने उत्तरी ग्रिड में पाईप लाईन बिछाई है क्योंकि अन्यथा दक्षिणी राज्य उनके इरादों पर संशय कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको इनकी बात समझ आ गई हो तो आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : प्रश्न से मुझे एक ही बात समझ में आई है। माननीय सदस्य अविलम्ब 'साउदरन ग्रिड' चाहते हैं, जो कि संभव नहीं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वघेला : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की गैस के बारे में क्रिमिनल नैगलीजेंस है। गैस के बारे में पूरी तरह से आपने सोचा तक नहीं है। दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा डालकर एच० बी० जे० पाईप लाईन लगाई है तो इसका प्रयोग होता है क्या। कितना परसैंटेज उसका उपयोग होता है। गैस जहां से निकलती है, वहां सालों से जलाते हैं। जो आपने कमेटी बनाई या नहीं तो इसका उपयोग कभी सोचा हैं। जहां गैस जलती है वहां इंडस्ट्रीयल, गैस मेड पावर स्टेशन और व्हीकल्स फिल-अप करने के लिए और उपयोग करने के लिए सोचा है, उसको कब तक इम्पलीमेंट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यद्यपि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तथापि इसका दक्षिणी ग्रिड से कोई सम्बन्ध नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री शंकर सिंह वघेला : यह गैस से सम्बन्धित है। **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : सदन के समक्ष प्रश्न 'साउदरन ग्रिड' की संभावना का है। एच० बी० जे० पाईप लाईन का 'साउदरन ग्रिड' से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो क्षमता बनाई गई है, उसी का बहुत ही कम प्रयोग हो रहा है तथा औद्योगिक इकाइयों की मांग को पूरा करने में हम अक्षम हैं। यह सत्य है कि जो औद्योगिक इकाइयां इसका प्रयोग एच० बी० जे० पाईप लाईन के द्वारा करने वाली थीं, वे अस्तित्व में नहीं आ पाई हैं तथा उसके लिए सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, तथा किन लोगों द्वारा इस गैस का उपयोग किया गया तथा कौन लोग इसका उपयोग नहीं कर पाये हैं। वे इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं। ऐसी ईकाइयों को गैस का कोटा बन्द कर दिया जायेगा तथा जरूरतमंद तथा उन लोगों को यह कोटा उपलब्ध करवाया जायेगा जो निम्न स्तर पर औद्योगिक ईकाईयां स्थापित करने को तैयार हों।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने नारदर्न ग्रिड, सैंट्रल ग्रिड, नर्था-ईस्टर्न ग्रिड तथा साउदर्न ग्रिड की चर्चा की है। परन्तु गैस पाईप लाईन महाराष्ट्र से गुजरती है। हमने गैस पाईप लाईन से सतपुरा श्रृंखला में गैस पर आधारित कुछ ईकाईयां खोलने का निवेदन किया था जहां से पांच जनजातीय संसद-सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। यह जनजातीय क्षेत्र हैं। परन्तु इस सुझाव पर विचार नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। जैसा कि केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि जहां तक कोयला उत्पादन का प्रश्न है, उसके लिए यथावत उद्योग होने चाहिए—कोयले पर आधारित उद्योग कोयला उत्पाद क्षेत्रों में ही होने चाहिए—क्या यही सिद्धांत गैस पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में भी अपनाया जाएगा विशेषकर सतपुड़ा श्रृंखला जैसे जनजातीय क्षेत्रों में जहां से कि पाईप लाईन हो कर गुजरती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई डिपो उपलब्ध करवाया जायेगा तथा उन्हें यह इकाईयां आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय। वर्तमान में कुल 45 मिलियम क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। सरकार ने पहले उत्पादन को दुगना अर्थात 90 मिलियन क्यूबिक मीटर करने का संकल्प किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उपलब्ध उत्पादन के सम्बन्ध में कोई संकल्प नहीं किया गया है।

जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि डाउन-स्ट्रीम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। इसलिए एच० बी० जे० पाईप लाईन से गैस का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरे किसी किसी राज्य अथवा जिले में किसी विशेष स्थान पर गैस की उपलब्धता वहां पर उपलब्ध गैस तथा वहां पर गैस ले जाने पर निर्भर करती है। एक गैस लिन्केज समिति गठित की गई है जिसके सभापति पैट्रोलियम सचिव हैं। गैस के उपयोग के लिए प्राप्त आवेदनों के सन्दर्भ में गैस लिन्केज समिति लगातार आकलन करके उचित निर्णय लेती है।

सदस्यों के सुझावों पर भी समिति विचार करेगी।

उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

*204. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाह स्थापित करने सम्बन्धी लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों की स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास उड़ीसा से मत्स्यन बन्दरगाह से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है। फिर भी, मछली अवतरण केन्द्रों के निर्माण के चार प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अधीन तटीय विनियमन क्षेत्र के सम्बन्ध में दी जाने वाली मंजूरी के अभाव में कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री गोपीनाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, भारत मछली पालन करने वाला सबसे बड़ा देश है जिसकी क्षमता 875 करोड़ की है।

अध्यक्ष महोदय : गजपति जी, आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। मन्त्री महोदय के पास शायद यह जानकारी है।

श्री गोपीनाथ गजपति : उड़ीसा राज्य, जहां से मैं आया हूं उसमें चार जिलों में फैला हुआ 480 किलोमीटर का समुद्रीय तट है। इस समय केवल बालासोर जिला के धामरा नामक स्थान पर एक भाग 'फिश लैंडिंग' साईट है गोपालपुर, असटारंग तथा प्रादीप में प्रस्तावित 'फिश लैंडिंग साईटज' अभी तक चालू नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि हर बार हर सदस्य को मतलब की बात कहने के लिए कहना सम्भव नहीं। परन्तु अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो दूसरे सदस्यों को समय नष्ट होगा। आप क्षमा कीजिए तथा मतलब की बात कीजिए।

श्री गोपीनाथ गजपति : महोदय, मैं एक बात पर जोर देना चाहता था कि यद्यपि उड़ीसा सरकार ने कोई सांविधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किए हैं फिर भी 'सैन्ट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ कॉस्टल इन्जीनियरिंग एण्ड फिशटीज' बंगलौर में कार्यरत है। यह एक केन्द्रीय सरकार का संस्थान हैं जो कि लम्बित परियोजनाओं तथा इसके तकनीकी पक्षों और इनमें तेजी लाने पर विचार करता है। क्या मैं इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव को जान सकता हूं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, इन मत्स्य वन्दरगाहों के निर्माण की कोई

समस्या नहीं है। हम पांच मत्स्य केन्द्र बना चुके हैं। वे चांदीपुर, सबेलिया, पथारा, चूड़ामणि और नायरी में हैं। अन्य तीन जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वे अभी निर्माणाधीन हैं। ये हैं। गोपालपुर, पारादीप और नौगढ़ (अष्टारंग)

यह मामला पर्यावरण मंत्रालय के पास है। अगर वह इसकी स्वीकृति देता है तो हम अन्य मामलों को भी भेजेंगे। उन पर कार्य चल रहा है। कोई समस्या नहीं है। हमने इसे शीघ्र करने का प्रयत्न किया है। पर्यावरण मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत चल रहा है। मेरे राज्य मन्त्री उनसे मिले। मेरे सचिव भी मिले। किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मुझे शायद इसे स्वयं ही करना पड़े।

श्री गोपीनाथ गजपति : गरीब मछुआरों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मत्स्य-पालन पर निर्भर रहना पड़ता है। विशेष रूप से गोपालपुर और छतरपुर के तटीय क्षेत्रों के मछुआरे मत्स्य-उद्योग से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाओं के अभाव से प्रभावित है। तटीय पट्टी में बड़े व्यवसायिक लोगों ने कब्जा कर लिया है जिससे असहाय मछुआरे अपनी जीविका के मूल साधन से वंचित हो गए हैं। क्या माननीय मन्त्री, इन ज्वलन्त मुद्दों को सुलझाने के सरकार के प्रस्तावों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1978 में भारत सरकार ने सामुद्रिक मत्स्य अधिनियम पारित किया था जिसमें तटीय पट्टी का 6 मील या 10 मील क्षेत्र पारम्परिक मत्स्य नौकाओं को दिया गया। इससे परे का जल क्षेत्र अन्य मशीनीकृत नौकाओं के लिए दिया गया। अभी तक, मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। अगर वहां कुछ हो रहा है, तो मैं निश्चय ही इस मामले पर विचार करूंगा और इसे सुलझाऊंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : सभी मामलों में और विशेष रूप से इस क्षेत्र में भारत सरकार उड़ीसा की उपेक्षा कर रही है। यह एक अत्यन्त छोटी सी भाग है। गोपालपुर, अष्टरंग और पारादीप तीन मत्स्य बन्दरगाह हैं। अन्य मत्स्य उतरण केन्द्र हैं। ये तीनों मत्स्य बन्दरगाह अभी भी पूरे नहीं बने हैं। उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है इसके लिए शीघ्र धन दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव आया है। कम से कम इन तीन बन्दरगाहों का कार्य पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम जाखड़ : हमारे मन्त्रालय में एक केन्द्रीय निगरानी समिति है जिसकी बैठक 24-8-91 को हुई थी। हम इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। इसके कार्य को द्रुत गति से पूरा करने के लिए हम यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : और राशि का क्या हुआ ?

श्री बलराम जाखड़ : राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी कोई कमी नहीं होगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोयय, मैं मन्त्री का धन्यवाद करता हूं। उड़ीसा सरकार ने पर्यावरण संरक्षक अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इसलिए यह प्रस्ताव अभी भी लटका हुआ है और अभी भी कृषि मंत्रालय में अनुमति प्राप्त करने के लिए लम्बित है।

उड़ीसा सरकार के उदासीन दृष्टिकोण के बावजूद, माननीय मंत्री ने अब आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ उठाएंगे और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि वह कार्यवाही करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और वह चार बार उनका धन्यवाद कर चुके हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यह सर्वज्ञात है कि उड़ीसा के झींगों और मछलियों की विभिन्न देशों में विशेष रूप से अमेरिका में भारी मांग है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह एक अच्छा उपाय है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और उससे अधिक मात्रा में झींगे मछली पकड़ने के लिए और निर्यात के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए, क्या भारत सरकार चिलिका के पास बंगाल की खाड़ी में एक मत्स्य बन्दरगाह स्थापित करने का विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : तो यह आपके प्रश्न का मुख्यांश है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य से पूर्णत सहमत हूं। मत्स्य उद्योग में बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। इसका भविष्य उज्जवल है और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मैं इसकी पूरी अवधारणा को बदलना चाहता हूं। हम इसमें काफी प्रगति कर चुके हैं। अभी तक हम 3.8 मिलियन टन के आंकड़े तक पहुंच गए हैं और हमने काफी प्रगति की है। किन्तु अगली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मैं इसे 9 मिलियन टन करना चाहता हूं। मैं उनसे सहमत हूं। मैं इसे यथासम्भव करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। किन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। गोपालपुर, अष्टरंग और पारादीप में, ये तीनों बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा गया था और इसे अनुमति कब दी गई ? उत्तर से निश्चिन रूप से पता चलेगा कि इसमें कोई लापरवाही हुई है या नहीं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पारादीप पर मत्स्य बन्दरगाह के स्थान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति थी या नहीं और क्या इस आपत्ति पर विचार किया गया था या नहीं।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे विचार से माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। इसका काम प्रगति पर है और काम की देखरेख हो रही है और उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पूर्ण विवरण दे सकता हूं कि यह कब हुआ, कब इसे अनुमति दी गई और कब यह शुरू हुआ और कितना व्यय हुआ इत्यादि। इसमें कोई मुश्किल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखित रूप में भेज सकते हैं।

"तीन बीघा" क्षेत्र के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करना

* 205. **श्री लालकृष्ण आडवाणी** :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "तीन बीघा" क्षेत्र के सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस क्षेत्र को बांग्लादेश को अन्तरित करने पर भारतीय राज्य क्षेत्र से कुचलीबाड़ी क्षेत्र अलग हो जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कुचलीबाड़ी में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र को पट्टे पर देने के सम्बन्ध कुचलीबाड़ी के निवासियों और कुचलीग्राम संग्राम समिति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या इस क्षेत्र को अन्तरित करने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार ने इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श कर लिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या इस क्षेत्र के अन्तरण से निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (झ) : एक वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार को तीन बीघा मसले के बारे में श्वेत पत्र जारी करने के लिए कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुई है ।

कुचलीबाड़ी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं किया जा रहा है क्योंकि तीन बीघा कारीडोर केवल पट्टे पर दिया जा रहा है और बंगलादेश को हस्तांरित नहीं किया जा रहा है और यह कि भारतीय नागरिक पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से स्वतंत्र और निर्बाध रूप से आने जाने के अधिकार का उपयोग करते रहेंगे ।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को कुचलीबाड़ी के निवासियों और कुचलीबाड़ी संग्राम समिति से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । भारत सरकार कुचलीबाड़ी के निवासियों द्वारा उल्लिखित मसलों के बारे से पश्चिमी बंगाल के प्राधिकारियों के सम्पर्क में है ।

बंगला देश को उक्त कारीडोर पट्टे पर देने के बाद की जाने वाली सारी व्यवस्था के बारे में सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ परामर्श कर रही है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, कुचलीबाड़ी और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में रहने वाले 40,000 से अधिक भारतीय इस तीन बीघा क्षेत्र के बांग्लादेश को हस्तांतरण के प्रस्ताव पर काफी उत्तेजित हैं। यह समस्या 1974 और 1982 के समझौतों से उत्पन्न हुई है। किंतु, यदि अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो इसका कारण इससे जुड़ी मानवीय समस्याएं, कानूनी समस्याएं और विभिन्न मामलों में बांग्लादेश सरकार का दृष्टिकोण है। और इसलिए इसका क्रियान्यवन अभी तक नहीं किया गया है। इस क्षेत्र को पट्टे पर देने का प्रस्ताव इसलिए किया गया था ताकि बांग्लादेश को ऐसा क्षेत्र मिले जहां से वह भारत में अपने विदेशी अन्तःक्षेत्र में प्रवेश कर सके और अब हम बांग्लादेश में भारत का अन्तःक्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपने अपने उत्तर में कहा है कि उनको इस तीन बीघा क्षेत्र से बन्धन रहित, मुक्त आवागमन का अधिकार है। हमें अपनी जनता को इस प्रकार की कठिनाई में डालने की अपेक्षा आपने अन्तःक्षेत्रों में जाने का अधिकार बांगला-देश के नागरिकों को क्यों नहीं दे दिया जाता ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, पहले मुझे यह स्पष्ट करने दें कि यह क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं है। यह क्षेत्र का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं है। यह एक भ्रामक धारणा है। तीन बीघा भारत का अंत रहेगा और यह भारतीत क्षेत्र बना रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की शब्दावली में यह एक प्रकार का भोगाधिकार है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत बांग्लादेश को प्रवेश का अधिकार देना होगा, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी विदेशी अन्तःक्षेत्रों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह उपयोगी होगा कि आप भोगाधिकार की व्याख्या करें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ठीक है, महोदय। मैं आपका मतलब समझ गया हूं, आज पहला कार्य यह होना चाहिए कि दिन में सभा पटल पर उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को रखा जाए, जिसमें इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है।

महोदय, आपने जो कहा है उसके सन्दर्भ में, मैं सिर्फ इस निर्णय के दो भाग उद्धृत करना चाहूंगा, जिससे यह मामला स्पष्ट होगा। यह 47 से 50 पृष्ठों का एक लम्बा फैसला है। इस लम्बी अवधि तक मामला चलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, मैं वहीं कहूंगा। प्रत्येक स्तर पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश ने कलकत्ता उच्च न्यालय की खण्डपीठ में और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं यही कहा है कि यह क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है और मैं भी यही कह रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने कानूनी समस्या का उल्लेख किया है।

मैं उस मामले अर्थात्, भारत सरकार बनाम सुकुमार सेनगुप्त तथा अन्य की सिविल याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ 47 से उद्धृत करता हूं।

"हमें यह अवलोकन करना चाहिए कि यह वास्तव में एक ऐसे मुद्दे पर लड़ाई थी जो कि कोई मुद्दा ही नहीं था ।"

अब, खण्डपीठ के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह क्षेत्र का त्याग नहीं है और स्थायी अधिकार का पट्टा भी नहीं है । अगर ऐसा होता तो कानून में या संविधान में परिवर्तन होता और समझौता पूरी तरह क्रियान्वित किया जाता । यह निर्णय स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ । मैं उद्धृत करता हूं :

"समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए और हमें आशा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की बहाली के लिए यह किया जाएगा ।"

इस प्रकार, इस देश के उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार, इस निर्णय से इसका कानूनी पहलू स्पष्ट हो जाता है और यह कानूनी पहलू उच्चतम न्यायालय के शब्दों में कोई मुद्दा ही नहीं था ।

जहां तक मानवीय समस्या का सम्बन्ध है, हमने 1974 के समझौते में यह गारण्टी दी थी कि और 1982 में भी और स्पष्ट कर दिया था कि इससे कोई मानवीय समस्या नहीं होगी । कुचलीबाड़ी के निवासियों को और कुचलीबाड़ी के दूसरी ओर, मकलीगंज के निवासियों को प्रत्येक अधिकार प्रत्येक वर्तमान सुविधा दी जाएगी । भारत की प्रभुसत्ता वही बनी रहेगी । यह एक भारतीय क्षेत्र ही रहेगा ।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं, जो कि विपक्ष के नेता हैं, कि इसमें कोई मानवीय समस्या नहीं है । कोई कानूनी समस्या नहीं है । वे कृपया यह ध्यान रखें कि इसका आवश्यक रूप से राजनीतिकरण न किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपने कहा कि भोगाधिकार का कानून यह शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य कानूनों में प्रयुक्त होती है । यदि आप इसकी व्याख्या करें तो यह लाभकारी होगा । सदस्यगण भी इसकी सराहना करेंगे ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को उद्धृत किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित न्यायाधीश भी शामिल है । यह कहा गया है कि भोगाधिकार का अधिकार आगमन का वह अधिकार है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्येक देश को अन्य देश के विदेशी अन्तःक्षेत्र में देना चाहिए । सिर्फ यही अधिकार दिया जाता है तथा अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाती ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमान् मैं किसी कानूनी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं । मुझे विदित है कि सभी प्रकार की काल्पनिक कानूनी कहानियां हैं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यह एक लम्बी अवधि के लिए पट्टा होता, तो अच्छी बात थी । एक उपबन्ध है जो पट्टे की शाश्वतता के बारे में जानकारी देता है । दूसरा उपबन्ध भारत में प्रभुसत्ता निहित के बारे में जानकारी देना है । मैं

पट्टे में शाश्वतता को प्रभुसत्ता का अवगुण मानता हूं। अतः यह पट्टा आम आदमी और वहां रह रहे नागरिकों के लिए नहीं है। यह एक स्थिति में बदला जा सकता है जहां बंगलादेश के स्थानीय निवासी वहां की हालात के कारण भारत में आ रहे हैं। हम अपने लोगों को बंगलादेश की प्रभुसत्ता का दण्ड दे रहे हैं। यह एक कटु सत्य है।

मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या इसका अर्थ है भारत की सीमा का विस्तार करना; इस तीन बीघा क्षेत्र का स्थानांतरण—यद्यपि विधितः, नए सिरे से स्थानांतरण नहीं—क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि क्षेत्र में और बढ़ोत्तरी जिसकी कि हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी और इसलिए क्या इससेसुरक्षा सम्बन्धी कठिनाइयां नहीं आएंगी। और, जबकि यह तथ्य है कि मानवीय उलझनें हैं, सुरक्षा की उलझनें हैं, तो क्या सरकार पहले से किए गए समझौतों को मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु पुनः समीक्षा करने हेतु बंगलादेश से बातचीत करने पर विचार करेगी, ताकि सुरक्षा समस्या का ध्यान रखा जा सके और 40.000 से अधिक लोगों के विक्षुब्ध समूह को टाला जा सके। आजकल, वे वाद-विवाद के लिए पूर्णतया तैयार हैं। इसके परिमामस्वरूप पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री ने उस स्थान का एक बार दौरा भी किया है। पश्चिमी बंगाल का एक प्रमुख धड़ा भी इसके स्थानांतरण के पक्ष में है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : ····के कारण कुछ समस्या उत्पन्न की जा रही है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : हां, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूंगा कि समीक्षा हेतु इस प्रकार का प्रश्न पहले कभी नहीं उठा। 1974 का समझौता कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके बाद अन्य सरकारें सत्तासीन रही हैं। 1977 में एक सरकार थी जिसके माननीय सदस्य एक विशिष्ट सदस्य थे और उसके दल के सदस्य विदेश मन्त्री थे। वर्ष 1977-80 में जब जनता दल सत्ता में था अथवा जनता दल (स) सत्ता में था अथवा जब जनता दल सरकार थी, जिसका कि ये समर्थन दे रहे थे, 1974 के समझौते की समीक्षा का यह प्रश्न एक क्षण के लिए भी नहीं उठा। न ही उस समय एक क्षण के लिए भी यह प्रश्न उठाया जब प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई श्री वाजपेयी सहित ढाका गए थे—मेरे पास उस बैठक और संयुक्त वार्ता का कार्यवृत्त है—जिसमें यह मामला उठाया गया था।

श्रीमान् जी, अब मैं पुनः मानवीय समस्या के प्रश्न पर आता हूं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सभी मानवीय समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। कोई मानवीय समस्या नहीं होगी। सभी अधिकार, सुविधाएं जो कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उसको संरक्षित रखा जाएगा। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि परिचालन-स्तर पर, हम पश्चिमी-बंगाल सरकार के साथ काफी समीप से कार्य करेंगे क्योंकि यही वह सरकार है जो इन कार्यकलापों को मौके पर देखेगी।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, श्रीमानजी, इससे पूर्व कि मैं आपसे प्रश्न करूं, आपसे आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि कृपया प्रश्न को ठीक करें। (ई) के अन्तर्गत यह कहा गया है कुचलीग्राम संग्राम समिति। "कुचलीग्राम संग्राम समिटि" के नाम से कोई संगठन नहीं है।

यहां दो संगठन हैं। एक है—तीन बीघा संघर्ष समिति। इसका नेतृत्व फारवर्ड ब्लाक करता

है जोकि मेरा दल है । दूसरी है कुचलीबारी संग्राम समिति जोकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेतृत्व में । अतः, इसे सुस्पष्ट वर्णित किया जाना चाहिए । **(व्यवधान)** इससे पूर्व कि मैं प्रश्न प्रस्तुत करूं । पुंछ में यह वर्णन करना चाहूंगा कि हमारे बंगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिएं, परन्तु हमारी प्रभुसत्ता को दाव पर लगा कर नहीं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं चाहूंगा कि जनता जो कुछ कहा जा रहा है उसकी ओर ध्यान देगी ।

श्री अमर राय प्रधान : हम बंगलादेश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहेंगे, परन्तु निःसन्देह हमारी प्रभुसत्ता को दाव पर लगाकर नहीं ।

यहां माननीय मंत्री महोदय ने एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून को उद्धृत किया है और कहा है कि भारतीयों पर प्रत्येक परिक्षेत्र में ज्यादतियों का अधिकार है । यह बिल्कुल सही है ।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें 126 भारतीय परिक्षेत्रों की स्थिति विदित है ? उन परिक्षेत्रों की क्या स्थिति है ? वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है । वहां एक लाख व्यक्ति रह रहे हैं । वे हमारे नागरिक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका प्रश्न आकारहीन है, तो आपको आकारहीन उत्तर मिलेगा ।

श्री अमर राय प्रधान : वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं हैं । वहां कोई पुलिस नहीं है । वहां कोई चौकीदार नहीं है । वहां कोई प्रशासन नहीं है । एक लाख व्यक्ति बंगलादेश के लोगों की कृपादृष्टि पर है । वे जंगलों में रह रहे हैं । यह स्थिति है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधानजी आपको भाषण नहीं देना चाहिए । कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं कुचलीबारी के बारे में स्थिति का वर्णन करना चाहूंगा । अब, आप एक ओर परिक्षेत्र उत्पन्न करने जा रहे हैं, उदाहरणतया कुचलीबारी 40,000 से अधिक जनसंख्या वाला ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इसे पुनः विचारना चाहेगी और क्या वे बंगलादेश से न्यू मुरद्वीप जो कि अभी तक लम्बित है, पर एक-मुश्त-समझौता करेंगे और भारत-बंगला देश परिक्षेत्रों, गंगा-तिसता पानी के सह भागीदारी । बंटवारे बारे में विचार-विमर्श करेंगे ।

इन सभी बातों को एक साथ लेकर पूर्ण प्रस्ताव रखना चाहिए । इस पर आप विचार कीजिए और समग्र रूप में प्रस्ताव सामने रखिए । उस स्थिति में, कुचलीबारी नया एन्क्लेव नहीं बनेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है । परन्तु मैं आपके निर्देशानुसार इस प्रश्न से सम्बन्धित विषय का ही उत्तर दूंगा ।

अपने उत्तर में मैंने कहा है कि कुचलीबारी एक एन्क्लेव नहीं बनेगा। वह आज की तरह जैसे का तैसा रहेगा। मैं इसे पुनः दोहराता हूं। मैं माननीय सदस्य को मानचित्र देने को तैयार हूं, जो कि मेरे पास है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उनको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान : मैं भी आपको एक मानचित्र दूंगा।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : पहली बात यह है कि इसके एन्क्लेव बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी बात यह है कि इस पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय 1974 उच्चतम न्यायालय से समझौते के लिए हमें निर्देश दिया है। यदि आप 1959 (मून नेहरू पैक्ट) की स्थिति से पहले जानना चाहते हैं.....**(व्यवधान)** उच्चतम न्यायालय ने हमें उसे शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करने का निर्देश दिया था। हम इसे स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार ही चलेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : वह उसी स्थान पर नहीं है।

डा० देवी प्रसाद पाल : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि बंगलादेश सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में अधिसेविता का अधिकार रहेगा। अधिसेविता के अधिकार का अर्थ है कि बंगला देश को अपने एन्क्लेवों में पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अधिसेविता अधिकार देने के लिए, स्थायित्व का पट्टा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्थायित्व का पट्टा दिया गया तो बंगलादेश सरकार यद्यपि सार्वभौमिक अधिकार भारत के पास है वहां पर रहने वाले लोगों सहित उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी।

अतः क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि अधिसेविता के लिए स्थायित्व पट्टा दिया जाना चाहिए अथवा नहीं और यदि स्थायित्व पट्टा दिया गया तो स्थिति क्या होगी ?

श्री एडुआर्डो फंलीरो : माननीय सदस्य ने समिति प्रयोजन हेतु बंगलादेश के पक्ष में अधिसेविता तथा एन्क्लेवों में जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। इसे उसी उद्देश्य के लिए स्थायित्व किया जाना था और स्थापित किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पट्टे का मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया जिसमें यह अन्तर बताया गया कि जब सरकार पट्टा देती है तो स्थिति क्या होगी और जब एक सामान्य व्यक्ति पट्टा देता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। उच्चतम न्यायालय के फैसले में इन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया जिसे मैं सभा पटल पर रख रहा हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई कानूनी समस्या नहीं है, यह कानूनी मसला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट कर दिया है जिस बारे में वहां की जनता बहुत चिंतित थी। मैंने महसूस किया है कि भाजपा और कांग्रेस के ही नहीं, वामपंथी दलों के हमारे कुछ मित्रों को भी इस विषय में सन्देह थे। क्या मैं

माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? उन्होंने कहा है कि किसी एन्क्लेव को बनाये जाने और किसी क्षेत्र के अधिकार को छोड़े जाने का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि जो गलियारा बनाया जा रहा है क्या उसका उपयोग पुलिस, अर्धसैनिक व सैनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त भारतीय नागरिक भी समान रूप से कर सकेंगे ? क्या कुचलीबारी के लोगों के सामने मेखली गंज को कुचलीबारी से मिलाने वाली गलियारा के उस पार की उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क को उपयोग में लाने में कोई कठिनाई होगी ? क्या उस सड़क का उपयोग भारतीय नागरिक निरन्तर कर सकेंगे ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि नागरिक व सैनिक कर्मचारी हमारे सभी लोगों को उसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, उसके उपयोग का उनको अधिकार है, क्योंकि वह भारत का अंग है और वह भारत का अंग बना रहेगा ।

जहां तक उस सड़क की बात है, जो लगभग उत्तर-दक्षिण दिशा में चलती है, वह बनी रहेगी इसलिए अन्य सदस्यों द्वारा जिस मानवीय समस्या का उल्लेख किया गया है उसकी कोई बात नहीं उठती ।

श्री गुलाब मल लोढा : माननीय मंत्री जी मानवीय समस्या की बात कर रहे हैं मुझे उनका ध्यान समझौते की धारा 4 की ओर आकर्षित करना है जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस, अर्ध-सैनिक बल तथा शस्त्र गोला बारूद, उपकरण तथा आपूर्ति सहित पट्टा अन्तर्गत सेना कर्मियों सहित बंगलादेश के नागरिकों को क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक व बेरोक टोक घूमने का अधिकार है और उनको पारपत्र, यात्रा दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री जी ने सामान्य रूप से उच्चतम न्यायालय के जिस फैसले का उल्लेख किया है उस पर स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विचार किया जा रहा हैं । यह फैसला उच्चतम न्यायालय से यह गलत बताते हुए लिया गया है कि उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं रहता और यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष समादेश याचिका की विषय-वस्तु है । जिन लोगों के वहां खेत हैं उन्होंने यह याचिका दायर की थी कि वे वहां रहते हैं और भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष झूठा हलफनामा दायर किया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछता हूं कि क्या यह सत्य है कि सैनिकों तथा सैन्य उपस्करों को लाना-ले जाना एक मानवीय समस्या है । यदि वे मानवीय समस्या को हल करना चाहते हैं तो तब वह उपरी पुल बनाकर इसका समाधान क्यों नहीं करते हैं ? भारत सरकार के पास भूमि है और उसके पास ही संप्रभुता भी है । वे एक उपरी पुल बना सकते हैं जिसके द्वारा बंगलादेशी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकें ताकि न कोई सुरक्षा को खतरा रहे और न ही बंगलादेश एन्क्लेव के बीच के कुचलीबारी क्षेत्र के लिए कोई समस्या रहे ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मुझे इस निर्णय पर पुनर्विचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका के बारे में बताना चाहता हूं । उनकी याचिका एक बार फिर रद्द कर दी गई है । इन सभी याचिकाओं को बार-बार रद्द कर दिया जाता है । और माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित याचिका के साथ भी यही हुआ है ।

जहां तक सेना कर्मियों तथा अन्यों का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि उद्देश्य के लिए मुख्य भूमि से उस एन्क्लेव तक जाने का अधिकार उनकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए दिया जाना है। हमारे लोगों को वहां आने-जाने की पूरी छूट है, उनके पास पूरी संप्रभुता है और न्यायालय के निर्णय में भी यही बात कही गई है जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित याचिका भी शामिल है। माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि उसे भी रद्द कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उपरी पुल बनाना संभव है?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : समझौते में वह मुद्दा नहीं था। हम इसे अब आवश्यक नहीं समझते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : जब 1974 और 1982 के इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे क्या तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विपक्षी दलों और विशेष रूप से फारवर्ड ब्लाक से विचार-विमर्श किया था और विपक्षी दलों तथा फारवर्ड ब्लाक की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया थी?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य के पास है तो वह इसे सभा को बता सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर अधिकारी स्तर पर चर्चा हुई है। यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन से मुद्दे उठाए तथा इस विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा? क्या मैं आगे यह जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने सरकार को इस बात की जानकारी दी कि 16 दिसम्बर से पहले भूमि देना सम्भव नहीं है जैसा कि बंगला देश सरकार ने मांग की है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस मामले में हम पश्चिम बंगाल सरकार से निरन्तर परामर्श और सहयोग कर रहे है। हमें ऐसा करना ही चाहिए और हम उनसे परामर्श करके यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन एन्क्लेवों में कोई माननीय समस्या पैदा न हो अथवा वहां लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

श्री चित्त बसु : आपने जो अन्तिम बार चर्चा की थी उसके क्या परिणाम रहे?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : पूरे समय संचालनात्मक मामलों पर ही चर्चा की जा रही है और यह इसलिए है कि किसी भी समय किसी भी स्तर पर कोई संचालनात्मक समस्या न हो। इसका शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग और समन्वय के लिए निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रसोई गैस की मांग और उत्पादन

***206. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष रसोई गैस की मांग और उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि मांग और सप्लाई में विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 में 1760 टी० एम० टी० वर्ष 1989-90 में 1948 टी० एम० टी० और 1990-91 में 2144 टी० एम० टी० एल० पी० जी० का उत्पादन हुआ था। एल० पी० जी० की मांग हमेशा अधिक रही है। उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में आयात सहित बढ़ा हुआ देशी उत्पादन शामिल है;

इस्पात संयंत्रों का गैर-सरकारीकरण

***207 श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1991 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "दुर्गापुर स्टील यूनिट इम्प्रूव्स शो ड्यूरिंग अप्रैल-अक्तूबर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को इनके कार्यकरण में सुधार होने के बावजूद उन्हें किन्हीं गैर-सरकारी कम्पनियों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। अप्रैल से अक्तूबर, 91 की अवधि के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्य-निष्पादन में इस वर्ष के बजट तथा पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सुधार हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अफ्रीकी देशों को सहायता

*208. **श्री राम बदन :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम" के अन्तर्गत भारत द्वारा विभिन्न अफ्रीकी देशों को 199 में दी गई सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 199: के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णयलिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम नाम का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

पाकिस्तान का काश्मीर विवाद को हल करने के संबन्ध में ब्रिटेन से अनुरोध

*209. **कुमारी उमा भारती** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ हरारे में हाल में हुई अपनी बैठक के दौरान काश्मीर विवाद को हल करने में उनसे सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) यह बताया जाता है कि राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन के अवसर पर हरारे में '8 अक्तूबर, 991 को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ अपनी मुलाकात में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि ब्रिटेन काश्मीर मसले को हल करने के लिए भूमिका निभा सकता है । समाचार माध्यम इस आशय की खबरें देते रहे हैं ।

(ख) सरकार का यह दृढ़ मत है कि शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ सभी मसलों को द्विपक्षीय आधार पर तय किया जाना चाहिए । इसलिए इसमें किसी तीसरे पक्ष को लाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

*210. **श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ध) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता ब्लॉक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है। और यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा पनियोजना से जुड़ी नहीं होती।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन । बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

करोड़ रुपए, क्षमता
हज़ार हेक्टेयर

वर्ग	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमानित लागत	3/91 तक कुल व्यय	91-92 दौरान कुल प्रत्याशित व्यय	कुल चरम सिंचाई क्षमता	3/91 तक कुल सृजित क्षमता	1991-92 के दौरान कुल अतिरिक्त प्रत्याशित क्षमता	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (निधियों की की उपलब्धता के अध्यधीन)
बृहद	23	5817.11	1649·68	282·97	2116.11	443.60	50.90	आठवीं योजना में 11 तथा आठवीं योजना के आगे 12
मध्यम	34	796.19	415.35	55.23	227·70	53.70	21.20	आठवीं योजना के दौरान 30 तथा आठवीं योजना के आगे 4
कुल बृहद और माध्यम	57	6613.30	2065.03	338.20	2343.81	497.10	72.10	

[अनुवाद]

गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कोकिंग कोयले की सप्लाई

*211. **श्री रमेशचन्द तोमर** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले का कुल कितना भण्डार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र से काफी मात्रा में कोककारी (कोकिंग) कोयला गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोककारी कोयले की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1-11-91 की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल 864.78 मि० टन भंडार होने का अनुमान लगाया है। श्रेणीवार 1-1-91 की स्थिति के अनुसार कोयले के भंडारों को नीचे दर्शाया गया है।

प्रमाणित श्रेणी	—	257.03 मिलियन टन
विनिर्दिष्ट श्रेणी	—	149.29 मिलियन टन
अनुमानित श्रेणी	—	458.46 मिलियन टन
		864.78 मिलियन टन

(ख) से (घ) असम के माकुम कोयला क्षेत्रों से कोल इंडिया लि० द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कोयले का उत्खनन केकिंग गुणवत्ता वाला है, किंतु इसमें उच्च सल्फर तत्व विद्यमान हैं, जो कि इस्पात संयंत्रों द्वारा कोक बनाए जाने के लिए इस कोयले के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। वर्ष 1990-'1 में इस क्षेत्र से 6.80 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया, जिसमें से लगभग !.40 लाख टन कोयले की "सेल" के इस्पात संयंत्रों को मिश्रित किए जाने के प्रयोजन से आपूर्ति की गई। शेष कोयले की मात्रा की महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों जैसे—रेलवे, सीमेंट, उर्वरक, आदि जैसे उद्योगों को आपूर्ति की गई। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान "सेल" के इस्पात संयंत्रों को लगभग 2.50 लाख टन कोकिंग कोयले की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 1992-93 में 3.0 लाख टन तक और वर्ष 1996-97 में 4.50 लाख टन तक कोयले के प्रेषण में और वृद्धि की जाएगी।

विश्व अंडा आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक

*212. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व अंडा आयोग की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था;

(ग) उक्त बैठक में क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) सरकार का उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय अण्डा आयोग, जो एक गैर-सरकारी संस्था है, का वार्षिक उत्पादन तथा विपणन सम्मेलन नई दिल्ली में 4 से 8 नवम्बर, 1991 को आयोजित किया गया था। यह ज्ञात हुआ है कि इस सम्मेलम में भारत के अलावा अर्जेन्टीना, आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नार्वे, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, स्विटजरलैण्ड, स्वीडन, थाइलैंड, यू० के०, अमरीका और यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) सम्मेलन में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों पर दोहरी मूल्य नीति

*213. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को उनके उत्पादन के आधार पर अलग-अलग श्रेणी में रखने के लिए उर्वरकों सम्बन्धी दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत कोई मानदण्ड निर्धारित किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट

*214. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चिगुरूकुंटा स्वर्ण खानों से निकाले गए सोने का परिष्करण

***215. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित चिगुरूकुंटा स्वर्ण खानों में खनन कार्य जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त खानों से निकाले गए सोने का वहीं परिष्करण भी किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने उक्त सोने का इन खानों के निकट ही परिष्करण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) चिगारगुंटा खानों से उत्पन्न अयस्क निम्न ग्रेड का होने से, चिगारगुंटा में अयस्क शोधन हेतु अलग संयंत्र लगाना लाभप्रद नहीं पाया गया। साथ ही, अयस्क शोधन की कोलार स्वर्ण क्षेत्र मिलों के० जी० एफ० मिल्स) में अतिरिक्त क्षमता है, जहां के० जी० एफ० एरिया और चिगारगुंटा खानों से उत्पन्न अयस्क का शोधन किया जा सकता है, जिससे के० जी० एफ० मिलों की अप्रयुक्त क्षमता का भी उपयोग हो जाएगा। अतः चिगारगुंट खानों से उत्पादित अयस्क का के० जी० एफ० मिलों में शोधन किया जा रहा है। चिगारगुंटा में फिलहाल स्वर्ण अयस्क शोधन की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

***216. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण कार्य को और उसके बाद उसके संचालन को कुछ गैर-सरकारी उद्यमियों को सौंपने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस कंपनी में लगे अपने पूंजी-निवेश को कम करने के संबंध में कोई अंतिम र्णय ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इस्को के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव सार्वजसिक निवेश बोर्ड में विचाराधीन हैं। परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए "सेल" भी विभिन्न विकल्पों का पता लगा रहा है।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले की वितरण-व्यवस्था

*217. **श्री मोहन सिंह** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले के उचित वितरण के लिए कोई व्यवस्था बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) कोयले के सम्बन्ध में एक वितरण नीति विद्यमान है। इस नीति में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों के उपभोक्ताओं जसे, विद्युत, सीमेंट, इस्पात, रेलवे ट्रैक्सन, आदि को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उद्योग, रेलवे आदि मन्त्रालयों द्वारा प्रायोजन के आधार पर कोयले के संचलन तथा आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है। इसके बाद आवंटन में प्राथमिकता गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को दी जाती है, जिन्हें या तो उद्योग मन्त्रालय द्वारा अथवा संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा साफ्ट कोक तथा कोयले की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों के लिए किए गए वार्षिक आवंटन के आधार पर की जाती है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा यथावत् प्रयोजित प्राधिकृत एजेन्टों के माध्यम से की जाती है। कोयला सभी उपभोक्ताओं को एक बार में एक हजार टन तक "पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ खानों से उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) मांग तथा आपूर्ति की बदली पद्धतियों में समायोजन किए जाने के लिए कोयले की वितरण नीति में समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता संतोषप्रदता अधिकतम प्रदान की जा सके। हाल ही में इस विषय पर एक दस्तावेज तैयार किया गया है और राज्य सरकारों के उक्त दस्तावेज पर विचार आमन्त्रित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में परिवर्तन, इस विषय में प्राप्त सुझावों पर विचार किए जाने के बाद, अपेक्षानुसार किए जाएंगे।

[अनुवाद]

बाक्साइट खानों का अधिग्रहण

*218. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम सहित अलौह धातुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि रोकने के लिए बाक्साइट खानों का अधिग्रहण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का अलौह धातुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) एल्यूमिनियम के मूल्यों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। एल्यूमिनियम के मूल्य, उत्पादन लागत सहित अनेक कारकों को ध्यान में रखने के बाद, प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

जस्ता, सीसा और तांबा आयात की भी मदें हैं और इन धातुओं के मूल्य उतराई लागत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में जस्ता और तांबा के आयातों पर अनुषंगी शुल्क में कटौती जैसे, वित्तीय उपाय आरम्भ किए हैं। देशी उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, अलौह धातुओं के उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त भी कर दिया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

*219. डा० ए० के० पटेल :
श्री आर्क कर्नान्डीज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किये गये मूल लक्ष्य से कम होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 35·06 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था जिसमें 1 मिलियन टन एन० जी० एल० भी शामिल है। तथापि, विभिन्न कारणों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है।

(ग) इस समय चालू वर्ष में 20.3 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात करने के लिए मंजूरी दी गई है।

बाढ़ से हुई क्षति

*220. **श्री के० प्रधानी** :

श्री सुधीर सावंत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ क्षेत्र में इनसे अनुमानतः कितनी सम्पत्ति, फसल और पशुधन का नुकसान हुआ है ;

(ग) प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए तथा कितने बेघर हो गए ;

(घ) प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है और उसे वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय दल (दलों) ने किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है ; और

(च) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा भेजे गए दलों की रिपोर्टों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) हाल के समुद्री तूफान के तहत भारी वर्षा तथा बाढ़ से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी प्रभावित हुए थे।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासन द्वारा सूचित जान व माल की क्षति का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(घ) तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों ने तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रशासन ने केन्द्र सरकार से निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता की मांग की है—

क्रमांक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपयों में)
1. तमिलनाडु	389·43
2. कर्नाटक	120·00
3. पांडिचेरी	24·23

तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों के अनुरोध की राहत व्यय के पुनर्वित्तपोषण पोषण की वर्तमान योजना के प्रकाश में जांच की जा रही है।

क्षति तथा अपेक्षित सहायता पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने तक पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र को 1·6 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

(ङ) और (च) क्षति तथा इस विपदा के लिए अपेक्षित सहायता का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1991 तक पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र का दौरा किया तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। माननीय कृषि मन्त्री के साथ एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने 23 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1991 तक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों का दौरा किया था।

विवरण

हाल की भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण हुई क्षति का ब्यौरा

क्र० सं० क्षति	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	तमिलनाडु	पांडिचेरी
1	2	3	4	5
1. मृत व्यक्ति	119	11	185	शून्य
2. गुम पशु	6656	1030	409	—
3. क्षतिग्रस्त मकान				
(क) पूर्ण रूपेण	8290	16098	99281	4741
(ख) आंशिक रूप से	32536	26655	256834	27137

1	2	3	4	5	6
4.	प्रभावित फसल क्षेत्र	1.37 लाख हैक्टे०	31160 हैक्टे०	2·35 लाख हैक्टे०	11311हैक्टे०
5.	सड़कों को नुकसान (करोड़ रुपयों में)	11·44	5·40	130·91	3.52
6.	सार्वजनिक भवनों को नुकसान (करोड़ रुपयों में)	0·56	3·35	6·21	0·75
7.	सिंचाई संरचना को नुकसान (करोड़ रु० में)	3.63	6.12	44·41	2.55
8.	वैद्युत संस्थापनाओं को नुकसान (करोड़ रुपए में)	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	4·79	0.63
9.	सार्वजनिक सम्पत्तियों की कुल अनुमानित क्षति (करोड़ रुपए में)	41·22	47·09	33·00	16·04

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में वृद्धि करने की कार्य योजना

***221 श्री जनार्दन मिश्र :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य करने योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य 29,98,730 हेक्टेयर रखा गया है जिसमें से 6.44.000 हेक्टेयर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सृजित की जाएगी तथा 23,54,730 हेक्टयर लघु सिंचाई स्कीम द्वारा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है।

कमला नहर का आधुनिकीकरण

2288. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या जल संसाधन मंत्री अगस्त 1991 के आतरांकित प्रश्न सं० 1318 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को वर्ष 1986 में कमला नहर परियोजना वापस करने के क्या कारण हैं,

(ख) क्या नेपाल सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से नेपाल में महेन्द्र राज मार्ग के पास गोदर-बंदोपुर में कमला नदी से 500 क्यूसेक क्षमता की दो नहरों का निर्माण किया है जिसके परिणामस्वरूप सूखे के दौरान भारत में कमला नहर परियोजना में पानी नहीं रह जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कमला नहर आधुनिकीकरण रिपोर्ट इसलिए लौटा दी गई थी क्योंकि इसमें अनुमोदित पैरामीटरों की तुलना में वास्तविक कार्य निष्पादन का वन विश्लेषण, वर्तमान प्रणाली की कमियां तथा उनके उपचारात्मक उपाय, विद्यमान तथा प्रस्तावित सिंचाई आयोजना की तुलना, सिंचाई के समान अथवा सघनता बढ़ाने का औचित्य सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग की संभावना तथा परियोजनोत्तर नदी सर्वेक्षण पर आंकड़े तथा निर्धारित मान पर कमान क्षेत्र के कन्टूर मानचित्र शामिल नहीं थे।

(ख) और (ग) नेपाल सरकार ने महेन्द्र राज मार्ग के नेपाल प्रतिप्रवाह में सिंचाई हेतु दो नहर प्रणालियों के साथ कमला नदी पर एक वीयर का निर्माण किया है। इसने बिहार में विकसित पुरानी सिंचाई प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत सरकार ने अप्रैल, 1991 में हुई भारत-नेपाल उप-आयोग की पिछली बैठक में नेपाल और भारत के आपसी लाभ के अच्छे मौसमजल प्रवाहों को बढ़ाने के लिए चीसापानी में कमला नदी पर भण्डारण निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात की सप्लाई

2289. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के इस्पात को रद्दी करार दिया गया और यह रद्दी इस्पात कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या संघ सरकार को सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा घटिया इस्पात सामग्री सप्लाई किये जाने के बारे में प्राप्त हो रही शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों की वर्षवार और संयंत्रवार संख्या कितनी है;

(घ) इस्पात सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों में अपशिष्ट घोषित इस्पात की मात्रा तथा मूल्य और अपरिष्कृत इस्पात के कुल उत्पादन में उनकी प्रतिशतता का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (हजार टन)	उत्पन्न स्क्रैप (हजार टन)	उत्पादित अपरिष्कृत इस्पात से उत्पन्न स्क्रैप की प्रतिशतता	बेचा गया स्क्रैप (हजार टन)	बेचे गए स्क्रैप का मूल्य (करोड़ रुपए)	अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की बिक्री की प्रतिशतता
1988-89	8476	1892	22.32	1024	448	12.08
1989-90	8269	1905	23.04	886	434	10.71
1990-91	8762	1914	21.84	908	532	10.36

विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना में स्क्रैप का सृजन नगण्य है।

(ख) और (ग) जी हां। कभी-कभी सप्लाई किये गये इस्पात की संतोषप्रद क्वालिटी न होने के बारे में शिकायतें मिलती हैं। प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। इस प्रकार की सभी शिकायतों को आवश्यक उपरात्मक उपाय करने के लिए सेल के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) इस्पात सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए उपायों में बेहतर कच्ची सामग्री तैयार करना, इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण शामिल हैं, जिनमें गौण परिशोधन तकनीक की परिकल्पना की गयी है ताकि इस्पात को बेहतर गुणवत्ता, संयंत्र तथा उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण, बेहतर, प्रौद्योगिकीय श्रमिक शक्ति सम्बन्धी अनुशासन आदि को अपनाया जाना सुनिश्चित

किया जा सके सेल ने निगमित स्तर पर और संयंत्रों में गुणवत्ता प्रभाव भी बनाये हैं। इस अभियान के अन्तर्गत इस्पात के समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षण सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

भारत और बंगलादेश के बीच नदियों के जल का बंटवारा

2290. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच नदियों के जल के बंटवारे के मामले का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी समाधान पर पहुंचने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भारत और बंगलादेश के बीच हुई अंतिम दौर की वार्ता में कोई प्रगति हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगले दौर की वार्ता कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) नदी जल की दीर्घावधिक व्यापक रूप से हिस्सेदारी के लिए मोटे तौर पर कार्यक्रम बनाने के वास्ते अप्रैल, 1990 में भारत बंगलादेश सचिवों की समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने अब तक 5 बैठकें की हैं। गंगा और तीस्ता के प्रवाहों की हिस्सेदारी को प्राथमिकता देने पर सहमति हुई है। पिछली बैठक में भारतीय पक्ष सुदृढ़ आधार पर अपना विकास करने के लिए दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित नदी जल की व्यापक रूप से हिस्सेदारी के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है। बंगलादेश पक्ष का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यदि व्यवहार्य हो तो तीस्ता नदी के प्रवाहों का प्रबोधन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप भारतीय सीमा में संयुक्त प्रेक्षण केन्द्र स्थापित कहने पर सहमति हुई है।

(ङ) अगले दौर की बातचीत उन तारीखों को की जाएगी जो इन दोनों के लिए सुविधा-जनक हो।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि

2291. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में अनुमानित बंजर भूमि क्षेत्र कितना है; और

(ख) इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क)और(ख) उत्तरप्रदेश में 10.60 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है। बंजर भूमि में अनावृत्त प्रपाती पहाड़ी ढाल, वर्फ आच्छादित तथा अत्यधिक अनादृत शुष्क क्षेत्र शामिल है जिसे किफायती लागत पर खेती के तहत नहीं लाया जा सकता। नदी घाटी परियोजनाओं के आवास क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा बाढ़ प्रणव नदियों में समन्वित जलागम प्रबंध की केन्द्र प्रवर्तित योजना चयनित जलागमों में बंजर भूमि के उपचार की व्यवस्था करती है।

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की सप्लाई

2292. **श्री राम नाईक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-तीन परियोजना के लिए दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की सप्लाई के लिए यूरोपीय आर्थिक संमुदाय के साथ कोई समझौता किया गया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय अपने वचन को पूरा करने में आनाकानी कर रहा है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कद्रम उठाने का विचार है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय अपने वचन का पालन करें;

(घ) क्या इस समय देश में दूध तथा दुग्ध चूर्ण उत्पादों के उत्पादन में कमी आ गई है;

(ङ) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को दुग्ध-चूर्ण के निर्यात की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित निर्यात का मात्रावार एवं देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या निर्यात के इस प्रस्ताव का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने विरोध किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । तथापि उपहार वस्तुऐं उपलब्ध कराने में कुछ बिलंब हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में कमी करनी पड़ी थी क्योंकि सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के डेरी संयंत्रों ने शहरों तथा कस्बों में तरल दूध की आवश्यकता को पूरा करने को प्राथमिकता दी है । तथापि, बहुतायत के मौसम के शुरू हो जाने से दुग्ध उत्पादों के उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है ।

(ङ) से (छ) दुग्ध चूर्ण का निर्यात राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से किया गया है । वर्तमान में निजी क्षेत्र द्वारा दुग्ध चूर्ण के निर्यात की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

2293. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महत्व पर सदैव बल दिया है । 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन के दौरान भारत दक्षिण-दक्षिण परामर्श और सहयोग पर एक शिखर सम्मेलन स्तर का ग्रुप (जी-15) बनाने के लिए की गई पहल कदमियों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ यह ग्रुप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संवर्धन के लिए उच्चतम स्तर पर नियमित और गहन परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है । इस ग्रुप ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अनेक विशिष्ट परियोजनाएं निर्धारित की हैं । हाल ही में कराकस बेनेजुएला में ग्रुप 15 की शिखर बैठक हुई थी जिसमें भारत ने भी सक्रिय भाग लिया था ।

केरल में सामूहिक सिंचाई परियोजना का विस्तार

2294. **श्री टी० जे० अंजलीज**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से सामूहिक सिंचाइ परियोजना को राज्य के और अधिक जिलों में चलाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्तहुआ है जोकि इस सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस समय त्रिचूर जिले में डच सहायता से यह प्रायोगिक परियोजना क्रियान्वित की जानी है, जब कभी परियोजना के अतिरिक्त सोपानों का मूल्यांकन और क्रियान्वयन किया जाता है तो इसका और विस्तार करने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज निगम को घाटा

2295. **श्री गोविन्दराय निकाम** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को घाटा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण की जांच के लिए टाटा सलाहकार सेवा को नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो सलाहकारों ने क्या सिफारिश की है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस ने अपनी अन्तिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में बोंगाइगांव तक गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाना

2296. **श्री उद्धव बर्मन :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तेल क्षेत्र से अतिरिक्त गैस बोंगाइगांव ले जाने के लिए गैस पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असम के तेल और गैस क्षेत्रों से उपलब्ध गैस की वचनबद्धता राज्य के विभिन्न उपभोक्ताओं को की गई है।

उड़ीसा में रसोई गैस कनेक्शन

2297. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने रसोई गैस के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा मे रसोई गैस कनेक्शन के लिए जिलेवार कितने कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सिवाय खुदरा बिकी केन्द्र को रद्द किए जाने और उस क्षेत्र में किसी अन्य एल० पी० जी० डीलर के उपलब्ध न होने से उप्पन्न आपात स्थिति वाले मामलों के तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र एल० पी० जी० का वितरण नहीं करते हैं। ऐसे प्रबंध अस्थायी होते हैं और किसी नियमित डीलर की नियुक्ति होने पर इन्हें समाप्त कर दिया जाता है।

(ख) लगभग 0.45 लाख ।

इन्द्रावती बहु-उद्देशीय परियोजना

2298. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इन्द्रावती बहु-उद्देशीय परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके क्रियान्वयन हेतु बाहर से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की प्रारम्भिक अनुमानित लागत और निर्माण पूरा करने की अवधि के प्रारम्भिक लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में तदुपरान्त किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत क्या है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस परियोजना के विभिन्न घटकों के निर्माण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) यह परियोजना यूनिट-I और III के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कर रही है जिसमें 170 मिलियन अमेरीकी डालर का आई० डी० ए० क्रेडिट और 156.4 मिलियन अमेरीकी डालर का आई० बी० आर० डी० ऋण तथा यूनिट-II के लिए 3744 मिलियन येन का ओ० ई० सी० एफ० जापनी क्रेडिट शामिल है ।

(ग) से (ङ)	विवरण	अनमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पूरा करने की निर्धारित तारीख
	प्रारम्भिक	208.14	1987
	नवीनतम	1146.71	1994 (विद्युत घटक) 1997 (परियोजना)

विवरण

लोक सभा में 5-12-1991 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 2298 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

यूनिट-I	निर्माण की स्थिति
1. इन्द्रावती बांध	78%

2. पोडागाडा बांध	68%
3. कपुर बांध	81%
4. मुरन बांध	62%
5. कुसुमपुर लिंक चैनल	पूरी हो गयी
6. गुन्टरीखल लिंक चैनल	पूरी हो गयी
7. दायें डाईक सं० 1,2,3,4, तथा बांये डाईक सं० 2,3 और 4	
8. बायां डाईक सं० 1	पूरी हो गयी
यूनिट-II	
1. बराज एवं शीर्ष नियामक	पूरा हो गयी
2. बायीं मुख्य नहर	0 कि.मी. से 50.4 कि.मी. तक पूरी हो गयी तथा 50,4 कि० मी० से 51.9 कि० मी० तक कार्य प्रगति पर है।
3. चुरयागढ़ शाखा नहर	50%
4. चिलचिला शाखा नहर	75%
5. दायीं मुख्य नहर	0.63 कि० मी० पहुंच में 37% तथा 63 कि० मी० से 83 कि० मी० की पहुंच में 83 कि० मी०
यूनिट.III	
1. हेड रेस टनल	परिवर्तनीय
2. सर्ज शॉफ्ट	परिवर्तनीय
3. विद्युत घर	परिवर्तनीय
4. पेनस्टाक	परिवर्तनीय
5. टेल रेस चैनल	परिवर्तनीय
6. जनरेटिंग यूनिटें	वड़े उपकरण प्राप्त हो गए हैं।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से गाद निकालना

2299. **श्री के० चौक्का राव :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में, विशेषकर गोदावरी नदी वाली परियोजनाओं में गाद प्रारम्भ में अपेक्षित दर से, कहीं तेजी से भरती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोदावरी बेसिन के अंतर्गत परियोजनाओं सहित कुछ बृहद सिंचाई परियोजनाओं में गाद जमा होने के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गोदावरी नदी सहित प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में अधिक गाद जमा होना सामान्य बात है ।

(ख) मृदा कटाव रोकने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वनरोपण, गुल्ली प्लगिंग, जल विभाजक प्रबंध आदि की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की जा रही हैं।

विवरण

भारत में विभिन्न जलाशयों में गाद जमा होने की दर

क्रम सं०	जलाशय का नाम	नदी का नाम	भण्डारण क्षमता (मि०घ०मी०)	जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	अवरुद्ध का वर्ष	तलछटन की अभिकल्पित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीराम सागर	गोदावरी	3171.94	91751	1970	3.57
2.	निजाम सागर	मंजीरा	841.18	21694	1930	2.38
3.	हिमायत सागर	इस्सा	107.79	1307.94	1927	लागू नहीं
4.	रामप्पा झील	मनायर	82.48	183.89	1909	लागू नहीं
5.	लाखमवरम झील	लाखमवरम	60.42	268.06	1909	लागू नहीं
6.	गुम्बन टैंक	गंडु कम्मा	105.76	993.00	1956	लागू नहीं

हे० मी०/100 वर्ग कि० मी०/वर्ष			सर्वेक्षणों की कुल सं०	पिछले सर्वेक्षण तक कुल भन्डारण क्षति (मि० घन० मी०)	क्षमता में क्षति		क्षति	
प्रथम सर्वेक्षण पर	अंतिम सर्वेक्षण पर	औसत अवधि			अंतिम सर्वेक्षण तक कुल (मी० घ० मी०)	वर्षवार औसत	सक्रिय भण्डारण	निष्क्रिय भण्डारण
8	9	10	11	12	13	14	15	16
लागू नहीं (1972)	6.186 (1984)	6.186 14 वर्ष	4	794.57	25.05	1.79	22.7	31.0
लागू नहीं (1961)	4.298 (1975)	4.8911 (45 वर्ष)	4	477.48	56.76	1.26		
4.467 (1976)	4.467 (1976)	4.467 (49 वर्ष)	1	28.63	26.56	0.54		
2.583 (1975)	2.583 (1975)	2.583 (56 वर्ष)	1	2.66	3.22	0.06		
10.65 (1975)	10.65 (1975)	10.65 (66 वर्ष)	1	18.84	3.12	0.05		
9.89 (1978)	9.89 (1978)	9.89 (22 वर्ष)	1	21.608	3.04	0.09		

1	2	3	4	5	6	7
7.	डिन्डी	डिन्डी	73.83	3919.96	1943	लागू नहीं
8.	पखाल झील	मुनेरू	95.83	266.77	1922	लागू नहीं
9.	शानीग्राम	रिद्दीपेट	29.08	321.00	1891	लागू नहीं
10.	पालएअर	पालएअर	56.56	1686.71	1928	लागू नहीं
11.	वायरा	वायरा एल्ड पांगड़ी	24.66	709.66	1929	लागू नहीं
12.	मंजीरा	मंजीरा	50.94	16770.25	1966	लागू नहीं
13.	कद्दाम	कद्दाम	124.43	2456.25	1958	लागू नहीं
14.	पोचाराम	अलिआरू स्ट्रीम	16.85	673.40	1992	लागू नहीं
बिहार						
15.	पंचेट हिल	दामोदर	1581.00	10878	1856	6.67

8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.1708 (1976)	0.1708 (1976)	0.1708 (33 वर्ष)	1	2.21	2.99	0.09		
शून्य (1975)	शून्य (1975)	शून्य (53 वर्ष)	1	शून्य	शून्य	शून्य		
1.134 (1972)	1.134 (1972)	1.134 (81 वर्ष)	1	2.95	10.14	0.12		
2.87 (1977)	2.87 (1977)	2.87 (48 वर्ष)	1	9.78	40.00	0.83		
1.015 (1977)	1.015 (1977)	1.015 (11 वर्ष)	1	18.74	36.78	3.34		
9.16 (1977)	9.16 (1977)	9.16 (19 वर्ष)	1	46.251	37.10	1.95		
1.003 (1978)	1.003 (1978)	1.003 (56 वर्ष)	1	3.783	22.45	0.40		
12.13 (1962)	3.36 (1985)	5.877 (29 वर्ष)	5	185.40	11.73	0.404	23.0	36.8

1	2	3	4	5	6	7
16.	मैथोन	बाराकई	1348.80	6294	1955	9.05
गुजरात						
17.	उकई	तापी	8510.00	62224	1972	1.49
18.	कदाना	माही	1543.00	25520	1977	1.30
हिमाचल प्रदेश						
19.	पोंग	ब्यास	8579.00	12562	1974	—
कर्नाटक						
20.	तुंगभद्रा	तुंगभद्रा	3751.17	28180	1953	4.29
21.	भादर	भादर	239.22	2434.6	1963	7.6

8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.53 (1963)	9.056 (1979)	10.247 (24 वर्ष)	4	154.80	11.48	0.48	14.0	33.0
6.20 (1979)	8.903 (1984)	7.16 (12 वर्ष)	2	547.00	6.42	0.53		
4.898 (1980-81)	2.612 (1964)	3.918 (7 वर्ष)	2	70.00	4.54	0.65		
22.71	39.12	27.85	4	419.75	4.89	0,41	3.35	13.63
17.90 (1963)	9.66 (1965)	6.48 (32 वर्ष)	5	584.43	15.57	0.49	14.84	100
11.607 (1974)	11.607 (1974)	11.607 (11 वर्ष)	1	31.09	13.00	1.18		

1	2	3	4	5	6	7
केरल						
22.	मालमपुझा	मालमपुझा	228.40	147.63	1955	लागू नही
23.	पेची	मनाली	113.27	107.10	1957	लागू नहीं
24.	मंगलम	भारथपुझा	25.47	48.85	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	पेरूवन्नामुझी	कोट्टीयाडी	120.53	108.80	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	पोकेट झील	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1969	लागू नहीं
मध्य प्रदेश						
27.	गांधी सागर	चम्बल	7740.00	23025	1960	3.57
महाराष्ट्र						
28.	गिरना	गिरना एवं पंजान	1608.81	4279.33	1965	0.56

8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.401 (1977)	25.401 (1977)	25.401 (122 वर्ष)	1	8.25	3.61	0.16		
0.957 (1982)	0.957 (1982)	0.957 (25 वर्ष)	1	25.65	22.64	0.90		
11.06 (लागू नहीं)	11 06 (लागू नहीं	11.06 (29 वर्ष)	1	1.59	6.24	0.30		
18.4 (लागू नहीं)	18.4 (लागू नहीं)	18.4 (13 वर्ष)	1	26.0	21.6	1.66		
लागू नहीं (1984)	लागू नहीं (1988)	लागू नहीं (19 वर्ष)	2	0.0131	लागू नहीं	लागू नहीं		
8.958 (1976)	8.958 (1976)	8.958 (16 वर्ष)	1	330.00	4.62	0.29	2.3	29.0
7.487 (1979)	7.487 (1979)	7.487 (14 वर्ष	1	49.58	8.14	0.58	7.2	33.9

1	2	3	4	5	6	7
29.	शिवाजी सागर (कोयना)	कोयना	2987.83	891	1961	6.67
उड़ीसा						
30.	हीराकुड	महानदी	8105.00	83395	1957	2.50
पंजाब						
31.	भाखड़ा	सतलुज	9869.00	56980	1958	4.29
तमिलनाडु						
32.	लोअर भवानी	भवानी	932.782	4200	1953	लागू नहीं
33.	बैगई	बैगई	194.785	2253.3	1958	लागू नहीं
34.	मैट्टूर (स्टॅलेप)	कावेरी	2708.764	42200	1934	लागू नहीं
35.	अपर भवानी	कुंदाह	101.1476	33.59	1965	लागू नहीं

8	9	10	11	12	13	14	15	16
लागू नहीं (1966)	7.7104 (1971)	7.7104 (10 वर्ष)	2	6.87	0.23	0.023		
5.568 (1978)	0.702 (1984)	6.616 (27 वर्ष)	3	1491.31	16.31	1.61	14.5	31.1
0.0281 (1958)	6.532 (1987)	5.658 (29 वर्ष)	20	935.056	9.48	0.32	5.78	20.77
18.28	0.714	3.00	4	37.752	4.05	0.135		
4.091 (1976)	0.131 (1983)	3.977 (25 वर्ष)	3	22.402	11.50	0.46		
2.394 (1978)	3.511 (1984)	2.52 (50 वर्ष)	2	533·332	19 69	0.39		
0.546 (1985)	0.546 (1985)	0.546 (20 वर्ष)	1	3.6676	3.62	0.18		

1	2	3	4	5	6	7
36.	पेसेथनूर	पेनिआर	234.828	10826	1957	लागू नहीं
37.	एलियार	एलियार	109.40	195.00	1962	लागू नहीं
38.	एमेराल्ड	एमेराल्ड	156.75	163.43	1961	लागू नहीं
39.	मनीमुथेरू	काइलमानी एमथार एवं मालामनीमुथारू	159.734	161.62	1958	लागू नहीं
40.	कृष्णागिरी	दाम्नालारूई	68.25	5430	1957	लागू नहीं
41.	कुंदाह	कुंदाह	1.534	113.96	1960	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश						
42.	माताटीला	बेतवा	1132.70	20720	1955	1.35
43.	रामगंगा	रामगंगा	2449.60	3134	1975	4.25

8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.0703 (1977)	0.08036 (1982)	1.017 (25 वर्ष)	2	57526	11.72	0.47		
7.385 (1976)	11.405 (1981)	8.475 (19 वर्ष)	2	3.140	2.87	0.15		
0.3381 (1981)	0.3381 (1981)	0.3381 (20 वर्ष)	1	11.05	7.05	0.1		
12.158 (1980)	11.158 (1980)	12.158 (22 वर्ष)	1	4.324	2.705	1.12		
1.723 (1976)	1.723 (1976)	1.723 (19 वर्ष)	—	17.78	26.05	0.94		
3.902 (1977)	2.31 (1982)	2.63 (20 वर्ष)	1	0.778	57.88	2.63		
11.82 (1962)	5.286 (1984)	6.005 (28 वर्ष)	7	348.40	30.76	1.10		
लागू नहीं (1978)	22.94 (1985)	22.94 (10 वर्ष)	2	79.06	3.23	0.29		

1	2	3	4	5	6	7
44.	इचारी	टोंस	11.55	4913	1972	लागू नहीं
45.	धुक्कवान	बेतवा	106.45	21340	1907	0.432
पश्चिम बंगाल						
46.	मयूराक्षी	मयूराक्षी	607.70	1860	1955	3.75

8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.262 (1977)	1.669 (1978)	1.3298 (6 वर्ष)	2	3.92	3.92	0.65		
0.425 (1937)	0.12 (1980)	0.304 (37 वर्ष)	5	47.42	44.55	0.61		
लागू नहीं (1964-65)	16.826 (1970)	16.826 (15 वर्ष)	2	46.945	7.725	0.515		

कर्नाटक में आयल पाम पेड़ लगाना

2300. **श्री जी० माडेगौडा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में आयल पाम पेड़ लगाने हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त योजना गति पर है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) यह योजना किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में इस योजना के अन्तर्गत कुछ और स्थानों को भी शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नयी तेल विकास योजनाएं

2301. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में स्वीकृत की गयी नई तेल शोधन परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी मांग की पूर्ति की जायेगी; और

(ग) इन तेल शोधक कारखानों को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने तमिलनाडु के नारीमनम में 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक क्रूड आसवन एकक और मंगलौर में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक तेल रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है ।

खेसारी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध हटाना

2302. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एकेडमी आफ न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट नागपुर से खेसारी दाल की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ग) जी हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(क) से (घ) खेसारी दाल के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबन्ध हटाने के मामले की जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परामर्श से इस मन्त्रालय में विस्तार से की गई। समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रतिबन्ध उठाना वांछनीय नहीं समझा गया है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निम्न न्यूरो टाक्सीन। (बी० ओ० ए० ए० घटक) वाले लैथिरस (खेसारी दाल) की उपयुक्त किस्मों का विकास करने की कोशिश कर रही है।

[हिन्दी]

पनकी कानपुर में बार्टलिंग के संयंत्र के लिए अधिगृहित भूमि का मुआवजा देना

2303. **श्री केशरी लाल** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा पनकी कानपुर में बार्टलिंग संयन्त्र स्थापित करने के लिए भूमि अर्जित करने हेतु भू-स्वामियों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, ती इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक प्रभानित परिवार में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन प्रभावित परिवारों के सदस्यों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वहन किए जाते वाले क्षतिपूर्ति के सम्पूर्ण हिस्से का भुगतान कानपुर विकास प्राधिकरण को किया जा चुका है, जिनसे जमीन प्राप्त की गई थी।

(ग) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा किसी भी स्तर पर ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में बिजोनिया में बलुआ पत्थर का अनधिकृत खनन

2304. **श्री शिवचरण माथुर :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजोनिया में बलुआ पत्थर पट्टियों का बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत खनन के कितने मामलों का अब तक पता लगाया जा चुका है;

(ग) उक्त अनधिकृत खनन के कारण कितनी क्षति हुई है और और राजस्व की कितनी हानि हुई है तथा पर्यावरण की दृष्टि से कितना नुकसान हुआ है;

(घ) सरकार ने इस अनधिकृत खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इन खानों को चलाने के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिए गए हैं ?

खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"फाउण्ड्री यूनिटों" को कच्चे लोहे की आपूर्ति

2306. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे लोहे का कितना उत्पादन होता है;

(ख) देश में फाउण्ड्री यूनिटों के लिए कच्चे लोहे की मांग अनुमानतः कितनी है;

(ग) क्या इन यूनिटों को कच्चे लोहे की कम आपूर्ति के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1990-91 में 14.93 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ था।

(ख) वर्ष 1990-91 में कच्चे लोहे की कुल अनुमानित मांग 18.30 में लाख टन थी जिसमें ढलाई इकाइयों की मांग भी शामिल है।

(ग) और (घ) घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । कच्चे लोहे का आयात मार्च, 1990 से खुले । सामान्य लाइसेंस के तहत कर दिया गया था ।

[हिन्दी]

जैसलमेर में रसोई गैस का विपणन

2307. **श्री सुरेशानंद स्वामी** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में रसोई गैस विपणन के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के उक्त जिले में रसोई गैस की एजेंसी कब तक आवण्टित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, विपणन योजनाओं, उत्पादों की उपलब्धता आदि के अनुसार खोली जाती हैं ।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में सिंचाई परियोजनाएं

2308. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी बेसिन में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत किये गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार से कावेरी बेसिन में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का मूल्य

2309. **श्री शिवचरण वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल मूल्य पुनरीक्षण समिति द्वारा कच्चे तेल के मूल्य से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में की गई सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

परती भूमि विकास

2310. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने पायलट परियोजना के आधार पर परती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकृति देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक की बैठक

2311. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और प्राकृतिक आपदा से

बचाव अथवा रोकथाम के लिए यदि कोई नीति बनाई गई है, तो वह क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की 9 अक्तूबर 1991 को हुई बैठक में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :—

(1) विकसित देशों में दुर्लभ ससाधनों के संदर्भ में आपदा न्यूनीकरण को विकास आयोजन की आधारशिला बनाने की आवश्यकता हं।

(2) प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए कार्यनिति विकसित करने और विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि एक सुसंगत दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सहमति का विकास किया जाए।

(3) सूखा न्यूनीकरण की सफल कार्य नीति की मूल आवश्यकता पेयजल, चारा और रोजगार सृजन के प्रावधान से संबंधित है।

(4) भारतीय मौसम विभाग को प्राकृतिक आपदाओं के आगमन की भविष्यवाणी करने में अधिक सुस्पष्ट पद्धतियों का विकास करना चाहिए।

(5) जल का अधिक किफायती उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई की नई पद्धतियों पर अधिक बल देने की जरूरत है।

(6) वृक्षों और पौधों की ऐसी मूल प्रजातियों से संबधित अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जो ईंधन और चारे के सबध मे स्थानीय लोगों की आश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं।

(7) आपदाओं के प्रकोप को कम करने के लिए पर्यावरण की प्रभावी पद्धति की जरूरत है।

(8) प्राकृतिक आपदाओं पर सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा की जानी चाहिए।

(9) आपदाओं को घटित होने से रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने और जीव-वैज्ञानिक उपयों का पता लगाने के लिए शिक्षा और अनुसंधान पर बल देने हेतु पहल किए जाने की आवश्यकता है।

2. इस बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत विषयों पर साधारण तौर से विचार किया गया और निम्नलिखित कार्यों पर अनुवर्ती कार्यवाही की सिफारिश की गई :—

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों के चयन के लिए आधारभूत पैरामीटर तैयार करना;

(ख) जानकारी, नीतियों और प्राथमिकताओं की दूरी के सन्दर्भ में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का पता लगाना;

(ग) सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना;

(घ) 1991-91 के लिए कार्यकारी योजना तैयार करना;

(ङ) इस दशक के लिए कार्यक्रम तैयार करना और इस प्रयोजन के लिए प्रक्रिया का पता लगाना।

भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध

2312. **श्री० वी० एल० विजयराघवन :**

श्री हरिभाई एम० पटेल :

श्री गुरुदास कामत :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

डा० वसंत पवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान सोवियत संघ में हुए व्यापक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत और सोवियत संघ के संबंधों में कोई बदलाव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचाराधीन दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने संबंधी प्रस्ताव पर भारत के विरुद्ध तथा पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया है;

(घ) क्या सरकार ने उस देश के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणाम क्या रहे;

(च) क्या इस मतदान को सोवियत संघ को भारत के प्रति नीति में एक प्रमुख परिवर्तन माना गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं। तथापि, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में राजनैतिक और आर्थिक पुनर्निमाण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। अतः द्विपक्षीय

सहयोग के कुछ क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। 14-18 नवम्बर, 1991 तक विदेश मंत्री की मास्को की सरकारी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री को राष्ट्रपति गोर्बाचोव और अन्य वरिष्ठ सोवियत नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि सोवियत संघ भारत के प्रति अपनी सभी वचनबद्धताओं को पूरा करेगा। रूसी महासंघ के राष्ट्रपति येल्तिसन ने इसकी पुष्टि की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) विदेश मंत्री ने 14-18 नवम्बर, 1991 तक मास्को की अपनी यात्रा के दौरान सोवियत वैदेशिक संबंध मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के साथ यह मामला उठाया था और उन्हें उनके रवैये में हुए इस परिवर्तन के प्रति सरकार को हुई निराशा से अवगत कराया। उन्होंने अपने मत परिवर्तन के कारण दिए हैं और बताया है कि इस परिवर्तन से सोवियत संघ द्वारा भारत-सोवियत संबंधों को दिये जा रहे महत्व में किसी भी रूप में कोई बदलाव नहीं आया है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सहकारी समितियों को बकाया धनराशि का भुगतान

2313. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री राम सागर :

श्री जीवन शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुग्ध सहकारी समितियों को कई लाख रुपए की बकाया धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों में सहकारी समितियों को बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध सहकारी समितियों को निम्न प्रकार का भुगतान किया :—

अवधि	कुल धनराशि (लाख रुपये में)
1-11-1987 से 31-10-1988 तक	186.58
1-11-1988 से 31-10-1989 तक	164.79
1-1-1990 से 31-12-1990 तक	14-39

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

समन्वित बागवानी विकास परियोजना

2314. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समन्वित बागवानी विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञ अध्ययनदल ने कर्नाटक का दौरा किया था और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम को कब तक किन-किन प्रस्तावित स्थानों पर लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने जून, 1987 में विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में समन्वित बागवानी विकास पर 49.91 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्ताव किए थे। विश्व बैंक मिशन ने दिसम्बर, 1987 में कर्नाटक का दौरा किया और उसके बाद बहु-राज्यीय उष्ण-कटिबन्धी बागवानी परियोजना का प्रस्ताव रखा।

सोवियत सहायता प्राप्त कोयला खान परियोजनाएं

2315. **श्री सरद दिघे** :

क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सोवियत सहायता प्राप्त कितनी कोयला खान परियोजनाएं लम्बित पड़ी है;

(ख) सोवियत संघ में हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) चार सोवियत संघ सहायता प्राप्त कोयला परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वियन-अधीन हैं।

(ख) सोवियत सहायता प्राप्त चालू चार कोयला परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं कार्य-क्रम के अनुसार चल रही हैं और एक में विलम्ब हुआ है, जो कि सोवियत संघ द्वारा की जाने वाली आपूर्ति से सम्बद्ध कारणों से नहीं हुआ है। किन्तु सोवियत संघ में हुई हाल की घटनाओं के कारण, अन्य बातों के अलावा, सोवियत निर्मित उपकरणों, आदि के द्वारा अतिरिक्त कल पुर्जों की आपूर्ति किए जाने में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। इन मामलों को सोवियत प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

(ग) इन परियोजनाओं को समय से क्रियान्वित किए जाने के संबंध में इस समय निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) जहां तक संभव हो सकता है, अतिरिक्त कल-पुर्जों के कार्य को देशीय किया जा रहा है।

(2) बड़े कल-पुर्जे/उप-कलपुर्जे, जो कि सोवियत निर्मित उपकरणों में लगे हैं, उन्हें, देशीय निर्मित कल-पुर्जों के साथ परिवर्तित किए जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(3) कम उपलब्ध कल-पुर्जों को सोवियत निर्माताओं से प्राप्त किए जाने के लिए सीधे संपर्क किया जा रहा है और न कि इसके बजाए यू० एस० एस० आर० के सरकारी व्यापारिक घरानों तक इसे सीमित किया जाए, जिनके साथ कोल इंडिया लिमिटेड पूर्व में व्यापा-रिक क्रियाकलाप कर रही थी।

(4) अन्य स्रोतों से इन परियोजनाओं के लिए भविष्य में उपकरण प्राप्त किए जाने के लिए समान्तर व्यवस्था भी की जा रही है, जैसाकि इस संबंध में आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मध्य प्रदेश में कोयला खानों का विकास

2316. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोयला और अन्य खानों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सर-कार के विचाराधीन है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से बात की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यमागौड) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में कोयला खानों का विकास तथा अन्य राज्यों में इनके विकास के कार्य को प्रगामी रूप में शुरू किया गया है, ताकि प्रक्षिप्त मांग को पूरा किया जाने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा सके। कोयला कंपनियों द्वारा परियोजनाओं का नियोजन/निष्पादन का कार्य कोयला क्षेत्रों पर प्रक्षिप्त मांग, विकासात्मक योजना, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, कोयला उत्पादन, आदि को स्थापित किए जाने की संभावनाओं पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में कोयले का वर्तमान उत्पादन-स्तर वर्ष 1990-91 में 65.36 मि० टन है। वर्तमान प्रक्षेपणों के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 1996-97 तक कोयले का उत्पादन 70 मि० टन से अधिक होने की संभावना है।

मंत्रालय को, मध्य प्रदेश सरकार/मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से सिंगरौली तथा मंड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों से बीना तथा रायगढ़ टी० पी० एस० के साथ कोयले का संयोजन किए जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तापीय विद्युत गृहों पर स्थाई संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा कोयले का संयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय इन विद्युत परियोजनाओं के योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किए जाने के बाद लिया जाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयले की बिक्री में घाटा

2317. **श्री मृत्युंजय नायक** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयले की बिक्री में करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कोयला मूल्य विनिमय लेखा (सी० पी० आर० ए०) का समायोजन किए जाने से पूर्व, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा० को० को० लि०) ने 282.53 करोड़ रु० का घाटा दिखाया। सी० पी० आर० ए० तथा पूर्व अवधि के समायोजनों के बाद भा० को० को० लि० ने 51.33 करोड़ रु० का लाभ दिखाया। वर्ष 1990-91 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। भा० को० को० लि० में घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—उच्च लागत वाली भूमिगत खानों की अधिकता, कठिन खनन

परिस्थितियां, भंडारों का समापन तथा अधिक संख्या में श्रमशक्ति । इनके साथ ही विद्युत आपूर्ति में बार-बार अवरोध उत्पादन में बाधा डालते हैं।

भा० को० को० लि० के कार्य-निष्पादन में सुधार तथा घाटे को कम करने लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. श्रमशक्ति को युक्तिसंगत किया जाना ।

2. श्रमशक्ति का पुनः नियोजन ।

3. कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ।

4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

5. उत्पादकता में सुधार।

6. यथासंभव उपलब्ध कोयले की उच्चतर श्रेणी के उत्पादन में वृद्धि ।

7. विनिर्दिष्ट खानों में गहन निरीक्षण ।

8. फीडर लाइनों को अलग करना तथा विद्युत की निरंतर आपूर्ति ।

इन मुद्दों के संबंध में जांच किए जाने के कार्य को आवश्यक नहीं समझा गया है ।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाएं

2318. **श्री शंकर भगवान रावत :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित उन परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) से (ग) तीन परियोजनाओं के प्रस्ताव हैं जो निम्नलिखित है :

(i) ओरैया गैस क्रेकर की स्थापना;

(ii) मथुरा रिफाइनरी में 500 टी.एम.टी.पी.ए. की क्षमता वाली नई कैटेलिटिक रिफार्मर यूनिट की स्थापना; और

(iii) मथुरा रिफाइनरी में 1,40,000 एम.टी.पी.ए. क्षमता वाली एन-पैराफिन परियोजना । ये सभी प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं ।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिक

2319. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेका आधार पर कराये जाने वाले नियमित कार्यों की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या ठेका श्रमिकों के वेतन और अन्य सुविधाएं कारखाना अधिनियम के अनुसार दी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को उसके नियमित कर्मचारियों की तरह खपाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक खपाया जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) ठेकेदारों द्वारा नियुक्त ठेका श्रमिकों द्वारा केवल अस्थाई अथवा रुक-रुककर किये जाने वाले तथा ज्यादा दिनों तक चलने वाले ही कार्य किये जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं, ठेका श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ठेका-श्रमिक विमियमन एवं समापन अधिनियम, 1970 के तहत उनके विलयन का प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में उर्वरकों का वितरण

2320. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसानों को यूरिया और फास्फेट उर्वरक कितनी मात्रा में वितरित किए गए;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में उर्वरक वितरण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) (क) से (घ) अभी राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों की खेती और परिवहन के लिए वैज्ञानिक तकनीक

2321. **श्री रामकृष्ण कोंताला** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा खेती में और कृषि उपज के परिवहन हेतु उपयोग किये जाने के लिये कोई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्यों सहित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि क्रियाएं	विकसित किए गए औजार/उपस्कर	अनुमानित लागत (रु० में)
1	2	3
(क) जुताई	पशु चालित सुधरे हल/कल्टीवेटर/डिस्क हैरो/एक्सेसीरज के साथ हल टूल फ्रेम।	250-5700/-
(ख) बुआई	हाथ से चलने वाला डिबलर, सिगल रो फर्टि-सीड ड्रिल अपटू एनीमल ड्रान-3-रो फर्टि-सीड-ड्रिल और हस्तचालित धान रोपाई यंत्र।	50-2000/-

1	2	3
(ग) खरपतवार निकालना	सुधरे हाथ से चलने वाले वीडर्स (खुर्पा एवं दरांती, व्हील हो आदि)।	25-350/-
(घ) पौध संरक्षण	कम और अत्यधिक कम यात्रा में छिड़काव करने वाले छिड़काव यंत्र।	1500-2500/-
(ङ) कटाई	सुधरे दांतें वाली दरांती, मूंगफली और आलू के लिए पशु चालित खुदाई यंत्र।	20-25 1200-1500/-
(च) गहाई	थ्रेशिंग फ्रेम, हैंड स्ट्राइपिंग बेंच, मैनुअल मेज सेलर, मैनुअल कैस्टर डेकोर्डिकेटर।	15-500/-
(छ) परिवहन	पंचर रहित/हवा वाले पहिये/लकड़ी के पहिये/जिसमें लोहे की रिम लगी हो,/वाली पशु द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी।	2000-6000/-

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एटा जिले में रसोई गैस की एजेंसी

2322. **डा० महावीपकसिंह शाक्य** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में रसोई गैस की एक से अधिक एजेंसियां हैं;

(ख) किसी एक जिले में एक अधिक रसोई गैस एजेंसी प्रदान करने के क्या मापदंड हैं;

(ग) क्या निर्धारित मापदंड के अनुसार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक और गैस ऐजेंसी आवंटित की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो एक अन्य रसोई गैस एजेंसी आवंटित करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) एटा सहित 53।

(ख) से (घ) विवणन योजनाओं, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के अनुसार विभिन्न स्थानों पर एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती हैं।

कोयला क्षेत्र में उपकरणों की बिक्री और खरीद

2323. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोथला क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गये नए उपकरणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पुराने उपकरणों के निपटान से क्षेत्रवार किननी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उनकी बिक्री और खरीद में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय उप मंत्री (श्री एस बी० न्यामगौड) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा कंपनी-वार नए उपकरणों की खरीद पर किए गए व्यय को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु० में)

कंपनी	1988-89	1989-90	1990-91
ई०को०लि०	65·86	99·93	122·94
भा०को०को०लि०	30·60	34·24	23.65
से०को०लि०	34·55	91·82	90.23
ना०को०लि०	255·31	245·12	189·96
वे०को०लि०	81·09	95·66	80·33
सा०ई०को०लि०	108·35	97·21	120·22

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) कोल इंडिया लि०, ई०को०लि०, वे०को०लि०, सा०ई०को०लि०, ना०को०लि० के सतर्कता विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नए उपकरणों को खरीद

तथा बिक्री के मामले में कोई भी अनियमितता का मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है। भा०को०लि० तथा से०को०लि० के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) पर दिए गए उत्तर का दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

2324. **श्री श्रीकांत जेना :**

श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री काशीराम राणा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कृषि विश्व विद्यालयों की संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कितनी सहायता मांगी गई और कितनी धनराशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, कुल 26 कृषि विश्व विद्यालय हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण I दिया गया है।

(ख) वांछित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	2
11.	महाराष्ट्र	4
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	1
14.	राजस्थान	1
15.	तमिलनाडु	1
16.	उत्तर प्रदेश	3
17.	पश्चिम बंगाल	1

विवरण-II

"कृषि विश्वविद्यालयों का विकास और सुदृढ़ीकरण"

मद के अन्तर्गत रिलीज किये गये अनुदान

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	अवधि के दौरान मांगी गई धनराशि (लाख रुपयों में)			अवधि के दौरान रिलीज की गयी धनराशि (लाख रुपयों में)		
		1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	45.50	20.00	50.00	30.50	15.13	50.00
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, असम	94.23	91.50	—	44.30	—	50.00
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	35.00	31.20	35.00	33.70	31.20	29.00
4.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाडा	—	37.00	50.00	—	29.00	50.00
5.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, रांची	14.00	22.00	—	14.105	32.00	35.00
6.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	20.33	5.20	50.50	23.33	35.203	40.00
7.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	34.46	74.56	40.00	33.10	21.70	28.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	डा० वाई० एस० परमार बा० एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन	28.10	34.45	35.00	—	18.30	35.00
9.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	24.70	14.32	35.00	23.69	13.53	35.00
10.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	—	45.42	35.00	—	27.33	35.00
11.	ज० ने० कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	—	90.26	35.00	—	69.30	17.00
12.	इ०गां० कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	50.00	25.10	35.00	35.00	25.10	35.00
13.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, मण्नूथी	21.42	33.29	30.85	16.22	33.29	50.00
14.	महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	—	36.57	32.14	—	—	—
15.	म० फु० कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	16.41	29.65	15.00	—	—	15.00
16.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	6.16	23.53	28.22	5.50	—	30.00
17.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला	26.27	14.66	—	18.50	10.23	30.00
18.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	52,00	27.39.	50.00	60.00	27.77	25.00
19.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	35.53	64.80	50.00	29.903	64.30	32.00
20.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौ० वि० वि० भुवनेश्वर	58.00	58.70	50.00	13.00	—	50.00
21.	तमिलनाडु कृ० वि० वि० कोयम्बटूर	24.86	19.325	35.00	23.51	19.32	35.00

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	च० शे० आजाद कृ० एवं प्रौ० कृ० वि०वि० कानपुर	37.00	17.00	30.00	25.00	17.00	30.00
23.	गो० ब० पंत कृ० एवं प्रौ० वि० वि० पंतनगर	11.08	13.34	77.63	10.00	13.44	30.00
24.	नरेन्द्र देव कृ० एवं प्रौ० वि० वि० फैजाबाद	15.85	27.34	30.00	15.70	27.31	30.00
25.	विधान चन्द कृ० वि० वि०, नदिया	63.50	47.74	50.00	49.90	—	50.00
26.	शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौ० वि० वि०, श्रीनगर	21.40	—	—	17.503	—	50.00

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की माल भेजने की एजेंसियां

2325. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को देश के विभिन्न भागों से माल भेजने की एजेंसियों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिलंग नदी पर भू-स्खलन का प्रभाव

2326. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-स्खलन के कारण उत्तर काशी से निकलने वाली पिलंग नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप जन-जीवन को पैदा हुए खतरे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल ससाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिलंग नदी, जो इस अवधि में बहुत कम मात्रा में 2.5 क्यूमेक जल ले जाती है और मनेरी परियोजना के लगभग 25 किलोमीटर प्रतिप्रवाह पर भागीरथी नदी से मिलती है, भू-स्खलन के कारण 7-11-1991 को लगभग 12 घंटे तक अवरुद्ध रही।

(ख) अवरुद्ध मार्ग, स्वयं कटाव प्रक्रिया द्वारा अपने आप खुल गया। इस अवरुद्धता के कारण मनेरी में 7-11-1991 की मध्य रात्रि तक जलाशय के स्तर में 0.75 मीटर की अल्प गिरावट आई और इसके बाद अवरुद्ध मार्ग खुल जाने के कारण इसके स्तर में पुनः वृद्धि प्रारम्भ हो गई। चूंकि

नदी का प्रवाह अत्यन्त धीमा था और मनेरी में परियोजना प्राधिकारी पूर्ण रूप से सतर्क थे, अतः वहां किसी भी स्तर पर चिन्ता का कोई कारण न था।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों का रद्द किया जाना

2327. **श्री के० एच० मुनियप्पा** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवंबर 1990 से मार्च 1991 के दौरन स्वीकृत रसोई गैस ऐजेंसियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश स्वीकृतियों को स्वीकृति प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण बाद में रद्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार के स्वविवेक कोटा के अंतर्गत आवंटित सहित 21।

(ख) दो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्यों से बकाया राशि की वसूली

2328. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** :

डा० जी० एल० कनौजिया :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला इंडिया लिमिटेड ने बकाया राशि के भुगतान न किए जाने के कारण राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों को कोयले की सप्लाई बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के नाम पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उनसे बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले की बिक्री की नकद रूप में अधिप्राप्ति न होने संबंधी गंभीर समस्या को देखते हुए एक निर्णय लिया गया है कि 1-10-1991 से विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी किए जाने के एवज में ही की जाए। राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत गृहवार 30-9-91 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रु० में)

राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत गृहों के नाम	कुल बकाया राशि
1	2
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	4893
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	54210
उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	903
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	14376
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	7074
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	12906
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	2708
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	21522
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	4269
गुजरात विद्युत बोर्ड	10021
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	6090
आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	889
पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम	5082
कर्नाटक विद्युत निगम लि०	652
दुर्गापुर परियोजना लि०	4282
दामोदर घाटी निगम	19416
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	4214

1	2
बदरपुर थर्मल विद्युत केन्द्र	7997
राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	7736
कलकत्ता विद्युत प्रदाय कं०	358
अहमदाबाद विद्युत कं०	2648
अन्य	89
कुल जोड़	192335

(ग) उपर्युक्त देय बकाया राशि की वसूली किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. दिनांक 1-10-91 से कोयला मंत्रालय ने वर्तमान कोयला आपूर्ति को अग्रिम अदायगी के साथ संयोजित किए जाने की पद्धति पहले ही शुरू कर दी है।

2. दिनांक 1-4-1989 के बाद चालू की गई सभी विद्युत यूनिटों को, पूर्व में भी केवल अग्रिम अदायगी के एवज में अथवा रिबोलविंग लेटर आफ क्रेडिट के एवज में ही कोयले की आपूर्ति की जा रही थी।

3. राज्य सरकारों से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा शीघ्र ही बकाया देय राशि का निपटारा किए जाने संबंध में कारंवाई करने अथवा सहायता करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

4. भारत सरकार ने 31-5-1990 की स्थिति के अनुसार सभी अविवादित कोयले की बिक्री की राशि को, सभी राज्य सरकारों को देय राज्य योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि के एवज में, जिन राज्यों के विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगिताएं दोषी पाई गई हैं, उनसे वर्ष 1990-91 को शुरू होने वाली 4 वर्ष की अवधि में चार बराबर की किस्तों में, अदायगी का समायोजन किए जाने का निर्णय लिया है। कोल इंडिया लि० के मामले में प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि लगभग 273 करोड़ रुपए की होगी।

इन उपायों को क्रियान्वित किए जाने से राज्य विद्युत बोर्डों तथा विद्युत उपयोगिताओं की ओर बकाया कुल राशि काफी सीमा तक कम आ जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल/डीजल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

2329. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिले वार गत दो वर्षों में कितने पेट्रोल/डीजल पंप और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन किया गया है; और

(ख) इन बिक्री केन्द्रों और एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कितना कोटा भरा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राजस्थान के विभिन्न जिलों में गत 2 वर्षों के दौरान आवंटित 32 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 26 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 4 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया

2330. **श्री राम कापसे** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी रिपोर्ट सख्या 1 में यह कहा गया है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में अनेक खामियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) . (क) जी हां।

(ख) अभी हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में कम्प्यूटरों और अधिक सुरक्षित पासपोर्ट उत्तरोत्तर रूप से लागू किए जा रहे हैं। संबंधित मिशनों को सलाह दी जा रही है कि वे लेखा प्रक्रिया ठीक तरह से पालन करें, और तेजी से सेवाएं दें और सभी शिकायतों तथा सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार करें।

केरल में त्रिवेन्द्रम जिले में रसोई गैस कनेक्शन

2331. **श्री एच० बारलेस** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में रसोई गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शनों हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) आवेदन कब लंबित पड़े हैं और वर्षवार इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवेदकों को रसोई गैस के कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार केरल में एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए 2.23 लाख आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। सरकार द्वारा लंबित आवेदन पत्रों के जिलेवार आंकड़े तैयार नहीं किए जाते।

(ग) अधिक से अधिक आवेदकों को एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने के प्रयत्न जारी हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2233. **श्री दिग्विजय सिंह**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में राजगढ़ में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कुमाऊं मंडल में एल०पी०जी० एजेंसियां

2334. **श्री बलराज पासी** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुमाऊं मंडल में एल०पी० जी० एजेंसियां खोलने का कोई निर्णय किया हैं;

(ख) यदि हां, तो ते किन स्थानों पर खोली जा रही हैं; तथा इनका निर्माण कब से चल रहा है; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा तथा इस पर कितनी धन राशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं तथा उपलब्ध उत्पादों इत्यादि के अनुसार खोली जाती हैं। अधिक से अधिक एल०पी०जी कनेक्शन यथा-शीघ्र जारी करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोयला धारक क्षेत्रों के मामलों का निपटान

2335. **श्री राम लखन सिंह यादव** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण को कितने और किस प्रकार के मामले प्रस्तुत किये गए;

(ख) क्या सभी मामलों का निपटान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो अभी कितने मामले निपटाने बाकी हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष मामलों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजना

2336. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

जल संसाधन मंत्री(श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 83 करोड़ रुपए की लागत की 34 बाड़ प्रबंध स्कीमों का तकनीकों मूल्यांकन किया जा रहा है। 17 करोड़ रुपए की लागत की 10 स्कीमों को अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेज दिया गया है। हाल ही में प्राप्त सात स्कीमों के सिवाय, अन्य स्कीमों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालना वे वास्ते भेज दी गयी हैं।

[अनुवाद]

बिना बारी से रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल पंपों का आबंटन

2338. **श्री मदनलाल खुराना** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 माह के दौरान बिना बारी के कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पंपों को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन एजेंसियों/पंपों का आवंटन किया गया है और इसके विशेष कारण क्या है;

(ग) एजेंसियां/पंपों के आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र मंत्रालय के विचाराधीन हैं; और

(घ) विचाराधीन आवेदनों पर अब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नवम्बर, 1990 से अक्तूबर, 1991 तक सरकार के स्वविवेक के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को 35 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 69 पेट्रोल-डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत किए गए थे ।

(ग) और (घ) ऐसे अनुरोध सरकार द्वारा नियमित तौर पर प्राप्त होते हैं और प्रत्येक मामले में इनका निपटान मेरिट के आधार पर किया जाता है ।

तेल उत्पादों की सप्लाई में कमी

2339. **श्री हरि किशोर सिंह** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने तेल उत्पादों की सप्लाई में कमी करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार और प्रमुख गैर सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं और बांध

2340. **श्री काशीराम राणा :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं और बांधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं और बांधों का उनके निर्माण के लिए निर्धारित समय सहित ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मूल्यांकन की विभिन्न स्थितियों पर वृहद और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31-10-1991 को नई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम (लाभान्वित जिले)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	3/91 तक हुआ व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	क्या योजना में शामिल की गयी या नहीं	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
	बृहद परियोजनाएं						
1.	वतरक जलाशय (बनासकांठा मेहसाणा)	22.90 / 43.70	46.87	16.87	9/81 / 1/90	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना की सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और अपने वित्त विभाग की सहमति प्रस्तुत करनी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	दान्तिवाडा जलाशय (बनासकांठा, मेहसाणा) का आधुनिकीकरण	34.88	35.357	10.84 (अतिरिक्त)	11/87	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है।
3.	मादर परियोजना का आधुनिकीकरण (राजकोट)	18.60	17.64	3.78 (अतिरिक्त)	11/87	हां (1/1)	—वही—
4.	शतरंजी (भावनगर) का आधुनिकीकरण	26.68	17.11	8.95	11/87	हां (1/1)	लागत प्राक्कलन, लाभ-लागत अनुपात संगणनाएं, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना तथा वन स्वीकृति संबंधी मुद्दे राज्य द्वारा हल किए जाने हैं।
5.	फतेहबाड़ी (अहमदाबाद) का आधुनिकीकरण	24.76	23.93	13.17 (अतिरिक्त)	11/87	हां	राज्य सरकार द्वारा इसे और व्यवहार्य बनाने के लिए परियोजना की आयोजना को संशोधित किया जाना है तथा पुनर्वास पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	ककराबार सिंचाई परियोजना (भडौच सूरत, बलसाड) का आधुनीकीकरण	60.12	55.05	49.46 8.19 (अतिरिक्त)	11/87	हां (1/1)	राज्य सरकार द्वारा परियोजना की आयोजना, जल विज्ञान तथा लागत प्राक्कलन संबंधी मामले सुलझाए जाने हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	खेरीकट नहर (अहमदाबाद, खेड़ा) का आधुनिकीकरण	8.10	6.379	2.40 (अतिरिक्त)	2/87	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा वन स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है।
ख.	मध्यम						
1.	मोचु-II सिंचाई स्कीम (राजकोट) का पुनरूद्धार	37.76	30.94	9.52	6/90	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है।
2.	वलान सिंचाई स्कीम (सूरत)	22.34	0,688	7.39	5/90	हां (1/1)	राज्य सरकार को वन स्वीकृति पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी है। उसे फसल पद्धति की समीक्षा भी करनी है तथा योजना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।
3.	उबेन सिंचाई परियोजना (जूनागढ़)	12.48	11.83	2.063	8/90	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा अपने वित्त और योजना विभागों की सहमति भिजवानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोमा (पंचमहल)	19.34	1.00	4.89	7/90	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है।
5.	मुक्तेश्वर (बनासकांठा, मेहसाणा)	18.79	13.82	6.18	8/90	हां (1/1)	—वही—
6.	जलोढा (बरोदा)	19.55	0.01	4.01	2/91	हां (1/1)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। राज्य सरकार को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि

2341. **श्री पवन कुमार बंसल** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विदेश मंत्री ने यह कहा कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार से सम्बद्ध प्रस्तावों की जांच करें ताकि संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या में जो वृद्धि हुई है वह परिलक्षित हो सके और सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का अपेक्षाकृत अधिक समान तथा संतुलित प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जा सके।

(ग) सुरक्षा परिषद के विस्तार से सम्बद्ध प्रस्ताव का अनेक देशों ने समर्थन किया है। गुट निरपेक्ष देशों ने भी अकरा में सितम्बर, 1991 में सम्पन्न अपनी मंत्रि-स्तरीय बैठक में इस मांग का समर्थन किया है।

संकर कपास की किस्में विकसित करना

2342. **श्री रवि राय** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कपास का उत्पादन करने वालों को संकर कपास की किस्में, जो उत्तरी राज्यों की कृषि के लिए उपयुक्त हैं, विकसित करने में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कुछ अन्तः विशिष्ट (गोसिपियम हीरासुटम) × जी बरबेडेंस नामक कपास की संकर किस्मों का विकास किया है जो उत्तर-भारत के कपास-गेहूं की दोहरी फसल पद्धति के लिए संभवतः उपयोगी हो सकती है।

तमिलनाडु में तांबा, अभ्रक और सोने के भण्डार

2343. **श्री एन० डेनिस :**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में तांबा, अभ्रक और सोने के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भण्डारों के दौहन के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) **तांबा** : राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा ममान्दुर बहु-धातु निक्षेप में किए गए गवेषण के दो अयस्क पिंडों—एक स्फेलेराइट युक्त बहुधातु (तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी) अयस्क पिंड तथा दूसरा—चाल्को-पाइराइट युक्त अयस्क पिंड, का पता चला है। इस स्फेलेराइट युक्त अयस्क पिंड के 0.66 मिलियन टन भण्डार हैं, जिसमें औसतन लगभग 5.5% जस्ता, 1.15% तांबा, 0.45% सीसा और 40 ग्राम प्रतिटन चांदी है। चाल्को पाइराइट युक्त पिंड में 0.13 मिलियन टन अयस्क है, जिसमें 0.62% तांबा, 0.69% जस्ता और 0.12% सीसा धातु का अंश है।

अभ्रक : नीलगिरी, तिरची, कोयम्बटूर, मदुरई, संलेम और कन्याकुमारी जिलों में अभ्रक के लघु निक्षेपों की सूचना मिली है।

स्वर्ण : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा धर्मपुरी जिलान्तर्गत अडकोंडा में सर्वेक्षण से 67.095 टन स्वर्ण अयस्क के सक्षम भण्डार का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 1.03 ग्राम/टन स्वर्ण है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र से बहने वाली पोन्नायर और फार नदी बालू के कच्छारी निक्षेपों में बजरी स्वर्ण पाया गया है।

(ग) अब तक ज्ञात तांबे और सोने के निक्षेपों को आर्थिक रूप से विदोहन योग्य नहीं पाया गया है। अभ्रक का विदोहन अधिकांशतः प्राइवेट सेक्टर में है।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

2344. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1991-92 की रबी फसल अभियान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कौन-कौन से सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) रबी फसल अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में इस बात का अवलोकन किया गया कि खरीफ 1991 में खाद्यान्न उत्पादन में लक्षित स्तर से कमी होने की सम्भावना है। रबी फसल के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान किया जाने वाला विचार विमर्श मूलतः 1991 के दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीति तैयार करने और 1991-92 के रबी फसलों के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर उन्मुख था। राज्य सरकारों के साथ हुए विचार-विमर्श के पश्चात सुझाए गए उपायों/कार्यक्रमों और अभिवृद्ध क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) रबी फसल के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को विशेष तौर पर जिन्हें खरीफ मौसम के दौरान परती छोड़ दिया गया था, शामिल करना।

(2) सामान्य शरदकालीन फसल प्रतिमानों में व्यवधान डाले बिना वर्षा सिंचित दशाओं में जल्दी/कम समय वाली फसलों को उगाना।

(3) बेहतर उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए नियमित शरदकालीन फसलों की समय से बुआई करना।

(4) बड़े और मध्यम सिंचाई संसाधनों के लिए एक जलाशय कार्यकारी योजना तैयार करना तथा सिंचाई कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना ताकि फसल बढ़वार की नाजुक स्थिति में सिंचाई जल मुहैया किया जा सके।

(5) पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और उड़ीसा राज्यों में रबी/ग्रीष्म चावल के तहत और अधिक क्षेत्र लाना।

(6) मौजूदा वर्ष के दौरान अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का विकास करने के लिए कार्यकारी योजना तैयार करना। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम के तहत नलकूपों और बम्बू बोरिंग वाले क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दें।

(7) कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई हेतु विद्युत की अनवरत आपूर्ति और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता।

(8) विभिन्न राज्यों में आ रही अड़चनों के सन्दर्भ में एस०एफ०पी०पी० (गेहूं) के तहत चुनिंदा घटकों पर विशेष बल देना।

(9) बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी मक्का को और अधिक क्षेत्र में उगाने के लिए विशेष प्रयास।

(10) तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहन देकर दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना।

(11) वनस्पति रक्षण उपायों में सुधार करने, बीजों और उर्वरकों की प्रमाणित उन्नत किस्मों की समग्र उपलब्धता को बढ़ाने, वर्षा सिचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम का विस्तार करने, कृषि में पर्याप्त विकास करने के लिए प्रभावी विस्तार समर्थन के साथ-साथ ऋण आसान और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने पर और अधिक बल दिया गया था।

(ग) कृषि और सहकारिता विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में फसल जलवायु निगरानी दल उपर्युक्त नीति/कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर प्रबोधन/समीक्षा कर रहा है। अवरोध, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उसी स्थान पर तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने, की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों ने भी राज्यों का दौरा किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेषकर उत्तर-पूर्व, पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी राज्यों में मांग और प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठकों और विचार-विमर्श का भी आयोजन किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोलना

2345. **श्री भुवनचन्द्र खंडूरी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय ज़िलों में डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इस मानदण्ड के अनुरूप पौड़ी और चमोली जिलों में पेट्रोल और डीजल पम्पों की संख्या उपेक्षित है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त दोनों जिलों में और डीजल पम्प खोलने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के पौडी जिले में 10 खुदरा बिक्री केन्द्र और चमोली

जिले में 5 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नए पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र, विपणन योजनाओं तथा उपलब्ध उत्पादों के अनुसार खोले जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है।

सुवर्ण रेखा बहु-उद्देशीय योजना

2346. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सुवर्ण रेखा बहु-उद्देशीय योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना के विभिन्न घटकों पर कार्य की प्रगति तथा पूरा किए जाने की समग्र अनुसूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है :

विवरण

क्रम सं० सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना के घटक	कार्य की प्रगति (%)	पूरे किए जाने की समय अनुसूची
1 2	3	4
1. चण्डिल बांध	93	1991-92
2. इचा बांध	27	1994-95
3. गुलडिह बराज	93	1992-93
4. खारकई बराज	शुरू नहीं	नियत नहीं
5. चण्डिल बायीं मुख्य नहर	62	1996-97
6. इचा बायीं नहर	28	1994-95
7. इचा दायीं नहर	50	1995-96
8. गलुडिह दायीं नहर	69	1994-95
9. खारकई दायीं मुख्य नहर	24	नियत नहीं
10. खारकई बायीं नहर	शुरू नहीं	नियत नहीं
11. चण्डिल दायीं नहर	जांच की जा रही है	नियत नहीं
12. गलुडिह बायीं नहर	जांच की जा रही है	नियत नहीं

टिप्पण : मार्च, 1991 के अन्त तक आया व्यय 1429 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले लगभग 541 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

मुर्गी पालन

2347. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अंडों और चूजों का राज्यवार कितना उत्पादन था;

(ख) चालू वर्षों के दौरान इन उत्पादों का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है;

(ग) क्या मुर्गी पालन के विकास हेतु कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) तथा (ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 हेतु अण्डा उत्पादन का राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1991-92 हेतु अण्डा उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 22.8 बिलियन अण्डे हैं। चूजों (ब्रोयलर) के उत्पादन तथा लक्ष्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय/राज्यवार आंकड़े संग्रहित नहीं किये जाते।

(ग) से (ङ) राज्यों से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

(संख्या मिलियन में)

क्रम संख्या	राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,241	3,427	3,710
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	29	30
3.	असम	438	440	461
4.	बिहार	1,311	1,280	1,328
5.	गोवा	87	92	92
6.	गुजरात	253	322	386
7.	हरियाणा	263	299	333
8.	हिमाचल प्रदेश	43	48	49

1	5	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	201	258	267
10.	कर्नाटक	1,180	1,230	1,278
11.	केरल	1,440	1,468	1,501
12.	मध्य प्रदेश	606	860	1,006
13.	महाराष्ट्र	1,716	1,799	1,957
14.	मणिपुर	56	62	63
15.	मेघालय	62	63	64
16.	मिजोरम	18	18	19
17.	नागालैंड	29	35	32
18.	उड़ीसा	343	405	418
19.	पंजाब	1,328	1,452	1,619
20.	राजस्थान	214	226	230
21.	सिक्किम	10	12	12
22.	तमिलनाडु	2,197	2,287	2,461
23.	त्रिपुरा	31	32	32
24.	उत्तर प्रदेश	398	411	494
25.	पश्चिम बंगाल	2,155	2,197	2,220
26.	सभी संघ शासित क्षेत्र	147	138	142
	अखिल भारत :	17,795	18,890	20,204

एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र

2348. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में एल० पी० जी० बॉटलिंग संयन्त्रों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) तमिलनाडु में एल० पी० जी० बाटलिंग संयन्त्रों की संख्या कितनी है तथा इनकी सिलिंडरों को भरने की क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलिलम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार 77।

(ख) तमिलनाडु में 5 बाटलिंग संयन्त्र हैं जिनकी भराई क्षमता औसतन 30700 सिलिंडर प्रतिदिन है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

2349. **श्री मुकुल वासनिक** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक मांग के आंकड़े क्या हैं ?

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल निकालने की वर्तमान दर और उसमें संभावित वृद्धि के अनुसार देश में तेल उत्पादन का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेल की खोज के लिए तेल क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) आठवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वर्ष वार अनुमानित मांग निम्नानुसार है :

आंकड़े हजार मी० टन में

वर्ष	मांग
1992-93	60711
1993-94	63870
1994-95	68716
1995-96	.74110
1996-97	79368

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) बोली के चौथे दौर के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए 39 अपतटीय तथा 33 तट-वर्ती ब्लाकों को विदेशी और निजी भारतीय कम्पनियों को देने का प्रस्ताव किया गया है।

तिलहनों का उत्पादन

2350. **डा० असीम बाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादन स्तर को बनाए रखने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान तिलहन का उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1988-89	180.3
1989-90	167.5
1990-91	191.0 (प्रारम्भिक आंकलन)

(ग) तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से एक "मिशन उपागम" अपनाया गया है। सभी दिशाओं अर्थात् उत्पादन एवं विधायन प्रौद्योगिकी के विकास, किसानों को निवेश समर्थन सेवायें और विपणन समर्थन से समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। किसानों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के माध्यम से निवेश समर्थन सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजों के उत्पादन और संवितरण, राइजोबियम कल्चर, पादप संरक्षक रसायन एवं उपस्कर, उन्नत औजारों, छिड़काव सैटों और जिप्सम एवं पाइराइट्स के संवितरण पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की सप्लाई

2351. **के० वी० तंगकाबालू :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को कितनी रसोई गैस सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश को रसोई गैस के आवंटन को बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान उपभोक्ताओं को दी गई डिब्बा बंद घरेलू तथा गैर घरेलू (वाणिज्यिक और औद्योगिक) एल० पी० जी० करीब 234.6 हजार मी० टन थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान थोक उपभोक्ताओं को करीब 12.5 हजार मी० टन एल० पी० जी० की आपूर्ति की गई।

(ख) से (घ) देश के किसी भी राज्य में एल० पी० जी० की मांग का आंकलन उस राज्य के विद्यमान क्रेताओं की मांग और किसी खास वर्ष में दर्ज किए जाने वाले नए क्रेताओं को देखते हुए किया जाता है जिनका नामांकन वर्ष के दौरान एल० पी० जी० की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

संयुक्त सिंचाई बोर्ड का गठन

2352. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सिंचाई सुविधायें बढ़ाने तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक संयुक्त सिंचाई बोर्ड का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि नदी बेसिन को विकास के यूनिट के रूप में माना जाए। केन्द्रीय सरकार ने इस नीति को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राज्यीय नदियों के विकास के लिए संयुक्त नदी बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना का समर्थन किया है, तथापि, जिस प्रकार के संयुक्त प्राधिकरणों का सुझाव दिया गया है, वे राज्य सरकारों

तथा केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों के जरिए ही होने अपेक्षित हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन का मुद्दा भोपाल में 29-5-1991 को हुई उनकी द्विपक्षीय बैठक में विचार विमर्श हेतु उठाया गया। इस संकल्पना की सराहना की गयी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कार्य करना स्वीकार किया। इसी दौरान विद्यमान तकनीकी समिति को सक्रिय बनाने का निर्णय किया गया।

[अनुवाद]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र से कोयले की हानिकारिक धूल

2353. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कठारा क्षेत्र के सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (दामोदर घाटी परियोजना) से उड़ने वाली हारिकारक धूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खेतिहर और गैर-खेतिहर वस्तुओं के बीच समानता

2354. **कुमारी विमला वर्मा** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेतिहर और गैर-खेतिहर वस्तुओं के बीच समानता बनाए रखने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार मालूम किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार ने 1980 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के विचारणीय विषयों में कुछ संशोधन कर दिया है। ताकि कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार में होने वाले परिवर्तन पर विचार किया जा सके। तदनुसार, प्रमुख

कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति पर सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने व्यापारिक मदों पर भी विचार किया था।

गुजरात में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की एजेंसियों का आवंटन

2355. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1988 से 1990 के दौरान जामनगर जिले में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए; और

(घ) दिसम्बर 1991 के दौरान इन्हें खोलने और आवंटित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) गुजरात के जामनगर ज़िले सहित देश के विभिन्न स्थानों पर और अधिक पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्दों और एल० पी० जी० एजेंसियों को खोलने के लिए प्रस्ताव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। तेल कम्पनियां ऐसे स्थानों को आजार सर्वेक्षणों, उत्पादों की उपलब्धा आदि के आधार पर विपणन योजनाओं में शामिल करती है।

वर्ष 1988 से 1990 के दौरान जामनगर जिले में 3 खुददा बिक्री केन्द्र 3 एल० पी० जी० एजेंसियां खोली गई थी।

कोयले पर उपकर लगाना

2356. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर हाल ही में यथा संशोधित रायल्टी दर कितनी है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा उपकर लगाने के प्रश्न पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ चल रहा विचार विमर्श किस स्थिति में है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेश होने तक प्रत्येक राज्य में कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियों को कोयला उपकर के कारण कितनी धनराशि अदा करनी होगी; और

(घ) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल 1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रेडों के कोयले का मुहाना (पिट हैड) मूल्य कितना-कितना था ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) प. बंगाल तथा असम राज्यों द्वारा उत्पादित कोयले को छोड़कर, कोयले पर रायल्टी की दरों में दिनांक 1-8-91 से निम्नलिखित रूप से संशोधन किया गया है :—

कोयले का ग्रेड	रुपये/टन
इस्पात ग्रेड I व II	150
वाशरी ग्रेड I	150
वाशरी ग्रेड II व III	120
वाशरी ग्रेड IV	75
अर्द्ध कोककर ग्रेड I व II	120
अकोककर ग्रेड ए/बी	120
अकोककर ग्रेड "सी"	75
अकोककर ग्रेड डी/ई	45
अकोकर ग्रेड एफ/जी	25

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए उपकर की अधिप्राप्ति के विषय में राज्य सरकारों के साथ समझौता किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि स्वयं उच्चतम न्यायालय ने सम्बद्ध राज्यों को उनके द्वारा कोयले पर संग्रहीत की गई उपकार की राशि को नीचे दी गई तारीख तक अपने पास रखने की अनुमति दी है :

बिहार सरकार	4-4-1991
उड़ीसा सरकार	22-12-1989
मध्य प्रदेश सरकार	28-3-1986

ऐसी राज्य सरकारें, जिनके कोयले पर उपकर लगाए जाने के कानूनों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, वे इस संबंध में दी गई निर्णीत तारीखों से उपकर को न तो लगा सकती हैं/न ही संग्रहण कर सकती हैं।

(ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) कोयले की पिट-हैड कीमत 1 अप्रैल, 1990 तथा 1 अप्रैल, 1991 को समान बना

रही। इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अकोककर कोयला		कोकर कोयला	
ग्रेड	आर.ओ.एम. कोयला कीमत (रु०/टन)	ग्रेड	आर.ओ.एम. कोयला कीमत (रु०/टन)
ए	399·00	इस्पात ग्रेड I	651·06
बी	364·00	इस्पात ग्रेड II	543
सी	318·00	वाशरी ग्रेड I	470·00
डी	252·00	वाशरी ग्रेड II	390·00
ई	200·00	वाशरी ग्रेड III	300·00
एफ	160·00	वाशरी ग्रेड IV	280·00
जी	114·00	अर्द्ध कोककर ग्रेड I	470·00
असम कोयला	460·00	अर्द्ध कोककर ग्रेड II	380·00
आंध्र प्रदेश कोयला			
सी	395·00		
डी	349·00		
ई	295·00		
एफ	222.00		
जी	173·00		

इस्पात उत्पादन पर बल्यू प्रिंट

2357. **श्री चित्त बसु :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक बल्यू प्रिंट तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों में उत्पादन संबंधी नियोजन कार्य सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई क्षमता

2358. **श्री रामशरण यादव :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय असिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) राज्य में वर्ष 1990-91 के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या लक्ष्य रखे गए हैं; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भूमि प्रयोग सांख्यिकी (1987-88 अनंतिम) के अनुसार 42,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र असिंचित है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस राज्य में 3,90,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 488,000 हेक्टेयर प्रत्याशित उपलब्धि की सूचना मिली है ।

[अनुवाद]

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

2359. **श्री पी. एम. सईद** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को भारी लाभ हो रहा है तथा यह अपने कर्मचारियों और सरकार को लाभांश का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित वास्तविक लाभ का वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा अपने कर्मचारियों को पिछले तीन वर्ष के दौरान दिए गए लाभांश का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा [illegible] मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) लाभांश केवल शेयर धारकों अर्थात् भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी को दिया जाता है ।

(ख) कर पश्चात् वास्तविक लाभ पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार से है :—

	(करोड़ रुपये में)
1988-89	51.28
1989-90	50.23
1990-91	50.55

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार को दिया जाने वाला लाभांश इस प्रकार से है :—

	(करोड़ रुपये में)
1988-89	20.28
1989-90	20.28
1990-91	20.28

कोचीन हाई में तेल हेतु छिद्रण कार्य

2360. **प्रो० के०वी० थामस :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के पश्चिम में अरब सागर में तेल के लिये चल रहे छिद्रण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोचीन हाई में कौन-कौन सी कम्पनियां उक्त छिद्रण कार्य कर रही हैं; और

(ग) ये ड्रिलिंग कम्हनियां किन शर्तों पर कार्य कर रही हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में तीन कुओं की खुदाई की है।

(ख) कोचीन हाई में किसी भी कम्पनी द्वारा ड्रिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु सर्वेक्षण

2361. **श्री जीवन शर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पेट्रोलियम पदार्थों की मौजूदा खपत को देखते हुए इन क्षेत्रों में और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु इन क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों को रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) जी, हां।

(ख) बेरोजगार युवकों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को उर्वरक की आपूर्ति

2362. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश ने खरीफ और रबी के मौसम के लिए उर्वरकों की कितनी मात्रा और किस्म की मांग की;

(ख) अब तक मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**) (क) और (ख) खरीफ, 1991 और रबी, 1991-92 के दौरान, मध्य प्रदेश में एन.पी.के. शब्दावली में उर्वरकों की मांग, आवंटन और उपलब्धता को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का, प्रबोधन ध्यानपूर्वक कर रही है, ताकि जहां आवश्यक हो, वहां उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें तथा मध्य प्रदेश की मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई होने की आशा नहीं है।

विवरण

खरीफ 91 और रबी 91-92 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न उर्वरकों की मांग, आवंटन और उपलब्धता की दर्शाने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

मौसम	मांग	ई.सी.ए. आवंटन	उपलब्धता (मौसम के दौरान)
एन.	284.87	303.14	345.95
पी.	181.10	178.30	208.79
के.	35.00	32·15	38.57
कुल :	500.97	513.59	593.31

रबी 91-92			(31.10.91 की स्थिति)
एन.	250.03	277.21	108 47
पी.	182.00	178.20	88.53
के.	18.00	20.52	12.00
कुल :	450.03	475.93	209.00

असम और महाराष्ट्र में तेल की खोज

2363. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और असम में किन-किन स्थानों पर तेल के भंडार हैं और क्या तेल की खोज का कार्य प्रगति पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) और (ख) असम में 35 स्थानों पर तेल के भण्डार पाये गये हैं। तथापि महाराष्ट्र में अभी तक किसी भी भंडार का पता नहीं लगा है। असम में इस समय भी अन्वेषण कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

भूमिगत सिंचाई क्षमता

2364. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी भूमिगत सिंचाई क्षमता उपलब्ध है और वास्तव में उससे कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है;

(ख) अब तक इस क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु सिंचाई को और प्रोत्साहन देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भूजल से चरम सिंचाई क्षमता 803.8 लाख

हेक्टेयर है। 7वीं योजना (1989-90) के अंत तक सृजित एवं उपयोग की गई क्षमता क्रमश: 348 लाख हेक्टेयर और 325 लाख हेक्टेयर है। राज्यवार संलग्न विवरण सूची में दिया गया है।

(ख) 7वीं योजना के अंत तक उपयोग की गई सिंचाई क्षमता लगभग 43.3% है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के विवरणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, सिंचाई स्कीमों में सिंचाई क्षमता के स्तरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुरानी प्रणालियों का आधुनिकीकरण, भूजल एवं सतही जल का संयुक्त प्रयोग, प्रणाली के प्रबंध में लोगों की सहभागिता आदि पर बल दिया जा रहा है।

विवरण

सातवीं योजना तक भूजल विकास सिंचाई क्षमता

(लाख हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	चरम	सातवीं योजना के अंत तक विकास (1989-90) (संभावित)	
		(अंतिम)	क्षमता	उपयोग की गई
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	51.9	16.07	15.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2	—	—
3.	असम	15.6	1.69	1.16
4.	बिहार	71.8	32.28	29.6
5.	गोवा	0.76	0.01	0.01
6.	गुजरात	48.1	15.96	15.50
7.	हरियाणा	18.8	14.50	14.23
8.	हिमाचल प्रदेश	0.74	0.16	0. 2
9.	जम्मू और कश्मीर	7.83	0.08	0.08
10.	कर्नाटक	31.2	5.84	5.68
11.	केरल	9.9	1.06	0.89
12.	मध्य प्रदेश	127.0	14.59	14.20

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	58.4	14.31	13.8
14.	मणिपुर	0.16	नगण्य	नगण्य
15.	मेघालय	0.56	0.09	0.09
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	0.01	0.01
18.	उड़ीसा	54.0	6.29	5.63
19.	पंजाब	38.2	32.24	31.75
20.	राजस्थान	34.4	17.77	17.45
21.	सिक्किम	—	नगण्य	नगण्य
22.	तमिलनाडु	33.5	12.56	12.28
23.	त्रिपुरा	0.8	0.18	0.14
24.	उत्तर प्रदेश	180.0	152.6	138.5
25.	पश्चिम बंगाल	18.8	9.25	7.8
	कुल राज्य	802.65	347.34	324.60
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.19	0.62	0.62
	कुल योग	803.84	347.96	325.22
	अर्थात्	803.8	348.0	525.00

हरियाणा में तेल और गैस परियोजनाएं

2365. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में तेल/गैस से संबंधित विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं काफी समय से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें स्वीकृति देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक योजना/परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) हरियाणा में करनाल रिफाइनरी नाम की केवल एक ही परियोजना है। इसकी स्थापना इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके कार्यान्वयन की प्रकिया तैयार की जा रही है।

तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें तथा एल० पी० जी० एजेंसियां

2366. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और विशेष रूप से पेरियार तथा सेलम जिलों में एल० पी० जी० एजेंसियों एवं पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नई एल० पी० जी० एजेंसियां तथा पेट्रोल की खुदरा दुकानें आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)

	आर० ओ०	एल० पी० जी०
तमिलनाडु	1399	305
पेरियार	77	14
सेलम	117	17

(ख) और (ग) विभिन्न स्थानों पर नए पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं, उत्पादनों की उपलब्धता आदि के अनुसार खोली जाती हैं।

बिहार के संथाल परगना में काले पत्थर और ग्रेनाइट के भंडार

2367. **श्री साइमन मरांडी** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना में काले पत्थर तथा ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बेहतर किस्म के ग्रेनाइट तथा काले पत्थर के खनन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का निर्यात किया जा रहा है और कौन-कौन से देशों को इसका निर्यात किया जा रहा है तथा 1990-91 के दौरान सरकार ने निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के विकास तथा ग्रेनाइट और काले पत्थर को निर्यातान्मुख बनाने के लिए पिछले तीन साल के दौरान कोई योजना बनाई है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) देवघर, गोड्डा और भागलपुर जिलों में ग्रेनाइट होने की सूचना मिली है, जहां 19 मिलियन घन मीटर भंडार होने का अनुमान है; साहिबगंज जिले के पाकड़ क्षेत्रों में काला पत्थर, कंकड़/गोलापत्थर निकलता है। प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य खनिज विकास निगम (एक राजकीय उपक्रम) का संयुक्त क्षेत्र में प्लामू जिलान्तर्गत डाल्टनगंज में निर्यात क्वालिटी के गुलाबी ग्रेनाइट इमारती खण्डकों के निर्माण हेतु एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत से 1990-91 में 6,14,767 टन ग्रेनाइट का निर्यात किया गया। भारत के अनपढ़ और तराशे हुए ग्रेनाइट खन्डकों के मुख्य बाजार जापान, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और सिंगापुर हैं तथा पालिसकृत चमकदार ग्रेनाइट के मुख्य खरीददार इंगलैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, जर्मनी व नीदरलैंड हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड आदि भी भारत से ग्रेनाइट मंगाते हैं। 1990-91 में ग्रेनाइट निर्यात का मूल्य 198 करोड़ रुपये था। ग्रेनाइट पर रायल्टी और अन्य लेवियों की राशि संबंधित राज्य सरकार को मिलती है, और निर्यात आय ग्रेनाइट निर्यातकर्त्ता को होती है।

(घ) से (च) ग्रेनाइट एक अप्रधान खनिज है अतः उसके निक्षेपों के विकास का दायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट निर्यात के प्रोत्साहन के लिये रियायती ब्याज पर निर्यात वित्त, 100% निर्यात प्रधान यूनिटों के लिये अपेक्षित उपकरणों पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्कों से छूट तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर अदायगी में रियायत जैसी सुविधायें प्रदान की हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस का पुनर्गठन

2368. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अनेक सुझाव प्राप्त होते रहे हैं परन्तु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के संबंध में सरकार द्वारा कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है ।

नेफेड द्वारा कच्चे काजू की खरीद

2369. **श्री कोडी कुन्नील सुरेश** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड का विचार केरल में काजू उत्पादकों से कच्चे काजू खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में काजू खरीदने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) तथा (ख) जी नहीं । केरल कच्चा काजू (अधिप्राप्ति एवं संवितरण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कच्चे काजू की खरीद के लिये केवल केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति को ही राज्य सरकार के एजेंट या उप-एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । अत: "नाफेड" केरल के काजू उत्पादकों से कच्चे काजू की खरीद नहीं कर सकता है ।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

[हिन्दी]

नदियों से गाद निकालना

2370. **श्री सूर्य नारायण यादव** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी नदियों की गाद छंटाई का कार्य हाथ में लिया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान बिहार में इन नदियों की गाद-छंटाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन नदियों के नाम क्या हैं और वे कहां है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर नौवहन उद्देश्यों के लिए गाद निकालने का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चैनल में 1.5 मीटर से 2 मीटर तक जल की गहराई कायम रखने के वास्ते बलिया-पटना और पटना-फरक्का पहुंचों में गंगा नदी पर गाद निकालने का कार्य शुरू किया गया था।

(ग) फरक्का-पटना सीमा में 3 नाजुक (क्रिटिकल) छिछले स्थानों पर तलकर्षण तथा 11 छिछले स्थानों पर बन्डलिंग का कार्य किया गया जबकि पटना-बलिया सीमा में 4 छिछले स्थानों पर बन्डलिंग का कार्य किया गया।

कोयला खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

2371. **डा० जी० एल० कनौजिया :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला खनिकों की सुरक्षा को पुनिश्चित करने के लिए खानों का कार्य खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूनिट स्तर पर पिट-सुरक्षा समिति क्षेत्र और कम्पनी स्तर पर त्रिपक्षीय समिति, कोल इंडिया स्तर पर सुरक्षा बोर्ड एवं सरकारी स्तर पर कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति के जरिए निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। सभी खानों में श्रमिक निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जो कि प्रबंधन एवं खान सुरक्षा महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। खनिकों से मूलभूत सुरक्षा संबंधी विद्युत उपकरणों एवं अन्य सुरक्षा साधन काम किए जाने के लिए मुहैया कराए जाते हैं। कोयला कंपनियां, खानों में सुरक्षा-व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए आवधिक सुरक्षा सम्मेलनों की की गई सिफारिशों/अनुदेशों को भी क्रियान्वित करती हैं।

सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म

2372. **श्री मनफूल सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों में फार्म में हुए मुनाफ़े/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी भूमि पर खेती नहीं की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म की भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 6293 हेक्टेयर है।

(ख) इस फार्म ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार लाभार्जन किया :—

(लाभ रुपए में)

वर्ष	राशि
1989-90	95.85
1990-91	29.22 (अनन्तिम)

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1989-90	खरीफ (4279) रबी (903)
1990-91	खरीफ (3968) रबी (818) (अनन्तिम)

[अनुवाद]

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में लिग्नाइट और "लोको" का उत्पादन

2373. डा० पी० वल्लल पेरुमान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में लिग्नाइट और "लोको" का कुल उत्पादन कितना है और इनका प्रतिटन बिक्री मूल्य कितना है;

(ख) क्या इनके ऊर्जा महत्व की दृष्टि से कोयले की तुलना में इनके बिक्री मूल्य में कोई गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इनके मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान लिग्नाइट तथा लेको का उत्पादन तथा चालू वर्ष 1991-92 में (1-4-91 से 31-10-91 तक) के प्रथम सात महीनों के दौरान लिग्नाइट तथा लेको के उत्पादन को नीचे दिया गया है :—

(लाख टन में)

वर्ष	लिग्नाइट	लेको (कोक)
1990-91	117.59	2.55
1991-92 (अक्तूबर, 91 तक)	74.87	1.59

दिनांक 29-11-91 की स्थिति के अनुसार बिक्री कीमत नीचे दर्शायी गई है :—

कच्चा लिग्नाइट	—रु० 410/टन
लेको	—रु० 1,900/टन

(ख) और (ग) जी, नहीं। लिग्नाइट तथा लेको की कीमतों का निर्धारण करते समय कोयले की तुलनात्मक कैलोरीफिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में यदि कैलोरीफिक क्षमता के रूप में ही केवल हिसाब लगाया जाए तो कोयले की भूमिगत लागत से लिग्नाइट तथा लेको की बिक्री कीमत ऊंची है। कच्चे लिग्नाइट की कीमत को केवल अक्तूबर, 1991 में 325 रुपये प्रतिटन से 410 रुपये प्रतिटन तक संशोधित किया गया था। लेको की कीमतें मई, 1991 में 1750 रु० प्रति टन से 1900 रु० प्रति टन संशोधित की गई थी। अतः इस समय कीमतों में और वृद्धि किये जाने की कोई आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं है। किंतु बाजार की परिस्थितियों तथा कोयले की तुलनात्मक कीमतों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और जब इनमें परिवर्तन आयेगा तो लिग्नाइट तथा लेको की कीमत में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पेट्रोल/डीजल पम्पों का खोलना

2374. **श्री रामसागर :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्ररकार का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किन क्षेत्रों में चालू वर्ष में पेट्रोल और डीजल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां खोलने का विचार है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) बाराबंकी में दो खुदरा बिक्री केन्द्र अर्थात देवास और वाराबंकी में प्रत्येक में एक-एक खोले जाने की योजना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

2375. **श्री अरविन्द नेताम** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैंक को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) (क) जी हां ।

(ख) बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 और इसके अन्तर्गत नियमों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ से जो कि मुख्य बढ़ावा देने वाला है, एक प्रस्ताव सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार को मिला है । यह प्रस्ताव राज्य स्तरीय बैंकों, सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ और शहरी सहकारी बैंकों की सदस्यता से राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी बैंक स्थापित करने से सम्बन्धित है । प्रस्तावित बैंक का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र से अतिरिक्त धनराशि जुटाकर और उसे सहकारी संस्थाओं के अन्य क्षेत्रों में निवेश में लाकर देश में सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के लिए सन्तुलन केन्द्र के तौर पर कार्य करना है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित बैंक की व्यवहार्यता के बारे में अपने संदिग्ध दृष्टिकोण के कारण इस प्रस्ताव से प्रथम दृष्टिकोण के द्वारा में सहमत नहीं हुआ । यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि प्रस्तावित बैंक की स्थापना के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करना भी आवश्यक होगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक के रजिस्ट्रशन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

छिड़काव (ड्रिप) द्वारा सिंचाई

2376. **डा० वसन्त पवार** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने क्षेत्र में छिड़काव द्वारा सिंचाई की जाती है;

(ख) इस प्रणाली को प्रोत्साहन देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजनार्थ दी गई राज-सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ड्रिप सिचाई के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र 23426 हेक्टेयर आंका गया है। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) आन्ध्र प्रदेश	800 हेक्टेयर
(ii) गुजरात	300 हेक्टेयर
(iii) कर्नाटक	2000 हेक्टेयर
(iv) केरल	400 हेक्टेयर
(v) महाराष्ट्र	16426 हेक्टेयर
(vi) तमिलनाडु	2500 हेक्टेयर और
(vii) अन्य राज्य	1000 हेक्टेयर

(ख) ड्रिप सिचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिकंलर/ड्रिप प्रणाली आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित करने" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1982-83 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में मुख्य रूप ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए लघु और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के किसानों की सहायता करना है। सहकारी और सामुदायिक किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। लघु, सीमान्त और अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति किसानों को उपलब्ध आर्थिक सहायता (सब्सिडी) क्रमशः लागत का 25%, $33\frac{1}{3}$% और 50% है जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी ड्रिप सिचाई प्रणालियों के लिए अपनी स्वयं की अलग आर्थिक सहायता की स्कीमें घोषित की हैं। कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति ने भी ड्रिप सिचाई प्रणाली को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल हैं :– जल प्रबन्ध में अनुसंधान विकास और विस्तार कार्य शुरू करने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियों में कृषि प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्रों की स्थापना करना, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु सेमिनार और कार्यशालायें आयोजित करना, नाबार्ड के परामर्श से ड्रिप सिंचाई की यूनिट लागत निर्धारित करना और विभिन्न राज्यों आदि में ड्रिप सिंचाई के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करना।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्प्रिंक्लर/ड्रिप प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत ड्रिप प्रणाली के लिए दी गई आर्थिक सहायता नीचे दी गई है :—

राज्यों का नाम	वर्षों के दौरान		लाख रुपयों में
	1988-89	1989-90	1990-91
1. आन्ध्र प्रदेश	..		17.77
2. गुजरात	5.33	1.87	6 83
3. केरल	—	3.95	8.61
4. महाराष्ट्र	56.58	105.51*	72.47

* इसमें स्प्रिंक्लर भी शामिल हैं।

वायस ऑफ अमेरिका द्वारा भारतीय उप-महाद्वीप में ट्रांसमीटर स्थापित करना

2377. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायस ऑफ अमेरिका भारतीय उप-महाद्वीप में ट्रांसमीटर स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या वायस ऑफ अमेरिका ने भारत में ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जहां तक दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रश्न है, सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका की सरकारों के बीच श्रीलंका में वायस ऑफ अमेरिका की मौजूदा अभिग्रहण एवं प्रसारण सुविधाओं को और अधिक उन्नत करने तथा उन्हें अन्यत्र स्थापित करने के बारे में समझौता हुआ। सरकार ने इस मामले को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक प्रसारण के लिए ही किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

तटीय क्षेत्रों में पानी में खारेपन की समस्या

2378. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तटीय क्षेत्रों में पानी में खारेपन की गम्भीर समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसे सम्भवतः कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से गुजरात तनिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में जिनमें समुद्री जल के प्रवेश करने तथा मृदा के खारेपन की गम्भीर समस्याएं हैं, स्थान-विशेष के आधार पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए ज्वारीय नियामकों, चैक बांधों बेसिनों और चैनलों का विस्तार करने, भण्डारण आदि के निर्माण के लिए अनेक परियोजनायें तैयार की गयी हैं। इनमें से अनेक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है और इनके शीघ्र ही पूरी हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि इनके लिए धन उपलब्ध हो।

सिंगूर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास
हेतु विश्व बैंक की सहायता

2379. **श्री धर्मभिक्षम** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मेंढक जिले में सिंगूर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिंगूर जलाशय परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास पुनः स्थापन विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हैदराबाद जल आपूर्ति और सफाई परियोजना-1 का घटक है। 257 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से कार्य की इस मद के लिए 16.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास और पुनः स्थापन की योजना अन्य बातों के साथ-साथ सभी पुनर्वासों के वास्ते अवसंचनात्मक

सुविधाओं का विकास सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय पहुंच सड़कें तथा सुरक्षित जल आपूर्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी लागत के आवास के लिए स्थल प्रदान करने के साथ-साथ 27 पूरीतरह से और 42 आंशिक जलमग्न गांवों के लिए आर्थिक विकास स्कीमें तैयार करने की योजना है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना

2380. **श्री धर्मभिक्षम** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पोलाबरम सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना के कार्यान्बियन हेतु विश्व बैंक से मांगी गयी आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित परियोजना की अनुमानित लागत 3030 करोड़ रुपए हैं। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित करना अपेक्षित है। इसलिए, इस समय, इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय परियोजना के रूप में परियोजना घोषित करने के लिए पोलावरम परियोजना विकसित मानदण्ड के अनुकूल है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2381. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का प्रक्रिया तथा क्रियान्वित संबंधी कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे पूरा करने के लिए आगे का क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है;

(घ) क्या लागत बढ़ने के कारण भारतीय और बिदेशी मूल के दोनों ठेकेदार अपने बिल बढ़ा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के भारतीय और विदेशी मुद्रा में भुगतान किए गए बिलों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस कार्य के लिए किसी विदेशी सहायता अथवा ऋण का उपयोग किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य मार्च, 1993 तक पूरा किया जाना है। इस समय-सूची का पुन: निर्माण की जाने वाली तीन में से एक धमन भट्टी को छोड़कर शेष में पालन किए जाने की संभावना है। शेष एक के दिसम्बर, 1993 तक पूरा होने की सभावना है।

(घ) केवल देशज भाग के लिए ही संविदा में 15% की अधिकतम सीमा तक वृद्धि करने का प्रावधान है और इसी कारण ठेकेदार के बिलों में वृद्धि करते रहे हैं।

(ङ) अब तक बढ़ाई गई राशि के भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है :

पैकेज		ठेकेदार	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु०)
1	2	3	4
1.	कच्ची सामग्री संभाल संयंत्र	बिड़ला टेक्नीकल सर्विसेज	0·59
		हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5.19
			5·78
2.	सिन्टरिंग संयंत्र	त्याजप्रोमेक्सपोर्ट सोवियत संघ (टी० पी० ई०)	0·75
		हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	1·34
			2·09
3.	धमन भट्टी	त्याजप्रोमेक्सपोर्ट सोवियत संघ (टी०पी०ई०)	0·87
		बिड़ला टेक्नीकल सर्विसेज	0·21
		हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	0·74
			1·82

1	2	3	4
4.	बेसिक आक्सीजन फर्नेस	बिड़ला टेक्नीकल सर्विसेज	0·45
		क्रोसल	7·55
			7·98
5.	सतत ढलाई संयंत्र	लारसन एण्ड टब्रो	5·98
6.	ओर प्रोसेसिंग प्लांट	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	0·12
7.	कोक ओवन बैटरी	ओटो इंडिया लिमिटेड	2·21
8.	बाई प्रोडक्ट प्लांट	इंजनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	0·90
9.	न्यू लाइम केलसिलेशन प्लांट	वूलकान इंजीनियरिंग वर्क्स	0·65
10	हाट मैटल लेडल शाप	ब्रेथवेट	0·91
11.	प्लांट वार सप्लाई	इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट् (इंडिया) लि०	0·25
12.	रिपेयर शाप सुविधा और इंसट्रूपेन्टेशन सारटेज	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंट्रक्शन लि०	0·03
13.	विद्युत वितरण, लाइटिंग और टेलीफोन सिस्टम	एशियन ब्राउन बोवरी लि०	4·08
		क्राम्प्टन ग्रीवज लिमिटेड	2·29
			6·37
14.	सड़क एवं परिवहन	एन० बी० सी० सी०	0·06
		कुल	35·15

(ग) जी, हां।

(छ) उपयोग किए गए विदेशी ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	राशि	27.11.91 विनिमय दर	को रुपये में
ए० एफ० डब्ल्यू (जर्मनी			रुपये करोड़
से ऋण	110.045 मिलियन डी० एम०		177·85
डेश्ची बेक से ऋण	71·562 ,,	,,	115·66
फिनिश एक्प० बैंक से ऋण	10·830 ,,	,,	17·50
निप्पोन सी० आर० बैंक			
से ऋण	10·681 ,,	,,	
	2·225 मिलियन एस० एफ० आर०		21·37
स्विस मिक्सडन केडिट	16·170 ,,	,,	29·49
			361·87

खनिज तेल की खोज

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में खनिज तेल की खोज के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) देश के अनेक भागों (बेसिनों) में अन्वेषण किया गया है यथा श्रेणी-I कैम्बे ऊपरी असम, बम्बई अपतट, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी और असम अराकन फोल्ड, और श्रेणी—II, III और II/ के बेसिनों यथा कच्छ, राजस्थान, अण्डमान, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, गंगा की घाटी, बंगाल, सौराष्ट्र, केरल-कोंकण, महानदी, गोंडवाना और अन्य बेसिनों में। इसके परिणामस्वरूप 1-1-91 तक श्रेणी—1 के बेसिनों में कच्चे तेल का करीब 1178 मि० मी० टन निकर्षण योग्य भण्डार स्थापित हुआ है।

महाराष्ट्र में खार भूमि के विकास हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

2383. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में खार भूमि के विकास हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा इसके लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) खार भूमि सुधार परियोजना के लिए अगस्त, 1984 में 20 मिलियन ई० सी० यू० की राशि, जो माल सहायता अर्थात उर्वरकों के रूप में प्रदान की जाती है, हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए व्यय का प्रतिपूर्तिप्रतिपक्ष निधियों (उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त) में से किया जाना है। अब तक महाराष्ट्र सरकार को 15·68 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है।

पाकिस्तान का रक्षा बजट

2384. **कुमारी उमा भारती :**

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को अपने रक्षा बजट में कटौती करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान अपने बजट का लगभग आधा भाग रक्षा पर व्यय करता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) ऐसी अनेक मीडिया रिपोर्टें हैं जिनमें इन बातों का उल्लेख है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तानी रक्षा बजट में 9% की कटौती का सुझाव दिया है।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान अपने बजट का 388% भाग रक्षा पर व्यय करता है। तथापि, यह विश्वास किया जाता है कि उसके रक्षा व्यय का एक भाग अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आता है, अत, रक्षा व्यय की प्रतिशतता अधिक हो सकती है।

(घ) पाकिस्तान द्वारा ससाधनों को अपनी जायज आवश्यकताओं से अधिक रक्षा पर लगाने से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और सुरक्षा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखे हुए है जिनसे भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

मछली जीन बैंक

2385. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में मछली जीन बैंक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं;

(ग) इन जीन बैंकों के क्या लाभ होंगे; और

(घ) इन बैंकों की स्थापना पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (एन० बी० पी०जी० आर०)

(ग) जीन बैंक प्रजातियों के आनुवंशिक सुधार और संरक्षण में सहायता करता है।

(घ) करीब 70 लाख रुपये।

[हिन्दी]

नर्मदा सागर बांध

2386. **श्री सन्तोषकुमार गंगवार :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर बांध का निर्माण भूकम्प प्रवण क्षेत्र में किया जा रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय मानक वर्गीकरण (आई० एस० 1883-1884) के अनुसार भूकम्पीय जोन-II और III की सीमाओं पर पड़ने वाले क्षेत्र में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है। यह एक मध्यम भूकम्प प्रवण क्षेत्र है।

(ख) इंजीनियरिंग भू-विज्ञान प्रभाग, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र, नागपुर तथा भूकम्प इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ग) इंजीनियरिंग भूविज्ञान प्रभाग, मध्य क्षेत्र, नागपुर तथा भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय के सुझाव के आधार पर और विस्तृत जांच तथा संशक्ति एप्रोच का उपयोग करके स्थल का भूकम्पीय विश्लेषण करने के बाद 0·2 जी ग्रेविटी के कारण त्वरित) के समान प्रभावी शीर्ष भू-त्वस का सुझाव अपनाया गया है।

(घ) राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने गहरे भूकम्पीय अनुवादी सर्वेक्षण किए हैं जिनसे पता चला है कि भूकम्पीय कार्यकलाप का स्थल (पाइन्ट) इस परियोजना के क्षेत्र में नर्मदा नदी के 20 किलोमीटर दक्षिण में था।

दालों का विवरण

2387. **श्री राम ढदन** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफेड द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को दालों की कितनी-कितनी मात्रा वितरित की गई; और

(ख) उत्तर प्रदेश में दालों का वितरण करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान नैफेड द्वारा अपने व्यापार सम्बन्धी क्रियाकलापों के अन्तर्गत अधिप्राप्त किए गए दालों के स्टाक में से राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघों से उनकी आवश्यकता हेतु पेशकश की गई थी। चूंकि, उनसे कोई मांग प्राप्त नहीं हुई, यह स्टाक खुले बाजार में बेच दिया गया। दालों के राज्यवार निपटान से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश में (1) उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड (2) उत्तर प्रदेश सहकारी प्रक्रिया और तिलहन विकास संघ और (3) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लखनऊ को दाल का

स्टाक प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। तथापि, उनसे किसी मांग की सूचना नहीं मिली।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान दालों का राज्यवार निपटान

क्रम संख्या	मीटरी टनों में निपटान
1. उत्तर प्रदेश	4246
2. मध्य प्रदेश	986
3. राजस्थान	2900
4. आंध्र प्रदेश	—
5. गुजरात	583
6. कर्नाटक	—
7. बिहार	796
8. उड़ीसा	—
9. महाराष्ट्र	197
10. तमिलनाडु	577
11. चंडीगढ़	326
12. पश्चिम बंगाल	825
13. केरल	472
14. असम	40
15. दिल्ली	352
	12300

[अनुवाद]

"धारा" खाद्य तेल का वितरण

2388. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में "धारा" खाद्य तेल का वितरण करे; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से पहले त्यौहारों के मौसम के दौरान मांग पूरी करने के लिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इस समय "धारा" बेचा नहीं जाता, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से धारा की कुछ अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के जरिए 120 मीटरी टन की सप्लाई की व्यवस्था की। राज्य सरकार ने दो एजेंसियों के माध्यम से लगभग 64 मीटरी टन माल उठाया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

2389. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं और ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस्पात मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के 12 पद रिक्त हैं।

(ख) आरक्षित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए एक मामले को छोड़कर, अन्य रिक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अथवा नोडल विभाग को जो भी मामला हो, सूचित किया जा चुका है अथवा सूचित किया जा रहा है। ग्रुप "घ" के शेष एक पद पर अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

पिछले बकाया आरक्षित पद

2390. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी वार पिछले बकाया आरक्षित पद कितने थे;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान इन आरक्षित पदों को भरने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बाकी पदों को सम्भवतः कब तक भर दिया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय के सचिवालय में 1 जनवरी, 1991 को अनुसूचित जनजाति के लिए समूह "घ" में चपरासी का एक पद खाली था।

(ख) और (ग) उम्मीदवार प्रायोजित करने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया था, उनसे उम्मीदवारों की एक सूची मिली है। खाली पद को उपयुक्त व्यक्ति द्वारा शीघ्र भरे जाने के लिए चयन की कारवाई की जा रही है।

आरक्षित पदों के पिछले बकाया रिक्त पद भरा जाना

2391. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1 जनवरी, 1991 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की श्रेणी वार कितनी रिक्तियां बकाया है;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान इन आरक्षित पदों को भरने में क्या प्रगति हुई; और

(ग) शेष आरक्षित पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

उड़ीसा में खारे पानी में मत्स्य-पालन का विकास

2392. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खारे पानी में मत्स्य पालन को विकसित करने की भारी गुजाइंश है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार ने इसके लिए कितनी सहायता मांगी और केन्द्रीय सरकार ने उसे कितनी सहायता दी;

(ग) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में खारे पानी में मत्स्य पालन को विकसित करने के लिए क्या प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां । मत्स्य/श्रिम्प फार्मिग के लिए उड़ीसा राज्य में लगभग 80,000 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र की क्षमता निहित है ।

(ख) 1991-92 के दौरान उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सहायक अनुदान के तौर पर 60 लाख रु० की धनराशि मांगी थी और मांगी गई सम्पूर्ण धनराशि पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में खारा जल मत्स्य फार्मिग के विकास के प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 4 खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से 4.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 1000 हैक्टेयर खारा जल तालाबों का विकास ।

(2) 2.00 करोड़ रु० की लागत से चन्द्रभागा में प्रॉन सीड हैचरी का निर्माण ।

(3) 0.20 करोड़ रुपये के परिव्यय से केशपुर, सोनपुर, और पारादीप में प्रदर्शन अर्द्ध गहन प्रॉन फार्मों का निर्माण; और

(4) 55.67 करोड़ रु० के परिव्यय से लगभग 870 हैक्टेयर क्षेत्र में श्रिम्प फार्मिग के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिम्प कल्चर परियोजना का कार्यान्वयन ।

योजना आयोग के मात्स्यिकी सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 2-12-1991 को आयोजित अपनी बैठक में उड़ीसा में खारा जल प्रॉन फार्मिग के लिये आठवीं योजना प्रस्तावों को सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित कर दिया है । विश्व बैंक सहायता प्राप्त श्रिम्प कल्चर परियोजना पर 25-27 नवम्बर, 1991 को विश्व बैंक से बातचीत हुई थी ।

बाक्साइट स्मेल्टर एकक

2393. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाक्साइट स्मेल्टर एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन बाक्साइट एककों से से कुछ का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बाक्साइट उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में 7 एल्यूमिनियम प्रगालक हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की एल्यूमिनियम प्रगालन क्षमता 2,18,000 टन से बढ़ाकर 3,45,000 टन कराने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्तमान बाक्साइट उत्पादन देश में एल्यूमिनियम और अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार ओड़िसा तथा आन्ध्र प्रदेश के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 100% निर्यात-प्रधान एल्यूमिना यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

कोयला और लिग्नाइट के भण्डार

2394. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीनतम अनुमानों के अनुसार कोयला और लिग्नाइट के कितने भण्डार हैं और ये भण्डार कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक स्थान पर अनुमानतः कितना कोयला तथा लिग्नाइट है;

(ख) इस समय इनमें से कितने क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है और गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद और सुगम राज्यवार ऐसे कितने भण्डार हैं जिनका अभी भी खनन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (घ) देश में कोयले के कुल 1,92,359.15 मि० टन के भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। इस सम्बन्ध में कोयले के राज्य-वार भण्डारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(भण्डार मि० टन में)

राज्य	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आंध्र प्रदेश	5278.30	1650.50	3842.55	10771.35
अरुणाचल प्रदेश	31.23	11.04	47.96	90.23
असम	133.38	67.17	94.63	295.18
बिहार	27787.14	27477.64	6820.07	62084.85
मध्य प्रदेश	8566.91	18843.20	9643.07	37053.18
महाराष्ट्र	2891.16	1307.02	1873.00	6071.18
मेघालय	88.99	69.73	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	4826.79	20621.05	18856.59	44304.43
उत्तर प्रदेश	662.21	400.00	—	1062.21
पश्चिम बंगाल	8714.00	13574.17	7860.00	30147.17
जोड़ :	58983.54	84021.87	49353.74	192359.15

देश में लिग्नाइट के भण्डार लगभग 6,500 मि. टन होने का अनुमान लगाया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य-वार वितरण नीचे दिया गया है :—

(भण्डार मि. टन में)

राज्य	
1. तमिलनाडु	5030
2. गुजरात	383
3. राजस्थान	870
4. जम्मू और काश्मीर	90
5. केरल	100
जोड़	6473 (अर्थात् 6500)

किसी क्षेत्र विशेष में लिग्नाइट तथा कोयले के भण्डारों का उत्खनन किए जाने का कार्य मुख्यत: कोयले तथा लिग्नाइट की मांग, भंडारों की गुणवत्ता और उनके उपयुक्त दोहन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में किए गए कोयले तथा लिग्नाइट के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

(क) कोयले का राज्य-वार ब्यौरा :—

(मि० टन में)

राज्य	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	16.580	16.381	18.605	17.804	17.708
असम	0.910	1.009	0.899	0.836	0.679
बिहार	59.070	64.469	66.953	66.579	67.488
मध्य प्रदेश	44.800	48.756	53.874	62.299	65.351

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	12.300	14.215	15.111	16.340	16.854
उड़ीसा	7.070	8.959	10.926	13.253	16.272
उत्तर प्रदेश	4.920	5.718	6.192	6.174	10.378
पश्चिम बंगाल	20·020	20.322	21.798	17.606	17.002
जोड़ :	165.670	179.829	194.358	200.891	211.732

(ख) लिग्नाइट का राज्य-वार उत्पादन (मि० टन में)

राज्य	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
तमिलनाडु	85.22	101.50	114.05	112.36	117.59
गुजरात	10.83	11.16	11.84	16.11	23.12
जोड़ :	96.05	112.66	125.89	128.47	140.71

सभी राज्यों में जिनमें कोयले/लिग्नाइट के भण्डार विद्यमान हैं, उनमें उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए निरन्तर आधार पर अन्य उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) विद्यमान खानों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार तथा उनको पुनर्गठिन करके उनमें सुधार किया जाना।

(ख) योजना कार्यक्रमों के अनुसार नई खानों का खोला जाना।

(ग) नई प्रौद्योगिकी के जरिए कठिन भू-खनन की परिस्थितियों वाले भण्डारों का दोहन किया जाना।

बम्बई हाई से तेल और गैस लाने वाली पाइप लाइन

2395. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से तट पर स्थित टर्मिनलों को तेल और गैस ले जाने वाली मौजूदा मुख्य ट्रन्क पाईप लाइनें छोटी हैं और इस तरह बिल्कुल अपर्याप्त हैं;

(ख) वर्तमान पाइप लाइनों की क्षमता कितनी है और वर्ष 1988-89 तथा 989-90 के दौरान वास्तविक रूप से तेल और गैस की कितनी मात्रा ढोई गई;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार को 1984 में पाइप लाइन नेटवर्क में विस्तार करने सम्बन्धी योजनाएं भेजी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पाइपलाइनों का आकार तेल और गैस के उत्पादन की रूपरेखा पर आधारित होता है ।

(ख) बम्बई हाई-उरन आयल पाइप लाइन प्रतिवर्ष 18 एम० एम० टी० तेल ढो सकती है ।

1988-89 और 1989-90 के दौरान ढोई गई तेल की वास्तविक मात्रा क्रमशः 17,97 और 17.43 मिलियन टन थी ।

इस समय, 16 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस बम्बई हाई से ढोई जा सकती है । 1988-89 और 1989-90 के दौरान ढोई गई गैस की मात्रा क्रमशः 16.09 और 14.98 एम०एम० एस० सी० एम० डी० थी ।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक प्रस्ताव 1984 में प्राप्त हुआ था ; तथापि, तब से इसमें कई बार संशोधन किए गए और सरकार को अन्तिम रूप से प्रस्ताव जून, 1991 में प्रस्तुत किया गया था।

मंगलौर तेलशोधक कारखाने की लागत में वृद्धि

2396. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृति में देरी तथा रुपए के अवमूल्यन के कारण मंगलौर तेल शोधक कारखाने की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मंगलौर तेल शोधक कारखाने की लागत में हुई अनुमानित वृद्धि कितनी है; और

(ग) उक्त तेलशोधक कारखाने को स्वीकृति देने में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने जून, 1990 के मूल्यों के आधार पर 1160 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंगौर में 3 एम० टी० पी० ए० की क्षमता वाली आयल रिफाइनरी की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विधिवत् विचार करके 11-4-91 को अपना अनुमोदन दे दिया है। सामान्य मूल्य वृद्धि और रुपए के अवमूल्यन के कारण जुलाई, 1991 के मूल्यों के अनुसार रिफाइनरी परियोजना की लागत अनुमानतः लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूध के शेड

2397. **श्री राम बदन** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-तीन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दूध के विद्यमान शेडों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 1992 के दौरान दूध के अतिरिक्त शेड स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) इस समय, उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत अट्ठाइस दूध के शैड कवर किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिजों की रायल्टी दर में वृद्धि

2398. **श्री राम बदन** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनिजों की रायल्टी दर में वृद्धि करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह वृदि कब तक की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भराई रेत को छोड़कर) की रायल्टी दरें गत-वार मई, 1987में संशोधित की गई थीं। अगला संशोधन मई, 1990 में देय हुआ था अतः इस सवाल पर विचार करने और सरकार को समुचित सिफारिशें देने के लिए खान मंत्रालय में अप्रैल, 1989 में एक अध्ययनदल का गठन किया। दल ने अपनी सिफारिशें अप्रैल, 1990 ने मंत्रालय को दीं। अध्ययनदल की सिफारिशों पर विचार के दौरान, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उन राजकीय कानूनों को असांविधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया जिनके अन्तर्गत खनिजों पर उपकर, खनिज अधिकार कर, भूमिकर और अन्य ऐसे ही कर लगाये जा रहे थे। उच्चततम न्यायालय ने, मैंसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य मुकद्दमे में, अपने 4 अप्रैल, 1991 के फैंसले द्वारा राज्य सरकारों या अन्य अपकृत पक्षों द्वारा दायर अनेक अपीलों का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए, इन सभी लेवियों को राज्य विधान मण्डलों की सक्षमता से परे करार दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैंसले के आलोक में, अध्ययन दल की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों की उपकर, खनिज, अधिकार कर, भूमिकर इत्यादि पर लगी रोक से राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति विषयक मांगों के संदर्भ में पुनः विचार करना जरूरी हो गया। विभिन्न राज्य सरकारें अतीत में उपकर, खनिज अधिकार, जैसे कई तरह के शुल्क लगाती थीं। इन लेवियों की दरें भी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती थीं। इन कारकों तथा 1990 के गर्त्तमुख मूल्य, घरेलू व निर्यात बाजारों के हालात, उद्योग में खनिज के अन्त्य उपयोग के स्वरूप आदि कारकों को ध्यान में रखकर, खान मंत्रालय में मामले पर भलीभांति गौर किया गया है और विभिन्न खनिजों पर रायल्टी दरों में संशोधन के विस्तृत प्रस्ताव पर इस समय सरकार द्वारा तत्परता से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रसोई गैस के कनेक्शन

2399. **श्री मोरेश्वर साबे** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र मे रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कुल कितने आवेदन पत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन पत्र हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) 1-10-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में प्रतीक्षा सूची पर **लगभग 13.48 लाख व्यक्ति हैं** । अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने के प्रयत्न जारी हैं।

बारगोलाई, असम में हाइड्रोलिक खनन और डिसल्फराइजेशन संयंत्र की स्थापना

2400. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बारगोलाई, असम में कोकिंग कोल के उत्पादन के लिए हाइड्रोलिक खनन और डिसल्फराजेशन हेतु कनाडा की सहायता से संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोकिंग कोयले के दोहन और खनन के लिए स्थापित कोल इंडिया लिमिटेड का दर्जा बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कोकिंग कोल का आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, असम के बारागोलाई परियोजना के अन्तर्गत कोल वाशरी सहित हाइड्रोलिक खनन को संभावित कनाडाई सहायता द्वारा विकास किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट परियोजनाओं में से एक परियोजना थी । इस सम्बन्ध में कनाडा सरकार की अनुदान सहायता के अन्तर्गत कनाडा की एक कम्पनी द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट जून, 1991 में प्रस्तुत कर दी है । कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां । मेघालय और इसके आसपास के क्षेत्रों के कोयला क्षेत्रों से कोयले के निष्कासन में सहायता प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लि० ने तीरा में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजायन संस्थान का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किया है । नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में महाप्रबंधक के पद को भर दिया गया है । गुहाटी और मेघालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ।

(ङ) आयात की आवश्यकताओं को न्यूनतम करने की दृष्टि से कोकिंग कोल के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. लागत में कोकिंग कोयले की परियोजनाएं उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त कर रही हैं ।

2. धुला हुआ कोकिंग कोल (डायरेक्ट फीड सहित) का उत्पादन वर्ष 1991-92 के 10.50/- मि० टन की अपेक्षा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 में बढ़ाकर 13.97 मिलियन टन किए जाने का प्रस्ताव है ।

3. धुली हुई कोकिंग कोयले की प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण तथा नई वाशरियों का निर्माण किया जा रहा है ।

4. कोकिंग कोयले के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं ।

5. कोकिंग कोल के उत्पादन की देखभाल सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर की जा रही है ।

आई० सी० ए० आर० में रिक्त पद

2401. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० ए० आर० के महानिदेशक और आई० सी० ए० आर० संस्थान के प्रमुख के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, भा० कृ० अ० परिषद् के कुछ संस्थानों में निदेशक के पद खाली पड़े हुए हैं ।

(ख) इसका कारण सेवानिवृत्ति त्यागपत्र और तबादला आदि हैं ।

(ग) जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है ।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए धन का आवंटन

2402. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवां पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धन का आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, योजना के दौरान आवंटन निम्न प्रकार से है :

योजना	आवंटन
	(करोड़ रु० में)
चौथी योजना	85.00
पांचवीं योजना	153.56
छठी योजना	340.00
सातवीं योजना	425.00

(ख) और (ग) अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित आवंटन के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2403. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप संयंत्र की कार्यक्षमता में पिछले 6-7 महीनों के दौरान सुधार हुआ है तथा इसने परिचालन पर लाभ कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य मार्च, 1993 तक पूरा किया जाना है। इस समय-सूची का पुनः निर्माण की

जाने वाली तीन में से एक धमन भट्टी को छोड़कर शेष में पालन किए जाने की संभावना है, शेष एक के दिसम्बर, 1993 तक पूरा होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) हालांकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज का कार्य प्रगति पर है और इसलिए इस चरण पर आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार का प्रश्न नहीं उठता, फिर भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने सामान्यतः अपने प्रचालन में सुधार किया है । जिससे चालू वर्ष के दौरान उत्पादन की मात्रा और तकनीकी आर्थिक कार्य में सुधार हुआ है ।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कन्वर्सन यूनिट्स/एजेंट्स

2404. **श्री मोहन सिंह** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड द्वारा नियुक्त कन्वर्सन यूनिटों/एजेंटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन यूनिटों/एजेंटों को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई की जा रही है;

(ग) उनके उत्पादों के वितरण के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या "सेल" और राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड द्वारा अपनी शर्तों के साथ कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे कन्वर्सन एजेंटों को नियुक्ति की शर्तों सहित उनको नियुक्त करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अब तक विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 98 और 28 कन्वर्सन एजेंट नियुक्त किए हैं ।

(ख) कन्वर्सन एजेंटों को कच्चे माल की सप्लाई स्वीकृत कन्वर्सन अनुपातों के अनुसार और समय-समय उपलब्धता के आधार पर की जाती है, न कि वार्षिक आधार पर । चालू वर्ष के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा अपने-अपने कन्वर्सन एजेंटों को पुर्नवेलन योग्य माल की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गयी :

उत्पादक	सप्लाई की गई मात्रा (हजार टन)	अवधि
(i) सेल	71	अप्रैल-सितम्बर 1991
(ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	53	अप्रैल-अक्टूबर, 1991

(ग) परिवर्ति उत्पादों की सप्लाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुमार सरकारी विभागों उपक्रमों और अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं को की जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नही उठता ।

(च) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० द्वारा कन्वर्सन एजेंटों की नियुक्ति खुली निविदा प्रणाली जरिए की जाती है । निविदा सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच एक समिति द्वारा की जाती है जिसकी सिफारिशें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यक) द्वारा अनुमोदित की जाती हैं ।

10 विभिन्त अंचलों के आंचलिक प्रबन्धकों को प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर कन्वर्सन एजेंट नियुक्ति करने के लिए सेल द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ।

कन्वर्सन एजेंटों की नियुक्ति के लिए पात्रता में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं :—

(i) सम्बन्धित प्रायोजन प्राधिकारी के यहां पंजीकरण

(ii) आई० ए० आई०/बी० एस० आई० के प्रमाण-पत्र

(iii) तकनीकी क्षमता

(iv) वास्तविक सुविधाएं

(v) वित्तीय स्थिति

(vi) बाजार में स्थिति ।

[हिन्दी]

भारतीयों की खाड़ी देशों को वापसी

2405. **श्री मोहन सिंह** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुवैत तथा अन्य खाड़ी देशों को लौट चुके भारतीयों की, देशवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस समय कुवैत में कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) अनुमान है कि हमारे लगभग 60,000 राष्ट्रिक अब तक कुवैत वापस जा चुके हैं। इराक के मामले में यह संख्या लगभग 120 है। खाड़ी क्षेत्र के किसी अन्य देश से भारतीय राष्ट्रिकों के स्वदेश वापिस नहीं लाया गया था।

(ख) अनुमान है कि इस समय कुवैत में 63,000 भारतीय काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में आदिवासियों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2406. **श्री कड़िया मुण्डा** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में आदिवासी लोगों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आबन्टित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में आदिवासी लोगों को पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंन्टित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2 % आरक्षण के लिए तेल उद्योग द्वारा इस समय 100 प्वाइन्ट रोस्टर का अनुपालन किया जा रहा है जिसमें केवल दिल्ली में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार

2407. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** :

क्या **इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में श्रेणीवार कितने लोगों को रोजगार दिया गया;

(ख) उनमें से स्थानीय लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटे के अनुसार उनकी नियुक्तियां की जाती हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक
1988	161	2053
1989	296	2228
1990	463	1920
1991 (31.10-91 को)	109	1752

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर्मचारियों से सम्बन्धित आंकड़े मूलनिवास अथवा जन्म स्थान के आधार पर नहीं रखे जाते ।

(ग) 31-10-91 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :—

ग्रुप	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	2081	22	35
ख	372	48	5
ग	8395	1257	332
घ	1707	272	125
ङ (सफाई कर्मचारी)	106	32	4

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों के लिए

आरक्षण से सम्बन्धित नीति का पालन किया जा रहा है। तथापि, अ०जा०/अ०ज०जा० के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पद भरे नहीं जा सके जिससे कुछ रिक्तियां हैं। इन श्रेणियों में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों से पिछली रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विशाखापत्तनम में स्पंज लौह परियोजना

2408. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विशाखापत्तनम में स्पंज लौह परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम तेल शोधक परियोजना की लागत में वृद्धि

2409. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तेल शोधक परियोजना की लागत में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 1259 करोड रुपए (जुलाई, 1990 का मूल्य) के मूल अनुमान के प्रति असम रिफाइनरी की इस समय लागत अनुमानत: लगभग 1799 करोड़ रुपए (जुलाई, 1991 के मूल्य) हैं। लागत में वृद्धि के कारण जुलाई, 1990 से सामान्य मूल्य वृद्धि और रुपए का अवमूल्यन इत्यादि।

वानिकी

2410. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वे कृषक कृषि की अपेक्षा वानिकी अपनाएं जिनकी जमीन कृषि के लिए अनुपयोगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वानिकी, कृषि के लिए अनुपयोगी जमीन के लिए अनुशंसित उपायों में से एक है। नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबन्ध, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना इत्यादि जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं वानिकी को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल की नेपाल यात्रा

2411. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंत्रिमण्डल सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने नेपाल की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो नेपाली नेताओं के साथ उनकी बातचीत में किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां। भारत-नेपाल उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों के लिए मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने 3 से 5 अगस्त से 8 और 10 अक्तूबर, 1991 तक नेपाल की यात्रा की जिसमें विदेश सचिव, वित्त सचिव और वाणिज्य सचिव शामिल थे।

(ख) भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के अनिवार्यता प्रदान करते हुए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, जिसमें भारतीय पक्ष की ओर से मंत्रिमण्डलीय सचिव ने और नेपाल पक्ष की ओर से मुख्य सचिव ने अध्यक्षता की थी, ने उद्योग और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में, जल-संसाधन विकास के प्रमुख क्षेत्र में व्यापार पारगमन क्षेत्र में, तस्करी को

नियंत्रित करने के क्षेत्र में, कृषि, शिक्षा, नागर विमानन, पर्यटन आदि के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की।

(ग) उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय सहयोग के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन्हें भारत नेपाल संयुक्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसकी बैठक 4 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हो रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में दुग्ध उत्पादन

2412. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध की मांग और आपूर्ति में अन्तर बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : दिल्ली में दूध की अनुमानित दैनिक मांग लगभग 20-25 लाख लीटर प्रतिदिन है। दिल्ली दुग्ध योजना एवं मदर डेरी संयुक्त रूप से प्रतिदिन लगभग 10.5 लाख लीटर दुग्ध की आपूर्ति करते हैं। शेष मांग की पूर्ति कुछ पड़ोसी राज्यों के सहकारी संघों एवं संगठित तथा असंगठित क्षेत्र को निजी एजेन्सियों द्वारा की जाती है।

(ख) पड़ोसी राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, डेरी विकास, पशु विकास, चारा विकास और पशुधन स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वियन करके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वियतनाम में तेल की खोज सम्बन्धी कार्यकलाप

2413. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1988 से वियतनाम में तेल खोजने का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक वर्ष वार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कितना खर्च किया है;

(ग) इस कार्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को वियतनाम में अब तक वर्षवार कुल कितनी आमदनी हुई है;

(घ) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को वियतनाम में तेल की खोज सम्बन्धी कार्यकलापों में विदेशी भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो भागीदारी की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड ने अब तक 4112.10 लाख रुपया खर्च किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

	(लाख रुपए में)
1988-89	119.11
1989-90	841.43
1990-91	2651.56
1991-92	500.00
(अक्तूबर, '91 तक)	4112.10

(ग) शून्य।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने सम्भावित साझेदारों के साथ वार्ता कर रहा है।

धनबाद शहर के धंसने का खतरा

2414. **श्री छेदी पासवान** :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद शहर के धंसने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनबाद जिले के अधिकारियों को इस खतरे की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्सन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) नी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली में रसोई गैस की एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण

2415. **श्री छेदी पासवान** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और रसोई गैस की एजेंसियों का आवंटन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे को को भरने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मत्स्यन बन्दरगाह

2416. **श्री सुधीर सावन्त** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रतट के निकट रहने वाले अनेक मछुआरे अपने पोत्तों को ठहराने की सुविधा के बिना ही मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मत्स्यन बन्दरगाहों को विकसित करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) महाराष्ट्र तट के किनारे कितने मत्स्यन बन्दरगाह विद्यमान हैं और निर्माणाधीन मत्स्यन बंदरगाहों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ में आनन्दवाड़ी परियोजना का विकास किए जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य और संघ शासित प्रदेश की सरकारों को लघु मात्स्यिकी बन्दरगाह और मछली उतारने के केन्द्रों के विकास हेतु लागत के 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान देकर सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत लागत का वहन करके चयनित पत्तनों पर बड़ी मात्स्यिकी बन्दरगाहें भी स्थापित करती है।

(ग) महाराष्ट्र के समुद्र तट पर एक लघु मात्स्यिकी बंदरगाह तथा 29 मछली उतारने के केन्द्र चालू किए गए हैं। सैसून गोदी, बम्बई पर बड़ा मात्स्यिकी बंदरगाह दिसम्बर, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है। सुरजेकोर्ट में एक मछली उतारने का केन्द्र निर्माणाधीन है।

(घ) महाराष्ट्र की राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

मछुआरों को नमक की आपूर्ति

2417. **श्री सुधीर सावंत** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र के अछुआरों को अपनी मछलियां सुखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमक नहीं मिल रहा है और नमक का मूल्य बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो मछुआरों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में नमक की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीर सरकार को मछली सुखाने के नमक को अपर्याप्त उपलब्धि या नमक के ऊंचे मूल्य की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शन

2418. **श्री बलराज पासी :**

श्री भुवन चंद्र खंडूरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए जिलावार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग और नया गैस संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1-10-91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा सूची में 16·37 लाख व्यक्ति थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने के प्रयत्न जारी है।

[अनुवाद]

दालों का उत्पादन

2419. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

श्री बी० देवराजन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय दालों का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम है;

(घ) वर्ष 1990 में देश में प्रति व्यक्ति कितनी दाल उपलब्ध थी;

(ङ) देश में दालों की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) दाल उत्पादक अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में दालों की प्रति हेक्टेअर पैदावार कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान दालों का अनुमानित उत्पादन 14.06 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) जी, हां।

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए 1990-91 के दौरान 7,91,953 मीटरी टन का आयात किया गया था।

(घ) 1990 (कैलेण्डर वर्ष) के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 36.5 ग्राम प्रतिदिन (अनन्तिम) थी।

(ङ) राज्यवार क्षेत्र का संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) अपने देश और विश्व के अन्य देशों में दालों की पैदावार का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दालों के तहत आने वाले क्षेत्रों का प्राक्कलन—1990-91

क्षेत्र 000 हेक्टेयर में

राज्य	तुर	अन्य खरीफ दालें	चना	अन्य रबी दालें	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	344·8	523·6	92·8	674·9	1636·1
असम	7.2	—	3·2	103·0	113·4
बिहार	66·0	192·8	168·0	759·7	1186·5
गुजरात	401·9	351·7	170·2	7·0	931·6
हरियाणा	52·3	11·1	650·0	18·8	732·2
उड़ीसा	162·9	503·8	45·6	1320·3	2032·6

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	0·5	33·2	3·4	6·2	43·3
जम्मू और कश्मीर	—	35·1	1·0	2·7	38·8
कर्नाटक	462·4	652·3	229·2	139·2	1483·1
केरल	0·2	5·8	—	18·5	24·5
मध्य प्रदेश	461·8	929·9	2355·5	1051·1	4788·3
महाराष्ट्र	1007·6	1456·4	672·9	120·4	3257·3
पंजाब	13·6	58·4	60·7	13·7	146·4
राजस्थान	37·4	1956·0	1652·8	30·8	3685·6
तमिलनाडु	118·6	741·6	7·9	—	868·1
उत्तर प्रदेश	461.8	252·8	1269·6	1018·5	3009·0
पश्चिम बंगाल	5·8	98·3	25·6	226·9	356·6
अन्य	4·2	26·5	1·8	21·7	54·2
अखिल भारत :	3615·3	7829·3	7410·2	5542·2	24397·0

विवरण-II

प्रमुख उत्पादक देशों में कुल दालों की प्रति हैक्टे० पैदावार

(कि० ग्रा०/हैक्टे०)

देश		1987	1988	1989
1	2	3	4	5
	विश्व	806	808	828
1.	मिश्र	2,688	2,715	2,699
2.	इथियोपिया	686	756	757
3.	नाइजीरिया	411	807	731
4.	कनाडा	1,543	979	1,262
5.	मैक्सिको	628	560	661
6.	संयुक्त राज्य अमरीका	1,745	1,713	1,660

1	2	3	4	5
7.	ब्राजील	382	486	472
8.	बंगलादेश	717	731	729
9.	चीन	1,296	1,170	1,203
10.	पाकिस्तान	517	449	464
11.	थाईलैंड	721	800	785
12.	तुर्की	1,052	1,037	900
13.	डेनमार्क	2,547	3,468	3,461
14.	फ्रांस	4,053	4,896	4,127
15.	पोलैंड	1,709	1,665	1,595
16.	आस्ट्रेलिया	1,222	924	1,076
17.	यू० एस० एस० आर०	1,541	1,379	1,526

स्रोत— खाद्य एवं कृषि संगठन, उत्पादन वर्ष बुक—1989

	1988-89	1989-90 (संशोधित)	1990-91 (अन्तिम)
भारत	598	549	576

कृषि विज्ञान केन्द्र

2420. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हगारी में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक खोला जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में प्रचार

2421. **श्री पवन कुमार बंसल :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रचार को उचित महत्व न दिए जाने के कारण विदेश में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न मामलों में भारत के मत को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों का उपयोग करने तथा उनसे सम्पर्क स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) . (क) और (ख) जी नहीं। इसके विपरीत, विदेश मंत्रालय अपने विदेश प्रचार प्रयासों के जरिए दिपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की स्थिति और हित-चिन्ताओं को प्रस्तुत करने में सफल रहा है। इससे इन मसालों पर भारत की नीति के प्रति संसार भर में जागरूकता बढ़ी है।

(ग) और (घ) जी हां। विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोग स्थानीय समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं और विदेश मंत्रालय की बराबर यही कोशिश रहती है कि उन लोगों के साथ जितना नजदीक सम्बन्ध हो सके उसे बनाया जाए ताकि भारत से सम्बद्ध घटनाओं की उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को ध्यान में रखकर पहले से ही एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें भारत के सम्बन्ध में विचार गोष्ठियों, बैठकों के आयोजन के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सामग्री के वितरण की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों की पहल कदमियों से अनिवासी भारतीयों को अवगत कराने के लिए सिंगापुर में अक्तूबर, 1991 में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था जो बहुत ही सफल रही। भविष्य में ऐसी बहुत-सी पहल कदमियों की योजना है।

पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद

2422. **श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास जल विवाद सहित नदी जल के बंटवारे के सम्बन्ध में लम्बित विवाद को निपटाने हेतु कोई नई पहल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय सम्बन्धित राज्यों को विश्वास में लिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) पंजाब और हरियाणा के बीच लम्बित नदी जल विवाद केवल रावी व्यास जल विवाद है जो 2-4-1986 को अन्तर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित अधिकरण को भेजा गया है। अधिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सम्बन्धित राज्यों और केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण तथा मार्ग दर्शन मांगा है।

हरियाणा में घाघरा नदी पर बांध का निर्माण

2423. **श्री पवन कुमार बंसल** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में चण्डीगढ़ के निकट घाघरा नदी पर पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गयी है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या उक्त बांध से चंडीगढ़ क्षेत्र की संपूर्ण पानी की भावी आवश्यकताएं पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस बांध के निर्माण के बाद हरियाणा, दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी देने की स्थिति में होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चण्डीगढ़ शहर को जल आपूर्ति लाभ प्रदान करने के लिए घग्गर नदी पर हरियाणा में एक बांध का निर्माण शुरू करने के वास्ते चण्डीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा राज्य से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) अपेक्षित विस्तृत जांच करने के लिए केन्द्र द्वारा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया है।

(घ) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि घग्गर बांध से दिल्ली को लाभ पहुंचने की सम्भावना नहीं है।

रसोई गैस एजेंसी आबंटित करने के लिए शैक्षिक योग्यता

2424. **श्री पवन कुमार बंसल** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों को रसोई गैस एजेंसी आबंटित करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने-कितने युवकों को रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार. युवकों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

2425. **श्री रवि राय** :

श्री हरिभाई पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान संयुक्त आयोग की हाल ही में तेहरान में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या उनकी ईरान यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर ईरान के नेताओं के साथ कोई बातचीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उनकी वार्ता के दौरान काश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 10-12 नवम्बर, 1991 को तेहरान में बैठक हुई।

(ख) इस बैठक में व्यापार और आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, कोंसली, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान वर्ष 1992-94 के दौरान एक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, और तकनीकी आदान प्रदान कार्यकारी कार्यक्रम, कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और कोंसली मामलों पर एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न हुआ।

(ग) जी हां।

(घ) इस बातचीत से भारत-ईरान सम्बन्धों को औरसम्बन्धित करने तथा विकसित करने का आधार स्थापित हुआ है।

(ङ) जी हां।

(च) ईरानी पक्ष ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का आन्तरिक मसला है और उन्होंने भारत की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थाई समिति की स्थापना

2426. **श्री एन० डेनिस :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति कार्यान्वियन हेतु राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थाई समिति की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय जल नीति को विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाए।

सोवियत संघ के मान्यता प्राप्त नए स्वतन्त्र राज्यों में राजदूतों की नियुक्ति

2427. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ के मान्यता प्राप्त नए स्वतन्त्र राज्यों में राजदूतों की नियुक्ति कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार ने मान्यता प्राप्त नए स्वतन्त्र राज्यों-एस्तोनिया, लात्विया और लिथुआनिया में निकटवर्ती देशों से सह-प्रस्थान के आधार पर राजदूत नियुक्त करने का निर्णय किया है। प्रस्तावित नियुक्तियों के लिए इन राज्यों से अभी सहमति प्राप्त होनी है।

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

2428. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 16 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की पहली छमाही के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा दिए गए आशय पत्रों की समीक्षा कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) डीलरशिप के लिए दिए गए आशय पत्र पुनरीक्षाधीन हैं ।

[हिन्दी]

हरियाणा में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

2429. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के हिसार, जींन्द, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, पानीपत तथा करनाल जिलों में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने बिक्री केन्द्र व एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित की गई हैं; और

(ग) 1991-92 के दौरान इन जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जिलावार कितनी ऐसी एजेंसियां और विक्रय केन्द्र आबंटित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 216 खुदरा बिक्री केन्द्र और 47 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप ।

(ख) 7 खुदरा बिक्री केन्द्र और 12 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप ।

(ग) वर्तमान रोस्टर प्रणाली के आधार पर किसी भी प्रस्तावित आबंटन का 25% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। यह आरक्षण राज्यवार किया जाता है न कि जिलावार।

[अनुवाद]

इंग्लैंड में भारतीय उग्रवादियों के संगठन

2430. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंग्लैंड ने हाल ही में उस देश में रहकर कार्य करने वाले भारतीय उग्रवादियों के संगठनों से प्रभावशाली ढंग से निपटने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटिश सरकार से अपने क्षेत्र के भीतर उग्रवादी कार्यवाही चला रहे भारतीय उग्रवादी इकाइयों के निपटने के लिए हाल ही में कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। यह बात निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होती है :

1. 24 जुलाई, 1991 को गुरशरण सरकारिया, सुप्तल बींजी और परमजीत सिंह नामक तीन सिख आतंकवादियों को क्रमशः 15 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष की सजा देना;

2. कर्मजीत सिंह चल चहल के विरुद्ध 25 जुलाई, 91 को प्रत्यावर्तन के आदेश जारी करना;

3. बब्बर खालसा, फ्रांस के सिंघाड़ा सिंह मान, जिसे यू० के० में सिख आतंकवादियों की एक बैठक में भाग लेना था, के निष्कासन का आदेश देना;

4. इन्द्रजीत सिंह रैयत की कनाडा वापसी;

5. गुरुद्वारा कोष के दुरुपयोग की संभावना को सीमित करने के लिए चैरिटी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से कार्यान्वयन।

व्यर्थ जलायी जा रही गैस का उपयोग

2431. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के प्रारम्भ में, कितनी मात्रा में गैस को व्यर्थ जलाया गया था;

(ख) 1991 के प्रारम्भ में, विभिन्न प्रयोजनाओं के लिए कितनी मात्रा में गैस का उपयोग किया गया था;

(ग) व्यर्थ जलायी जा रही गैस का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू वर्ष में तथा आठवीं योजना के लक्ष्य प्राप्ति हेतु इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जनवरी, 1991, के दौरान प्रतिदिन औसत 13·61 मिलियन मानक घन मीटर गैस का दहन किया गया।

(ख) जनवरी, 1991 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगभग 39·7 एन० एम० एस० सी० एम० डी० गैस उपयोग में लाई गई :

	(एम० एम० एस० सी० एम० डी०)
(1) उर्वरक	18·12
(2) बिजली	11·04
(3) अन्य इस्तेमाल (अतिरिक्त इस्तेमाल सहित)	10·54

(ग) और (घ) दहन की जा रही गैस के उपयोग में वृद्धि करने के लिए गुजरात में कम दाब वाले गैस के संपीड़न और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में गैस के संपीड़न और परिवहन की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। असम में डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की स्थापना में तेजी लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद को सह देना

2432. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 30 सितम्बर, 1991 को न्यूयार्क में पाकिस्तान के विदेश राज्य मन्त्री के साथ अपनी बेठक में पाकिस्तान से कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद को सह देने और विद्रोह को रोकने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने वास्तविक और व्यावहारिक नजरिए से द्विपक्षीय संबंधों को नया रूप देने और दोनों देशों के बीच के सभी मुद्दों के समाधान की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में पेट्रोल/डीजल के नये खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना

2433. **श्री मृत्युंजय नायक** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में पेट्रोल/डीजल के नये बिक्री केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम हैं, जहां इन्हें लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) विभिन्न क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र अनुमोदित विपणन योजनाओं, उपलब्ध उत्पादों इत्यादि के आधार पर खोले जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटन के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है।

[अनुवाद]

व्यापक फसल बीमा योजना

2434. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को दी गई सुविधाओं और इस योजना के उचित कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक और जिला स्तर पर गठित निगरानी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गढ़वाल क्षेत्र के किसानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत गढ़वाल क्षेत्र के किसानों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि वे प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित होते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वृहत फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन और दाल की फसल उगाने वाले ऋण लेने वाले कृषकों के फसलों को कवर किया जाता है। बीमाकृत धनराशि प्रति कृषक के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक सीमित है।

कार्यान्वियनकारी राज्यों में विभिन्न स्तरों पर वृहत फसल बीमा योजना का उचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसमें राज्य सरकार, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति वृहत फसल बीमा योजना के क्रियान्वियन को मानिटरिंग करती है और राज्य फसल बीमा कोष की व्यवस्था भी करती है। बीमाकृत फसलों के लिए वितरित फसल ऋणों की देख-भाल और मानिटरिंग करने की जिम्मेदारी ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों की है। बीमाकृत फसलों की क्षति का आकलन प्रत्येक मौसम के अंत में आयोजित फसल कटाई प्रयोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य बीमा निगम को दिए गए पैदावार संबन्धी आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वृहत फसल बीमा योजना के तहत योजना को किसी भी क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्वतन्त्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1-4-90 के बाद से गढ़वाल क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र में वृहत फसल बीमा योजना का कार्यान्वियन न करने का विकल्प दिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालयों में और अधिक परिसरों की स्थापना

2435. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में किन-किन स्थानों पर गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के परिसरों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या पौड़ी और चमोली जिलों में और अधिक परिसरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, टिहरी गढ़वाल जिले के रानीचौरी में गोविन्द वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का एक प्रशिक्षण परिसर है।

(ख) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में समुद्र तट पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

2436. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु समुद्र-तट पर तेल और गैस का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी अरकोट, नागापट्टिनम कँद.ए-मिलेथ और रामनाड तटीय जिलों में अन्वेषण ड्रिलिंग जारी है। सुदूर तंजाबूर और पुडुकोट्टई जिलों में भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इसकी खोज की जा रही है। अभी तक, 9 आयल और गैस की खोजें हुई हैं।

राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे

2437. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में कुछ राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले नौ महीनों के दौरान, राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल जल संसाधन आयोग की बैठकें

2438. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल जल संसाधन आयोग की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और पिछली तीन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए;

(ख) क्या कोसी और तिपाई मुख बंध परियोजनाओं में कार्यान्वियन के लिए जापान से कोई वित्तीय सहायता मांगी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिसम्बर, 1988 तथा अप्रैल, 1991 में दो बैठकें आयोजित की गई हैं। पंचेश्वर परियोजना के लिए परियोजना परिभाषा रिपोर्ट के लिए कार्य करने तथा करनाली परियोजना के वास्ते अतिरिक्त अध्ययन पूरे करने की सहमति हुई है। यह भी सहमति हुई है कि कमला, बागमती, लाल बकईया और खांदो नदियों पर सीमा पर तटबंधों का विस्तार दोनों देशों में किया जा सकता है।

(ख) से (घ) भारत ने जापान के विश्वस्तरीय अवसंरचना निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए कोसी उच्च बांध परियोजना और तिपाई मुख उच्च बांध परियोजना नामक दो परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत प्रस्तुत की है। नेपाल और भारत कोसी परियोजना से लाभ प्राप्त करेंगे तथा भारत और बंगला देश तिपाई मुख परियोजना से लाभ प्राप्त करेंगे।

[अनुवाद]

जल संसाधन परियोजनाओं पर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउण्डेशनकी अंतर्राष्ट्रीय योजना बैठक

2439. **श्री मुकुल बालाकृष्ण वासनिक :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउण्डेशन की विश्व की जल संसाधन परियोजनाओं की अवसंरचना पर चर्चा के लिए पहली बैठक 17-20 अक्टूबर, 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जार्जिया में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भारत द्वारा प्रस्तावित जल संसाधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्वस्तरीय अवसंरचना स्थापना का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 से 20 अक्तूबर, 1991 तक अटलान्टा, जार्जिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था।

(ख) प्रस्तावित दो परियोजनाएं कोसी उच्च बांध परियोजना तथा बराक बांध परियोजना (तिपाई मुख बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है) हैं।

कोसी उच्च बांध परियोजना में बराक क्षेत्र के लगभग 1·6 किलोमीटर प्रतिप्रवाह पर कोसी नदी पर 269 मीटर ऊंचे एक बांध तथा नेपाल में चत्रा गांव के समीप 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर एक बराज के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। यह परियोजना भारत और नेपाल दोनों को जल विद्युत, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण लाभ प्रदान करेगी। वर्ष 1981 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 4074 करोड़ रुपए है।

बराक बांध परियोजना में बराक नदी पर 161 मीटर ऊंचे तथा 390 मीटर लम्बे राकफिल बांध और तिपाई मुख बांध के लगभग 100 किलोमीटर अनुप्रवाह पर फुलरतल के समीप एक बराज के निर्माण की परिकल्पना की गयी है यह परियोजना भारत और बंगलादेश के अनुप्रवाह के निम्न स्तरीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल निकास की समस्या को पर्याप्त रूप से कम करेगी। वर्ष 1988 के मूल्य स्तर पर बराक बांध फुलरतल के समीप बराज पर क्रमशः 1316 करोड़ रुपए तथा 270 करोड़ रुपए व्यय होने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

गुजरात के तेल के कुओं में आग

2440. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ोंच जिले में गंधार गांव के तेल के कुओं की आग बुझा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो आग से कुल कितना नुकसान हुआ और आग बुझाने पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) अनुमान लगाया है कि करीब 4,00,000 घन मीटर सम्बद्ध गैस सहित करीब 400 टन कच्चे तेल का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है।

(ग) चोरी होना आग लगने का संभावित कारण है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने यह बताया है कि निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन

2441. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जामनगर शहर और जिले में कितने लोग रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) उन्हें रसोई गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ग) 1989 और 1990 के दौरान इन स्थानों पर रसोई गैस के वर्षवार कुल कितने कनेक्शन दिए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जैसा कि तेल कम्पनियों में बताया है कि जामनगर जिले में करीब 16470 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं तथापि, अधिकतम आवेदकों को यथा शीघ्र एल० पी० जी० कनेक्शन देने के प्रयास जारी हैं।

फसल बीमा योजना

2442. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को क्षति पूर्ति स्वरूप देय दावों की कुल राशि कितनी रही; और

(ख) अब तक इन किसानों के कितने दावों का भुगतान कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौराम बृहत-फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात के किसानों को देय क्षतिपूण दावों की कुल राशि (14-11-91 को) निम्नलिखित है :—

वर्ष	अदा किए जाने वाले दावे (लाख रुपए में)
1988-89	113.83
1989-90	थ98.89
1990-91	8732.36
कुल :	9545.36

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा सम्बन्धित कृषकों को उपर्युक्त देय दावों में से अब तक 812.72 लाख रुपए के दावों का भुगतान कर दिया गया है।

म्यानमार में एस० एल० ओ० आर० सी० द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन

2443. **श्री चित्त बसु :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यानमार में मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस देश में लोकतन्त्र की बहाली के लिए अंतर्राज्जीय जनमत जुटाने हेतु इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी): (क) जी हां।

(ख) जी हां। हम संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को उठाने के लिए एक संकल्प सह-प्रायोजित कर रहे हैं जिसमें म्यानमार में वर्तमान दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति तथा इसके साथ-साथ उस देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित पहलू होंगे।

(ग) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि का विकास

2444. **श्री राम शरण यादव :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार ने कृषि-विकास के लिए कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों की मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बिहार सरकार से कृषि विकास के बारे में प्राप्त हुए मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित के बारे में थे :—

(1) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में जैव-उर्वरक उत्पादन एकक की स्थापना।

(2) ब्लाक स्तर पर नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करना।

(3) कृमियों और रोगों पर नियन्त्रण।

(4) गौण फलों, नर्सरियों, पान की बेल की खेती तथा मरवाने की खेती और प्ररिसंस्करण का विकास।

(5) 21 प्राथमिक सहकारी विपणन सोसायटियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत करना, समेकित सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना, संजय गांधी सहकारी बुनकर कताई मिलों के लिए शेयर पूंजी सहायता ग्रामीण गोदामों का निर्माण, मात्स्यिकी सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता।

(6) पठारी क्षेत्र का विकास, जिसमें लघु पन परियोजना के लिए प्रस्ताव शामिल है।

(7) लवण से प्रभावित मृदा का सुधार।

(ख) कृमियों और रोगों के नियन्त्रण के लिए योजना के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जा चुका है। इस मामले में राज्य सककार से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कोयला खान परियोजनाएं

2445. **श्री पी० एम० सईद** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने कोयला खान परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब से शुरू होने और पूरा किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से सरकार ने उड़ीसा में निम्नलिखित कोयला खान परियोजनाओं को पूरा किया है तथा चालू परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	परियोजनाओं के नाम तथा क्षमता	कोयला क्षेत्र	स्वीकृत लागत (करोड़ रु० में)	स्थिति/उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावित तारीख
1.	लिंगराज ओ० का० (5 मि० ट० प्र० वर्ष)	तालचेर	229.84	मार्च, 1997
2.	अनन्ता ओ० का० (4 मि० ट० प्र० वर्ष)	तालचेर	156.49	मार्च, 1995
3.	बेलपहार ओ० का० (2 मि० ट० प्र० वर्ष)	ईब घाटी	57.38	खान अपनी निर्धारित क्षमता पर 1989-90
4.	लाजकुरा ओ० का० (1 मि० ट० प्र० वर्ष)	ईब घाटी	38.98 (सं० ला० आ०)	पूरी हुई
5.	भरतपुर (3.50 मि० ट० प्र० वर्ष)	तालचेर	158.97 (सं० ला० अ०)	पूरी हुई
6.	जगननाथ ओ० का० प० (विस्तार) (2 मि० ट० प्र० वर्ष)	तालचेर	29.89	पूरी हुई

उपर्युक्त 6 परियोजनाओं में से बेलपहाड़ ओपनकास्ट, लाजकुरा ओपनकास्ट, भरतपुर ओपन-कास्ट, और जगन्नाथ ओपनकास्ट (विस्तार) कोयले का उत्पादन कर रही हैं। लिंगराज ओपनकास्ट तथा अनन्ता ओपनकास्ट से चालू वर्ष 1991-92 के दौरान कोयले के उत्पादन में योगदान देने की सम्भावना है।

उपर्युक्त के अलावा कोयला कम्पनी ने प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत 5 और परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, अर्थात् 3 परियोजनाओं को तलचर में और 2 परियोजनाओं को ईब घाटी में।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

2446. **श्री पी० एम० सईद :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना पर कार्य चल रहा है;

(ख) क्या इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "दल-एल वर्निग आन एस० वाई एल० कंस्ट्रक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) परियोजना के मुख्य इंजीनियर तथा अधीक्षक इंजीनियर के मारे जाने के कारण सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना पर निर्माण कार्य जुलाई, 1990 में रुक गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार सम्पर्क नहर को शीघ्र पूरा करना चाहती है क्योंकि यह हरियाणा और पंजाब दोनों को लाभ पहुंचाएगी।

अन्तर्देशीय मत्स्य पालन का विकास

2447. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में अन्र्देशीय मत्स्य पालन के विकास हेतु नयी योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। केरल में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में अन्तर्देशीय मत्स्यकी के विकास की पर्याप्त गुजांइश है।

[हिन्दी]

नारियल की खेती

2448. **श्री गोविन्द राव निकाम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल की खेती करने वाले अधिकतर किसान छोटे किसान हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने छोटे किसानों को नारियल की खेती आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अब तक क्या कदम गठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों में नारियल से सम्बन्ध उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड तीन वार्षिक किस्तों में 3000/ रुपए प्रति हैक्टेयर की राज सहायता प्रदान करके छोटे और सीमान्त कृषकों की जोती में नारियल के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 65,000 छोटे और सीमान्त कृषकों को लाभ मिला है। इस बोर्ड ने सिंचाई पम्प सेटों की स्थापना के लिए 1000/ रुपए प्रति यूनिट की दर से राज सहायता देकर अब तक 7050 नारियल उत्पादकों, मुख्य रूप से छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता दी है। बोर्ड द्वारा केरल में, नारियल की छोटी जोतों में एकीकृत कृषि की एक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) नारियल संसाधन उद्योग की आधुनिक रूप से बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड, परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर उद्यमियों को पूंजी लागत के 25 प्रतिशत की दर से या एक लाख रुपए, जो भी कम हों की सहायता उपलब्ध करता है। कच्चे नारियल, नारियल पानी, कोकोनट शैल तथा लकड़ी के संसाधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उद्यमियों को भी सहायता दी जाती है। तथापि, नारियल विकास बोर्ड की कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों में नारियल से सम्बद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित करना

2449. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी ग्रिड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना अनुमानतः कब तक हो जाने का अनुमान है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परन्तु राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और मांग

2450. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और मांग में बहुत अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1991 तक का तत्सम्बन्धः ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए उठाए गए या उठाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करके कमी को पूरा किया जाता हैं ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तराल को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में हैं :—

(1) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन से जुड़े कार्यलापों को तेज करना;

(2) ग्रास रुट रिफाइनरियों की स्थापना और वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तारण; और

(3) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपायों को उच्च प्राथमिकता देना ।

श्रीराम सागर और श्रीसैलम राइट बैंक कैनाल उत्तरी तट नहर परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण

2451. **श्री जे० चोक्का राव** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर और श्रीसैलम राइट बैंक कैनाल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया क्षण अगले दो वर्षों में व्ययगत हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। श्रीराम सागर और श्रीसैलम दायां शाखा नहर सिंचाई स्कीमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "दूसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना" के घटक हैं। जून, 1994 तक प्रतिपूर्ति के लिए विश्व बैंक समझौते के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध होगी। यदि सम्पूर्ण ऋण की राशि का उपयोग करने के वास्ते परियोजना पर कार्य की प्रगति पर्याप्त नहीं है तो विश्व बैंक से क्रेडिट समाप्त करने की तारीख बढ़ाने के लिए कहा जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तटबन्धों का विकास

2452. **श्री जे० चोक्का राव** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सम्बन्धित परियोजनाओं के क्षेत्र में तटबन्धों का विकास न होने की वजह से विभिन्न प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न अधिकांश क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश की श्रीरामसागर परियोजना भी परियोजनाओं में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के तटबन्धों के विकास हेतु राज्य सरकारों पर जोर डालने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि अयाकट के विकास के अलावा, क्षमता के उपयोग में विलम्ब के अन्य कारण कमान के भीतर किसानों द्वारा बेहतर जल प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाने से सम्बन्धित है।

(ख) श्रीराम सागर परियोजना ने वर्ष 1989-90 तक 253.42 हेक्टेयर क्षमता विकसित की है और उपयोग 228.76 हजार हेक्टेयर है जो लगभग 90 प्रतिशत है।

(ग) भारत सरकार आन फार्म गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधिक योजना आबंटन करने तथा उन्हें समय पर पूरा करने हेतु राज्य सरकार पर दबाव डालती रही है। बेहतर जल प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाने, अनुकूली परीक्षण करने, किसानों को प्रशिक्षण देने, पाइप समितियां गठित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

[हिन्दी]

देश में मिट्टी के तेल और डीजल की मांग

2453. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान मिट्टी के तेल और डीजल की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(ख) मिट्टी के तेल और डीजल का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया पेट्रोलियम के भण्डारों से इनकी कुल कितनी मात्रा उपलब्ध हुई; और

(ग) देश में मिट्टी के तेल और डीजल की कुल उपलब्धता की तुलना में इनकी कुल मांग का ब्यौरा क्या है और कुल मांग कितने प्रतिशत मात्रा उपलब्ध कराई जा सकती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है :—

विवरण

(क) और (ख)

(आंकड़े टी० एम० टी० में)

	आयातित	उत्पादित	योग
मिट्टी का तेल	1770	3036	4766
डीजल	2468	9749	12217

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1991 के दौरान मिट्टी के तेल की कुल मांग का 64.4% देशी उत्पादन से पूरा किया गया और शेष मात्रा का आयात किया गया। जहां तक डीजल का सम्बन्ध है मांग का 78.1% देशी उत्पादन से पूरा किया गया और शेष आयात से।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल शोधन कारखाना स्थापित करना

2454. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पेट्रोल शोधन कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसमें देरी से क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रिफाइनरी लगाने सम्बन्धी अनुरोध भारत सरकार को भेजा है ।

(ख) और (ग) मैं० भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० ने मध्य भारत में 6 एम० टी० पी० ए० की ग्रासरूट रिफाइनरी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

पाठाखेड़ा कोयला खानों में कोयले का उत्पादन

2455. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान और वर्ष 1991-92 में मध्य प्रदेश में पाठाखेड़ा कोयला खानों में कोयले का प्रतिमाह कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) पाठखेड़ा के विद्युत गृह की औसतन मासिक आवश्यकता कितनी है; और वर्ष 1991 के दौरान इस कोयला खान से प्रतिमाह कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) वर्ष 1990-91 और वर्ष 1991-92 (अप्रैल-नवम्बर) की अवधि के दौरान पाथरखेड़ा क्षेत्र में मासिक-वार हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े 000, टन में)

माह	1990-91	1991-92
1	2	3
अप्रैल	180.022	156.045
मई	162.542	148.588
जून	182.512	150.842
जुलाई	205.005	1832.241
अगस्त	196.835	198.319
सितम्बर	190.022	201.313

1	2	3
अक्तूबर	193.409	172.242
नवम्बर	190.425	156.903*
दिसम्बर	202.660	—
जनवरी	209.841	—
फरवरी	231.697	—
मार्च	357.610	—
जोड़	2502.580	1367.493

*अनन्तिम

(ख) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का आशय शायद मध्य प्रदेश विद्युत गृह के सतपुड़ा विद्युत गृह से है। अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह से आपूर्ति की तुलना में पाथरखेड़ा खानों से मासिक-वार किया गया संयोजन नीचे दिया गया है :—

माह	पाथरखेड़ा खानों से सतपुड़ा विद्युत गृह को संयोजन (000, टन में)	सतपुड़ा विद्युत गृह को पाथरखेड़ा खानों से आपूर्ति (000, टन में)
अप्रैल	210	146.839
मई	210	146.264
जून	210	141.675
जुलाई	170	173.299
अगस्त	170	178.575
सितम्बर	170	179.938
अक्तूबर	200	146.075
नवम्बर	200	137.537
जोड़	1540	1250.022

कोयले के मूल्य में वृद्धि

2456. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने कोयले की कीमतों में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए है ताकि विभिन्न आगतों की लागत में वृद्धि को निष्प्रभावित किया जा सके । इस सम्बन्ध में वृद्धि की मांग औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सुझाए गए कीमतों में वृद्धि किए जाने के फार्मूले के अनुसार मुख्यतः की गई है ।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

2457. **श्री हरि केवल प्रसाद** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के खरीफ के मौसम के दौरान, अनाज-वार, खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) रबी की फसल के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) खरीफ मौसम 1990-91 के दौरान देश में अनाज वार खाद्यान्नों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार रहा—

(मिलियन मीटरी टन में)

फसल	उत्पादन
खरीफ चावल	66.6
खरीफ मोटे अनाज	27.9
खरीफ दालें	5.4
कुल खरीफ खाद्यान्न	99.9

खरीफ 1991-92 के लिए इस प्रकार की सूचना राज्यों से अभी तक देय नहीं हुई है । तथापि वर्तमान अनुमान के अनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो सकता है ।

(ग) रबी खाद्यान्न 1991-92 के उत्पादन लक्ष्य 79.4 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किए गए हैं।

(घ) रबी खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, रबी अभियान हेतु कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों की सलाह से 1991-92 में रबी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की एक नीति तैयार की गई है। इसमें आकस्मिक फसल रोपण, रबी/उष्ण मक्का, दालों आदि के अधीन विस्तृत क्षेत्र कवरेज, वृहत एवं मध्यम योजनाओं से सिंचाई के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाना शामिल हैं ये कदम विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि जैसे चल रहे विशेष थ्रस्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त हैं।

पेट्रोलियम तथा गैस संबंधी नई नीति

2458. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम तथा गैस के संबंध में कोई नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति में दासगुप्ता समिति की सिफारिशें शामिल की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) नई परिस्थितियों के आधार पर वर्तमान नीतियों में बार-बार परिशोधन किया जाता है। फिलहाल नई पेट्रोलियम और गैस नीति बनाने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और उनकी खपत

2459. **श्री विलास राव नागनाथराव गुडेवार** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानतः कितना उत्पादन और उनकी कितनी खपत होती है; और

(ख) इन उत्पादों के उत्पादन और खपत के बीच यदि कोई अन्तर है; तो उसे दूर करने के लिए आगामी वर्ष के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) से (ख) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन रिफाइनरीवार किया जाता है न कि राज्यवार। 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 9446. टी० एम० टी० थी। इस समय महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पाद स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।

भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के लिए योजना

2460. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ख) भारत सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में 20,000 मकानों के पुनर्निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता का एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रस्ताव में, भारत सरकार की निम्नलिखित सहायता शामिल है :

(1) 30.00 करोड़ रुपए की ऋण सहायता।

(2) भूकम्प के झटके सहन कर सकने वाले उपयुक्त भवनों के निर्माण हेतु तकनीकी सहायता।

(3) प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा भवन निर्माण सामग्री के घटकों संबंधी सहायता हेतु 3 भवन निर्माण केन्द्रों तथा 6 उप-केन्द्रों की स्थापना। क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) तथा (घ) 90.00 करोड़ रुपये के आपदा राहत कोष में, 67.50 करोड़ रुपये के अपने

शेयर के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए "साधनोपाय" अग्रिम के रूप में 25.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये हैं।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं और बांध

2461. **श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन सिंचाई परियोजनाओं और बांधों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य किस स्थिति पर है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) . (क) से (ग) महाराष्ट्र में बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं और बांध, निर्माण की विद्यमान स्थिति तथा पूरा होने का संभावित समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम० सं०	परियोजना	सहायता देने वाला अभिकरण	उपलब्ध सहायता	कार्य की प्रगति तथा पूरा होने की संभावित तरीख
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना-III	विश्व बैंक	164.2 मिलियन एस० डी० आर०	अब तक माजलगांव और जायकवाड़ी शीर्ष पूरे हो गए हैं। माजलगांव परियोजना में नहर के 0 से 100 कि० मी० तकतथा कमान क्षेत्र के 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वितरण प्रणाली पर कार्य प्रगति पर है। जायकवाड़ी में 1,53,000 हेक्टेयर वितरण नेटवर्क में कार्य प्रगति पर है। चालू ऋण समाप्त होने की तारीख जून, 1992 है। पूर्व महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना-II (रिपोटर) की उप-परियोजनाओं को शमिल करके इस परियोजना को पुन: प्रतिपादित किया जा रहा है। ऋण समाप्ति की तारीख को पुन: प्रतिपादन के बाद बढ़ाए जाने की संभावना है।
2.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अभिकरण	47 मिलियन डालर	90 लघु सिंचाई स्कीमों में से, 45 स्कीमें पूरी गयी हैं। इस परियोजना को अगस्त, 1992 में समाप्त करने, का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार समाप्ति की तारीख तक शेष स्कीमों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

1	2	3	4	5
3.	फसलों की विविधता के लिए जल नियंत्रण प्रणालियों का विकास	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	15 मिलियन ई० सी० यू०	15 स्कीमों पर कार्य चल रहा है। चालू ऋण समाप्ति की तरीख अक्तूबर, 1993 है। सभी परियोजनाओं (2 मध्यम और 55 लघु सिंचाई स्कीमें) को पूरा करने के लिए ऋण समाप्ति की की तारीख को बढ़ाया जा सकता है।
4.	लवण भूमि पुनरूद्धोर परियीजना	यूरोपीयन आर्थिक समुदाय	20 मिलियन ई० सी० यू०	16,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकावले 16,058 हेक्टेयर लवणीय भूमि का पुनरूद्धार किया गया है। परियोजना के अनुसंधान घटक को अभी पूरा किया जाना है। महाराष्ट्र सरकार शीघ्र एवं उपयोगी तरीके से अनुसंधान कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

ईरान से कच्चे तेल का आयात

2462. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरान से कच्चा तेल आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) वर्ष 1991-92 के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन का नेशनल इरानियन कम्पनी के साथ एक अवधिक करार हुआ है।

नए पासपोर्ट कार्यालय खोलना

2463. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में पुन: पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में पासपोर्ट कार्यालय किन-किन स्थानों पर है;

(घ) क्या कर्नाटक में और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रास्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ये कार्यालय कब तक खोले जायेंगे और कहां-कहां ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंगलौर में।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नये तेल क्षेत्र और गैस भंडार

2464. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस के नये भंडारों/तेल क्षेत्रों/गैस क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी मात्रा के भंडारों का पता चला है; और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर नये तेल क्षेत्र और गैस भंडार क्षेत्रों का पता चला है; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों और गैंस भंडार के क्षेत्रों की खुदाई शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई अपतट, कैम्बे, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी और राजस्थान बेसिनों की 31 संरचनाओं में तेल/गैस की खोज की है। उन स्थानों में जहां मूल्यांकन किया गया है, तेल और गैस के समतुल्य तेल के कुल 61.13 मि० मी० टन आरंभिक भूगर्भीय भंडार स्थापित हुए हैं।

इसी अवधि के दौरान, आयल इंडिया लिमिटेड ने असम, और राजस्थान की 3 संरचनाओं में तेल/गैस की खोज की और तेल तथा गैस के समतुल्य तेल के करीब 21.7 मि० मी० टन आरंभिक भूगर्भीय भंडार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, असम के हाथी-अली तथा राजस्थान के बाघेवाला में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज की गई जहां आगे मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है।

(ग) पुनः वेधन करके अन्वेषण संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने या संरचनाओं को रेखांकित करने के लिए कार्यवाई आरंभ की गई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

2465. **श्रीमती वसुंधरा राजे** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलिलम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

2466. **श्री सूर्य नारायण यादव** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान कितने घरेलू रसोई गैस कनेक्शन स्वीकृत किये गए हैं;

(ख) वर्ष, 1991 के दौरान कितने घरेलू गैस कनेक्शन स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1991 तक कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे और इन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एल० कृष्ण कुमार) : (क) 1990-91 के दौरान लगभग 6 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ख) 1991-92 के दौरान 7.5 लाख नए घरेलू एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में लगभग 70 लाख व्यक्ति हैं। अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने का प्रयत्न जारी है।

[अनुवाद]

छोटे पैमाने पर खुदाई के माध्यम से खनिजों का खनन

2467. **श्री जी० एल० कनौजिया** :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार छोटे पैमाने पर खुदाई के जरिए खनिजों का खनन/उपयोग करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची "क" में शामिल खनिजों के छोटे और बिखरे हुए निक्षेपों का अन्वेषण/गवेषण द्वारा निर्धारण करने के लिए उच्चस्तरीय समितियों के गठन पर विचार करें और इच्छुक उद्यमियों को राज्य खनन निगमों से आवश्यक सहायता दिला कर उन छोटे निक्षेपों के विकास की योजनाएं तैयार करें।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट नहर योजनाएं

2468. **श्री मनफूल सिंह** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लिफ्ट सिंचाई नहरों के नाम क्या हैं जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली जानी है तथा जिनके लिए राजस्थान सरकार ने संघ सरकार से अनुमति मांगी थी;

(ख) क्या संघ सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, चरण-II के लिए 931.24 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अनुमोदन निम्न छः लिफ्ट सिंचाई स्कीमों से 3.12 लाख हेक्टेयर सहित 10.12 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र के लिए है :

लिफ्ट स्कीम का नाम	कृष्य कमान क्षेत्र (हैक्टे०)
1. सहावा	97049
2. गजनेर	49537
3. बंगारसर	8500
4. कोलायट	77756
5. फ्लोदी	56750
6. पोकरन	22700
कुल :	3,12,292

सरहिन्द फीडर से लिंक चैनल के क्रासिंग का निर्माण

2469. **श्री मनफूल सिंह** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से इन्दिरा गांधी नहर फीडर के साथ सरहिन्द फीडर से लिंक चैनल के क्रासिंग के निर्माण हेतु सरहिन्द फीडर को अस्थाई रूप से बन्द करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस बारे में पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने का है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस मामले से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 21 दिसम्बर, 1991 को राजस्थान और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों तथा पजाव के राज्यपाल की बैठक बुलायी गयी है।

राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्र

2470. **श्री मनफूल सिंह** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राजस्थान में किन-किन क्षेत्रों को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) राजस्थान में सूखे से अब तक कितने मवेशी मरे हैं;

(ग) क्या राजस्थान में मवेशी कैम्प खोले गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन

2471. **श्री जी० माडे गौडा** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जून, 1991 तक रसोई गैस कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में तथा माण्डया जिले में माण्डया, पांडवपुरा और श्रीरंगपट्टनम के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) कर्नाटक में वर्ष 1991 के दौरान रसोई गैस के कितने कनेक्शन उक्त स्थानों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1-10-91 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक की प्रतीक्षा सूची में लगभग

3.08 लाख व्यक्ति हैं। प्रतीक्षा सूची का नगर-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) नए एल० पी० जी० कनेक्शनों का आबंटन न तो राज्यवार किया जा रहा है और न ही नगरवार। यह देश में उपलब्ध एल० पी० जी० और डिस्ट्रीब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अन्य तथ्यों पर निर्भर करता है।

कुद्रेमुख आयरन

2472. श्री जी० माडे गौड़ा :

क्या [redacted] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को कर्नाटक बिजली बोर्ड को देय विद्युत प्रभार की धनराशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देय प्रभारों को कब तक अदा कर दिया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) मार्च, 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड से कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा ऊर्जा और अन्य प्रभारों के लिए कुल 213 करोड़ रुपए (अनुमानित) का दावा किया गया है। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के लिए देय शुल्क प्रभारों को विनियमित करने वाले कर्नाटक सरकार के दिनांक 6-9-1985 के आदेश की शर्तों के अनुसार यथा निर्धारित देय 104 करोड़ रु० की राशि का भुगतान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० द्वारा कर दिया गया है। मई, 1987 से देय शुल्क दरों को राज्य सरकार के उपर्युक्त आदेश की शर्तों के अनुसार अभी निर्धारित किया जाना है। मामले पर कर्नाटक विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार के साथ कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कर्नाटक में कोयला स्टाकयार्ड

2473. श्री जी० माडे गौडा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्थान-वार कितने कोयला के कितने स्टाकयार्ड हैं, और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) 1991-92 के दौरान वहां कितने कोयला स्टाकयार्ड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) वर्तमान में कोल इण्डिया लि० बंगलौर में एक सांकेतिक स्टाकयार्ड का संचलन कर रही है ।

(ख) कोल इण्डिया लि० द्वारा एक भूमिगत स्टाकयार्ड बंगलौर में और एक मंगलौर में चालू किए जाने के सम्बन्ध में निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनके सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्योंकि सरकार स्टाक-यार्डों पर नीति की वर्तमान में समीक्षा कर रही है । अभी हाल ही में बंगलौर, मंगलौर, मैसूर, हुबली तथा गुलबर्गा के स्थान पर कर्नाटक लघु उद्योग विकास निगम द्वारा चलाए जाने वाले 5 स्टाकयार्डों का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव जांचाधीन है ।

दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की कमी

2474. **श्री जी० माडे गौडा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी राज्यों, विशेष तौर पर कर्नाटक में रसोई गैस की कमी है;

(ख) क्या बम्बे-हाई पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए मूल्य की गैस बिना प्रयोग के बेकार जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उस गैस को उपयोग में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एल० पी० जी० की आपूर्ति के असंतोष सम्बन्धी कोई रिपोर्ट दक्षिणी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु जब भी किसी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है ।

(ख) इस समय पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सात मिलियन घन मीटर गैस का प्रति दिन दहन किया जाता है जिसका मूल्य 1400/1000 रुपए प्रतिघन मीटर की वर्तमान कीमतों पर लगभग 350 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।

(ग) और (घ) दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के प्रश्न पर अन्तर मंत्रालयी दल जांच कर रहा है।

डी० एम० एस० दूध की सप्लाई

2475. **श्री यशवन्त राव पाटील :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० एम० एस० द्वारा दूध की सप्लाई में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई-नवम्बर, 1991 के बीच शिकायतें प्राप्त हुई और ये शिकायतें किस प्रकार की थी; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जांच करने पर पता चला कि इनमें से 417 शिकायतें असत्य थीं। कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं जैसे दूध की आपूर्ति में वृद्धि अनुशासनिक कार्यवाही जिसमें छात्र एजेंटों को हटाने/स्थानांतरण और रियायत ग्राहों की एजेंसी की समाप्ति शामिल हैं।

विवरण

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जुलाई और नवम्बर, 199 के मध्य प्राप्त शिकायतों का स्वरूप एवं संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं० शिकायत का स्वरूप	शिकायतों की संख्या
1. वितरण/आपूर्ति में अनियमितता	396
2. वितरण स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार	28
3. चोर बाजारी	299
4. बाह्य पदार्थों की उपस्थिति	2
5. विविध स्वरूप वाली	98
योग :	823

तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करना

2476. **श्री यशवन्त राव पाटील :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे तेल तथा गैस की वार्षिक मांग का उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार को इस निजी क्षेत्र से इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार का कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1990-91 में, 54.77 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत की तुलना में कच्चे तेल का देशी उत्पादन 33 मिलियन टन था और 12837 मिलियन घन मीटर गैस के उपयोग की तुलना में उत्पादन 17998 मिलियन घन मीटर था।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय निजी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों को बोली के लिए 39 अपतटीय और 33 तटवर्ती ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 29-2-1992 है। सफल बोली दाताओं का आबंटन किए जाने के लिए कोई लक्ष्यांकित तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

यमुना नदी के जल में हरियाणा का हिस्सा

2477. **श्री नारायण सिंह चौधरी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा को यमुना नदी से कितना जल दिया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने यमुना नदी के जल के बंटवारे के बारे में अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उनमें की गयी सिफारिशों को ब्यौरा क्या है, और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाणा को यमुना जल का विशिष्ट आबंटन करने के लिए वर्ष 1981 में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(ख) जी, हां, जुलाई, 1991 में हाल की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) यमुना नदी में ओखला तक 11.45 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की कुल वार्षिक उपलब्धता की तुलना में सभी राज्यों के कुल सुरक्षित उपयोग (योजना पूर्व तथा योजना अनुमोदित परियोजना पर विचार करते हुए) 8.016 बिलियन क्यूबिक मीटर और कुल सुरक्षित तथा असुरक्षित उपयोग अनुमोदित पूर्ण, निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी विचार करते हुए 8.905 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का हिसाब लगाया गया है, (विवरण संलग्न है)। तथापि, बेसिन राज्यों के दावे कुल 49.9 बिलियन क्यूबिक मीटर है जो उपलब्धता की पहुंच से परे है। अध्यक्ष की रिपोर्ट टिप्पणियों के लिए सम्बन्धित राज्यों को परिचालित की गई है ताकि उन पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अन्तर्राज्जीय बैठक, जो 21 दिसम्बर, 1991 को आयोजित की जा रही है, में विचार-विमर्श किया जा सके।

विवरण

(बिलियन क्यूबिक मीटर में आंकड़े)

क्रम सं० राज्य	सुरक्षित उयोग			सुरक्षित और असुरक्षित उपधोग		
	ताजेवाला पर	ओखला	कुल	ताजेवाला	ओखला	कुल
1. हरियाणा	3.791	0.428	4.219	4.280	0.448	4.728
2. उत्तर प्रदेश	1.753	0.945	2.698	1.999	1.079	3.078
3. राजस्थान	—	0.109	0.109	—	0.109	0.109
4. हिमाचल प्रदेश	0.345	—	0.345	0.345	—	0.345
5. दिल्ली	0.177	0.468*	0.645	0.177	0.468*	0.645
कुल	6.066	1.950	8.016	6.801	2.104	8.905

*इसमें ताजेवाला और ओखला के बीच जल निवासी शामिल है।

नेयवेली लिग्नाइट निगम की खानों में लिग्नाइट का उत्पादन

2478. **डा० पी० वल्लल पेरुमान**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट निगम की खान सं० I और II में कितना लिग्नाइट उपलब्ध है;

(ख) 1990-91 के दौरान नेयवेली लिग्नाइट निगम की खान सं० I और II में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसमें कितनी सफलता मिली ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इसके उत्पादन में कोई कमी हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ङ) क्या नेयवेली लिग्नाइट निगम के ताप केन्द्र II के एकक IV को अभी तक सुदृढ़ नहीं किया गया हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) सरकार द्वारा इसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) खान-I तथा II के लिग्नाइट के कुल भंडार, उत्खनन किए गए लिग्नाइट की कुल मात्रा तथा शेष उपलब्ध मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन में)

	खान-I	खान-II
1. अनुमानित भंडार	290·00	390·000
2. स्थापना किए जाने से 31-3-91 तक खनन की गई मात्रा	127.32	16.838
3. शेष मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट	162·68	373·162

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान लक्ष्य तथा प्राप्त किए गए वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन टन में)

	लक्ष्य	वास्तविक
खान-I	6·80	7·54
खान-II	4·20	4·21
	11·00	11·75

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के टी० पी० एस० II की यूनिट IV को मार्च, 1991 में अनुक्रमित किया गया था, किन्तु आपूर्ति किए गए उपकरणों में, विशेषकर बायलरों के लिग्नाइट फीडरों में कुछ खराबी के कारण यूनिट को शुरू के बाद इसको पूर्ण लोड को प्राप्त नहीं किया जा सका। उपकरणों के डिजाइनरों ने इन फीडरों में कुछ संशोधन किया है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब ये फीडर पूर्ण लोड पर पहुंच गए हैं। किन्तु निरन्तर रूप में चलाए जाने मामले में फीडरों में अभी भी कुछ खराबी है और इससे सम्बद्ध फर्मे इसका निपटारा कर रही हैं। किन्तु इन समस्याओं के बावजूद इस यूनिट सात महीने के अपने संचलन से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 333 मि० यू० के मानदण्डों की तुलना में 326 मि० यू० का सकल उत्पादन प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध में सप्लायर अपना कार्य कर रहे हैं और यह संभावना है कि पूर्ण लोड उत्पादन को निरन्तर रूप में शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

कपास का उत्पादन

2479. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बड़े रेशे वाले और छोटे रेशे वाले कपास का पृथक-पृथक रूप से कितना उत्पादन हुआ और क्या यह स्वदेशी मांग को पूरा करने लिए पर्याप्त था; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान छोटे रेशे वाले कपास के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 तथा 1989-90

के दौरान, कपास का अनुमानित उत्पादन क्रमशः प्रत्येक 170 किलोग्राम की 97·6 तथा 114-2 लाख गांठें था। वर्ष 1990-91 के दौरान, कपास के उत्पादन का रेशे-वार विवरण कुछ राज्यों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, देश में लम्बे तथा मध्यम रेशे की कपास का औसतन लगभग 91·0% तथा छोटे रेशे की कपास का 9·0% उत्पादन होता है। सरकार ने कपास का कोई आयात नहीं किया। पिछले स्टॉक सहित कपास का वर्तमान उत्पादन, घरेलू आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) भारत सरकार, प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि छोटे रेशे के कपास सहित सभी प्रकार के कपास का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) द्वारा खाद्य तेल की खरीद और बिक्री

2480. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एन० डी० डी० बी० ने वर्षवार सरसों और मूंगफली का कितना-कितना तेल खरीदा;

(ख) इस समय एन० डी० डी० बी० उत्पादकों से किस दर पर खाद्य तेल खरीद रहा है;

(ग) क्या एन० डी० डी० बी० ने हाल ही में धारा खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन० डी० डी० बी० ने पिछले वर्ष के दौरान खाद्य तेल की बिक्री से कितना लाभ अर्जित किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 2·61 लाख मीटरी टन खाद्य तेल की खरीद की गई। चूंकि खाद्य तेल की एक सट्टे वाली वस्तु माना जाता है और बाजार हस्तक्षेप एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का यह उतरदायित्व है कि वह कमी वालेमौसम में थोक मूल्यों को समुचित स्तर पर बनाए रखे इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खरीदे गए तिलहनों एवं तेल की मात्रा बताना जनहित में उचित नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड उत्पादकों से खाद्य तेल की खरीद नहीं करता।

(ग) जी, हां।

(घ) 30 सितम्बर, 1991 से 1 लीटर टेट्राब्रिक परिष्कृत मूंगफली तेल की कीमत बढ़ाकर 50 रुपये परिष्कृत सरसों के तेल के एक लीटर टेट्राब्रिक की कीमत 34 रुपये, 200 मिलीलीटर के टेट्राब्रिक परिष्कृत सरसों के तेल की कीमत 6·50 रुपये और 500 मिलीलीटर टेट्राहेड्रान डबल फिल्टर्ड सरसों के तेल की कीमत 15 रुपए कर दी गई है।

(ङ) मंडी हस्तक्षेप कार्यों से प्राप्त होने वाला अतिरेक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मंडी हस्तक्षेप निधि में डाला जाता है। अतः राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल की बिक्री से लाभ अर्जित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

बड़े बांध

2481. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गत वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य-वार कितने बड़े बांधों को मंजूरी दी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सिंगूर सिंचाई परियोजना तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा (इंदिरा सागर) परियोजना नामक केवल दो परियोजनाओं को बांधों के निर्माण सहित निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश को सूखा सहायता—राशि

2482. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से कितनी सूखा सहायता-राशि की मांग की गई तथा कितनी उसे जारी की गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991-92 के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1988-89 के दौरान उत्तर

प्रदेश सरकार से सूखा राहत के लिए सहायता की मांग सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त नही हुआ। 1989-90 के दौरान राज्य में सूखा राहत के लिए 24.92 करोड़ रुपये की व्यय सीमा स्वीकृति की गई थी।

राहत व्यय के वित्त पोषण की संशोधित योजना, जो 1-4-90 से लागू है, के अधीन सूखा सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय को पूरा करने हेतु वर्ष 1990-91 के लिए राज्य की आपदा राहत निधि को 90·00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष के दौरान राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं पर 47·29 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

2483. **श्री पाल के० एम० मैथ्यू :**

श्री कोडी कुन्नील सुरेश :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बाणासुरसागर, मीनामिल चामरेवट्टम, कुड़ीकरकुट्टी और वामनपुरम सिंचाई परियोजनाएं किस चरण में हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ग) क्या राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई विदेशी सहायता मिल रही है या मिलने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनुमानित लागत, चरम सिंचाई क्षमता और मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय कोई भी बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना बाह्य सहायता प्राप्त नहीं कर रही है। केरल लघु सिंचाई परियोजना और केरल सामुदायिक सिंचाई परियोजना क्रमशः यूरोपीय आर्थिक समुदाय और डच सहायता सूची (पाइपलाइन) में है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं का विवरण और मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टे०)	मूल्यांकन की स्थित
1	2	3	4	5
बृहद				
1.	करियारकुट्टी करापारा	60.16	21.06	राज्य सरकार को विशेषज्ञ दल के निर्णयों के अनुरूप संशोधित परियोजना प्रस्तुत करनी आवश्यक है।
मध्यम				
2.	बाणासुरसागर	5.00	4.80	राज्य सरकार को कावेरी बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
3.	मेनाचिल	49.65	9.96	राज्य सरकार को जल उपलब्धता डिजाइन बाढ़ और फसल की जल अपेक्षाओं से सम्बन्धित मामलों को सुलझाना है।
4.	वामनपुरम	36.40	18.00	योजना आयोग 12/82 में निवेश स्वीकृति दी गयी।
5.	चमरावत्तम में ब्रिज कम रेगुलेटर	13.27	8.11	राज्य सरकार को जल उपलब्धता और फसल की जल अपेक्षाओं से संबंधित मामलों का सुलझाना है।

[हिन्दी]

कोयले की उपलब्धता

2484. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड के बी०सी०सी० एल० और सी० सी० एल० में निर्धारित मात्रा और विनिर्देशन के अनुसार 15 जुलाई, 1991 को उपलब्ध शुद्ध कोयले की मात्रा का मीट्रिक टन में ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक खान में भण्डारण की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक खान में कोयले के भण्डारों की श्रेणियों और श्रेणीवार इनके कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की पाईप लाइन का काकी-नाडा से पारादीप तक विस्तार

2485. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी थाले से प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए पाईप लाईन का काकीनाडा तक विस्तार किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से काकीनाडा से उड़ीसा में पारादीप तक पाईप लाइन का विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तातिपा का से काकीनाडा के बीच गैस परिवहन पाईप लाइन बिछायी जा रही है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई विशेष आग्रह इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ पप्रतीत नहीं होता है।

नई दिल्ली में सोवियत व्यापार मिशन

2486. **श्री गुरुदास कामत :**

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सोवियत व्यापार मिशन बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है;

(ग) क्या सोवियत दूतावास का सूचना विभाग फिर से खोला जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) 14 नवम्बर, 1991 को अपनी बैठक में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ राज्य परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया कि सोवियत विदेश मंत्रालय के आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिनिधिमण्डल के सम्बन्ध में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के राजदूतावासों में आर्थिक नीति विभागों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ व्यापार प्रतिनिधित्व समाप्त किए जाएंगे। तथापि, जहां तक भारत में सोवियत व्यापार प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, सरकारी अधिकारियों की ओर से उसे बन्द करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को यह जानकारी है कि सोवियत राजदूतावास के सूचना और संस्कृतिक विभाग बन्द नहीं किए गए हैं। अतः इस विभाग को पुनः खोले जाने का मुद्दा ही नहीं पैदा होता।

पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को मोड़ना

2487. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ने का है ताकि तमिलनाडु के किसानों को खेती जल उपलब्ध कराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों के प्रायद्वीपीय नदी घटक के अन्तर्गत तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध करने के वास्ते पूर्व की ओर बहने वाली महानदी और गोदावरी नदियों का जब दिक्परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने महानदी-गोदावरी तथा गोदावरी-कृष्णा जल अन्तरण सम्पर्कों के सम्बन्ध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इन्हें टिप्पणियों हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

ट्रैवल एजेंटों द्वारा जाली दस्तावेज जुटाना

2488. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के दिग्भ्रमित युवक विदेशों में राजनैतिक शरण ढूंढ़ रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है,

(ग) क्या दिल्ली और पंजाब में कतिपय ट्रैवल एजेंसियां इन युवकों के लिए जाली दस्तावेजों का प्रबन्ध करने और अन्य सुविधाएं जुटाने में लगी हुई है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) . (क) और (ख) बताया जाता है कि कुछ भारतीय राष्ट्रिकों ने भारत के कुछ भागों में अशान्त परिस्थितियों के आधार पर राजनैतिक शरण मांगी है। तथापि, वास्तविक कारण उनकी निजी आर्थिक बेहतरी से सम्बद्ध है।

(ग) और (घ) कुछ ऐसे मामलों में पुलिस जांच चल रही है जिनमें जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट के जारी होने का सन्देह है। पूरा ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है।

केरल में बांध

2489. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सिंचाई के उद्देश्यार्थ निर्माणाधीन बांधों का ब्योरा क्या है; और

(ख) बांधों के निर्माण की वर्तमान स्थिति और सिंचाई की क्षमता का बंधवार ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केरल में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा तथा उनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में/क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गयी	अनुमोदन की स्थिति	वार्षिक योजना (1991-92) के अनुसार अनुमानित लागत	1990-91 के अंत तक व्यय अनन्तिम	1991-92 के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय	चरम क्षमता	1990-91 के अंत तक सृजित क्षमता (अनन्तिम)	1991-92 में क्षमता का लक्ष्य	पूरा होने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृहद										
1.	पेरियार घाटी	II	अनुमोदित	69.51	6751	2.00	85.68	85.31	0.29	1991-92
2.	पम्बा	III	अनुमोदित	61.25	60.10	1.50	49.46	49.46	—	1991-92
3.	चित्तूरपुझा	III	अनुमोदित	21.40	20.40	1.00	26.97	27.13	—	1991-92
4.	कुट्टीआडी	III	अनुमोदित	56.50	52.32	0.50	35.85	35.85	0.64	1991-92
5.	कन्हिरपुझा	III	अनुमोदित	66.74	51.42	3.20	21.85	17.49	2.00	आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	पाझास्सी	III	अनुमोदित	89.12	6.93	3.40	23.05	12.96	1.50	—वही—
7.	कल्लादा	III	अनुमोदित/	457.80	319.24	32.00	92.80	51.43	30.00	—वही—
		(1961 बाह्य सहायता प्राप्त								
8.	मुवाथुपुझा	V	अनुमोदित	89.25	39.38	8.00	34.74	—	2.00	—वही—
9.	चिमोनी	V	अनुमोदित	36.66	28.92	5.00	26.00	13.00	13.00	—वही—
10.	इडामलयार	VI	अनुमोदित	67.70	39.30	4.00	43.19	—	—	—वही—
मध्यम										
1.	अट्टापाडी	V	अनुमोदित	58.00	7.41	0.00	8.38	—	—	—वही—
2.	कारापुझा	V	अनुमोदित	44.89	15.74	4.00	9.30	—	—	—वही—

वीजा शुल्क

2490. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीजा शुल्क में हाल ही में वृद्धि करने से पहले और वृद्धि करने के बाद की स्थिति में इसके मूल्य के आंकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ख) वीजा शुल्क में उक्त वृद्धि करने से इस वर्ष कितनी आय होने का अनुमान है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) नवम्बर, 1991 से पूर्व वीजा शुल्क आवेदन की राष्ट्रीयता के आधार पर और इस आधार पर कि किस किस्म का वीजा मांगा गया है, 15 रुपए से 1800 रुपए तक था। अब वीजा शुल्क व्यवस्था को सरल बना दिया गया है और केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें निशुल्क वीजा जारी किए जाते हैं, वीजा शुल्क 15 रुपए से 26[illegible]0 रुपए के बीच है ।

(ख) यह अनुमान है कि वीजा शुल्क में वृद्धि किए जाने के बाद यह राशि प्रतिवर्ष कुल 125 करोड़ रुपए होगी।

भारत-सोवियत शान्ति, मैत्री तथा सहयोग संधि

2491. **श्री चित्त बसु :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अगस्त में भारत तथा सोवियत संघ के सिद्धान्त रूप से सहमत हो जाने पर भी भारत-सोवियत शान्ति, मैत्री तथा सहयोग संधि की अवधि अगले 20 वर्षों के लिए औपचारिक रूप से नहीं बढ़ाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) मौजूदा सन्धि की शर्तों के अन्तर्गत ही यह सन्धि 5 वर्ष की अवधि के लिए पहले [illegible] गई है। इस सन्धि को 20 की और अवधि तक बढ़ाने के सम्बन्ध में दोनों की सरकारों ने निर्ण[illegible] है और उसकी घोषणा भी कर दी गई है।

इस आशय के प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब सोवियत संघ में हुई घटनाओं के कारण हुआ है। सन्धि को और 20 वर्ष की अवधि के लिए औपचारिक रूप से बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

लोहे का निर्यात

2492. **श्री सूर्यनारायण यादव :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1990-91 के दौरान लोहे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1990-91 के दौरान लोहे का निर्यात कितने देशों को तथा कितनी मात्रा में किया गया;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का और अधिक देशों को लोहे का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कच्चे लोहे का 14.93 लाख टन उत्पादन हुआ ।

(ख) विद्यमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार कच्चे लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण उपायों पर परिव्यय

2493. **श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार बाढ नियंत्रण उपायों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई व्यापक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ है;

(ग) यदि, हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मुनियेरू और ब्यरा नदियों में बाढ़ आने से काफी जान माल और फसल का नुकसान होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस स्थिति में सुधार करने के लिए मुनियेरू और ब्यौरा के तटों को ऊंचा करने की योजना का वित्तपोषण करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों पर किए गए राज्यवार व्यय के विवरण के साथ एक सूची संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) से (च) बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों की आयोजना, निष्पादन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा निश्चित पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार उनके अपने संसाधनों से किया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती । अलग-अलग 100 लाख रुपए से कम लागत की स्कीमें केन्द्र को यहां तक कि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए भी नहीं भेजी जाती । कृष्णा जिले में मुनियेरू नदी के दायीं ओर बाढ़ तटों के निर्माण के लिए 1.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक स्कीम केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु भेजी गयी थी जांच के पश्चात, आयोग ने अप्रैल 1989 में अपनी टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दीं ।

विवरण

(क) व्यय का विवरण भारत सरकार द्वारा, बाढ़ नियंत्रण उपायों अर्थात् ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए ऋण सहायता, उड़ीसा में रेंगाली बांध और केरल में समुद्रकटाव रोधी कार्य, ब्रह्मपुत्रबार्ड और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को अनुदान सहायता, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी क्रियाकलाप, बाढ़ प्लेन जोनिंग सेवाएं और अन्य विविध कार्यकलापों, जिनमें अनुसंसाधान और विकास सम्मिलित है, पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न अनुसार है :

राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रीय ऋण सहायता	व्यय (करोड़ रुपए मे) वर्ष		
	1988-89	1989-90	1990-91
असम	21.00	19.95	18.00
केरल	2.50	2.37	2.05
उड़ीसा (रेंगाली बांध)	0.50	—	—
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य विविध कार्य	9.15	9.50	7.90
	33.15	31.88	27.95

भारतीय न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की बिक्री

2494. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इरान को कोई "न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर" बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी दूसरे देश को भी इस प्रकार के रिएक्टर बेचे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमेरिका ने इरान को की जा रही कथित बिक्री के संबंध में भारत सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा दिया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) आरंभ में कुछ बातचीत तो की गई थी लेकिन इस मामले में अभी कोई प्रगति नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। ईरान के साथ नाभिकीय सहयोग सम्बन्ध में अमरीका ने भारत सहित अनेक देशों को अपनी कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं। सरकार ने अमरीका की स्थिति पर गौर किया है।

सरदार सरोवर परियोजना

2495. **श्री विजय कृष्ण हांडिक :**

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना की जांच के लिए नियुक्त की गयीं "मोर्सपैनल का दर्जा क्या है; और

(ख) इस बांध पर तथा इसके मूलभूत ढांचे पर अब तक कितना खर्च किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरदार सरोवरपरियोजना से संबंधित पुनर्वास और पर्यावरर्णीय मुद्दों की समीक्षा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा ब्राडफोर्ड मोर्स की अध्यक्षता में गठित यह एक स्वतंत्र दल है । इस स्वतत्र दल ने अक्तूबर/नवम्बर, 1991 के दौरान भारत का दौरा किया और भारत सरकार, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत की ।

(ख) इस परियोजना के विभिन्न घटकों पर अक्टूबर, 1991 तक 1517.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है ।

राष्टीय भूमि उपयोग नीति

2496. **श्री शरद दिघे** :

प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति बनाने और इसके क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में फरवरी 1986 में आयोजित राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद की बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूप रेखा स्वीकृत की गई थी । वर्तमान में भूमि उपयोग नीति के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति विवरण संलग्न में अन्तर्विष्ट 19 सूत्री कार्य योजना सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में परिचालित की गई है ताकि इसका कार्यान्वयन किया जा सके। राज्य स्तर पर कार्ययोजना के कार्यान्वयन को देखरेख करने के लिए राज्य भूमि उपयोग बोर्ड निकट से सम्बद्ध हैं ।

देश के भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबन्धक हेतु परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए एक रास्ट्रीय विचार विमर्श सम्मेलन 21 से 24 अक्टूबर, 1991 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों को परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करने और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य स्तरीय विचार-विमर्श सम्मेलनों की योजना बनाई हैं ।

विवरण

प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भू-उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय

भू-उपयोग

1. राज्य स्तर पर भू-उपयोग बोर्डों को पुनः गठित किया जाना चाहिए। जहां भी ऐसे बोर्ड नहीं है उनका अवश्य हो सृजन किया जाना चाहिए।

2. सरकारी भूमि का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भू-उपयोग की नीति अवश्य तैयार की जानी चाहिए जिसे भू-उपयोग के प्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक तथा उनकी संवर्धनात्मक और परिरक्षण/प्रोत्साहन प्रणालियों दोनों के आधार पर लागू किया जाए।

3. शहरी नीति का अवश्य पुनर्निर्माण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक उपज देने वाली भूमि जब्त नहीं की गई। हरित पट्टियों के लिए शहरी आयोजना की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. समेकित भू-उपयोग नीति के अनुरूप कार्य करने की जरूरतों के सम्बन्ध में किसानों और सरकारी विभागों को शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

5. विशेष रूप से सूखा ग्रस्त/रेतीले इलाकों में फसल पद्धति की संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्नत मृदा और जल प्रबन्ध प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकें।

6. भूमि और मृदा सर्वेक्षणों का कार्य पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य में भू-संसाधनों की एक तालिका तैयार की जानी चाहिए ताकि संसाधनों का आवंटन विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर जा किया सके।

7. भू-संसाधनों तथा उसकी उत्पादकता में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह मानना पड़ेगा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पर्यावरण सम्बन्धी संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. जलाक्रान्ति, खारेपन और क्षारीयता की समस्याओं की उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल तथा उचित जल प्रबन्ध प्रणालियां अपनाने के जरिए नियंत्रित किया जाना चाहिए।

9. कमान क्षेत्रों की प्रबन्ध व्यवस्था का निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पुनरीक्षण, पुर्नगठन

तथा पुनः संचालन किया चाहिए ताकि जल का सक्षमता से उपयोग किया जा सके। समय से पूर्व गाद जमा हो जाने की वजह से सिंचाई प्रणाली को नष्ट होने से बचाने के स्रवण क्षेत्रों के उपचार के लिए आवश्यवक निवेश करना जरूरी है।

10. नमी के संरक्षण के हित में तथा इसका इष्टतम उपयोग करने के लिए बारानी भूमि को समतल बनाने तथा जल संचयन की प्रोद्योगिकियों का अनिवार्य रूप से प्रचार करना चाहिए तथा उन्हें अपनाया जाना चाहिए।

11. वायु एवं जल अपरदन को रोकने के लिए रेतीले इलाकों में संरक्षण और वन रोपण तथा उबड़-खाबड़ क्षेत्रों के पुनः सुधार तथा पुनः स्थापना के विशेष कार्यक्रम को अधिक तेजी से शुरू किया जाए।

12. मूल्यवान वनों की सुरक्षा के लिए झूम खेती की पद्धति को नियमित किया जाना चाहिए।

13. भू-उपयोग आयोजना को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ इस तरीके से इस समेकित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं उत्पादक कार्यों के लिए ऋण और राजसहायता प्रदान की जाए जो भूमि का कुशल उपयोग करते हों।

14. सामान्य भूमि पर जनजातीय और कमजोर लोगों के अधिकारों को कानूनी और प्रशानतिक तन्त्रों के जरिए सुरक्षित रखना चाहिए।

15. स्थल चारे को विशेष रूप से उन इलाको में जहां चारागाह भूमि का पहले हीं अवक्रमण हो चुका है, लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

16. चुरींदा खंडों में विशेष चारा विकास कार्यक्रमों को पशुधन विकास कार्यक्रमों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक रूप से उत्पादक स्टाक के लिए पशुधन को सीमित संख्या में रखा जाए।

17. वाणिज्यिक और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिहायशी स्थानों से दूर बागाना लगाना बेहतर होगा।

18. गांव के कमजोर वर्ग के अलावा अन्य उत्पादकों की सहायता के आधार पर वन सम्बन्धी कच्चे माल की सप्लाई करने की नीति की संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि इन उत्पादकों को व्यापक वन रोपण कार्यक्रम शुरू करने तथा छोटे और सीमांत किसानों को लाभकारी मूल्यों पर उद्योग के लिए वन पर आधारित कच्चा माल पैदा करने के लिए प्रेरित करने विचार से मौजूदा बाजार मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई की जा सके।

19. लकड़ी की पैंकिंग के स्थान पर वैकल्पिक पैंकिग सामग्री जैसे कि कोरूगेटिड कार्ड बोर्ड प्लास्टिक की थैलियों आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

केरल से इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड से प्राप्त इलमेनाइट की रायल्टी के लिए अभ्यावेदन

2497. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोई ऐसा अभ्यावेदन दिया है जिसमें उसने इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड से प्राप्त इलमेनाइट की रायल्टी में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) केरल सरकार ने प्रधान खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) की रायल्टी दरों में संशोधन हेतु खान मंत्रालय द्वारा नियुक्त अध्ययन दल को अपने 20-7-1989 के पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि रायल्टी को गर्त्तमुख मूल्य से जोड़ने की बजाए बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत के बीच अन्तर से सम्बद्ध किया जाए और उसका निर्धारण इस अन्तर के 50% पर किया जाए। केरल के मुख्य मंत्री ने भी अपने 6-9-1991 के पत्र द्वारा खान मंत्री से अनुरोध किया है कि रायल्टी का संशोधन राज्य सरकार के सुझावों के अनुसार तत्काल किया जाए।

यह धारणा, कि रायल्टी बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत के अन्तर से जोड़ी जाए और अन्तर के 50% पर निर्धारित की जाए, रायल्टी लगाने की पद्धति के अनुरूप नही है क्योंकि रायल्टी एक ऐसा प्रभार है जो लाभ के सिद्धांत से सम्बद्ध होकर, अपूरणीय खनिज स्रोतों के विदोहन के बदले खनिज स्वामी को देय होता है।

खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर किन्तु इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकन आदि जैसे परमाणु खनिजों सहित) की रायल्टी दरों के संशोधन पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है। केरल के मुख्य मंत्री को तदनुसार 18-11-1991 को उत्तर दे दिया गया है।

किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना

2498. **श्री जे० चोक्काराव :**

श्री के० वी० तंगकाबालू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और मार्जिनल किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता देने की योजना के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 14.8.91 और 21-8-91 को जारी किए गए दिशा निर्देशों के प्रति संलग्न विवरण-1 और 2 में है।

(ख) तथा (ग) यह योजना 1991-92 के दौरान शुरू की गई थी। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच 405 करोड़ रुपए का आवंटन और 16-9-91 को पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त की गई राशि संलग्न विवरण-3 दी गई है। चूंकि गह योजना चालू वर्ष के दौरान ही शुरू की गई है, इसलिए 3 वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई और उनके द्वारा प्रयोग की गई राशि के वारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

'छोटे तथा मार्जिनल किसानों के लिए उर्वरक संबंधी राजसहायता'
योजन के संबंध में 14.8.1991 को जारी किए गए मार्गनिर्देशों की प्रति

टेलेक्स

प्रेषक : सचिव,

कृषि और सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली,

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शामिल क्षेत्रों के मुख्य सचिव/

कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और संघ

शासित क्षेत्रों के प्रशासक।

संख्या 21-4-61 (एम) (.) भारत सरकार ने आज 14 अगस्त, 1991, को अपने 25 जुलाई 1991 को अधिसूचना के अतिक्रमण में एक अधिसूचना जारी की हैं जिसमें 25 जुलाई को अधिसूचित उर्वरकों के मूल्यों को घटाया गया है (.) अब औसत मूल्य वृद्धि पहले को 40 प्रतिशत के

बजाए 30 प्रतिशत है (.) उर्वरकों के मूल्यों का विस्तृत ब्यौरा आज अलग से टेलेक्स द्वारा भेजा गया है (.)

(2) वित्त मंत्री द्वारा 6 अगस्त 1991 को संसद में की गई घोषणा के अनुसार छोटे तथा मार्जिनल को उर्वरकों को मूल्य वृद्धि के प्रभाव से छूट देने की पद्धति राज्यों के परामर्श से तैयार की जानी थी (.) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ 7 और 9 अगस्त, 1991 को विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था (.) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का यह विचार था कि यदि यह योजना कार्यान्वित को जानी है तो भारत सरकार प्रमुख मार्गनिर्देश जारी कर सकती हैं और राज्यों के लिए कुछ ढील छोड़ सकती है ताकि विस्तृत योजनाएं तैयार की जा सकें (.) राज्य, उर्वरक खपत और वितरण के ऐतिहासिक प्रति मान को ध्यान में रखेंगे और कृषकों को इस प्रकार के राजसहायता प्राप्त उर्वरक पहुंचाने के लिए ऋण चैनल अथवा अन्य चैनल अभिज्ञात करेंगे (.)

(3) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कुल राशि 405 करोड़ रुपए हैं (.) वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए आपके राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए———करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है (.) निधि निर्धारण प्रत्येक राज्य में 1990-91 के दौरान 2 हैक्टेयर तक की भूमि धारण करने वाले छोटे और मार्जिनल किसानों द्वारा धारित क्षेत्र और उर्वरकों को प्रति हैक्टेयर औसत खपत के आधार पर किया गया है (.) आपको निधियों को निर्मुक्ति किश्तों में की जाएगी और आप अगस्त तथा सितम्बर के लिए अपनी आवश्यकता हमें शीघ्र सूचित करें तथा आगे के छह महीनों के लिए भी प्रत्येक महीने की आवश्यकता बताएं (.)

(4) छोटे तथा मार्जिनल किसानों को प्रतिपूर्ण करने की पदधति विकसित करने की आवश्यक छूट आपको है (.) तथापि, छोटे और मार्जिनल किसानों को सही तरह से अभिज्ञात करके, उनके द्वारा गई उर्वरकों की खरीद के प्रमाणु उनके द्वारा धारित क्षेत्र, विगत में उनके द्वारा प्रयोग की गई उर्वरकों की मात्रा से संबंधित ब्यौरा देख कर ही प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए और आप ऐसी राजसहायता प्राप्त सप्लाई के लिए एक निर्धारित क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध मात्रा को भी ध्यान में रखें (.)

(5) आप विस्तृत योजनाएं तैयार कर सकते हैं और उन्हें तत्काल कार्यान्वित कर सकते (.) आपके द्वारा कार्यान्वित को जा रही योजना की एक प्रति रिकार्ड के लिए हमें भेज दी जाए (.) यह पुनः दोहराया जाता है कि किसी भी राज्य को ऊपर बताई गई राशि के अलावा कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी (.) शुभकामनाओं सहित।

प्रेषित न किया जाए :—

ह०/—

सचित (कृषि और सहकारिता)

विवरण-2

"छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए उर्वरक पर राजसहायता योजना के संबंध में 21.8.1991 को जारी किये गये दिया निर्देशों की प्रति।

प्रेषक : सचिव

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली

सेवा में : सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि) और संग शासित क्षेत्रों के प्रशासक।

संख्या 21.4.91 (एम.) (.) उर्वरकों के मूल्यों में संशोधन और छोटे और मार्जिल किसानों को ऊर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि से छूट देने के लिये योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मेरा 14.8.91 का समसंख्यक टेलेक्स (.) योजना क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों, जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है, को देखते हुये राज्य सरकारों को छोटे और मार्जिनल किसानों को प्रतिपूर्ति करने की योजना तैयार करने के लिये पर्याप्त छूट दी गई थी (.) तथापि लाभानुभोगियों को सही रूप से अभिज्ञात करने और उर्वरक के प्रयोग आदि को सुनिश्चित करने के लिये, यह अनुरोध किया जाता है कि लक्ष्य समूहों को लाभ पहुंचाने की पद्धतियों, ऋण चैनल को ऐसी डिलीवरी के मुख्य साधन रूप में प्रयोग करके तैयार की जाये (.) तदनुसार विस्तृत योजनायें तैयार की जायें और उनकी एक प्रति हमारे रिकार्ड के लिए भेज दें (.) शुभ कामनाओं सहित।

प्रेषित न किया न जाए :—

ह०/—

सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

उपर्युक्त टेलेक्स की पुष्टि में डाक द्वारा प्रेषित। कृपया योजना तैयार करें और उसकी एक प्रति शीघ्र हीं इस मंत्रालय को भिजवा दें।

ह०/—

(एम.आर. मोतसरा)

आयुक्त (एफ०टी०)

विवरण-3

छोटे और मार्जिनल किसानों को उर्वरक पर राजसहा से संबंधित योजना के अन्तर्गत निधि का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार आवंटन और पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण—(1991-92)

राज्य का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)	निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	69·275	17·105
कर्नाटक	8·420	2·079
केरल	12·137	2·997
तमिलनाडु	53·973	13.327
गुजरात	11·525	2·546
मध्य प्रदेश	14·478	3.575
महाराष्ट्र	31·757	7·841
राजस्थान	5.098	1·859
गोवा	5·225	0·850
हरियाणा	7·604	1·878
पंजाब	9·016	2·226
उत्तर प्रदेश	24·691	93·375
हिमाचल प्रदेश	1.718	0·424
जम्मू और कश्मीर	2 830	0·699
बिहार	35·28	8·713
उड़ीसा	5·742	1·418
पश्चिम बंगाल	37·002	9·136
असम	1·479	0.365
त्रिपुरा	0·840	0·208

1	2	3
मणिपुर	0·525	0·130
मेघालय	0·150	0·037
नागालैण्ड	0.018	0·004
सिक्किम	0·031	0·008
अरुणाचल प्रदेश	0·012	0·003
मिजोरम	0·048	0·012
पांडिचेरी	0·678	0·107
चण्डीगढ़	0·127*	*इन संघ आयात क्षेत्रों के संबंध में, *जिसमें विधान सभा नहीं है, व्यय *संबंधित प्रशासनों द्वारा उनके *बजट सावधान में से वहन किया जायेगा।
दमन और दीव	0·013*	
दिल्ली	0·276*	
दादर और नगर हवेली	0·050*	
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	0·008*	
	405·000	00·886

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शून्यकाल में धनबाद में अभी पिछले हफ्ते घटित लोमहर्षक कविता सोलंकी अपहरण कांड की ओर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और बिहार में, खास तौर से धनबाद में बढ़ती हुई अराजकता के सामने हमारा समाज कैसा असहाय हो गया है, यह मैं केन्द्र सरकार को बताना चाहूंगी।

गत 25 नवम्बर की शाम को सात बजे श्रीमती कविता सोलंकी को उनके घर से चार गुंडे जबर्दस्ती खींच कर कार में ले गये। ध्यान रहे, श्रीमती सोलंकी मध्यम वर्ग की एक प्रतिठिटत महिला है और उनकी तीन किशोर पुत्रियां हैं। उनका घर भी एक घने बसे हुए मोहल्ले में है। जब इनके पति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये, तो थाने एालों ने 6 घंटों तक उनका बयान नहीं लिखा और ऐसा व्यवहार किया मानो पत्नी नहीं, कोई सूटकेस खो गया हो। यही नहीं, जिस व्यक्ति पर श्री सोलंकी को संदेह था, उसे पुलिस पूछताछ के लिये थाने पर लाई थी तो एक विशेष राजनीतिक दल

के कार्यकर्त्ता उसे फौरन छुड़ा कर ले गये। पूरे दो दिनों तक डी० सी० तथा सी० पी० ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में जब मैंने उन्हें नोटिस दिया कि यदि 28 तारीख की सुबह तक श्रीमती सोलंकी नहीं मिलती हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में भयंकर प्रदर्शन करेंगे तो दूसरे ही दिन अपहरणकर्ता एक रिक्शे पर बेहोश श्रीमती सोलंकी को उनके घर के आगे छोड़ गये। श्रीमती सोलंकी अभी भी चिन्ताजनक स्थिति में हास्पिटल में ही हैं। जरा सा होश आते ही पुरुष डाक्टर को देखकर भी भय के मारे से बेहोश हो जाती हैं; पति तथा बच्चों को भी पहचान नहीं पातीं। थोड़ी होश आने पर वे चिल्लाने लगीं—"मुझे धनबाद छोड़ दो, वे मुझे बनारस में बेच देंगे"······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत पढ़ रही हैं।

[अनुवाद]

आपको संक्षेप में बताना है।

[हिन्दी]

श्रीमति रीता वर्मा : यही हालत कम या ज्यादा पूरे बिहार में है। लगता ही नहीं कि हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं। लगता है कि हम मध्य युग के अंधकार में जी रहे हैं। सोचने की बात है कि यह कहानी न केवल एक स्त्री पर अत्याचार की है वरन् वह बहन भी हरिजन समाज की है। आज बिहार में स्त्रियों और हरिजनों पर अत्याचार के मामले बेहिसाब बढ़ गए हैं। मैं चाहूंगी कि सदन एकमत होकर इस घटना की निन्दा करे तथा माननीय गृह मंत्री इस पर एक वक्तव्य दें। मैं यह मांग करूंगी कि श्रीमती कविता सोलंकी को दिल्ली लाकर ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट में उनका इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाए, दिल्ली में हीं उनका बयान लिया जाये क्योंकि धनवाद में उनकी जान को भी ख़तरा हैं और भयमुक्त तो वह हो भी नहीं सकेंगी।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सरकार से जानकारी चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं······(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : वह खड़े हैं।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : एक बैठे हैं और एक खड़े हैं। पहली बात तो पिछले सोमवार को मेघालय पर चर्चा होने वाली थी और सरकार ने सदन से अनुरोध किया था कि आज इसको स्थगित करें और 2-3 दिन बाद इसको लें। कोई औपचारिक रूप से बृहस्पतिवार की बात नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लगा था कि हम बृहस्पतिवार को मेघालय पर चर्चा करेंगे। आज की लिस्ट ऑफ बिजनस में हमने देखा कि मेघालय नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि उस विषय में कब निर्णय होगा क्योंकि 11 दिसम्बर से पहले-पहले जो कुछ करना है राष्ट्रपति के शासन के सम्बन्ध में, वह सरकार को निर्णय करना होगा। दूसरा, परसों दिल्ली के विषय में जब सवाल उठा था तो फिर सांसदों से बातचीत भी हुई थी। कल सदन के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत हुई थी और हम को यह लगा·······(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सिर्फ यह बताया गया है कि मंत्री महोदय आज वक्तव्य देने जा रहे हैं। यह मुझे केवल एक मिनट पहले मिला है । वह सायं 4.30 बजे वक्तव्य देंगे। श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुटा) : क्या आप मेरी बात सुनने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेघालय के बारे में क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उस दिन मेघालय लिस्टिड था और सदन की अनुमति से उस दिन दोनों प्रस्तावों को विचारार्थ नहीं किया गया ।........**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह उस समय पता लगाएंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं भी मेघालय के बारे में बोलना चाहती हूं कि क्योंकि सांविधिक संकल्प उनके नाम है और मेरे नाम भी है। उनका समर्थन करते हुए मैं अपने विषय पर आ रही हूं ।

महोदय, कभी-कभी विदेशों के कुछ समाचार पत्र मालिकों की ओर से भारतीय समाचार पत्र मालिकों के साथ सहयोग करने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसा समाचार मिला है कि लन्दन के **फाइनेंशियल टाइम्स** के मालिक भारत के एक बड़े समाचार पत्र के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि इन सहयोगों की अनुमति दे दी जाती है, तो यह हमारे देश के लिए और हमारे पत्रकारों के लिए हानिकारक होगा। हानिकारक इसलिए क्योंकि भारत अभी तक विदेशी समाचार स्रोतों पर विशेषरूप से ब्रिटेन और अमरीका के समाचार स्रोतों पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। इनमें से अधिकांश स्रोनों का अपना अलग दृष्टिकोण है, जो आवश्यक रूप से हमारे देश के बेहतर हित में नहीं है।

इसके अलावा यदि विदेशी सहयोग की अनुमनि दे दी जाती है, तो हमें सम्पादक और यहां तक कि उप-सम्पादक भी विदेशी मूल के रखने होंगे। कई बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अतः, मैं आपके माध्यम से इस मामले की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं। चूंकि सूचना और प्रसारण मंत्री यहां नही है तथा संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं है, इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाने का अनुरोध करती हूं।.......**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह यहां बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सोचती हैं कि वह केवल तभी सुन सकते हैं जब वह अपने स्थान पर बैठे हों।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ बात करें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं अब जो मुद्दा उठाना चाहता हूं यह केवल प्रक्रिया का मुद्दा है । मैंने कल यह मुद्दा उठाया था उस समय आप पीठासीन नहीं थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे । मैं जानता हूं कि आप इस समय जिन मामलों को उठाने की अनुमति दे रहे हैं सरकार के लिए उन सब का उत्तर देना संभव नहीं है । किन्तु, महोदय, बाद में संबंधित सदस्यों को इस बात की जानकारी देने के लिए तो कम से कम कुछ कदम तो उठाए ही जाने चाहिए कि इन मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । मुझे आशा है कि नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जो कार्यवाही की जाती है वह इस पर भी की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं इसका तत्काल उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपके साथ कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा करूंगा ।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि किया जाना न केवल अनुचित बात है बल्कि विश्वविद्यालय के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं ने अपनी फीस में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि कर दी है जिससे पूरी दिल्ली में, देश की राजधानी में, छात्रों को भारी परेशानी हो रही है ।

कल काफी बड़ी संख्या में छात्रों ने मुझसे भेंट की और मुझे फीस में वृद्धि के बारे में बताया । केवल परीक्षा शुल्क में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि अंक पत्र शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क, प्रवास तथा अन्य विशेष प्रमाण पत्र, नामांकन शुल्क, विलम्ब शुल्क, पुर्नमूल्यांकन शुल्क, पुनः जांच शुल्क, उपाधि की दूसरी प्रति दिए जाने का शुल्क जैसे अन्य प्रशासकीय प्रभारों में भी 100 प्रनिशत वृद्धि की गई है । मैं इन शुल्कों के बारे में विभिन्न बातों को विस्तार से बताने में सभा का समय नहीं लूंगा ।

ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने यह कदस उठाने से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालव छात्र संघ से भी परामर्श नहीं किया है जो कि छात्रों का एक निर्वाचित निकाय है।

कल मुझे अखिल भारतीय छात्र युवा मंच, जिसमें अनेक छात्र संनठन और संघ शामिल हैं, ने बताया कि दिल्ली में अधिकारियों ने इन शुल्कों में कैसे वृद्धि की है ।

महोदय, दिल्ली में न तो विधान सभा है, न महानगर परिषद है, न निर्वाचित निगम है और न तिर्वाचित नई दिल्ली नगर पालिका है । केवल एक निर्वाचित निकाय है, वह है दिल्ली छात्र संघ । इसे विश्वास में लिया जाना चाहिए था ।

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि यह वृद्धि आज भारत सरकार द्वारा रोक दी जाए ? इसमें छात्र शामिल हैं; शिक्षक शामिल हैं और माता-पिता शामिल है । शुल्क में इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि से गरीब माता-पिता बुरी तरह प्रभावित होंगे उनके बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली में अधिकारियों ने फीस में वृद्धि कर दी है । अब, दुर्भाग्य से संसदीय कार्य मंत्री भी दिखाई नहीं देते हैं । क्या मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें और दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके अधिकारियों से तत्काल स्थगन आदेश जारी करने को कहें । दिल्ली में चल रहीं प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं लाभप्रद रूप में कार्य कर रही हैं । वे इससे पैसा कमा रही हैं । यदि दिल्ली विश्वविद्यालय में धन की कमी है, तो उन्हें इन संगठनों से धन वसूल करने दीजिए जो शिक्षा के नाम पर लोगों को लूट रहे है। संभवतः, दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो शांतिपूर्ण है । प्रशासन के इस अविवेकपूर्ण कार्य से इसकी शांति भंग मत होने दीजिए ।...... **(व्यवधान)**

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, बूटा सिंह जी ने कहा है हम उसका समर्थन करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के एम० पी० से भी इस बारे में बात नहीं हुई है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली का कोई ढांचा न हो जाए तब तक फीस के अन्दर जो वृद्धि है वह अनुचित है और यह एन्टी पीपल होगी ।...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान दिल्ली की परियोजनाओं की तरफ दिलानैा चाहता हूं जहां विदेशी कोलावरेशन से परियोजनाएं बनती हैं । विद्युत मंत्री जी आप बैठ जाइए क्योंकि यह आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल है । मैं उन परियोजनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो विदेशी सहयोग से बनाई जाती हैं जैसे—रिहन्द थर्मल पावर, विंध्याचल थर्मल पावर, ये ब्रिटेन, रशिया और जापान के सहयोग से बनाई जा रही हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो सामान हिन्दुस्तान में उपलब्ध है वह सामान विदेशों से महंगे दर पर क्यों मंगाया जाता है, जब इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो कौन एग्रीमेंट करता है ? जब कि विदेशों से हिन्दुस्तान में बनाया हुआ सामान उपलब्ध है इसके वावजूद पांच गुना महंगे दर पर उपलब्ध होने वाला विदेशी सामान हिन्दुस्तान की इन परियोजनाओं में लगता है ।

बिजली बनाने की जो परियोजनाएं वनती हैं और जो विदेशी कोलावरेशन से परियोजनाएं बनती है, यह एक तरह का व्यापार है । व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों देशों को सोचना चाहिए और एक देश अगर सोचता है कि हम यह परियोजनाएं बिजली के संबंध में कोलावरेशन करते हैं तो मेरा लाभ हो रहा है, तो हिन्दुस्तान के जो लोग एग्रीमेंट करते हैं वे यह क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रीय लाभ की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता । मैं पूछना चाहता हूं कि एक बोफोर्स मामले में,

चाहे वह झूठा हो या सच्चा हो, इस कारण से देश की सरकार गिरा दी गई और इतना बड़ा बोफोर्स जैसा मामला बिलली की परियोजनाओं में हो रहा है, तो इसके लिए सदन में बहस होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यह बात समझ लेनी चाहिए कि चाहिए कि सरकार विद्युत मंत्रालय में बी०एच०ई० एल० की बजाय जी० ई० सी० के लिए एक 4000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजना पर विचार कर रही है। विद्युत मंत्री जी० ई० सी० से विद्युत संयन्त्र खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि बी० एच० ई० एल० के बजाय जी० ई० सी० को यह आदेश क्यों दिया जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूं। मैं सोचता हूं कि यह कार्य हमारे देश के हित के बिलकुल प्रतिकूल है। इससे हमारी औद्योगिक छवि को क्षति पहुंचेगी जो विद्युत उत्पादन संयन्त्रों के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छी है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं यह मांग करता हूं कि वह सभा में सभी बातों को स्पष्ट करें। अन्यथा, कृपया आप इस विषय पर बहुत ही निकट भविष्य में चर्चा की मांग को स्वीकार करें। **(व्यवधान)** वह चुप क्यों हैं? हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है? ......**(व्यवधान)** महोदय, यह हमारा अपमान है। **(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, उन्हें जवाब देना चाहिए।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 38000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के जितने भी आर्डर्स हैं, वे सब इस विभाग की तरफ से दिए जाते हैं। दानी 38000 मेगावाट में अगर वन फोर्थ आर्डर भी बी० एच० ई० एल० ले ले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यनाद दूंगा। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : समस्या यह है कि उन्हें सरकार से आर्डर नहीं मिल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : आप जान बूझ कर तबाह कर रहे हैं।......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको माननीय सदस्यों की शंका का समाधान करना है, मुझे समाधान नहीं करना है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : आप बी० एच० ई० एल० के बजाय जी० ई० सी० पर विचार क्यों कर रहे हैं ? यह बहुत ही अपमानजनक बात है। हम यह मांग करते हैं कि इस मामले में संसदीय जांच होनी चाहिए, यदि उन्होंने रिहन्द परियोजना को जी० ई० सी० को देने का निर्णय ले लिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय वे क्षमता के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। उनके पास इस कार्य को लेने की क्षमता है। इसके बावजूद उन्हें यह आर्डर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राव : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : आपने जवाब नहीं दिया है। जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब दीजिए।........ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : रिहन्द परियोजना के बारे में आप बी० एच० ई० एल० की बजाय बहुराष्ट्रीय कम्पनी जी० ई० सी० पर क्यों विचार कर रहे हैं। यह बहुत ही अपमानजनक बात है। हम यह मांग करते हैं कि इस सम्बन्ध में संसदीय जांच होनी चाहिए यदि उन्होंने इस जी० ई० सी० को सौंपने का निर्णय ले लिया है।

श्री तरित बरण तोपदार : आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नुकसान पहुंचा कर जी०ई०सी० के साथ इतनी निकटता क्यों बढ़ा रहे हैं। .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्हें बताना चाहिए कि क्षमता कितनी है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछा है, अब मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो उनको

बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई प्रश्न माननीय सदस्य पूछें तो मैं उसका उत्तर दे दूं । जहां तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के इक्वीपमेंट्स की बात है, जितने भी आर्डर्स हम देते हैं, उतना वे सप्लाई नहीं कर पाते हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को जितना आदेश होता है, उतना हमारा मंत्रालय देता है । अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, मैं माननीय सदस्यों को जवाब दूंगा, या माननीय सदस्य प्रश्न पूछें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, मैं आपके लिए प्रश्न बना रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइए । आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । आप इस तरह खड़े हो रहे हैं । मैं इस बात की सराहना नहीं करता । मंत्री जी, वे यह जानना चाहते हैं कि यह आदेश बी० एच० ई० एल० को न देकर किसी और को क्यों दिया गया । अब, यदि मैं आपको सही समझ पाया हूं......

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो समझा है, आप कहना चाहते हैं कि बी० एच० ई० एल० की कैपसिटी नहीं है यह बनाने की, इसलिए आप दूसरे को देना चाहते हैं । अगर सही है तो कुछ और इस संबंध में आपको बोलना है तो बोल दीजिए । इनकी भावना को समझिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने प्रश्न उठाया, वे जवाब देने के लिए खड़े हैं । आप जवाब सुन ही नहीं रहे हैं । ऐसे नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको खुश होना चाहिए कि मिनिस्टर आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं । आप इनको बोलने दीजिए । आप जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी सहायता करिए। आप ना ही तो अपनी सहायता कर रहे हैं, न मेरी सहायता कर रहे हैं और ना ही मंत्री की सहायता कर रहे हैं। आप केवल चुप रहिए और समझ लीजिए कि आपने मेरी सहायता कर दी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि वह क्षमता उपयोग प्रतिशत का उत्तर देते हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, मैं आपके इस तरह हर समय खड़े रहने के व्यवहार की सराहना नहीं कर सकता। कृपया उन्हें पहले बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

वी० एच० ई० एल० को क्यों आर्डर नहीं दे रहे हैं, दूसरों को क्यों दे रहे हैं, इस संबंध में आपकी कुछ एक्सप्लेनेशन है तो दे दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय चटर्जी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो कहें वह मैं करने को तैयार हूं।····**(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, बिना नोटिस दिए वह कैसे जवाब दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं। शक्तिशाली विद्युत मंत्री सभा में तथा सभा के बाहर भी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। आपको उनकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सारांश में बता दिया है कि बी० एच० ई० एल० के पास पर्याप्त क्षमता नहीं हैं और यही कारण है कि आर्डर दिया गया है। यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है। यही उत्तर है। जी हां, अरविन्द नेतामजी।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम (काकेर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में पुर्नवास के मामले को लेकर जो शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया जा रहा है, वहां की पुलिस द्वारा आन्दोलनकारियों के साथ वर्वरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उनको जेलों में भरा जा रहा है। महिलाओं को बच्चों के साथ वहां की पुलिस का जो दमन का तरीका है उस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23 नवम्बर को खलघाट-मनावमार्ग में शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो रहा था, वहां पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों को मारा गया, पीटा गया। उनको जब थाने में ले गए तो वहां भी पीटा गया, मारा गया। इसी तरीके से बरहेड़ी ब्लाक में चार आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। वहां क्षेत्र के आदिवासी लोगों ने इसका विरध किया तो पुलिस ने उनको खूब मारा, पीटा और जेल में बन्द कर दिया। जेल में जिनको बन्द किया उनमें 6 महिलाएं 60 साल से अधिक वर्ग की हैं और कुछ महिलाओं के साथ, जिनकी गोद में बच्चे हैं, बुरा सलूक किया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम

से मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और मध्य प्रदेश की पुलिस का जो दमनकारी रवैया वह किस तरह से कम हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

12.25 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि पार्लियामेंट की शेडयूल्ड कॉस्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमेटी है उस कमेटी को तत्काल उस इलाके में भेजा जाए। पुर्नवास के मामले को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे, उनके साथ पुलिस और प्रशासन इस ढंग से निदर्यतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, ग्वालियर में हमारे एक बड़े औद्योगिक घराने की फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ है जिसमें 12 व्यक्ति मर गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश न करने को हम उत्सुक हैं और ऐसे लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जी० ई० सी० के बारे में बात कर रहे थे। हमने अभी तक सबक नहीं सीखा है। कुछ वर्ष पूर्व, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी यू० सी० सी० ने भोपाल में लाखों लोगों के जीवन को लगभग तबाह कर दिया था। हमारे देश ने श्रमिकों के जीवन के लिए निजी क्षेत्र को इतनी ही चिन्ता है।

मैं सम्बन्धित मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि देश में निजी क्षेत्र बड़े औद्योगिक घरानों तथा बहुराष्ट्रिकों द्वारा अन्धाधुन्ध लापरवाही के बारे में वे क्या करने जा रहे हैं। बेशक, हम लड़ेंगे और 12 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। यदि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में होने वाली दुर्घटना जैसी दुर्घटना होती तो कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस ग्रेसिम फैक्ट्री के मालिक की खिचाई की जाएगी या नहीं। उनमें से किसी को दण्डित किया जाएगा या नहीं, जब तक ऐसे बड़े औद्योगिक घराने यह आश्वासन न दें कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी क्या उनको हमारी वित्तीय संस्थाओं से दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को निजी क्षेत्र को सौंपने से पहले आपको उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। मैं यही बात बताना चाहता था और मैंने पहले सभा का ध्यान इसी बात की ओर दिलाने की कोशिश की थी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने एक सूची है। मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा। कृपया अपने भाषण को एक या डेढ़ मिनट तक ही सीमित रखिए। मैं उन वक्ताओं का ध्यान रख रहा हूं कि जिन्हें इस चर्चा में भाग लेना है। अब श्री द्वारिकानाथ दास बोलेंगे।

श्री द्वारिकानाथ दास (करीमगंज) : महोदय, त्रिपुरा तथा असम के करीमगंज जिले के दक्षिण भाग के लोग कुमारघाट से गुवाहाटी के बीच सीधी रेल सेवा न होने के कारण बहुत कष्ट झेल रहे हैं। यह काफी समय में पहले चली आ रही मांग है और यह बात समक्ष में नहीं आई कि नार्थ फ्रंटीयर

रेलवे के अधिकारी इसे स्वीकृति क्यों नहीं दे सकते। यात्रियों को टिकटों के आरक्षण के लिए करीमगंज या बदरपुर जाना पड़ता है। फिलहाल बारक घाटी एक्सप्रैस तथा कछार एक्सप्रैस, दोनों सिलचर से चलती है; परन्तु नए प्रबंध की दशा में पहले गाड़ी सिल्चर से तथा दूसरी करीमगंज से चल सकती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कुमारघाट से एक नई रेल सेवा शुरू की जाए। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें तथा त्रिपुरा और करीमगंज जिले के यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियां चलाने हेतु प्रस्तावित नए प्रबंध करें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, मेरे पास रखी सूची के अनुसार ही नाम पुकारूंगा। आपको हाथ खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। सूची में 49 लोगों के नाम हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आप सूची पढ़ दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, यह मामला कल उठाया गया था। सूची पढ़ने पर पांच मिनट लगेंगे तो जिसमें दो सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर और सरदार सरोवर, दो बांध बन रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों पर्यावरण के आंदोलन के कारण तथा विश्व बैंक द्वारा.........**(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। डा० पाण्डेय को बोलने दें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जो, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जो नर्मदा सागर का बांध बन रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग दो सौ गांव डूब रहे हैं। हाल ही में पर्यावरण का आंदोलन चलाया गया, उसके कारण आदिवासियों में बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है और साथ ही विश्व बैंक द्वारा ऋण न देने की बात को प्रचारित किया जा रहा है कि योजना अब आगे नहीं बढ़ेगी तथा बांध की ऊंचाई भी कम होने वाली है और जो गुजरात तथा मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाली है और इस दृष्टि से विश्व बैंक के प्रति यह कहा जायेगा कि इस बारे में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, यह चिंताजनक बात है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्या इस स्थिति में जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश

में वित्तीय साधन सीमित हैं और यदि विश्व बैंक भी उसके बारे में ऋण देने से इनकार कर दें तो केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण दिलायेगी अथवा इसकी क्या स्थिति रहेगी ? यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा····

श्री राम नाईक : नर्मदा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मंत्री जी ख्याल करें।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : विश्व बैंक द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों के पास पैसा नहीं है, इस स्थिति में क्या केन्द्र सरकार धन उपलब्ध करायेगी ताकि सरदार सरोवर और नर्मदा सागर योजनायें समयबद्ध रूप से पूरी हो जायें और वर्षों से लम्बित योजनाओं के पूरा होने से राज्य सरकारों को लाभ मिल सके। सरदार सरोवर से गुजरात और नर्मदा सागर से मध्य प्रदेश लाभान्वित होंगे।

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : पाण्डेय जी ने जो बात कही है यह इतनी जरूरी है कि अगर मंत्री जी इस पर सीरियस नहीं होंगे तो इतना ओवर एस्टीमेट हो जायेगा कि इस पर दिक्कत आयेगी। इसलिए आप इस पर चिन्ता करें और नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर पूरा करायें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रकार वाद-विवाद जारी नहीं रख सकते हैं विशेषकर प्रश्न काल समाप्त होने के तत्काल पश्चात केवल आसामन्य विषय उठाये जाने चाहिएं। सामान्य विषयों के संबंध में आम नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। आप स्थगन प्रस्ताव को इस प्रकार लम्बा नहीं खींच सकते। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा तय की गई है, जैसे, सदन में आते समय कुछ महत्वपूर्ण विषय आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और आप इन विषयों को सदन में उठाते हैं, तो ठीक हैं, किन्तु यदि आप सदन में ऐसे मामले उठाते है जैसे रेलगाड़ी अथवा विमान देर से पहुंचते हैं या अस्पताल में डाक्टर उपस्थित नहीं है तो आप शून्यकाल काल की महत्ता को घटाते हैं। इसलिए मैं आपसे शून्य काल की महत्ता व गंभीरता को समझने का आग्रह करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यथासमय इन विषयों को उठा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : गाड़ी अथवा विमान का देर से पहुंचना, डाक्टर का अस्पताल से अनुपस्थित रहना—यह सब आम बातें हैं। इन्हें सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब रेलगाड़ी समय पर पहुंचे, तब आप ऐसे मुद्दे उठायें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री श्रीकान्त जेना। अब श्री अयूब खां बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं।

कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका ध्यान दूरदर्शन द्वारा संसद की कार्यवाही दिखाने के सम्बन्ध में जो सरकार का आठ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। संसद की कार्यवाही आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा इसके अंश हर रोज प्रसारित किए जाते हैं, बावजूद इसके कि मुल्क की ऐसी आर्थिक स्थिति है और इस आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह जो कार्यवाही दूरदर्शन पर दिखाई जा रही है जिससे कि इतना खर्चा होता है यह वास्तव में व्यर्थ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे राजस्थान का वह इलाका जहां पानी की इतनी समस्या है, लोग दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह कोस से पानी लेने के लिए जाते हैं, क्यों नहीं इस पैसे का वहां इस्तेमाल किया जा सके ताकि लोगों को पानी मुहैया हो सके और उस इलाके की गरीब स्थिति को सुधारा जा सके, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इससे आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : दिखाना चाहते हैं तो जिस तरह से दूसरे सीरियल दिखाते हैं इसको भी स्पोंसर्ड प्रोग्राम के रूप में दिखायें।

श्री चित्त बसु : कोई इंडस्ट्रियल हाउस की लाइसेंस दे दें।

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : 1144 नं० छपरा-ग्वालियर एक्सप्रेस को छपरा से मुजफ्फरपुर तक बढ़ाने के लिए पूर्व में भी कई बार बहस की गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर का यह कहना है कि वहां रेक रखने की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि मुजफ्फरपुर-टाटा एक्सप्रेस को छपरा टू टाटा कर दिया जाए। तो यह रैक रखने की सहूलियत हो जायेगी और इस ग्वालियर मेल को मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी और रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी।

श्री मोरेश्वर रावे (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान वायुदूत के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर की जा रही एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिसके कारण वायुदूत का 14 लाख रुपया पहले ही डूब चुका है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जैसे जिम्मेदार पद पर नियुक्त किए जा रहे इस अधिकारी की नियुक्ति बिना किसी खुफिया जांच के की जा रही है। इसके लिए 28 नवम्बर को साक्षात्कार हुआ और 30 नवम्बर, को इसकी नियुक्ति के लिए केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए और 2 दिसम्बर को प्रधानमंत्री से मंजूरी ले ली गयी। सात सदस्यों वाली एक निजी संस्था में पॉयलट रहे जा चुके इस व्यक्ति को अब दो हजार व्यक्तियों की संख्या वाली इतनी बड़ी संस्था का सर्वेसर्वा बना दिया जा रहा है। जो सब के लिए एक शंका का विषय है। इस व्यक्ति की योग्यता के बारे में सिर्फ यही बात है कि इसने विगत चुनावों में सत्ताधारी दल के कई महत्वपूर्ण नेताओं का विमान चलाया था। बाद में नागरिक उडडयन मंत्री को हैलीकाप्टर उड़ाना सिखाना था। वायूदूर के अधिकारियों का कहना है कि एक बड़ा निजी औद्योगिक इसके माध्यम से वायुदूत पर कब्जा करना चाहता है। अतः मेरी मांग है कि पहले ही वायूदूत अरबों रुपये के घाटे में चला आ रहा है। अतः वायुदूत सेवा की बचाने के लिए इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से पूर्व पूरी जांच कर ली जाये और उसके बाद ही ही नियुक्ति की जाये।

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अनेक जिले में भयंकर सूखे की स्थिति है। धान, मूंगफली की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। सोयाबीन कम हुआ है और गेहूं की तो बोनी ही नहीं हो पायी है। जिला प्रशासन से बहुत पहले ही रिपोर्ट भेज दी गयी है परन्तु सारा शासन चंद उप चुनावों में लगा रहा है और इस दैविक विपदा से उत्पन्न संकटपूर्ण स्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के 1991-92 वर्ष के 37 करोड़ रु० के आपदा राहत कोष का केन्द्र सरकार ने अपने अंश की राशि में से तीन त्रैमासिक किश्तों में 20.81 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया है।

मजदूर काम की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। बड़े पैमाने पर कार्य जैसे सिंचाई बांध, लम्बी सड़कें आदि तुरन्त खोले जाएं ताकि मजदूरों को अगली फसल की बोनी तक यानि जून महीने तक अनवरत रोजगार मिल सके।

पान की कमी और कमी सें उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लिए पूर्व तैयारी, किसानों को अगली बोनी के लिए बीज, खाद अपने वायदे के अनुसार कर्ज माफी, आदि पर तुरन्त कार्यवाही अध्य-प्रदेश शासन करे।

केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वे आपदा राहत कोष की अपनी शेष अंश राशि देने का कष्ट करे और मध्य प्रदेश सरकार को मजदूरों और किसानों के हित में शीघ्र इस विपदाजन्य कठिनाइयों को युद्धस्तर पर दूर करने के लिए निर्देशित करे। धन्यवाद।

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। गंगा मुक्ति संगठन बिहार में जयप्रकाश बाबू की संघर्ष वाहिनी का अंग है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा है जिसमें नेपाल में बनने वाले हाई डैम्स को बनने से रोक दिया है। पत्र में उत्तर-काशी में आये भूकम्प का जिक्र करते हुए लिखा है कि नया पहाड़ होने के कारण पूरा हिमाचल क्षेत्र के भूकम्प के लिए अत्यन्त संवेदनशील है। 20 अक्तूबर, 1991 को उत्तरकाशी में आये भूकम्प की क्षमता 6.4 रियेक्टर स्केल पर मापा गया है। वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि 8.2 रियेक्टर स्केल इसके भू-भाग के किसी भी केन्द्र में आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सोवियत रूस के आर्मीनिया प्रदेश में 7 दिसम्बर, 1988 को आये भूकम्प में एक लाख से ज्यादा लोग मरे थे और भूकम्प के बाद रूस के प्रमुख वैज्ञानिक नर्सेसेव ने स्वीकार किया था कि जरूरी उपकरणों के अभाव में भूकम्प की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर चुके रूस की जब यह हालत है तो भारत और नेपाल की स्थिति क्या रह जायेगी ? अभी हाल ही के उत्तरकाशी के भूकम्प का भी पूर्वानुमान नहीं था, न भारतीय भूकम्प वैज्ञानिक और न ही अमेरिकी वेधशालायें इसका अनुमान कर पाये हैं। भूकंप के किसी गंभीर झटके से सैकड़ों मीटर ऊंचे बांधों के ध्वस्त होने की संभावित स्थिति में जल प्रलय की आशंका से यहां के लोगों का हृदय कांप उठा है। अतः मेरा अनुरोध है कि नेपाल के प्रस्तावित हाइडलों के निर्माण के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री से कोई करार न किया जाए। उत्तर प्रदेश की बाढ़ समस्या के हल के लिए श्री के० एल० राव के सुझाव के अनुसार गंगा के पानी को नहर द्वारा दामोदर में लाने का प्रयास किया जाए।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो अनुभव मैंने स्वयं प्राप्त किया है उस आधार पर कि 4 नवम्बर, 1991 को मैं अपने परिवार के साथ लक्षद्वीप-टापू घूमने के लिए कोचीन से "टीपू सुल्तान" जहाज में गई थी। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि मुसाफिरों को बहुत परेशान करके, उन पर दबाव डालकर अनधिकृत सामान को जबरदस्ती इस जहाज पर डालकर ले जाने के लिए इस जहाज के अधिकारी गणों को बार-बार कहा गया और इस जहाज के इमरजेन्सी डोर के पास ही सामान रखा गया। चूंकि यह "टीपू सुल्तान" पैसेन्जर शिप है इसलिए संकट के समय मुसाफिरों की क्या हालत हो सकती है। यह सिर्फ ईश्वर के सहारे छोड़ दिया जाता है।

कोचीन और लक्षद्वीप की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है और वह जहाज के अधिकारीगण को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। इस प्रकार की घटनाएं भूतकाल में भी हुई हैं और दोषी व्यक्तियों को सजा भी दी गई है किन्तु इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। ये सब हरकतें मुसाफिर जहाज से दूर करने के लिए पूछताछ करके सामान की हेराफेरी बंद करें, ऐसी मेरी सरकार से प्रार्थना है, और सरकार शीघ्र ही ठोस कदम उठाएगी ऐसी मैं अपेक्षा करती हूं।

मोहम्मद अली असरफ फातमी (दरभंगा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान एक ऐसे मर्ज की तरफ ले जाना चाहता हूं जिससे बिहार के कम से कम 30 जिले अफैक्टैड हैं और उसका नाम है—काला जार। कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से अफैक्टैड हैं। यह बीमारी ऐपिडैमिक की तरह बिहार में फैल रही है और दरभंगा, जहां से मैं आता हूं, वहां पर 1987 में 1123 पैशेंट थे और उस साल 10 डैथ हुई थीं, वह आज की तारीख में जो मेरे पास स्टेटेस्टिक्स हैं अक्तूबर 91 तक, यह पेशेंट बढ़कर 4211 हो गए हैं और जो डैथ का ऑफिशियल रिकार्ड मेरे पास है। वह 35 तक पहुंच गया है।

महोदय, मैं इतना जानता हूं कि यह सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार ने दिए हैं और अगर देखा जाए वहां जाकर किसी सामाजिक संस्था के जरिए, तो मालूम होगा कि सिर्फ हमारे जिले में 200 लोग इस साल मर चुके है अब तक की तारीख में। यह बहुत सीरियस मैटर है और इसको बहुत गंभीरता से देखा जाए। दवा की इतनी कमी है कि कम से कम हमारे जिले में हजार डेढ़ हजार लोग हस्पताल में पड़े हैं और यह जो दवा आती है, बाहर से इंपोर्ट होती है जिसका नाम है— 'पेण्टामेडीन', इसकी इतनी शॉर्टेज है बिहार के अन्दर जिसका हम बयान नहीं कर सकते और इसके प्रिवेंशन के लिए भी मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जनवरी या फरवरी में अगर डी० डी० टी० के छिड़काव काम नहीं किया गया तो यह मर्ज रूक नहीं पाएगा। बल्कि इस बीमारी के अन्य पड़ोसी स्टेटस में, जैसे वैस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, फैलने की आशंका है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि केन्द्र की सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार के ऊपर इस काम को न छोड़े बल्कि केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने हाथ में ले और इसे पूरा करने की कोशिश करे।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भारत सरकार का ध्यान निम्नलिखित विषयों की ओर आकर्षित करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मुझे पता चला कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले की अनुसूचित जाति वित्त सहकारी संस्था में दो करोड़ रुपयों, जिसका नियतन अनुसूचित जातियों को लाभन्वित करने के लिए किया गया था, का दुरुपयोग हुआ है। यह घटना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पशुओं के लिए चारे की भूमि खरीदते समय घटित हुई। केवल यही नहीं, देश में ऐसी बहुत सी घटनायें होती हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नियत की गई धनराशि का अन्य विभागों द्वारा उपयोग किया जाता है, इस संदर्भ में मैं माननीय कल्याण मन्त्री श्री सीताराम केसरी जी से इस मामले की शीघ्र छानबीन करने और इस गबन की जांच करने हेतु एक सरकारी समिति भेजने व शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

मुझे खेद है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नियत की गई धनराशि का दुरुपयोग करके इसे अन्य विभागों में वितरित किया जाता है। आप निकट भविष्य में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास की आशा कैसे कर सकते हैं?

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय मैं पिछले पांच दिनों से सूचना और प्रसारण मंत्री जी का ध्यान दूरदर्शन कार्यक्रमों के समय में बरती जा रही अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचारों का निश्चित प्रसारण समय क्रमशः 20.40 बजे तथा 21.30 बजे का है। किन्तु इनमें 2-3 मिनट का विलम्ब था। 3 दिसम्बर को समाचार लगभग 21.35 बजे आरम्भ हुआ। इससे दूरदर्शन अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है। वे कई मिनटों का विलम्ब करके अमूल्य समय गवाते हैं, समाचार जैसे महत्वपूर्ण प्रसारण में विलम्ब केवल दूरदर्शन अधिकारियों की लापरवाही को ही दर्शाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापीठ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को उठाने की अनुमति दे रही है।

(व्यवधान)

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले की छानबीन करने का आग्रह करता हूं।

अब मैं संसदीय कार्यवाही के प्रसारण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस प्रसारण में केवल बोलने वाले सदस्यों को दिखाया जाता है। किन्तु बहुत से सदस्य हाथ उठाये रहते हैं, हम टेलीविजन प्रसारण में शामिल न किए जाने वाले अभागे सदस्य हैं। हमसे हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से टेलीफोन पर

पूछा जाता है कि हम संसदीय कार्यवाही में भाग ले रहे हैं अथवा नहीं । अतः इस स्थिति का समाधान करने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रसारण में शामिल न किए जाने वाले ऐसे अभागे सदस्यों को भी दिखाया जाये जो अपने हाथ उठाते हैं । उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए । हम पीठासीन अधिकारी की नजर में नहीं आते । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय मैं लोकहित के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं । कांग्रेस के एक भूतपूर्व मंत्री की आज सुबह आंध्र प्रदेश के हनुमाकोण्डा के उनके निवास स्थान पर हत्या कर दी गई है । उसके अलावा, कल रेलगाड़ी के एक चालक का अपहरण किया गया और परसों आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद में एक रेलगाड़ी जला दी गई । आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करके लोगों को नक्सलवादियों के खतरे से बचाने की मांग करता हूं । विशेषकर राजनेताओं व अन्य लोगों को नक्सलियों के शिकंजे से बचाया जाना चाहिए । बहुत से लोगों का अपहरण किया गया गया है । यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी अछूते नहीं रहे । वहां पर कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है । 13 जिले इनके खतरे से प्रभावित हैं, आंध्र प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । नक्सली वहां समानान्तर सरकार चला रहे हैं । सरकार को इस मामले पर शीघ्र विचार करना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, ठीक नहीं है । वहां कोई नक्सलाईटस की समस्या नहीं है बल्कि साहूकार लोग कमजोर वर्ग के लोगों पर, ट्राइबल्स पर अत्याचार कर रहे हैं । जब ट्राइबल लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें नक्सलाइटस का नाम देकर दबाने की कोशिश की जाती है । वहां बड़े-बड़े खेतिहर लोग, पूंजीपति लोग ट्राइबल्स पर अत्याचार करते हैं । ये लोग उन्हीं का पक्ष लेकर यहां सदन में बातें करते हैं ।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मुम्बई की जनसंख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है । मुम्बई में कोई कृषि उत्पादन नहीं होता । महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की सदा कमी रहती है । कल के तारांकित प्रश्न में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह एक भी नई उचित दर की दूकान नहीं खोल रही है । ऐसा केवल इसलिए है कि उचित दर की दुकानों में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी है । खाद्य पदार्थों की कमी के परिणामस्वरूप मुझे डर है कि यदि सरकार गेहूं तथा चावल पर्याप्त मात्रा में मुम्बई भेजने का प्रबन्ध नहीं करेगी को वहां पर खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे भड़क सकते हैं ।

मुम्बई राष्ट्रीय कर का लगभग 50 प्रतिशत भुगतान करता है । इसके बावजूद हम भूख से पीड़ित हैं । हमें केवल भूख से तड़पाया ही नहीं जाता अपितु जो लोग नागपुर विधानसभा सत्र में भाग

लेने गये थे उन पर पुलिस ने नृशंस हमला बोल दिया । वे लोग वहां खाद्य पदार्थों की मांग करने गये थे और उन पर बरबर्तापूर्ण हमला किया गया । महिलाओं को भी नहीं बक्शा गया ।

मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई को उचित दर की दुकानों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ दिये जायें। वर्ना, वहां वास्तव में खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे भड़क सकते हैं। कृपया मुम्बई-वासियों की गैर-सरकारी थोक-व्यापारियों के भरोसे न छोड़ें ।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात प्रदेश के राजकोट शहर में जहरीली शराब से तकरीबन तीस लोगों की मृत्यु हो गई है और पन्द्रह लोग अन्धे हो गए हैं। दवाइयां बेचने वाले मैडिकल स्टोर के सभी लोग लाईसेंस के जरिए दवाई के नाम से जहरीली शराब बेचते हैं । इससे हत्याकांड होते रहते हैं । मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश में ऐसी घटनायें कई जगह होती हैं और "डबल घोड़ा" के नाम से बेची जाने वाली जहरीली शराब की वजह से राज-कोट में 250 लोग अभी भी अस्पताल में हैं, उनमें से कई सीरियस हैं । इसको केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से जांच करवाई जाए और गुजरात की कानून व्यवस्था की स्थिति पर संसदीय समिति द्वारा जांच करवाई जाए ।.........**(व्यवधान)** ।

गुजरात में सभी अपराधियों को आश्रय देने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार को बरख्वास्त किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए । **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : श्री राम नाईक ने जो गंभीर मामला उठाया है मैं उसका मनुमोदन करना चाहता हूं। 28 राशन की दुकानें बन्द हो रही हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शून्यकाल की सीमा को जानिए। यह कोई वाद-विवाद नहीं है : कृपया मुझे क्षमा करें । आखिर हमें नियम-कानूनों के अनुसार चलना है। शून्यकाल का मतलब यह नहीं है कि हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं । कार्यसूची का जैसे चाहें उल्लंघन कर सकते हैं । यह उचित नहीं है, यह कोई वाद-विवाद नहीं है। कोई भी सदस्य अगर सरकार के ध्यान में कोई बात लाना चाहता हैं तो सरकार इस पर ध्यान देगी और आप स्वयं को वाद-विवाद में न घसीटें।

(व्यवधान)

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, टिहरी हाइड्रो डैवलपमेंट कार्पोरेशन के कर्म-चारियों ने निगम को 14 नवम्बर, 1991 को अपनी मांगें पेश करते हुए हड़ताल का एक नोटिस दिया था अब सूचना यह है कि अनुकूल उत्तर न मिलने पर वे इस महीने की दो तारीख से हड़ताल पर हैं।

हड़ताल के अन्य कारणों के साथ-साथ हड़ताल का मूल कारण था—नियुक्ति और पदोन्नति का तरीका है। यह आरोप लगाया गया कि जब संस्थान को आवश्यकता होती है नियुक्तियां की जाती हैं और इसमें वे निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं। योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और दिहाड़ी पर कार्य करने वाले तथा अस्थायी कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। वास्तव में स्थानीय आवेदकों और कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है।

लोगों को दिहाड़ी आधार पर छह महीने के लिए रखा जाता है। जिसे और छः महीनों की अवधि के के लिए बढ़ाया जा सकता है, वे लोग एक ही पद हर पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों की पदोन्नति स्थायी आधार पर न करके अस्थायी आधार पर की गई थी। वे सोचते हैं कि उन्होंने दो वर्ष की नौकरी दिहाड़ी आधार पर की थी, दो वर्ष की नौकरी अस्थायी आधार पर की थी जिसके कारण उनकी वरिष्ठता और मिलने वाली सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी मामले हुए हैं, जब किसी पद का विज्ञापन पर दिया गया तो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के स्थानीय लोगों को विज्ञापित पद से कहीं छोटे पद पर नियुक्ति दी गई।

ऐसे कई मूल मसले हैं। मैं विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्री श्री कल्पनाथ राय का ध्यान इस सत्र में तारांकित प्रश्न सं० 422 के सन्दर्भ में सभा पटल पर दिए गए आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को बिना किसी दुर्भावना के देखें।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : (सूरत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में कच्छ की ओर से एन्टी नेशनल एलीमेंट्स और स्मगलरों की जो घुसपैठ हो रही है और वहां के बार्डर पर छोटे-छोटे आइलैंड्स पर जो कब्जा करने कोशिश हो रही है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कच्छ के लखपत और नारायण सरोवर के बीच में एक छोटी-सी सीरक्रिक नाम की खाड़ी है जहां ओ०एन०जी०सी० ने ऑयल और गैस का संशोधन करवाया था। हमारे सामने तथ्य आये थे कि सौरक्रिक पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान हावी हो रहा है और उस पर अपनी नजर रखे हुए है। इसके साथ-साथ ओखा से लेकर सलाया तक बीस नोटिकल माइल के बीच जो छोटे-छोटे आइलेंड्स हैं—जैसे दबदबा, वजाड़, पानेरो, पगार, नरोड़ा और गांधियां, इसके ऊपर भी स्मगलरों ने कब्जा कर रखा है। गुजरात के बार्डर से एन्टी नेशनल एलीमेंट्स हथियार, वैपन्स और बहुत विस्फोटक सामग्रियां भेज रहे हैं जिससे देश में बहुत भारी खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा बोदर, कालूभार, तृणापीर जैसे आइलैंड्स पर भी स्मगलरों ने कब्जा कर रखा है। आज तक केन्द्र सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया है। राज्य सरकार का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं आपके जरिये केन्द्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर बहुत जल्द हमने एक्शन नहीं लिया तो गुजरात में जो आज हिंसा चारों तरफ फैल रही है, इसके आगे भी अशांति पैदा हो सकती है। इसके मूल में स्मगलर्स और एन्टीनेशनल एलीमेंट्स हैं। सरकार इसे रोकें और उन्हें पकड़ें। कच्छ के बार्डर के इर्द-गिर्द जो गांव हैं और उसमें जो पाकिस्तानी लोग घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें। कब्जा

करने की कोशिश छोटे-छोटे आइलेंड्स पर जो हो रही है, इसको भी आप जल्दी रोकें, नहीं तो भारी खतरा गुजरात और देश को सहना पड़ेगा ।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार तथा सदन का ध्यान छार जिले में चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन और जेल भरो कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं जो 21 से 23 नवम्बर तक शान्तिपूर्ण आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा निरंकुश कार्यवाही के बाद शुरू किया गया ।

इस घटना में पुलिस ने 238 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और सरकार सरोवर परियोजना से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठिगां चलाई और अश्रुगैस छोड़ी । एक कार्यकर्ता मिस नन्दिनी ओझा को सड़क पर पुलिस की गाड़ी में और पुलिस स्टेशन में पीटा गया, उसे जमीन पर बालों से पकड़कर घसीटा गया तथा पुरुष पुलिस वालों ने उसके कपड़े फाड़ डाले ।

हाल की घटनाएं नर्मदा बचाओ आंदोलन के शांतिपूर्ण और वैध आंदोलन के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया का परिचायक है । हमारी मांग है कि पुलिस की बर्बरता की घटना के जिम्मेयार अधिकारियों की पहचान की जाए और उन्हें सजा दी जाए, अभी गिरफ्तार व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा किया जाए तथा मध्य प्रदेश सरकार व अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार मिलकर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बजाय आंदोलनकारियों के साथ विस्तृत बातचीत प्रारम्भ करे ।

1.00 म०प०

श्री चित्त बसु : मैं माननीय पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री जी का ध्यान पश्चिम बंगाल में 600 से ज्यादा ओ०एन०जी०सी० के कर्मचारियों की छंटनी की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : यह सही है । यह वर्तमान नीति के अनुसार है ।

श्री चित्त बसु : हमारा श्री यहां एक समर्थक है । इनमें से कइयों की 20 वर्ष से अधिक की सर्विस है यह पश्चिम बंगाल की जनता और वहां की सरकार की आशंका का पूर्वाभास है कि यह यह पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं के उत्खनन कार्य को रोकने की भारत सरकार की योजना का एक हिस्सा है । जैसाकि आप जानते हैं कि ओ०एन०जी०सी० के अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पश्चिम बंगाल बेसिन में तेल के भण्डार नहीं हैं, लेकिन सोवियत संघ सहित कई देशों के विशेषज्ञों और हमारे देश के भू-विज्ञानियों का भी यह दृष्टिकोण है कि पश्चिम बंगाल बेसिन में तेल और कार्बन गैस के पर्याप्त भण्डार हैं ।

यह इस बात से साबित होता है कि ओ०एन०जी०सी० का इरादा पश्चिम बंगाल में जहां वह

तेल की खुदाई का कार्य रोकना चाहती हैं उन स्थानोंको बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों को देने के लिए बिश्व भर से निविदाएं मांगने का है। लेकिन ये क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को निविदाओं के आधार पर बिये जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन क्षेत्रों में तेल के भण्डारों की सम्भावनायें हैं।

मैं चाहता हूं कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल बेसिन में तेल के भण्डारों के बारे में एक वक्तव्य में और सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा इन 600 कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं में तुरन्त पूर्नरोजगार देना चाहिए।

आज पश्चिम बंगाल के सभी लोग जो ओ०एन०जी०सी० परियोजनाओं के प्रतिशोधित हैं, ने काम बन्द कर दिया है। वे इस हड़ताल को कल भी जारी रखेंगे। यह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो दिन की सांकेतिक हड़ताल है, मुझे आशा है कि वे आज जवाब देंगे, अगर आज नहीं दे पाए तो कुछ समय बाद देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि पहले ही एक बज चुका है। **हम अगली मद को लेंगे**। पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा

श्री अन्वार।सुइरा (मद्रास मध्य) : कल भी नए नोटिस को लिये बिना इसी कार्यसूची पर विचार किया जाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : क्या हम इस बात को मान लें कि कल भी यही कार्यसूची होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

10.03 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 कार्य करण का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

जल संसाधन मंत्री (श्री वी० सी० शुक्ल) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क को उपधारा (1) के अन्तर्गत (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :—

(1) जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(2) जल और विद्युत परामर्शी सेवायें (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 808/91]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष 1989-90 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब सम्बन्धी विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय मैं सभा पटल यर निम्नलिखित पत्र रखते ही अनुमति चाहता हूं ।

(1) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1989-90 और इसके समनुषंगी अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1989-90 और इसके समनुषंगी अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 809/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उर्वरक (नियन्त्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1991, जो 22 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 795 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) का॰ आ॰ 796 (अ), जो 22 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ उर्वरक की बिक्री के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु फीस निर्धारित की गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 810/91]

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड) : महोदय, मैं कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 505 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 506 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰ का॰ नि॰ 507 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 811/91]

1.05 म॰ प॰

[अनुवाद]

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी हैं :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

$1.05\frac{1}{2}$ म० प०

[अनुवाद]

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेमक, 1991

———

1.06 म० प०

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में भूचाल के आने से उत्पन्न स्थिति

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतों में हाल में आये भूचाल से उत्पन्न स्थिति और प्रभावित जनसंख्या को दी गई राहत के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए संसद की अनुमति चाहता हूं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में 20 अक्तूबर, 1991 को प्रातः भूचाल आया था, जिसका केन्द्र विन्दु 30.75° उत्तर तथा 78.86° पूर्व में था जिसका परिणाम रिचटर स्केल पर 6.6 था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की दिल्ली स्थित भूकम्प वेधशाला ने 28 नवम्बर, 1991 तक 58 हल्के झटके रिकार्ड किये। यह भी सम्भव हो सकता है कि भूकम्प के पश्चात् हल्के झटके आने की क्रिया समाप्त होने तक और हल्के झटके भी रिकार्ड किये जाते रहे हों। फिर भी भूकम्प के पश्चात हल्के झटके आने की संख्या और उसकी मात्रा में निश्चित रूप से कमी आई है।

भूकम्प से होने वाली क्षति अनेक घटकों पर निर्भर करती है और भूकम्प का परिमाप इन घटकों में से एक होता है। उदाहरणार्थ, 6 अगस्त, 1988 को भारत-वर्मा सीमा पर आये भूकम्प का परिमाप 21 अगस्त, 1988 को भारत-नेपाल सीमा पर आने भूकम्प के परिमाण (6.5) की तुलना में अधिक था (7.2)। लेकिन पहले भूकम्प से कोई क्षति नहीं हुई जबकि दूसरे भूकम्प से काफी विनाश हुआ। इसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति भूकम्प के केन्द्र बिन्दु, मृदा का स्वरूप, मकानों की किस्म और संरचना, जनसंख्या का घनत्व और भूकम्प के आने के समय (रात्रि या दिन) पर निर्भर करता हूं।

20 अक्तूबर, 1991 को आये भूचाल का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में अधिक महसूस किया गया था। इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ क्षेत्र दिल्ली के समीपवर्ती उत्तरी राज्यों में भी महसूस किया गया था। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में विशेषकर उत्तरकाशी, टेहरी और चमोली जिलों में इससे भारी क्षति हुई। इससे नैनीताल जिले में, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून में भी कुछ क्षति हुई। हिमाचल प्रदेश ने एक व्यक्ति के मरने, 6 व्यक्तियों के घायल होने और तीन मकानों को कुछ क्षति पहुंचने की सूचना दी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य दिल्ली को राज्य सरकारों ने किसी प्रकार से क्षति होने की सूचना नहीं दी है।

क्षति का वास्तविक ब्यौरा विशेषकर मकानों के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार इस भूकम्प से 1819 ग्राम जिनकी जनसंख्या 4.22 लाख है प्रभावित हुए। लगभग 90,000 मकानों को क्षति पहुंची है जिनमें से 20,000 पूर्ण रूप से, और 90,000 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 768 व्यक्तियों के मरने की खबर दी गई है और 5,000 व्यक्तियों को चोटें आने तथा इसके अतिरिक्त 3,000 पशुओं के मरने की खबर दी गई है।

भूकम्प के आने पर तत्काल राज्य सरकार के अधिकारियों से स्थिति का पता लगाने एवं तत्काल केण्द्रीय सहायता की आवश्यकता जानने के लिए सम्पर्क किया गया। एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने भूकम्प के प्रभाव, उत्तर प्रदेश को राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत उपायों और स्थिति का मुकाबला करने के लिए उनके द्वारा केन्द्र से अपेक्षित तत्काल सहायता की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिये 21 अक्तूबर, 1991 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प से हुई व्यापक क्षति को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने 23 अक्तूबर, 1991 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने भी अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 नवम्बर 1991 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इससे पहले मेरे साथी श्री सलमान खुर्शीद वाणिज्यउप-मंत्री जी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

भूकम्प के आने क तत्काल बाद सचिवों की समिति ने राहत उपायों के संबंध में 21 अक्तूबर, 1991 को स्थिति की समीक्षा की तथा सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिये गये कि वे अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित अपेक्षित सहायता राज्य सरकार को प्रदान करे। मंत्रिमंडल सचिवालय तथा

प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की जाती रही। कृषि और सहकारिता विभाग में केन्द्रीय राहत आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यरत संकट प्रबन्ध बल ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही सहायता के सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में स्थिति की निरन्तर समीक्षा की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को बैठकों में किये गये निर्णयों की जानकारी दे दी गई थी ताकि उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित प्रस्तावों और स्पष्टीकरणों पर कार्यवाही की जा सके।

माननीय सदस्यगण इस बात को स्वीकार करेंगे कि सभी सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और युद्ध स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान की। वायु सेना ने राहत और सहायता कार्यों के लिए 6 चेतक और 2 एम०आई०टी० हॉलीकाप्टर उपलब्ध करवाए। सीमा सड़क संगठन ने उनके अधीन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वाहन चलाने योग्य बनाया। संचार मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपात आधार पर एस०टी०डी० की सुविधाएं मुहैया करवायीं। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त नौ टेलीफोन एक्सचेंजों की मरम्मत भी की तथा 2 नवम्बर, 1991 तक उन्हें चालू कर दिया। खाद्य मंत्रालय ने प्रभावित लोगों में वितरण करने के लिए गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्रा का आबन्टन किया। यह आबन्टन वितरित कर दिया गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त संप्रेषण लाइनों की मरम्मत करके प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चालू कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की।

माननीय सदस्यगण यह जानते ही हैं कि राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान योजना जो 1 अप्रैल, 1990 से लागू हुई, के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि की स्थापना की गयी है जिसको यह आवन्टित राशि होती है, जिसका 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार चार त्रैमासिक किश्तों में गैर योजना अनुदान के रूप में देती है और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारें अपने ही संसाधनों से देते हैं। आपदा राहत निधि में 804 करोड़ रुपये का वार्षिक आवन्टन होता है जिसमें 603 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के रूप में और 201 करोड़ रुपये राज्य के अंशदान के रूप में होता है। आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये 90.00 करोड़ रुपये का वार्षिक आवन्टन है जिसमें 67,50 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार देती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आपदा राहत निधि का केन्द्रीय अंश की पहली तीन किश्तें सितम्बर, 1991 तक निर्मुक्त कर दी थीं। 16.87 करोड़ रुपये की चौथी किश्त—जो राज्य सरकार को देने के लिये जनवरी, 1992 में देय होती थी, 24 अक्तूबर, 1991 को अग्रिम रूप से निर्मुक्त कर दी गयी थी। ताकि राज्य सरकार राहत उपाय आरम्भ कर सके। 1991-92 में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उपलब्ध 90.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकार के पास 1990-91 की आपदा राहत निधि में से 42.71 करोड़ रुपये व्यय न की गयी राशि शेष बची हुई है। इस प्रकार 1991-92 के दौरान प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के पास 133 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उपलब्ध राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने गम्भीर रूप से प्रभावित उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल और चमोली तीन जिलों के लिये साधन उपाय पेशगी के रूप में 25 करोड़ रुपये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 6.51 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये हैं। भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिये इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 5.80 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है। 80 लाख रुपये प्रधान मंत्री राहत निधि से और 8 लाख रुपये "इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटी ट्रस्ट" से मंजूर किये गये हैं।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के पुनर्निर्माण के लिये 30 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है। इसमें से प्रभावित क्षेत्रों ने मकानों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को और 10 करोड़ रुपये हुडको को निर्मुक्त किये गये हैं। शेष 10 करोड़ रुपये की राशि, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी गई एजेंसी को निर्मुक्त की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी राज्य में हुई क्षति का क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार कर रही है। उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपये के नुकसान होने का अनुमान लगाया है तथा उन्होंने 1 नवम्बर, 1991 को विश्व बैंक की सहायता के लिए भारत सरकार को लिख दिया था। सचिव, कृषि ने पहले ही विश्व बैंक के अभिकारियों से प्रारम्भिक रूप से विचार विमर्श कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध विश्व बैंक के प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया है। विश्व बैंक का जांच दल अब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाला है ताकि वह स्थिति का प्राथमिक मूल्यांकन कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि यह परियोजना प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करें ताकि विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से सम्बन्धित मामलों पर जल्द कार्यवाही की जा सके।

यह समस्या इतने बड़े पैमाने पर है कि दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से, प्रभावित व्यक्तियों की कठिनाईयां आंशिक रूप से ही हल हो सकती हैं। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से भी सहायता मांगी गई है। कई स्वैच्छिक संगठन, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से और अपने स्वयं के चेनलों से राहत कार्यों में सहायता दे रहे हैं। 73 लाख रुपये के मूल्य की राहत सामग्री जिसमें कम्बल, ऊनी कपड़े, दुग्ध चूर्ण, अधिक प्रोटीन वाले बिस्किट और पौलीथीन की चादरें भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के जरिए भिजवाई गई हैं।

चूंकि भूकम्प प्रवण क्षेत्र है इसलिए मकानों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ताकि भविष्य में यह भूकम्प के झटकों को सहन कर सकें। इस कार्य के लिए रूड़की विश्वविद्यालय के भूकंप इन्जीनियरिंग विभाग और हुडको से तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त की जा रही है। हुडको ने भूकम्प के झटकों को सहन कर सकने वाले इस क्षेत्र में बनाए जाने वाले मकानों का डिजाइन भी तैयार कर लिया है। हुडको, राज्य सरकार को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सहायता के लिये उत्तर-काशी, टेहरी गढ़वाल और चमोली में तीन केन्द्र और छः उपकेन्द्रों जहां निर्माण सामग्री तैयार की जाएगी, की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता दे रहा है ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को सभी संभव सहायता देगी ताकि वह प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के उपाय कर सकें। एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने राहत कार्यों की जांच के लिए कल उत्तरकाशी का दौरा किया है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : पार्टी टीम के बारे में कैसे ?

श्री बलराम जाखड़ : मैंने अपने मंत्रालय से श्री जे० सी० पन्त की अध्यक्षता में एक दल भेजा था और उक्त दल में सदस्य के रूप में राज्य के अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने इस बारे में निर्णय लिए है कि कितने मकान आदि ध्वस्त हुए हैं। अब वे वापस आ गए हैं और वे अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे ......**(व्यवधान)**... उन्होंने अब चीजों के बारे में बात की है। हन उनसे चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली पद पर विचार करेगी। डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

———

1.16 म०प

[हिन्दी]

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 191 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि य सभा 4 दिसम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्म मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याहन भोजन के लिए 2·15 म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.17 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.21. म०प०

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.21 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का सर्वांगीण विकास करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : बस्तर जिला देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है। 40 हजार कि०मी० क्षेत्र में फैले इस जिले में सड़कें सिर्फ चार हजार कि०मी० हैं। शेष भाग में जंगल और पहाड़ हैं। बस्तर जिला व सम्भाग का प्रशासन एकमात्र मुख्यालय जगदलपुर से चलाना बहुत मुश्किल है। रेलों के अभाव में भोपाल पट्टनम से वादे तक की सड़क मार्ग से दूरी 600 कि०मी० हैं जिससे विकास और जनकल्याण की योजनायें समुचित रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। जनता इतना निराश हो गई है कि अब शियायत भी नहीं करती। इस परिस्थिति का गलत फायदा नक्सलवादी उठाते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार की उचित धनराशि दे जिससे बस्तर जिला जो आदिवासी बाहुल्य है का समुचित विकास हो सके।

(दो) ए.जी.एन. यात्री गाड़ी को हाथरस तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : हाथरस उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख व्यापारिक और

औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से विशेष स्थान रखता है, लेकिन यहां तक की जनता को हाथरस सिटी से से कोई सीधी रेल सेवा दिल्ली आने हेतु प्राप्त नहीं हैं जिसके लिए काफी समय से जनता मांग करती रही है तथा मैंने भी कई बार इस सम्बन्ध में विशेष अनुरोध किया हैं किन्तु समस्या का हल जहां का तहां ही है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान अलीगढ़ से चलने वाली ए.जी.एन. पैसेंजर रेलगाड़ी जो कि प्रातः अलीगढ़ से प्रारम्भ होती है तथा सायं दिल्ली से अलीगढ़ आती है, की और आकर्षित करना चाहता हूं। यदि उक्त गाड़ी को हाथरस किला से प्रारम्भ करके दिल्ली हेतु चलाया जाए तो हाथरस क्षेत्र की जनता की इस समस्या का हल आसानी से हो जायेगा। उक्त गाड़ी अलीगढ़ ही में पूरी रात्रि खड़ी रहती है जबकि हाथरस किला में ही उक्त गाड़ी खड़ी रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इस रेलगाड़ी के प्रारम्भ करने से सरकार को राजस्व का लाभ होगा तथा कई रेलवे स्टेशनों की जनता को आवागमन की सरल सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ए.जी.एन पैसेंजर रेल गाड़ी को अलीगढ़ के बजाय हाथरस किला से चलाये जाने के आवश्यक निर्देश दिये जायें।

(तीन) कश्मीर और पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को अधिक केंद्रीय सहायता देने और उनका शीघ्र पुनर्वास करने की आवश्यकता।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली, जम्मू, पंजाव और देश के अन्य क्षेत्रों में काश्मीर और पंजाब से आए हुए विस्थापितों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजादी के 42 वर्षों के बाद अपने ही देश में लाखों लोग विस्थापित होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पंजाब में गत 4 वर्षों से और काश्मीर में गत ढाई वर्षो से यह सिलसिला जारी है। ढाई वर्षों से एक-एक टेंट में तीन-तीन परिवार रह रहे हैं और एक ही कमरे में 12-12 परिवार रह रहे हैं। निजी पारिवारिक जीवन पद्धति टूट रही है।

पंजाब और काश्मीर से विस्थापित पिछले कई महीनों से बोट क्लब पर अनिश्चितकालीन धरना दिये हुए हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधियों से शीघ्र बात कर उनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा करना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन्हें तुरन्त सेमी-परमानेंट आधार पर बतायें बैंकों से कर्जा दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

(चार) जूट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्षेत्र से बाहर करने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने गत वर्ष विहार, बंगाल, असम एवं उड़ीसा में जितना जूट खरीदा है, उसकी तुलना में बिहार में जूट की खरीद कम हुई है। देश में जूट का फसल लगाने वाले किसानों की संख्या आठ करोड़ है लेकिन वर्तमान समय में जूट उत्पादक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण, घाटा ही घाटा है। गत वर्ष 600 रु० से 800 रु० प्रति क्विटल जूट का मूल्य था, लेकिन इस समय जूट की कीमत 400 से 500 रुपये प्रति क्विटल है।

जूट पर इसे शियल कमोडिटीज एक्ट, 1962 और 1978 में लागू किया था जो कि शिड्यूल में है, इसके सप्लायर लाखों की संख्या में हैं और उपभोक्ता सात या आठ घराने हैं, फिर इसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत रखने का क्या तुक है ?

बहुसंख्या मिल मालिक अपनी कंपनी घाटे में दिखा कर न तो कोई आयकर देते हैं और न ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भुगतान ही करते हैं बल्कि कंपनी को सिर्फ यूनिट का प्रमाण-पत्र दिखला कर सभी सरकारी बकाया भुगतान नहीं करते हैं ।

अत: सरकार को जूट को इसेशियल कमोडिटीज एक्ट में हटा देना चाहिये ।

[अनुवाद]

(पांच) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के लिए सरल कानूनों और नियमों/विनियमों की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम (तरुचेंगौड़) : महोदय कारखाना अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत लघु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और लघु औद्योगिक इकाइयों को काफी रिकार्ड रखने पड़ते हैं तथा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्राधिकरणों को अनेक विवरण देने होते हैं । इन इकाइयों के प्रबन्धकों को कारखाना अधिनियम वभिन्न उपबंधों को पूरा करने पर काफी परिश्रम और समय लगाना पड़ता है । अत: लघु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और लघु उद्योग इकाइयों के लिए सरल अधिनियम एवम् नियम बनाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से, लघु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के मामले में अर्थात् उन कम्पनियों के मामले में जिनकी प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये या इससे कम है, कम्पनी अधिनियम और नियमों को सरल बनाया जाये । चूंकि लघु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और लघु उद्योग इकाइयों के मालिक स्वामी स्वयं कारखाने के संचालन के प्रभारी होते हैं, अनेक मामलों में मालिकों पर कठोर नियमों और विनियमों का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर उन पर मुकादमा चलाया जाता है तथा भारी जुर्माना लगाया जाता है । नियमों और विनियमों सरल बनाकर उद्यमियों को परेशानियों से बचाया जा सकता है ।

(छः) केवल की मुलामथुरुथी सरनाकुलम रोड पर एक नए रेल ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मुलामथुरूथी-एर्णाकुलम मार्ग पर मुलामथुरुथी रेलवे फाटक पर तुरन्त एक ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता है । इस मार्ग पर काफी यातायात रहता है । इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग से अनेक गाड़ियां गुजरती हैं ।

मैं सरकार से यहां पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं ।

(सात) आठवीं योजना के दौरान श्रीकाकुलम के निकट नरेडी में विमपरिवर्तन बांध निर्माण परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता

डा० विश्वनाथम कॅनिथी (श्रीकाकुलम) : प्राचीन समय से इस देश में नदियों और नालों के

जल का कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के बाद से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा इनकी मात्रा बढ़ाने हेतु बेहतर और स्थाई तरीकों का प्रयोग किया गया है।

हालांकि आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल की मांग निरन्तर कई वर्षों से की जा रही है, फिर भी अति आवश्यक वामसधरा सिंचाई प्रणाली ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। श्रीकाकुलम आन्ध्र प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1961 में ही नेराड़ी में मोड़ बांध का निर्माण करने पर सहमत हो गए थे लेकिन अब तक केवल इसकी बायीं ओर की प्रमुख नहर पर ही कार्य शुरू किया गया और यह कार्य अब पूरा होने के अन्तिम चरण में है। दूसरा चरण को जिसमें महत्वपूर्ण जलाशय और दायीं ओर प्रनुख नहर का निर्माण कार्य शामिल हैं, को अभी स्वीकृति मिलना शेष है। तभी इस पर काम शुरू होगा। दूसरे चरण की लागत गत तीस वर्षों में 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 480 करोड़ रुपए हो गई है।

अत: मैं सरकार से नेराड़ी में दिक्परिवर्तन बांध निर्माण परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध करता हूं।

(आठ) 1991 की जनगणना के आधार पर सिक्किम को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल और रसोई गैस की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : सिक्किम राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी है। इसका कारण यह है कि सिक्किम को मिट्टी के तेल का अपर्याप्त कोटा सप्लाई करना है। वर्तमान कोटा 1981 की जनगणना पर आधारित है जब जनसंख्या तीन लाख से थोड़ी अधिक थी। इस कोटे में भी घट बढ़ होती रहती है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। इसी प्रकार से, एल० पी० जी० की सप्लाई भी कम हो रही है। ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए लकड़ी पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य सरकार वनों को सुरक्षित रखने तथा पारिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० की भारी कमी को देखते हुए मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से इन वस्तुओं का आवंटन 1991 की जनगणना के आधार पर करने का अनुरोध करूंगा और इस जनगणना में सिक्किम की जनसंख्या चार लाख से काफी अधिक दर्शाई गई है। इन वस्तुओं की सप्लाई को भी नियमित करने की आवश्यकता है मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० की पर्याप्त मात्रा में नियमित सप्लाई करने से सिक्किम की जनता को कठिनाइयां आगामी शीत ऋतु में काफी हद तक कम।

[अनुवाद]

2.32 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बंगाल की खाड़ी में हाल में आए समुद्री तूफान के कारण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन में अव बंगाल की खाड़ी में हाल में आए समुद्री तूफान के कारण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी।

श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्य महोदय, कल मैं उल्लेख कर रहा था कि हाल में आए समुद्री तूफान के कारण आन्ध्र प्रदेश में किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुचा है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अरोनुध करता हूं कि किसानों को जो कृषि ऋण दिया गया है, उसे माफ कर दिया जाए। पिछली बार, जब यह समुद्री तूफान आया था, तो किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था और उस समय सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर दिया था। लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता नहीं होने के कारण इसे सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि ऋण-वापसी की अवधि का पुनर्निर्धारण किया जाए और इस सम्बन्ध में नाबार्ड को निर्देश जारी किए जाएं, एवं इसमें राज्य सरकार का अशंदान न्यूनतम होना चाहिए।

चूंकि आंध्र प्रदेश के अधिकांश तटवर्ती जिलों, विशेष रूप से रायल सीमा सहित 13 जिलों में तथा अन्य जिलों में बार-बार तूफान आते रहते है, इसलिए ये क्षेत्र सूखा प्रवण बन गए हैं। इस कारण मेरी मांग है कि इस सम्बन्ध में नाबार्ड को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को क्षतिग्रस्त धान को खरीदने का निर्देश दिया है। भारतीय खाद्य निगम केवल उस धान को खरीदने के लिए सहमत हुआ है जिसका 20 प्रतिशत रंग खराब हुआ हो। मेरा केन्द्रीय सरकार से, विशेष रूप से कृषि मन्त्री से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में किसानों की रक्षा हेतु वे आगे आए क्योंकि तटवर्ती जिलों में धान का बड़ा भाग पानी में डूब गया है। इसलिए, जो धान डूब गया है, वह सारा धान भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों पर खरीद लिया जाए।

फसल बीमा योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए, तथा केन्द्रीय सरकार को न तो यूनिट के रूप में और न ही एक मण्डल के रूप में इसका

सर्वेक्षण कराना चाहिए क्योंकि वे यूनिट के लिए या किसी अन्य पहलू के लिए मण्डल को आधार बना रहे है। एक मण्डल में अनेक गांव आते हैं। कुछ गांव समुद्री तूफानों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे यह घोषणा कर रहे हैं कि कुछ गांव समुद्री तूफानों से प्रभावित नहीं हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन्हें फसल बीमा योजना के लिए सर्वेक्षण को एक यूनिट के रूप में विचार नहीं करना चाहिए।

पिछली बार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश के उन सीमान्त और छोटे किसानों को, जो समुद्री तूफानों से प्रभावित हुए थे, 79 करोड़ रुपए की उर्वरक राज सहायता दी गई थी। उस धन राशि को तुरन्त जारी किया जाना चाहिए ताकि यह समुद्री तूफानों से प्रभावित किसानों को प्राप्त हो जाए। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे सम्बन्धित अधिकारी को इस धन-राशि को तुरन्त जारी करने का निर्देश दें क्योंकि समुद्री तूफान के कारण अनेक लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार द्वारा मात्र 5000/ रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। यह बहुत ही तुच्छ राशि है और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, जो आंध्र प्रदेश से आए है, कि वे मृत व्यक्तियों के परिवारों को 25,000/- रुपए की अनुग्रह-राशि प्रदान करें।

मैंने कल भी उल्लेख किया था कि गोदावरी जिले में तूफान के कारण कम-से-कम 1400/- करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आन्ध्र प्रदेश को प्रत्येक वर्ष इन समुद्री तूफानों से दो-तीन बार बर्बादी झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि तूफान राहत निधि योजना के अन्तर्गत नं.वे वित्त आयोग द्वारा जो धन-राशि दी गई थी, उसका उपयोग कर लिया गया है और उसकी शेष राशि 30 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास पड़ी है। इस तुच्छ राशि से राज्य सरकार न तो सड़कों का निर्माण कर सकती है और न ही किसानों को पुनर्वास प्रदान कर सकती है। इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि तूफानों से प्रभावित किसानों और अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए आन्ध्र प्रदेश को कम-से-कम 300 करोड़ रुपए की धन-राशि आवंटित की जाए। खेतों में पंक इकट्ठा हो गया है और जब तक खेतों से पंक को हटाया नहीं जाता, तब तक खेती नहीं की जा सकती। राज्य सरकार केवल 1000/- रुपए दे रही है, लेकिन इससे खेत से पंक को हटाना एक किसान के लिए सम्भव नहीं है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह बैंकों एवं वित्त संस्थाओं को यह अनुदेश दें कि वे डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत किसानों को कम-से-कम 5000/- रुपये देकर सहायता करें।

1986 से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। प्रति वर्ष सड़कें बहती जा रही हैं और राज्य सरकार उनकी मरम्मत नहीं कर पा रही है। मेरा केन्द्रीय सरकार से पुनः अपील है कि वह राज्य सरकार की इस प्रयोजनार्थ मांग को स्वीकार करें।

गरीब कारीगरों एवं बुनकरों को काफी कष्ट उठाना पड़ा है और भुखमरी से 91 मौतें हो चुकी हैं। घरों के डूब जाने से काफी संख्या में करघे नष्ट हो गये हैं। एक क्षतिग्रस्त करघे को बदलने के लिये 1500 रुपये की आवश्यकता होती है। लेकिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त करघे के लिए मात्र 2000 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करघे के लिए केवल 100 रुपए दिए जा रहे हैं। करघा

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता क्योंकि एक बार क्षतिग्रस्त हुए करघे की मरम्मत नहीं की जा सकती बल्कि इसे बदलना ही पड़ता है। इसलिए बुनकरों को कम-से-कम 1500 रुपए दिए जाने चाहिए।

सूत के नुकसान के लिए भी राज्य सरकार केवल 100 रुपए दे रही है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिये कम-से-कम 500 रुपए दिए जाएं।

गड़रियों को अपनी कई बकरियों से हाथ धोना पड़ा। मेरा अनुरोध है कि डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत चन्द्रण प्रदान करने के लिए कम-से-कम 4 से 5 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएं। कई ग्रामीण विधवाओं ने दूध सप्लाई का धन्धा अपनाया हुआ था उन्हें अपना व्यापार जारी रखने के लिये दुधारू पशुओं को खरीदना है। तूफान के कारण उन्हें अपने कई पशुओं से हाथ धोना पड़ा है। डी० आर० डी० एस० योजना के अन्तर्गत विधवाओं को ऋण और अन्य चीजों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्षतः मेरा कहना है कि केवल अस्थाई उपायों से ही काम नहीं चलेगा। बल्कि सरकार को कुछ दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। आन्ध्र प्रदेश में पालावरम परियोजना और पोचमपल्ली परियोजना जैसी कुछ बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए और अन्य लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूर किया जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा दो बड़ी नदियां है। कृष्णा नदी के पानी का तो पूरा उपयोग किया जाता है लेकिन गोदावरी के पानी का पूरा उपयोग नहीं होता है और इसका लगभग 80 प्रतिशत पानी व्यर्थ समुद्र में गिर रहा है। यही कारण है कि गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना डेल्टा क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री से पुनः अपील करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश का दौरा करें और वहां हुई क्षति का मूल्यांकन करें क्योंकि वहां लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, जो स्वयं भी आन्ध्र प्रदेश से हैं, कि आन्ध्र प्रदेश के लिए कम-से-कम 300 करोड़ रुपए जारी करके आन्ध्र प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाए।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु पर अभूतपूर्व संकट आया है और यह स्थिति विशेषकर दक्षिण आरकोट, के जिलों, जहां से मैं आया हूं,—तंजौर, कायद-ए-मिल्लत, नाग-न्यत्तिनम, चेंगलपेट, मद्रास और धर्मपुरी की है। धर्मपुरी के अलावा अन्य सभी जिले तटवर्ती जिले हैं।

इन सभी जिलों में यह तूफान 12 तारीख को शुरू हुआ। और इस प्रकार 12 तारीख से ही इस तूफान के कारण इन जिलों पर विपत्ति टूट पड़ी। भारी वर्षा ने समूचा क्षेत्र धो डाला। तूफान के बाद भूमि धंसने लगी और इसके बाद बाढ़ आई। कावेरी, पलार और पेन्नार नदियों में बाढ़ आई।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों ने, जो हमें अक्सर पानी देने से इन्कार करते हैं, बाढ़ के पानी को कावेरी और अन्य नदियों में छोड़ा जाना उचित समझा, जिसके फलस्वरूप समूचा डेल्टा-क्षेत्र जलमग्न हो गया। धान की समूची फसल अभी भी पानी में ही डूबी हुई है। गन्ने की समूची खेती व केले की खेती क्षतिग्रस्त हो गई है। कोई भी अकेला व्यक्ति किसानों को हुई क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त समूचे कृषि कार्य ठप्प हो गए हैं। क्योंकि धान की फसल जलमग्न हो गई है इसलिए हमें उगाई गई फसल का कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसानों ने खेत में बहुत मेहनत की है और ढाई महीने लगाकर यह फसल तैयार की है। इस स्थिति में पहुंचकर अब यह विपत्ति आ गई है। भारी वर्षा और बाढ़ से किसानों की जमीन में रेत भर गई है और जलमग्न हो गई है। वहां सुधार कार्य शुरू किया जाना है। किसानों के साथ-साथ, जिन्हें पैदा की गई फसल के जलमग्न से क्षति हुई है, उस भूमि का भी सुधार किया जाना है। सुधार कार्य या तो सरकार द्वारा किया जाना चाहिए या इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को पूरी राज-सहायता दी जानी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि तूफान की चेतावनी के बाद राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इससे जानमाल की क्षति में कमी आ गई। बाढ़, तूफान और भूमि धसान से हुई भारी क्षति के अलावा, हमें अभी तक पानी का अभाव है। भारी बाढ़ और वर्षा के बावजूद हमें पानी का अभाव है। तंजौर के अलावा सभी जिलों में खेती लघु सिंचाई तालाबों और बड़े सिंचाई तालाबों से की जाती है। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं यदि एक गांव में तालाव भर जाती है तो उसकी क्षमता से अधिक आने वाला पानी दूसरे गांव के सिंचाई तालाब में चला जाता है। इसी प्रकार यदि 10 से 15 सिंचाई तालाबों से उनकी क्षमता से अधिक वाला पानी निकल कर बहने लगता है तो यह बाढ़ का रूप ले लेता है और अन्ततः उसका परिणाम यह होता हैं कि आम आदमी को इससे क्षति होती है। इस रूप में कई सिंचाई तालाबों के कारण यह संकट पैदा हुआ है, इसके अतिरिक्त एक बार सिंचाई तालाब भर जाने के बाद गांव वालों तो इस भय से कि बांध में दरार आने से सारा गांव प्रभावित होगा, बांध को काट दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि सिंचाई तालाब जिनमें लबालब पानी भरा होना चाहिए था, खाली पड़े हुए हैं। यह स्थिति कई गांवों में हैं। अतएव इस पहलू पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हससे अगली फसल पर प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, भारी चक्रवर्ती के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों तथा स्थानीय प्राधिकरणों से सम्बन्धित सड़कें प्रभावित हुई हैं। अब इन सड़कों पर यात्रा करना एक अलग अनुभव है। इस समय इनमें से कोई भी सड़क मोटर वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कोई मद्रास से त्रिचीया मद्रास से तंजापुर की यात्रा करे तो उसे प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर एक न एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त मिलेगा। आज सड़कों की ऐसी स्थिति है। नियमित रख रखाव भी सड़कों की हालत को अच्छा नहीं रख पाएगा। सड़कों के रखरखाव के लिए विशेष राहत निधि दी जानी चाहिए चूंकि सड़कों की मरम्मत के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है।

सारा तटीय क्षेत्र मछेरों का क्षेत्र है। मछेरों की सारी झोंपड़ियां बह गई हैं। और उनकी सारी सम्पत्ति और धनादि झोंपड़ियों के साथ ही समुद्र में बह गए हैं। मछेरों की समस्याओं पर अलग से ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इतना कुछ सहने के बाद भी आकाश साफ होने पर वे समुद्र में जाते हैं। वे जानते नहीं हैं कि वे अभ्यावेदन कैसे दें। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अतएव सरकारी प्रतिनिधियों को उनके पास जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक राहत देनी चाहिए।

छोटे किसानों के अलावा हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कृषि श्रमिक हैं। इस संकट को उन्हें भोगना पड़ रहा है। उन्हें कई दिनों तक कोई कार्य नही मिलता है। उनके पास जो कुछ बचत थी वह समाप्त हो गई है। उनके घर और झोंपड़िया नष्ट हो गई हैं। इनमें से कुछ जो थोड़े ठीकठाक हैं उनके मकान गिर गए हैं। ऐसी स्थितियां में आपदा अथवा क्षति का आकलन करने के लिए नियमित और प्रचलित तरीका ज्यादा फायदेमंद सामित नहीं होगा। राज्य का राजस्व प्रशासन क्षति का सही आकलन नहीं करेगा। वे हमेशा क्षति को कम करके दिखाते हैं। और सरकार को बताते हैं कि ज्यादा क्षति नही हुई है। वे केवल चावल और 400 अथवा 500 रुपए की नकद सहायता देने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वे अपने को यह कहकर संतुष्ट करते हैं कि सरकार ने उनके बचाव और सहायता के लिए तत्काल कार्रवाई की। इस संकट का एक बेहतर तरीके से एक भिन्न विधि से सामना करना है।

इसके अतिरिक्त, मद्रास शहर को सबसे अधिक हानि हुई है। हमने देखा है कि तूफान और बाढ़ के दौरान मद्रास शहर की मल निकासी व्यवस्था जल सप्लाई व्यवस्था विद्युत व्यवस्था तथा टेलीफोन व्यवस्था कितनी अधिक प्रभावित हो सकती है। मद्रास शहर में 10 दिनों तक कोई भी कार सड़क पर नहीं चली। मद्रास शहर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है।

सभी तूफानों और भूमि धंसने में एक चीज समान है कि जब तूफान अथवा भूमि धंसना प्रारम्भ होता है तो तीन-चार दिन तक थोड़ी-थोड़ी वारिश होती है और उसके बाद भारी वर्षा होती है। वर्षा के पहले तीन चार दिनों में झोंपड़ियों की दीवारें जो मिट्टी से बनी होती हैं, अच्छी तरह भीग जाती हैं और फिर गिर जाती हैं। अधिकांश भारत मामलों में घर वर्षा के दौरान नहीं गिरते हैं। लेकिन जब आकाश साफ होता है तो तीन चार दिन के बाद वे धराशायी हो जाते हैं इसलिए, जब एक अधिकारी आकलन के लिए जाता है तो वह रिपोर्ट भेजता है कि मकान नहीं गिर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये मकान तूफान आने के दो तीन बाद गिरते हैं। अतएव, इस पहलू को भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब, चूंकि कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० ए० संगमा यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि नेवेली लिग्नाइट थर्मल प्लांट के बारे में कुछ बोलूं। नेवेली लिग्नाइट थर्मल प्लांट में तूफान और भूमि धंसने की चेतावनी देने तथा उपचारात्मक उपाय करने सम्बन्धी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से नेवेली लिग्नाइट थर्मल प्लांट के प्रबंधन द्वारा इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप दूसरी खदान में पानी भर गया। खदान में चारों तरफ एक

चारदीवारी है जो वर्षा के पानी को अदर आने से रोकता है। लेकिन वर्षा का पानी इसलिए घुसा क्योंकि चारदीवारी की देख-भाल नहीं की गई थी। अब खुदाई कार्य रुक गया है। प्रबंध का कहना है कि अगले 15-20 दिनों में वे यहां कार्य प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम चार महीने चाहिए। इसके फलस्वरूप नेवेली लिग्नाइट ताप विद्युत संयन्त्र ठप्प हो गया है। परिणाम यह है कि आगे आने वाले चार महीनों तक प्रतिमाह हम 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जिसका अर्थ है कि पूरे देश को 840 मेगावाट विद्युत नहीं मिल पाएगी। नेवेली प्रबन्ध ने आपातकाल के लिए आवश्यक कोयले का बफर स्टाक नहीं रखा है। अतः, इसके आधार पर नेवेली लिग्नाइट ताप विद्युत संयन्त्र के कार्यकरण को सुचारू बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राममूर्ति जी, आप पहले ही 10 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम : किसानों, मछुआरों तथा बुनकरों का ऋण माफ किया जाना चाहिए। सरकार को डूब क्षेत्र की कृषि भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य स्वयं शूरू करना चाहिए तथा इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में पंचायतों तथा नगर-पालिकाओं को उनके घाटे के लिए सड़कों की मरम्मत तथा रख रखाव के रूप में प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए। तमिलनाडू को केन्द्रीय पूल से अधिक चावल आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि एक फसल पहले ही खराब हो चुकी है और तमिलनाडु में चावल की पहले ही कमी है। माननीय प्रधान मंत्री को इस आपदा पर काबू पाने के लिए राज्य की सहायता हेतु विशेष तरीके खोजने चाहियें। उदारतापूर्वक धनराशि दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं माननीय मंत्रियों श्री बलराम जाखड़, रंगराजन कुमारमंगलम तथा श्री सी० के० जाफर शरीफ को प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा केवल यही निवेदन है कि राहत उपाय किए जाने चाहियें।

मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (तंजावुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष कोई तूफान, चक्रवात या हरीकेन आता है। तंजापुर सबसे अधिक प्रभावित होता है। सम्बन्धित मंत्री वहां जाते हैं और उन जगहों का हवाई दौरा करके वापस आ जाते हैं तथा कुछ राहत की घोषणा कर देते हैं। आवंटित धनराशि आमतौर पर प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जब इस तरह के विध्वंस होते है तो स्थानीय पंचायतों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। पंचायत को धनराशि वितरण का कार्य किया जाना चाहिए। कावेरी बेसिन में निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वहां रहने वाले लोगों की उचित देखभाल की जानी चाहिए। जिन घरों में वे रहते हैं वे मिट्टी के बने हुए हैं। सरकारी मकानों में घटिया सामग्री लगी है। जब बाढ़ आती है तो इन निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही प्रभावित होते हैं। जब ऐसी बाढ़ आती हैं तो प्रभावित लोगों से ऐसे स्थान खाली करा लेने चाहिएं।

मेरा सुझाव यह है कि जब कभी ऐसी बाढ़ आती हैं तो सरकार को पहले ही चेतावनी देने के उपाय करने चाहिये और यह देखना चाहिए कि ये लोग प्रभावित न हों, विशेषतौर पर बरसात के मौसम में।

दूसरी बात यह है कि जब लोग खाने और पीने के पानी के लिए पीड़ित हैं तो यह सामग्री हवाई जहाज से गिराई जाती है। आमतौर पर हवाई-जहाज से गिराई जाने वाली यह सामग्री गलत स्थान पर गिरती हैं। इन वस्तुओं के लिए छीना झपटी होती है मेरा सुझाव यह है कि खाद्यान्नों का, जब उललब्ध हों, संग्रहण किया जाना चाहिए ताकि जब बरसात आए तो लोग खाने की कमी से पीड़ित न हों। जब बाढ़ का इतना पानी होता है तो पीने का पानो नहीं होता। इस पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उपेक्षित नहीं हैं। उन्हें इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कावेरी पट्टी में लोगों को कटु अनुभव है।

संक्रमित खाने तथा पीने से हैजे जैसी कई बीमारिया पैदा हो जाती हैं। इन छूत की बिमारियां से बचने के लिए मेरे विचार में बाढ़ पर नियन्त्रण करना चाहिए और आमतौर पर समुद्र में बहने वाले पानी की झीलों और तालावों में एकत्र कर लेना चाहिए ताकि इन झीलों तथा तालाबों से सिंचाई का उद्देश्य पूरा हो सके। तालाबों तथा नदियों के बांधों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे पास बेहतर योजनाएं होनी चाहियें। इन उद्देश्यों के लिए हमारे पास बेहतर प्रशासनिक सूझबूझ होंनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पूर्ण विचार करें तथा जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आएं तो यह देखे कि लोग पीड़ित न हों और उन्हें कठिनाईयां न हों क्योंकि हम लापरवाही करते हुए पकड़े गए हैं। इस प्रकार सरकार लीगों की सहायता कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का स्टेटमैंट देख रहा था, उसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को पता चला, फिर यहां पता चला मैं समझता हूं कि सरकारों को पता चलने से ज्यादा अच्छा होता यदि इफेक्टेड होने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की जाती हैं। जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि विंड की स्पीड 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उसके साथ साथ वारिश हो रही होती है तो ऐसे वक्त में इवेकुएशन मुश्किल हो जाता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिनसे एडवांस में पता चल जाए कि 80-90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है और वारिश भी होने वाली है। इस तरह की मशीनें आज हिन्दुस्तान में और सारी दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनियां में इसके लिए मशीन लगी हुई है, हिन्दुस्तान में भी इस तरह की मशीनें मौजूद हैं : इस तरह के इलाके में इवैकूएशन का इन्तजाम बड़े पैमाने पर रहना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से निकाला जा सके और इन्सानी जान को बचाया जा सके। और साथ-साथ जैसे जानवरों की बात

हुई, जानवरों को भी बचाया जा सके। जो लोगों की पूंजी है, जो घरों के अंदर महफूज होती है, उसको बचाया जा सके।

आपने देखा होगा, जो फिशरमैन मछली मार रहे होते हैं, कोस्टल एरियाज में, वे इसके बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। हमारी तरफ से कोई इन्तजाम नहीं रहता कि उन तक खबर पहुंचा सकें कि 24 घण्टे बाद या 28 घण्टे बाद इस तरह का साइक्लोन आ रहा है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। सरकार को इसके लिए पूरी व्यवस्था एडवांस में रखनी चाहिए ताकि उनकी जान और माल की हिफाजत की जा सके।

रिलीफ का जिक्र भी इसके अन्दर हुआ है कि 75 परसेंट सैंट्रल गवर्नमेंट देती हैं और 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिसको सेंट्रल रिलीफ फण्ड कहते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जहां आप गरीबों की मदद कर रहे हैं वहां जो गरीब फार्मर्स हैं, जिनकी खेती उजड़ गयी है, खेती बरबाद हो गयी है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम जो भी आप पैसा भेज रहे हैं उसका 25 फीसदी निकाल कर गरीब किसान के लिए खाद और बीज की व्यवस्था करायी जाए ताकि रिहैबिलिटेशन का काम बड़े पैमाने पर हो सके। साथ ही, जो फिशरमैन है, जिसकी बोट टूट हो गयी हो वह भी दिलाने का काम किया जाए।

इसमें जिक्र है कि नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको से प्रयास किया जा रहा है कि हाउसिंग के लिए मदद करें। मैं दरख्वास्त करूंगा, खास तौर से वैसे इलाकों को देखा जाए जहां पर स्ट्राम का बराबर इफैक्ट होता है। बहुत सारे इलाके हैं, वे ऑफ बंगाल को देखिएगा, कोस्टल एरियाज को देखिएगा, कुछ खास इलाके हैं जहां पर बराबर साइक्लोन आता है। ऐसे इलाकों में जो घर बनें उसमें ख्याल रखा जाए कि स्ट्राम प्रोटेक्टिड हों और इसमें पूरी मदद, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए छोटे मकान बनाने में, दी जाए। मैं इन्हीं अलफाज के साथ सरकार से कहना चाहूंगा कि जो अभी आप राशि वहां के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जितनी क्षति हुई हैं, उसके लिए वह कम है। इसको बढ़ाया जाए ताकि वहां की रियायतें चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वे अच्छी तरह से रिलीफ का काम कर सकें और खास तौर से गरीबों के लिए कर सकें।

इन्हीं चन्द अलफाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़, सूखा, चक्रवात तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में लगभग वार्षिक बात बन गई हैं। यह एक बड़ा देश है, लगभग एक उप-महाद्वीप जितना है और इसलिए देश के कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित हैं कुछ अन्य भाग प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में रहते हैं। जब ऐसी आपदा आती हैं जो आमतौर पर यह होता है कि मन्त्री महोदय अपने अधिकारियों के साथ एक हवाई सर्वेक्षण करते हैं। फिर कुछ अधिकारी उस जगह जाते हैं, राहत कार्य शुरू करते हैं और सरकार जो कुछ देती है उसे गरीब लोग साभार स्वीकार कर लेते हैं। और फिर सरकार उनकी दयनीय दशा को भूल जाती है क्योंकि सत्तारूढ़ दल इस बात से सन्तुष्ट

हो जाता है कि उनका वोट बैंक सुरक्षित है। आभारी लोग उन्हें सत्ता में लाने के लिए वोट देंगे और इस कहानी की साल दर साल पुनरावृत्ति होती है क्योंकि भारत में हर वर्ष चक्रवात तथा बाढ़ आती हैं। सबसे अधिक हानि किसको होती है? गरीब लोग, दलित लोग ही हैं जो सर्वाधिक कष्ट सहते हैं। क्योंकि वे क्षति उठाते हैं, इसलिए सरकार किसी स्थायी हल के विषय में नहीं सोचती। क्या ऐसी समस्याओं से निपटने हेतु कोई संकटकालीन योजना है? क्या उनकी सहायता और पुनर्वास हेतु कोई स्थायी राहत योजना है? नहीं, ऐसा इस कारण है क्योंकि सरकार भली भांति जानती है कि वे लोग मूक और निर्धन हैं तथा सरकार को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए, सरकार प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर में बैठकर जाती है तथा खाद्य सामग्री का वितरण कर देती है। चाहे उनके बच्चे महामारी से मरते रहें, उनकी झोंपड़ियां धराशायी होती रहें किन्तु सरकार कुछ नहीं करती।

सभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, तमिलनाडु के गांवों के निचले हिस्से जल मग्न हैं। तंजावर, दक्षिण आरकोट, कामद-ए-मिल्लत तथा कुछ अन्य जिले प्रभावित हैं। वहां खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं; लाखों झोपड़ियां धूलि-धूसिरत हो गयी हैं। चक्रवात तथा मूसलाधार वर्षा के कारण कर्नाटक, पांडिचेरी तथा आंध्र प्रदेश को भी नुकसान पहुंचा है।

मैं सरकार से इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने का अनुरोध करता हूं। प्रत्येक चक्रवात-प्रवण क्षेत्र के लिए निष्क्रमण केन्द्र होने चाहिएं। आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि आंध्र प्रदेश में चक्रवात का झटका प्रतिवर्ष आता है। चक्रवात-प्रवण प्रत्येक बड़े गांव में निष्क्रमण केन्द्र क्यों नहीं बनाए गए? प्रत्येक जिला केन्द्र तथा तालुक केन्द्र में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार होना चाहिए ताकि राहत कार्य तुरन्त शुरू किया जा सके। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य को विपत्ति राहत कोष के रूप में केन्द्र से केवल 39 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि तमिलनाडु का अनुमान था कि उसे 390 करोड़ रुपये की धनराशि के बराबर हानि हुई है। क्या तमिलनाडु इस हानि की भरपाई करने में समर्थ है? केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण, राज्य निर्धन नगरपालिकाओं से बेहतर स्थिति में नहीं हैं। वे हमेशा वित्तीय संकट से ग्रस्त रहते हैं। वे हमेशा भीख का कटोरा लेकर केन्द्र सरकार के पास जाते हैं। क्या यह तमिलनाडु अथवा कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश का उत्तरदायित्व है कि चक्रवातों ने उनके क्षेत्रों के बड़े भागों का विनाश कर दिया है? यह उनका कसूर नहीं है। इसलिए, केन्द्र को राज्यों की सहायतार्थ आगे आने चाहिए। केन्द्र को पर्याप्त धन उपलब्ध करना चाहिए ताकि कृषि संबंधीं कार्य तुरन्त शुरू किए जा सकें। इस मौसम को फसलें नष्ट हो गयी है। किन्तु यदि कृषक अगले मौसम में फसलें उगा सकें तो कम से कम वे संकट का सामना कर सकेंगे।

ऐसी विपदाओं को कवर करने के लिए फसल बीमा योजना होनी चाहिए। राहत कार्यों के लिए स्थायी योजना होनी चाहिए। इस देश में गरीब लोग समझते हैं कि यह तो उनका प्रारब्ध है और उनकी नियति में किसी तरह भी सुधार नहीं हो सकता है। सरकार गरीबों की इस मानसिकता का लाभ उठाती है। अब समय है कि सरकार इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए आगे आये। कृषकों को ऋण दिए जाने चाहिए ताकि वे स्थायी आधार पर रहने के घर बना सकें। सरकार लॉरी बेकर की सलाह ले सकती है जिसने केरल में आश्चर्यजनक प्रयोग किए हैं। मात्र 8,000

रुपयों से लॉरी बेकर ने केरल के लोगों के लिए कम लागत के मकानों का निर्माण करने का प्रयोग शुरू किया है। केन्द्रीय सरकार कम लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए योजनाएं बनाने हेतु उनसे सलाह-मशविरा कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, कल से यह सदन इस वर्ष नवम्बर के महीने में बंगाल कीखाड़ी में बने चक्रवातीय अंधड़ के कारण आयी विपदा तथा मानव जीवन, खड़ी फसलों, रहने के घरों, पशुओं को हुई क्षति तथा मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भू-क्षरण तथा तटबन्धों के टूटने के कारण हुई क्षति के बारे में चर्चा कर रहा है।

इस बार विशेष रूप से दक्षिण के तीन बड़े राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अब मैं सरकार से विशेषकर मन्त्री महोदय से, यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या हम मन्त्री महोदय द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण तथा उसके बाद सदन में दिए गये कुछ वक्तव्यों से सन्तुष्ट हो जाएं तथा अन्त में यह कहें कि हमी केवल योजना आयोग द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों से निदेशित होते हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय विपत्ति राहत कोष से प्रभावित राज्यों को सहायता दी जा सकती है। अतः, यदि भारत सरकार यह सोचती है कि उनका काम खत्म हुआ और वे अपने हाथ मात्र इतना कह कर खींच लें तो मेरा ख्याल है, संभवतः हम यहां निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं तथा इस महती सभा में की गई बहुमूल्य चर्चाओं और उनमें हमारे यहां उपस्थित मित्रों द्वारा किये गए योगदान से कुछ होने वाला नहीं है।

मैं विशेष रूप से कर्नाटक राज्य और उसमें भी तुंकुर, बंगलौर तथा कोलार के तीन जिलों में हुई क्षति के विवरण में नहीं जाना चाहता। मेरे मित्र गण पहले ही इस पर विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि ये सुझाव उपयुक्त हैं तो वे संभवतः स्वतन्त्रता के 45 वर्षों के बाद कम से कम इस मोड़ पर तत्काल सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने की बात सोच सकते हैं। यदि हम स्थायी उपचारात्मक उपायों के विषय में नहीं सोच सकते हैं, तो शायद प्रति वर्ष, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है हमें मूसलाधार वर्षा, तथा कुछ मामलों में सूखे के कारण हानि उठाते रहेंगे।

अब हमारे सामने कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के जल के बंटवारे के रूप में पहले से ही एक समस्या उपस्थित हैं। यदि सरकार वास्तव में ख्याल करती है और यदि उन सुझावों पर विचार करें, जो मैं बताने जा रहा हूं, तो हम उस समस्या को भी प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं।

गंगा, महानदी तथा कावेरी को जोड़ने की बात भी होती रही है। यह काफी समय से चल रही है।

यह सूखे की स्थिति पर नियन्त्रण करने में भी सहायक होगा और भयंकर बाढ़ पर भी ।

3.11 म० प०

[श्री बी० एम० सईद पीठासीन हुए]

टैंकों और नदियों के तलों से गाद निकालना दूसरा उपचारात्मक उपाय है ।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : क्या नदियों को जोड़ने से समस्या हल हो जायेगी ? क्या हमें बाढ़ से राहत पाने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए प्रतीक्षा करनी है ?

श्री वी० धनंजय कुमार : यह एक स्थायी उपचारात्मक उपाय है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं संभवत: प्रति वर्ष इस तरह की चर्चाएं सदन में होती रहेंगी और माननीय मन्त्री के मुंह से हम केवल एक ही बात सुनते रहेंगे ।

श्री के० राममूर्ति : आप उच्चतम न्यायलय के निर्णय से पहले नहीं बल्कि बाद में इसका जिक्र कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : क्या इससे मोजूदा समस्या हल हो पायेगी ?

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं सरकार से यही बात कहना चाहता हूं कि इससे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को बांटने का हल निकलेगा । अन्ततः हम इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं ।

श्री के० राममूर्ति : उच्चतम न्यालय के निर्णय के पश्चात् ।

श्री वी० धनंजय कुमार : दोनों पार्टियों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई न्यायाधिकरण आयेगा ।

सभापति महोदय : आप कृपया तूफान सम्बन्धी विषय तक ही सीमित रहिये ।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं न्यायसंगत सुझाव दे रहा हूं । जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक सुझाव यह है कि गंगा, महानदी और कावेरी नदियों को जोड़ दिया जाये । दूसरा सुझाव यह है कि जलाशयों और नदी तलों का गाद निकाला जाये । नदियों में अत्यधिक गाद भरा हुआ है और इसी कारण प्रति वर्ष हम बाढ़ और सूखे से पीड़ित रहते हैं ।

दूसरी बात, जलाशयों पुश्तों और नदी बांधों में दरारें पड़ गई हैं । इसलिए व्यापक पैमाने पर पुनर्निमाण कार्य शुरू किया जाना हैं । जलाशयों, पुश्तों और नदी बांधों के पुनर्निमाण से दोनों समस्याएं हल हो जायेंगी ।

अब मैं भू-कटाव को रोकने की बात पर आता हूं । हम भू-कटाव और वन-संरक्षण के बारे में

भी बात करते हैं। परन्तु कोई स्थायी उपाय नहीं किया जाता है। इसलिए इन मुद्दों पर भी विचार विचार किया जाना चाहिए। गत वर्षों में अस्थायीं राहत उपायों पर कई हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। संभवतः यदि निश्चित योजनाएं तैयार कर के इन धनराशियों का समुचित उपयोग किया जाता है तो हम स्थायी उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं और ये समस्याएं सुलझायी जा सकती हैं।

महोदय, कर्नाटक सरकार ने 130 करोड़ रुपये की मांग की है। माननीय मन्त्री ने सर्वेक्षण करने के परश्चात् कहा है कि आपदा राहत कोष में से हम केवल 27 करोड़ रुपये के हकदार हैं और यह राशि हमें पहले ही दी जा चुकी है। दसवीं लोक सभा के पहले सत्र में सामान्य वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ से हुई क्षति के बारे में उल्लेख किया था परन्तु वही उत्तर दिया गया। मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार मजबूर हैं क्योंकि योजना आयोग ने मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं तथा वह इस आपदा राहत कोष में से धनराशि दे सकता है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : यह वित्त मन्त्रालय का कार्य है।

श्री वी० धनंजय कुमार : हां, उस समय मन्त्री महोदय ने यह सुझाव दिया था कि हमें सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि यह राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी स्थिति में केवल भारत सरकार ही हमें बचा सकती है। अब मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर राष्ट्रीय आपदा के रूप में विचार करने जा रही है या नही क्योंकि भारी बाढ़ के कारण तीन प्रमुख दक्षिणी राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि भारत सरकार सोचती है कि यह राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सही मामला है तो संभवतः भारत सरकार गरीब किसानों और पीड़ित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने में इन तीनों राज्यों की मदद कर सकेगी। हम प्रधान मन्त्री के राहत कोष से भी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। हम अन्य स्रोतों का भी पता लगा सकते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील करूंगा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये तथा आपदा राहत कोष से सहायता के रूप में पहले ही दी गई धनराशि के अलावा हमारी अन्य तरह से रक्षा करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं केन्द्रीय सरकार और यहां बैठे मन्त्री जी से एक बार फिर अपील करूंगा कि ऐसा रास्ता न अपनाएं, यहां दिये गए वक्तव्य मात्र से ही संतुष्ट न हों तथा सर्वेक्षण दल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त होने से भी सन्तुष्ट न हों। कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। कृपया स्थायी उपचारात्मक कदम उठाओ तभी हम इस समस्या का अन्तिम समाधान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्म भिक्षम् (नलगोंडा) : सभापति महोदय, मैं पार्लियामेंट के इस हाउस में पहली बार भाषण कर रहा हूं और मैं आप से इल्तजा करूंगा कि मेरे लिए जरा वक्त का लिहाज करें।

सभापति महोदय, फ्लड्ज के बारे में बहस चल रही है। यह साउथ इण्डिया की परमानेंट प्राब्लम है। साउथ इण्डिया में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हर साल इसके शिकार होते चले जा रहे हैं। इस पर जब कभी भी गवर्नमेंट ध्यान देगी वह तो देगी, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। ऑनरेबल मेम्बर्स अपने ख्याल का इजहार करते हुए यही बात बोल रहे हैं कि नेचुरल केलामिटी है, कम से कम सरकार को मान लेना चाहिए। और उसको रिकॉगनाइज चाहिए। ऐसी मांगें ब्रिटिश राज के दौर से चल रही हैं। आजादी के बाद भी यही हालात रहे तो बहुत दुख की बात है।

मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि इस साईक्लोन में ज्यादातर मजदूर लोग, फिसारमैन और गरीब किसान मारे जा रहे हैं। गांवों के गांवों में उनके मकानात को समुद्र की लहरें बरबाद कर रही हैं। हम यह समझ कर इसे अल्लाह मियां के ऊपर छोड़कर खामोश बैठे हैं कि यह कुदरती बात है। यह तमाम सिलसिला देखें तो मुझे समझ में आ रहा है कि "मर गए हम वो जश्न दारइ"। साउथ में सब साहिल इलाका है। वहां जो समुद्र का शिकार होता है उसकी मदद नहीं करेंगे, ऐसी चीज आदतन इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा ही अगर होगा तो ठीक नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश में तीन टाइम 15 साल तक असेम्बली मेम्बर रहा। इसी चीज को मैंने स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखा। उनका कहना है कि सदर से मदद आनी है, हम हिसाब से बांटेंगे। 25 है तो 70 देंगे व 40 है तो 60 देंगे। इस तमाम हिसाबबन्दी से ये लोग मरते जा रहे। मेरे खयाल में सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही हिसाब लगाया जाए तो एक लाख अस्सी हजार पब्लिक बेघर हो गई। उनको दूसरी जगह बसाने के काम को हमारी आंध्र प्रदेश सरकार अंजाम दे। उसमें 110 लोग मर गए। अब तकरीबन दो लाख अट्ठावन हजार हैक्टेयर धान की फसल नष्ट हो गई। ये तमाम चीजें देखते हुए 204 करोड़ रुपया देने के बाद यह अन्दाजा किया गया है। माननीय प्रधान मन्त्रीश्री पी० वी० नरसिंहराव जी जब नन्दयाल आए थे उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनसे बात करके एक एक मेमोरण्डम सबमिट किया। तकरीबन 430 करोड़ रुपए की जरूरत है, यह उनकी मांग थी, लेकिन अखबारों में हमारे केन्द्र से 152 करोड़ रुपए तीनों स्टेट में देने की बात लिखी गई। यह ऐसी बात है कि घर तो जल गया लेकिन तुम्हें मुफ्त का खाना देंगे, ऐसा अगर केन्द्र सरकार सोचे तो यह दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वास्ते मैं एक-दो बातें और बोलकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा।

मैं तेलंगाना, नलगोंडा का रहने वाला हूं। नलकोंडा जिले के गोदावरी और कृष्णा दोनों पर प्रोजेक्ट बनने से नलगोंडा, वारंगल, करीमनगर महबूबनगर आदि में पशुओं तक के रहने का इलाका नहीं रह गया है। वहां पोच्चमपेट प्रोजेक्ट और नागार्जुन प्रोजेक्ट का मसला 25 साल से चलता आ रहा है। वह प्रोजेक्ट तो बन गया, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी से वारंगल तक आकर रह गया लेकिन उससे नालगोंडा के जिस इलाके को लाभ पहुंचता था, नालगोंडा तक पानी नहीं पहुंचा। पच्चीस साल का असी गुजर गया लेकिन अभी तक वह मसला हल नहीं हुआ। ऐसे ही, श्रीसेलम प्रोजैक्ट की जो लैफ्ट कैनाल है, वह टनेल के रूप में बने या लिफ्ट इरीगेशन के रूप में, यह मसला आड़े आकर, उसके काम में भी रुकावट पैदा हो गयी है। स्थिति यहां तक है कि कैनाल का जो हिस्सा कन्सट्रक्ट हो गया था, उसे भी आगे बनाने से छोड़ दिया गया उसमें से नाले को निकालने का काम छोड़ दिया गया। तथा वहां जो सब-डिवीजन के दो सैक्शन थे, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया।

आज ही मेरा पार्लियामेंट में एक सवाल था, इस बारे में जब मैंने पूछा कि क्या कोई नया प्रोग्राम आंध्र प्रदेश से आपके पास आया है तो मुझे जवाब दिया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जब ऐसा कोई मामला नहीं है तो अब तक जो प्रोजैक्ट बन रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी, नाला बन रहा था, डैम की टनैल का काम शुरू हो गया था, उसे क्यों रोका गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। आंध्र प्रदेश की हुकूमत बोलती है कि हमने टनैल की स्कीम को मंजूर कर लिया है और उसे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भिजवा दिया है। सेंटर से मंजूरी मिलने पर हम काम आरम्भ कर सकते हैं, ऐसा वहां की असैम्बली में हमें जवाब मिला। यहां आकर जब हमने मालूम किया तो पता चला कि हमारे पास कोई स्कीम ही नहीं है। यदि इन तमाम चीजों को देखें तो मालूम होता हैं कि इसमें सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्पष्ट गैर-जिम्मेदाराना हरकत है।

मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में विकास चाहते हैं तो जमीन के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, खाद की व्यवस्था कीजिए और अच्छा बीज किसानों को दीजिए। लेकिनों किसानों से सम्बन्धित पोर्टफोलियो जिन मिनिस्टर साहब के पास है, उन्हें पानी की फिक्र नहीं है, खाद की फिक्र नहीं है और न अच्छा बीज उपलब्ध कराने की फ़िक्र है। उनका कहना है कि हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ एग्रीकल्चर हैं और हम सिर्फ एग्रीकल्चर को ही देखते हैं, इसी कारण तमाम समस्याएं उठती जा रही। कहीं कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। किसी भी जगह, जिले में, इस मसले को हल करने के लिए तीनों के बीच कोआर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, लाजिमी है, बल्कि साइंटिफिकली है। लेकिन तमाम लापरवाही की वजह से आज प्रोजैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा है, खाद का मसला अलग जा रहा है और बीज के बारे में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है।

इस वास्ते मैं आपके जरिए केन्द्र की हुकूमत से दरयाफ्त करूंगा कि इन तमाम मसलात को हल करने में सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती तो आज वह स्थिति पैदा नहीं होती कि किसी का मकान नहीं रहा, किसी की फसल बह गयी। फिर कहा जाता है कि हम एक वक्त का खाना देंगे, एव करोड़ रुपया स्टेट को देंगे। यदि ऐसे खयालात या मंतव्य आप पब्लिक के सामने रखते हैं, करते कुछ नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि यह आपकी गैर-जिम्मेदाराना हरकत है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि पूरी स्थिति का जायजा लिया जाये और तमाम समस्याओं के परमानेंट हल के लिए, साउथ इंडिया के कोस्टल परियाज में, जहां साइक्लोन आते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती है, उन्हें हमेशा के लिए नुकसान से बचाने के लिए आप स्थिति का जायज़ा लें। खसूसन जिनके मकान बह गये हैं, स्पेशल स्कीम के तहत उनके पक्के मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट को खासतौर पर सोचना चाहिए। मैं यहां ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दूसरे मैम्बर्स भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। इतना ही कहते हुए, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी तकरीर बन्द करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरू) : सभापति महोदय, बंगाल की खाड़ी से आए हाल की

तूफानी बाढ़ से पूरे दक्षिणी राज्य—आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रभावित हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान पश्चिम गोदावरी के तटवर्ती जिलों में हुआ है जहां पर फसल कटाई से कुछ ही समय पूर्व धान के सारे खेतों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 6 0 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग सात लाख हेक्टेयर धान की फसल नष्ट हो गई है। विशेषतौर पर तटवर्ती जिलों में बार-बार ऐसा हो रहा है। वर्ष 1983, 1986 और 1989 तथा 1990 में ऐसा ही हुआ था। सितम्बर, 1991 में भी हमें भारी क्षति हुई थी। तदन्तर, नवम्बर के आरम्भ में भारी वर्षा से पुनः फसल कटाई से पूर्व पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुन्टूर और नेल्लोर के तटवर्ती जिलों में वास्तव में अत्यधिक नुकसान हुआ है।

उसका तात्कालिक मुख्य उपचार यह है कि हम फसल बीमा के बारे में सोच सकते हैं। अनेक क्षेत्रों में फसल बीमा का लाभ किसानों को उचितरूप से नहीं दिया जाना है, क्योंकि यह मन्डल के आधार पर दिया गया है। यदि मण्डल का एक भाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो फसल बीमा नहीं दी जाती है तथा किसानों नुकसान होता है।

वास्तव में कल ही पश्चिमी गोदावरी जिले के संसद सदस्यों ने जिला परिषद् के चेयरमैन के साथ प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन दिया था। जिन्हें इन क्षेत्रों की अच्छी जानकारी है। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक कहा कि वह इस मामले में कुछ करेंगे।

नष्ट हुए धान के लिए लिए हमने खाद्य निगम से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वे आर्द्रता और रंग सम्बन्धी वर्तमान दिशानिर्देशों में छूट दें ताकि कम से कम कुछ हद तक किसानों को मदद दी जा सकती है।

अन्य जिस बात का हम अनुरोध कर रहे हैं वह है किसानों को पहले ही दिए जा चुके ऋणों की समय सारणी पुनः निर्धारित की जाए और इन क्षेत्रों में कम से कम पुनः कृषि के विकास के लिए नए ऋण दिए जाएं। सरकार उन्हें कोई नकद धनराशि, देने के बजाए कुछ बीजों की सप्लाई करके, उर्वरकों, अन्य विभिन्न आदानों, जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं, देकर उनकी सहायता कर सकती है, ताकि वे इस तूफान से हुई क्षति के किसी अंश की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ फसलों का विकास भी कर सकें।

धन के साथ साथ तटवर्ती जिलों में केले और छोटे मुर्गीपालन फर्मों, मत्स्यन फार्मों को भी क्षति पहुंची है। सड़कें भी पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके लिए हमें केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। भारत सरकार योजना व्यय में से केवल अग्रिम धनराशि के रूप में इसे दे रही है। इससे वास्तव में यह प्रयोजन पूरा नही हो रहा है। जैसा कि हमारे एक मित्र ने अनुरोध किया है, इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाए और आप सीधे अथवा प्रधान मन्त्री के विशेष कोष से जो भी सम्भव हो, दे सकते हैं और तटवर्ती जिलों को कुछ राहत दी जाए।

इन तटवर्ती जिलों में अकसर आने वाले तूफानों के कारण उन निर्धन लोगों की भारी तबाही भी हो रही है जिनके पास रहने को मकान नहीं है। इसलिए हमने यह भी अनुरोध किया है कि

आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के आर-पार और दक्षिणी राज्यों के अन्य भागों में तूफान राहत आश्रम स्थल बनाए जाएं, ताकि अक्सर अगले वाले इन तूफानों के दौरान लोगों को कुछ राहत तथा संरक्षण मिल सके।

इन विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य निगम को इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। फसल बीमा के मानदन्डों में छूट भी दी जाए और इन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने 86 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया है। अक्सर तूफानों के कारण—गत वर्ष भी – वे अपने ऋणों की समयावधि पुन: निर्धारित करवाना चाहते हैं और वे इस धनराशि को वापस लेना चाहते हैं। अन्ततः उन्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किस्म का प्राकृतिक विपदा कोष बनाया जाना चाहिए, जिससे इन बड़ी प्राकृतिक विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों का बचाव किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार को तटवर्ती जिलों की सड़कों की मरम्मत, जल-निकास प्रणाली और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं के पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करनी चाहिए। मुझे आशा है कि भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय के माध्यम इसके लिए कुछ करेगी।

श्री डी० पंडियन (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं मद्रास से आया हूं। हाल के तूफान से आए बाढ़ों के कारण मद्रास शहर बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। बेशक, सारे दक्षिणी राज्य—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी का कुछ भाग भी प्रभावित हुआ है।

मैं पिछले, 30 वर्षों से मद्रास शहर में रह हूं और हम बारी-बारी से एक वर्ष पानी की कमी का सामना करते है तथा दूसरे वर्ष बाढ़ की समस्या का। किन्तु इस समय यह आपदा अपने चरम किन्तु पर पहुंच गयी है और तूफान और बाढ़ के कारण हुई क्षति वास्तव में अपूरणीय है, मैं समझता हूं प्रारम्भ में किया गया आकलन पूर्णतः गलत है।

मैं लोगों के पास जाता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है। मद्रास शहर के 150 डिवीजनों में से लगभग 60 डिवीजन पानी में डूबे हुए हैं। पहली बार संसद सदस्य और राज्य के मन्त्रियों को लोगों के पास नावों के द्वारा पहुंचाना पड़ा। मद्रास में यह कल्पनातीत है। हम नावों की कल्पना किया करते थे किन्तु हमने उनका उपयोग कभी नहीं किया था। चार दिनों तक हम लोगों तक पहुंचने के लिए नावों का उपयोग करते रहे लाखों लोग असहाय हो गए हैं। नावों से जाना और उन्हें एक रोटी के टुकड़े अथवा एक समय के भोजन की पेशकश करना सहानुभूति और भाई चारे की अभिव्यक्ति है। इससे उनके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता है। चार दिनों से बिजली कटी पड़ी है। क्यों? निवारणात्मक उपाय के रूप में उसे काट दिया गया है। वहां पेयजल की कोई सुविधा न थी। वे पंसारी की दुकान से आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनकी वंदना की केवल कल्पना की जा सकती है और इसे पैसे अथवा शब्दों के मानदण्ड पर नहीं परखा जा सकता चूंकि ऐसा प्रतिवर्ष होता है, मैं सदन—सदन के सभी वर्गों, सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों—से अपील करता हूं कि आपदाओं के समय में हमें कुछ सबक सीखना चाहिए और शीघ्र सहायता उपलब्ध करने के लिए कदम उठाने चाहिएं और

साथ ही साथ आपदा से निपटने और सम्भावित क्षति को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजना बननी चाहिए। हम चक्रवाती पुनरावृत्ति को रोक नहीं सकते। यह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। शायद कभी कोई वैज्ञानिक ऐसा कर सके किन्तु हमारे जीवनकाल में नहीं। इसलिए हमें इससे बचने और इसके परिणामस्वरूप होने वाली वंदना को समाप्त करने के लिए योजना बनानी होगी। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमारा ऐसा वर्षों का अनुभव है। भोपाल में गैस का रिसाव और इससे होने वा ी वंदना एक असमान्य ब''त है और शायद ही कभी इसकी पुनरावृत्ति हो। किन्तु सूखा व बाढ़ चिरस्थाई हैं और अधिकारीगण इससे निपटने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों से परिचित हैं। फिर भी नौकरशाह तभी बैठकें करके लोगों को राहत पहुंचाने के बारे में चर्चा करते हैं जब ऐसी घटनायें घटित होती हैं। विपदाओं के प्रति ऐसा विभागीय रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए।

सबसे पहले—मद्रास, तमिलनाडु तथा भारत के अन्य भागों में रहने वाले लोगों की वंदनाओं तथा मांगों का परिगणत करने से पूर्व—मैं अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यगणों से एक अपील करना चाहता हूं क्योंकि भारत में वर्तमान सन्दर्भ में लगभग सभी प्रमुख जिम्मेदार राजनैनितक दल किसी न किसी राज्य में सत्ता में हैं अथवा सत्ता में भागीदार हैं। यदि देश के किसी एक भाग में प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या अन्य राज्यों को अपना योगदान देकर प्रभावित लोगों से सहानुभूति व एकता नहीं जतानी चाहिए ? क्या इससे राष्ट्रीय अखण्डता व भाई चारे की भावना को बढ़ावा नहीं मिलेगा ? इसके बजाए मुझे केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए पीढ़ा व आश्चर्य हुआ जब कुछ सदस्यों ने कहा कि तमिलनाडु अकारण कृपापात्र बन रहा है और अन्य राज्यों की उपेक्षा कर उनके साथ पक्षपात करता जा रहा है।

किसी संकट के समय जब लोग दुखी होते हैं तो हम अपना राजनैतिक स्वार्थ खोजने लगते हैं। मेरे विचार से हमें ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए। अत: आप और अधिक मांग कर सकते हैं। मैं कर्नाटक अथवा आन्ध्र में रहने वाले अपने भाइयों की कीमत पर तमिलनाडु के लिए किसी विशेष अनुदान की मांग नहीं करता। केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक राज्य व क्षेत्र द्वारा वहन की गई क्षति के अनुपात में सहायता राशि देनी चाहिए। इस बिना पर हमें पक्षपात बरतने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें राजनैतिक स्वार्थों के लिए कोई जगह नहीं है।

यहां पर केवल कृषि मन्त्री जी को बैठे व हमें सुनते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है जैसे प्राकृतिक आपदाओं का संबंध केवल कृषि विभाग से हैं अन्य किसी विभाग से नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति का आक्रोश एक या दूसरे विभाग के बीच भेदभाव नहीं करता। यह किसी विशेष यातायात नियम का पालन नहीं करती। (व्यवधान) इस पर सभी विभागों को चिन्ता होनी चाहिए। (व्यवधान) मैं इस बात के लिए अभारी हूं कि कुछ अन्य मन्त्री महोदय भी यहां मौजूद हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सभापीठ से संबंधित हों। इस वाद-विवाद में मत जाएं। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहां चार मंत्री बैठे हैं।

श्री डो० पंडियन : इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा कहना है कि प्रकृति ने ऐसा उत्पात मचाया है कि जीवन का हरेक पहलू इससे प्रभावित व छिन्न-भिन्न हुआ है। विशेषकर मद्रास में मद्रास पत्तन तथा मद्रास तेज शोधक कारखाने, उवर्रक तथा दोनों ताप विद्युत केन्द्रों को जोड़ने वाली तटीय सम्पर्क सड़क बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गई है। प्रत्येक वारिश से सड़क कट जाती है और इनसे स्थानों के बीच कोई सम्पर्क नहीं रहता। हां, कच्चा तेल पाइप लाइनों के द्वारा पहुंचता है। सड़क खराब होने पर इंधन ले जाने वाली गाड़ियां प्रभावित होती हैं। वे अन्य वितरण केन्द्रों को तेल ले जाती हैं। इसमें व्यवधान पड़ने से समस्त राज्य में यातायात प्रणाली ठप्प हो जाती हैं।

जब कभी हम राज्य सरकार से कहते हैं कि भूमि का कटाव हो रहा है जो शहर तक फैलता जा रहा है तो वे कहते हैं कि सागर-तट की रक्षा करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जल-भूतल मन्त्री जी को निश्चय हीं मामले की जांच करनी चाहिए और इसका स्थाई उपचार करना चाहिए क्योंकि शहर कटता जा रहा है और इस समस्या को हल्के ढंग से नहीं ले सकते।

इसी प्रकार जनसंख्या-बहुत शहर में निष्क्रमण की प्रक्रिया बहुत कठिन है। आप लाखों लोगों का निष्क्रमण नही कर सकते और फिर उन्हें कहां बसाया जाए ? यह बहुत कठिन है। इस सम्बन्ध में हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं विशेषकर अंतरिक्ष विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, उन्होंने विशेषकर मौसम-विभाग ने समय पर चेतावनी दी। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने भी ऐसा किया। वे भी बधाई के पात्र हैं। किन्तु साथ ही साथ अन्य विभागों को भी चेतावनी का संदेश संबंधित लोगों विशेषकर मछुआरों तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि वे जीवन का एक बड़ा भाग सागर में बिताते हैं। वे टेलीविजन नहीं देखते। केवल रेडियो सुनते हैं। मत्स्यन विभाग को इस योग्य होना चाहिए कि वह उन्हें पहले ही सतर्क कर दे। जब ऐसा नहीं किया जाता तो मछुवारे अपनी नौका सहित नष्ट हो जाते हैं। आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि कुछ लोग बहकर बंग्लादेश चले गए और इस समय जेल में हैं। उन्हें प्रधामन्त्री की सहायता से बचाया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बंग्लादेश मद्रास के इतने पास नहीं हैं। इतनी दूर तक वे बहकर चले गए। ऐसे कुछ स्थानों पर इन सभी विभागों और शहरी विकास विभाग के बीच समन्वय होना चाहिए। उनमें समन्वय नहीं है क्यां वहां एक रेलवे उपरिपुल है, वह भी क्षतिग्रस्त हैं और उस रेल पुल को पार करने के लिए हमें रेल विभाग से सम्पर्क करना होगा कि वह सड़क बनाने उपकर्मी बनाने या रेल उपरिपुल बनाने के लिए अनुमति दे। इसलिए केन्द्र और राज्य तथा अन्य सभी विभागों के बीच समन्वयात्मक प्रयास होना चाहिए।

आप सब को मिलकर सोचना होगा और इसे एक राष्ट्रीय समस्यां के रूप में देखना होगा और इसे हल करने, तुरन्त सहायता देने और दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए प्रयास करना होगा। दीर्घकालीन उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। मेरे सभी मित्रों ने इसकी मांग की है। यह केवल पैसा देने या अधिकाधिक धन आवंटित करने का प्रश्न नहीं है उससे अलग केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की

चिन्ता का विषय, महत्वपूर्ण शहरों और राज्यों की राजधानियों में जहां लोगों की आबादी अधिक है वहां लोगों की जान बचाने और वर्षा के जल की निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। इसे केवल नगरपालिकाओं के भरोसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नगरपालिकायें इन बड़ी समस्याओं से नहीं निपत सकतीं और उनके लिए धन भी एक कठिन समस्या बना जायेंगी। कम से कम हमें इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए।

मद्रास तथा अन्य बड़े शहरों के लिए यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा नहर व्यवस्था को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इसमें पूरी तरह सहायता देनी चाहिए।

जहां तक चावल का प्रश्न है, तमिलनाडु में तंजौर को धान कटोरा कहा जाता था। और वह डूब गया। इस पर, जले पर नमक छिड़कने जैसा, काटने के लिए तैयार खड़ी फसलें भी नष्ट हो गईं। इसलिए फिर से जुताई करने और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करने में तीन, चार महीने लग जायेंगे। उस प्रक्रिया के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार बीज, खाद, और भूमि सुधार के लिए सहायता नहीं देती तो यह बहुत मुश्किल हो जायेगा और हम देश के खाद्यान्न भण्डार में योगदान देने योग्य नहीं हो पायेंगे। इसलिए, उस बारे में, मैं निवेदन करता हूं कि पूर्व घोषणा के अनुसार आपूर्ति में 8 ,000 से 60,000 तक करने की कटौती न करें तमिलनाडु के लिए 81,000 टन तक ही रहने दें जब तक कि हमें कठिनाइयों से छुटकारा नहीं मिल जाता और हम अपनी जमीन को पुन: कृषि योग्य नहीं बना लेते। और कृपया यह भी देखें कि मछुआरों और किसानों के मामले में कर्ज माफ हो अथवा कम से कम पुन: निर्धारित किया जाए। जब तक मैं किसानों के बारे में बात करता हूं तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमें छोटे, सीमांत और बड़े किसानों के मानदण्ड पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने उन सभी को दण्ड दिया है। सभी को सहायता मिलती चाहिए। आपको राज्य सरकार की हर संभव सहायता करनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार की ओर से मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों को कुछ सहायता देने वालों में हम सर्वप्रथम थे। इससे हमने अपनी सहानुभूति दिखाई है और हम आशा करते हैं कि अन्य राज्य भी ऐसी सहानूभूति दिखायेंगे। हमारे मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को सहायता देने के लिए असाधारण उपाय किए हैं और हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय यसरकार भी आवश्यक सहायता देने में अपनी उदारता दिखायेगी।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : माननीय सभापति महोदय, आज नियम 193 के अधीन केवल बंगाल की खाड़ी में हाल में ही आए तूफान से, बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हो रही है। लेकिन यह समस्या केवल किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की समस्या है। उत्तरी भारत के जितने भी प्रदेश हैं वे सभी प्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या उत्तरी पूर्वी प्रान्त हीं, सभी में बाढ़ की स्थिति बहुत अधिक भयानक रहती है। जैसे ही गर्मी का माह तक समाप्त होता है और जुलाई का महीना प्रारम्भ होता है तो भले ही बरसात की पहली बूंद तपती दुपहरी को दूर

करने के लिए अच्छी लगती हो, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को याद करके इन्सान के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जो लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहते हैं उनको पता है कि नदियों की बाढ़ विशेषकर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की बाढ़ की विभीषिका किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान करती है। सरकार को इस बात का इल्म नहीं होता है। इन दोनों के बीच में योजनाएँ बनती हैं, धन आवंटित होता है और बाढ़ पर काबू पाने की डींग हांकी जाती है, लेकिन बाढ़ पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है इसकी असल कल्पना नहीं की जाती।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर हसनपुर पर एक बांध था। गंगा नदी की बाढ़ से बांध कटने लगा और इन्जीनियर्स ने बाढ़ को रोकने के लिए जो योजना बनायी वह थी कि ठोकर बांध लगाए जाएं। लेकिन ठोकर बांध उस स्थान पर लगाए गए, पूरब की दिशा में, लेकिन उत्तर की दिशा में कटाव हो सकता था। कहीं पर ठोकर बांध लगाए जा रहे हैं और कहीं पर कटाव हो रहा है। समस्या केवल इस बात की नहीं है कि उसका क्या समाधान हो सकता है, समस्या यह है कि समाधान किया भी जा सकता है या नहीं। मैं इस हाउस में मांग करता हूं कि इतनी भीषण समस्या है, हम दूसरे देशों को देखें, मिस्र और इजराइल अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों को हरियाली वाले क्षेत्रों में बदल सकते हैं, चीन अपनी उन्मादी नदियों पर नियन्त्रण करके उनको कन्ट्रोल कर सकता है, लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर केवल योजनाएं बनती हैं और कागजों पर रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है देश के अन्दर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। मान्यवर, भ्रष्टाचार इतनी जड़ों में पहुंच गया है कि हसनपुर बांध पर जो कार्य हो रहा था उसमें करोड़ों का घोटाला इन्जीनियर करके चले गए।

उसकी रिपोर्ट मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को दी है। हमारे जनपद बदायूं में एक छोटी तहसील गुन्नौर है। उस क्षेत्र में जहां गंगा का किनारा था तो वहां गत वर्ष कटाव हो रहा था। उस समय मैंने मुख्य मंत्री को टेलीग्राम दिया और उन्हें तरह-तरह से कहा गया कि कटाव हो रहा है और अनेक लोगों की जान-माल सब गंगा में बह जाएगा। इसकी कोई परवाह नहीं की गई। जहां लोगों की जान माल का खतरा है तो वहां कोई मंत्री पहुंचने का प्रयास नहीं करता है। केवल दावतों और मीटिंगों में विश्वास किया जाता है। उनके द्वारा सही इम्पीलीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जो होना चाहिए, वह नहीं होता है। दो वर्ष पहले जल संसाधन राज्य मंत्री श्री एम० एस० जैकब ने कहा था कि 768 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रुपया कितने साल तक बर्बाद होता रहेगा। पिछले 25 सालों से इतना धन व्यय हुआ है और नुकसान हुआ और कितना होता रहेगा और बाढ़ विभीषिका हम लोगों को परेशान करती रहेगी। मैं इस सदन में और सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले बाढ़-सूखा राहत कानून बनाया जाना चाहिए। एक निर्धारित पॉलिसी हो जिसके तहत काम हो सके। बाढ़ नियन्त्रण निगम या आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि बाढ़ को राष्ट्रीय समस्या मानना चाहिए, प्रदेशों की समस्या नहीं। सरकार प्रदेशों के लिए धन आवंटित करती है तो राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं अगर उत्तर प्रदेश में बी० जे० पी० की सरकार है तो धन कम मिलेगा और बिहार में जनता दल की सरकार है तो भी धन कम मिलेगा। इस गम्भीर समस्या पर केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां पर पुल है, जहां बांध है, उनके रख-रखाव का काम और मरम्मत का काम समय पर होना चाहिए। जब कटाव

होता है तभी मरम्मत कार्य भी होता है और नदी की बाढ़ में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। यह पहले ही पता होता है कि बाढ़ आयेगी। आगे भविष्य में जब बाढ़ आएगी तो हसनपुर बांध के कटाव लगभग के कारण मुरादाबाद और बंदायूं जिले के एक लगभग हजार गांव गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में होंगे। लेकिन सरकार का ध्यान बांध की मरम्मत पर इस समय नहीं जा रहा है। जब बाढ़ आएगी या बारिश होगी तो तब बांध के रख-रखाव के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। यहां सदन के अन्दर बहस होती है, और वह बहस होकर रह जाती है। उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। मेरा सुझाव है कि इस सदन में जो भी चर्चा हो तो उस चर्चा में सांसदों द्वारा दिए गए, प्वाइन्ट्स नोट किए जाएं और जब रेमेडी की जाए तो उन प्वाइन्ट्स को भी शामिल किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि धन के दुरुपयोग को रोका जाए और जो क्षेत्र बहाव में या बाढ़ में कट गए है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो लोग भूमिहीन हो गए हैं उनकी भूमि का लगान अवश्य माफ हो जाना चाहिए ऐसा देखा जा रहा है कि जिनकी जमीन गंगा की बाढ़ में कट गई, लेकिन उनसे लगान फिर भी वसूला जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर इसके लिए विशेष कानून बनाए जाएं ताकि पूरे देश में इस भीषण समस्या का समाधान निकल सके।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, हम वास्तव में माननीय कृषि मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 12 नवम्बर को आए समुद्री तूफान के सम्बन्ध में स्वतः बयान दिया है जिससे इस चर्चा के लिए प्रेरणा मिली है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ राज्यों का दौरा किया है। अपने बयान में उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है : "तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों के भागों में व्यापक वर्षा हुई है।"

यहां इस समय चर्चा बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान के सम्बन्ध में की जा रही है और मेरा विश्वास है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। मैं आशा करता हूं कि वे हमारे यहां भी दौरे पर जाएंगे यद्यपि उनके योग्य राज्य मंत्री, श्री के० सी० लेंका जुलाई में आई बाढ़ के दौरान उड़ीसा का एक बार दौरा किया था, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य प्रशासन की इच्छा नहीं थी कि राज्य मंत्री कहां का दौरा करें। इसलिए, उनकी सलाह के बावजूद और बार-बार टेलीफोन किए जाने के बाद भी, श्री लेंका ने दौरा किया और अब तक, जबकि बाढ़ जुलाई में आई थी अस्त-व्यस्त हुई संचार व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है और न ही क्षतिग्रत मकानों की मरम्मत की जा सकी है और विशेष रूप से इससे प्रभावित उन लोगों के मकानों की, जो समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

महोदय, माननीय कृषि मन्त्री ने अपने स्वतः बयान में इस प्रकार उल्लेख किया है, "प्रधान मंत्री की इच्छानुसार उन्होंने कुछ राज्यों का दौरा किया।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया है; "राहत

कार्य पूरी तरह राज्यों के मुख्य सचिवों के अधीन छोड़ दिया गया है जो सहायता के मानदंडों सहित राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों के बारे में निर्णय करने के लिए सक्षम है।" उन्होंने आगे कहा है : "एक आपदा राहत निधि है जिसका गठन। 1 अप्रैल, 1990 को किया गया है।" यहएक मूर्ख दिवस है। वे अपेक्षा करते हैं कि राज्यों को अपने-अपने राहत कार्य बिना किसी सहयता के करने चाहिए।

मैं उड़ीसा से आया हूं जो एक समुद्री राज्य है। आप भी मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि पिछले पच्चीस वर्षों में जब हम यहां युवकों के रूप में आये थे, एक भी वर्ष ऐसा नहीं बीता है, जब हमने साल में कम-से-कम दो बार समुद्री तूफान, बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा नहीं की हो। जहाँ तक मेरे राज्य, उड़ीसा का संबंध है, ये तीनों आपदाएं उड़ीसा में सदैव विद्यमान रही है। चूंकि अन्य माननीय सदस्यों ने अपने राज्यों की समस्याओं को यहां उठाया है, इसलिए, मैं अपने भाषण को उड़ीसा में आए समुद्री तूफान और बाढ़ तक ही सीमित रखूंगा। मैं उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त सचिव, (राजस्व) द्वारा संयुक्त सचिव (कृषि) कृषि भवन को भेजें गए एक संदेश की प्रति में से इसे उद्धत कर रहा हूं। संदेश संख्या 52953 है। वर्ष 1990-91 में आई बाढ़ में 133 लोगों की मौत हुई और 29692 पशुओं की जानें गई लोगों के 21, 902 मकान क्षतिग्रस्त हो गए कुल 4,62,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमि पर रेत बिछ गई। 18,144 लाख मूल्य की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा।

समुद्री तूफान और ओला वृष्टि के कारण पांच लोगों और 128 पशुओं की जानें गई। लोगों के 31,024 मकान क्षतिग्रस्त हो गये और 18 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

4.00 म०प०

1990 में भी एक भयंकर बाढ़ आई थी जिसके बारे में कह मेरे मित्र श्री गोपीनाथ गजपति ने चर्चा आरंभ की थी। तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्री चन्द्रशेखर ने उस क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् 50 करोड़ रुपये देने का वादा किया था जबकि नुकसान 348 करोड़ रुपये का हुआ था। उड़ीसा सरकार ने भी इस संबंध में एक ज्ञापन दिया था। वह 50 करोड़ रुपये अभी तक पहुंचा नहीं है जबकि इसे पिछले वर्ष घोषित किया गया था।

इस वर्ष जब हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव उड़ीसा गये, तो उड़ीसा सरकार और राजस्व विभाग ने भी श्री नरसिंह राव जी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने 35 करोड़ रुपये देने का वचन दिया है, जबकि नुकसान 249 करोड़ रुपये का हुआ है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि यह धन-राशि उड़ीसा पहुंची है या नहीं। हम अपने वरिष्ठ मन्त्री यहां प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय राज्य-मंत्री के इस बात के लिए कृतज्ञ होंगे, यदि वे इस प्रकार प्रकाश डालें कि क्या वह धन-राशि वहां पहुंच गई और यदि नहीं, तो यह कब तक पहुंचेगी। मैं उड़ीसा से आया हूं और उड़ीसा में विकास का कार्य सबसे बाद में आरंभ हुआ। उड़ीस 1803 तक अंग्रेजों से लड़ता रहा जबकि शेष भारत ने

आत्म सम्मर्पण कर दिया था और इसलिए विकास का कार्य वहां 1803 के बाद ही शुरू हो सका।

हमारी 3.19 करोड़ की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की जन संख्या 41 प्रतिशत है। हमारे सीमान्त और छोटे किसानों की जनसंख्या 80 प्रतिशत है; 75 प्रतिशत कार्य-शक्ति-कृषि पर निर्भर है; राज्य की दो-तिहाई आय कृषि से प्राप्त होती है। इसलिए, जब पूंजी का आधार या कर कास्रोत समाप्त हो रहा हो, तो उड़ीसा से इन आपदाओं और विनाश-कारी घटनाओं जैसे बाढ़; समुद्री तूफानों और सूखे से निपटने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो 1954 से पिछले 27 वर्षों से प्रत्येक वर्ष एक के बाद दूसरी घटती चली आ रही है।

1954 में आई बाढ़ ने भारत सरकार और संसद को जगा दिया। 1954 से बाढ़ एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। मेरा राज्य, उड़ीसा अपने मामले से वित्त आयोग को अवगत करता रहा है। हमारे माननीय सहयोगी, श्री एन. के.पी. साल्वे के नेतृत्व में नौवें वित्त आयोग ने उड़ीसा का दौरा किया, जहां सभी संसद सदस्यों तथा राज्य सरकार द्वारा आयोग का ध्यान विभिन्न फार्मूलों, गाडगिल फार्मूले, संशोधित गाडगिल फार्मूले की ओर दिलाया गया। यह सहमति व्यक्त की गई कि विकसित राज्यों और गरीब राज्यों, जैसे उड़ीसा राजस्थान, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच असमानता और असन्तुलन को कम किया जाना चाहिए। परन्तु इनमें से कोई फार्मूला अब तक उड़ीसा के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। हमारे कृषि मन्त्री के इस स्वत: बयान में भी नौवें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इन आपदाओं के कारण राहत निधि स्थापित की गई है, जिसमें से उड़ीसा जैसे राज्य को, जिसके पास कर-प्राप्ति का अपना स्रोत नहीं है, अपनी विपत्तियों को दूर करने तथा राहत कार्य चलाने के लिए सहायता मिलने की संभावना है।

बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर दिए गए आंकड़े बड़े दिलचस्प दिखाई देते हैं। मैं यहां इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तक "फॉरेस्ट एन्वायरमेंट ट्राइबाल इकोनोमी" से आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। 1953 से 1981 तक कुल 235.6 मिलियन हेक्टर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई। इसका औसत 8.8 मिलियन हेक्टर निकलता है। इसका कुल 795 मिलियन जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा और यदि एक-एक वर्ष के हिसाब से देखें तो आप पायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बाढ़ और अन्य आपदाओं के लिए सरकार द्वारा राज्यों को 5.64 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई थी; दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह 7.71 करोड़ रुपये थी; तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह 6.41 करोड़ रुपये थी; चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 239.59 करोड़ रुपये थी पांचवी पंच-वर्षीय योजना में यह 130 करोड़ रुपये थी; छठी पंचवर्षीय योजना में यह 558.39 करोड़ रुपए थी; सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह 1027.25 करोड़ रुपए थी वर्ष 1986-87 में यह लगभग 1200 करोड़ रुपये थी।

जबकि वर्षा संबंधी स्थिति वैसी है और सिंचाई मंत्रालय, केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने कई कदम उठाए हैं; विभिन्न उच्च स्तीय सम्पितियां उच्च स्तरीय समितियां अतिरिक्त उच्चसमितियां विशेष समितियां, विशेषज्ञ समितियां, बांढ़ आयोग, बाढ़ आयोग संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड' है आदि अनेक निकाय

गठित किये हैं, फिर भी सच यह है कि अभी तक अधिकाधिक भूमि बाढ़ ग्रस्त व समुद्री तूफानग्रस्त होती जा रही है और इसके लिए अधिकाधिक राहत दी जा रही है और यह खर्च गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत आता है। इस सबके बाबजूद हम प्रचुर जल संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि वनों की कटाई गाद जमा होने की समस्या, भूकटाव की समस्या, पिछले 30 वर्षों से वर्षा की वैसी ही स्थिति होना; 1954 से बाढ़ आने की समस्या आदि समस्यायें बढ़ती ही जा रही हैं।

वर्षा का यही स्थिति पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है और सब प्रयासों के बावजूद बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरी राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को, जो कि जल संसाधनों उपयोग में लाने के लिए मध्यम एवं बड़ी बिभिन्न सिचाई परियोजनाएं लागू कर रही हैं को सहायता दी जानी चाहिए ताकि आगे भविष्यमें बाढ़ की घटनाएं कम हो यदि आप नदियों के बहावों को नियंत्रित करेंगे। यदि आप जल संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे तो इससे आपवासी सिंचाई में सहायता मिलेगी।

मेरे राज्य की सरकार ने आठवीं योजना के लिए 2237 करोड़ रुपए की मांग की है।

मैं अपने मित्र श्री डा० पांडियन की इस बात से भी सहमत हूं कि समुद्री, तूफान बाढ़ अथवा सूखे की समस्या से केवल कृषि मंत्रालय की ही संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि कृषि मंत्रालय का मुख्य संबंध तो खाद्य उत्पादन से है। माननीय कृषि मंत्री ने तो इस संबंध में अपना वक्तव्य इसलिये दिया क्योंकि खाद्य उत्पादन एलं कृषि का मामला उनसे संबंधित हैं बाढ़ और समुद्री तूफानों की पहली शिकार तो कृषि भूमि पर होती है, इसमें खारापन आ जाता है। यह मूल्यग्राही बन जाती है और इसके साथ-साथ खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं।

मैं विभिन्न आंकड़े नहीं देना चाहता। मैं विचार करने के लिए पहले ही पर्याप्त आंकड़े दे चुका हूं। हमारा तो कृषि मंत्रालय से केवल यही अनुरोध है कि वह इस मामले में एक लाभदायक एवं उत्प्रेरक भूमिका अदा करे। यदि यह सामजंस्य स्थापित कर सके, और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों को भी अपने साथ तो लेते स्थिति बेहतर होगी क्योंकि यह सुनिश्चित करना सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है कि विभिन्न सिचाई परियोजनाओं, विभिन्न बाढ़ नियन्त्रण उपायों। भूकटाव को रोकने संबंधी-विभिन्न उपायों को कारगर तथा तेजी से कार्यान्वित किया जाए।

विशेष कर उन पिछड़े राज्यों के लिए जिनके पास कर आधार नहीं है, और जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी विकास योजनाओं हेतु संसाधन जुटाने का आधार नहीं है उनके लिये कृषि मंत्रालय को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए क्योंकि इसका संबंध देश में खाद्य के अभाव कृषि कार्यों तथा उत्पादन से है।

उक्त स्थिति से बुरी तरह प्रभावित कुछ लोग समाज के कमजोर वर्ग के हैं और उन्हे पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। अब तक जुलाई और अगस्त में बाढ़ और समुद्री तूफान की दो घटनाएं हो चुकी हैं। मैं स्वयं भी इस स्थिनि से प्रभावित हुआ क्योंकि उस दौराने मेरा चुनाव अभियान चल रहा था और 12 नवम्बर के तूफान के कारण मुश्किल से 50 प्रतिशत लोग मतदान करने आए। अब

तक कुछ ही गांवों को केवल दो-तीन दिन की राहत दी गई है। वहां वास्तव में ही भारी क्षति हुई है और वहां के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। जहां क्षति नहीं हुई है वहां जिले अथवा राज्य के कुछ पक्षपात पूर्ण रवैये के कारणराहत पहुंचा दी गई है। लेकिन मुझे मालूम है तू क्यों और मैं बिना किसी हिचकिचाहट और पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि वहां पिछले तीन महीनों से सड़कें अवरुद्ध पड़ी है कुछ विकास-योजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई है, जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की रही हैं, सड़कें नहीं बनाई गई हैं न ही सड़कों की मरम्मत की गई है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब संचार व्यवस्था प्रभावित होती है तो सार्व-जनिक वितरण प्रणाली भी चरमरा जाती है; और इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा भोगी गई हर सदस्यता रही है ये वस्तुएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि पुनः-रुद्धार कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध नही है चाहे तटबन्ध योजनाएं हों, या बाड़ नियन्त्रण योज-नाएं अथवा भूसंरक्षण योजनाएं हों। कोई लाभ प्रद कामंवादी हो रही है। बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और लोगों के पास आजीविका का कोई वैकलापिक साधन नहीं है। इसलिए उन्हें यह जगह दोड़कर अन्यत्र जाना पड़ रहा है। भारी संख्यामें लोग वहां से जाने लगे हैं।

जैसा कि शून्य काल तथा विशेष उल्लेख के दौरान मेरे सहयोगियों ने उल्लेख किया था—यहां से भारी संख्या में लोग अन्यत्र जाने लगे हैं। कृषि मंत्रालय यह कहकर निष्क्रिय नहीं बैठ सकता कि वह स्थिति पर ध्यान रखे हुए है। उस पर यह कहावत परितार्थ होनी चाहिए कि—जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कृषि मंत्रालय मूक दर्शक नही रह सकता। राहत उपाय बहुत कम है। भूमि को पुनः कृषि योग्य नहीं बनाया जब रहा है टूटे हुए तटबन्धों को पुनः सुदृढ़ करना होगा। मध्यम एवं बड़े दोनों ही प्रकार बांधों के क्षेत्रों में तटबन्धों पर वृक्षारोपण करना, जो कि उड़ीसा में प्रचुरता से जल संसाधनों उपलब्ध है, के उपयोग हेतु भारी निवेश कार्यक्रम को मंजूरी देना जैसे कुछ सकारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह एक राष्ट्रीय समस्या है है। लोगों को राहत देने तथा पुनर्वास करने संबंधी इस समस्या को केवल राज्य सरकार पर ही नही छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका राष्ट्रीय स्तर पर ही समाधान किया जाना चाहिए।

लोगों को उनके दुखों-कष्टों से बचाना चाहिए। इसके लिए कृषि मंत्रालय को आर्थोपाय ढूंढ निकालने होंगे। और केवल इस तरह का प्रवचन करने से कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिए हैं" इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों, विशेषकर उड़ीसा सरकार जैसी राज्य सरकारों की जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम में 20 प्रतिशत तक अपना योगदान करने की क्षमता नहीं है। इसे बाढ़ और तूफान राहत से लिए 239 करोड़ रुपए कहां मिल पाएगा जबकि 1990 में शुरू किए गए बाढ़ एवं तूफान राहत कार्यों के दौरान यह इतना करने में भी असमर्थ है? इस प्रकार हम बड़ी असमंजस की स्थिति हैं। हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और समाज के गरीब सवं के कमजोर वर्गों के लोगों के सार्थक रोजगार दिये

जाने की आवश्यकता है। भावी बाढ़ एवं भावी तूफानों को रोकने के लिए जल संसाधनों का किफायती उपयोग एवं वृक्षारोपण करना होगा क्योंकि तूफान हवा में कम दबाव और उच्च दगाव के कारण आते हैं। भोगोल का कोई प्राथमिक छात्र भी यह जानता है।

अत: केवल वनरोपण से, भू-संरक्षण से और जल संसाधनों का दोहन करके ही आप बाढ़ की सघनता और भीषणता को रोक सकते हैं, बाढ़ आने की घटनाओं को और तूफान की भीषता को कम कर सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : सभापति महोदय, हम विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आए तूफान और बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं।

हमने इस सदन में उड़ीसा की बाढ़ के बारे में पिछले सत्र में चर्चा की थी। जब उड़ीसा की बाढ़ पर चर्चा की गई थी तो मैंने एक मुद्दा उठाया था कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केन्द्र ने एक सीमा निर्धारित की है जिसके अनुसार केन्द्र दो तिहाई अंशदान देता है और एक तिहाई का अंशदान राज्यों द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह फार्मूला अमानवीय है। मैं इसे अमानवीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केन्द्र सरकार इस फार्मूले से चिपकी हुई है और वह सोचती है कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है उसे देखने तथा लोगों की पीड़ा को कम करने की जिम्मेवारी उसकी नहीं है। इसीलिए जब सदन में उड़ीसा की बाढ़ पर बहस हो रही थी तो मैंने इस मुद्दे को उठाया था। कुछ ऐसी विपदायें होती हैं जिनसे कोई राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों में नहीं निपट सकते हैं। अत:, केन्द्र को इसमें अवश्य योगदान करना चाहिए और उसे राष्ट्रीय आपदा को रूप में लेना चाहिए। इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए नौवे वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूले को छोड़ देना चाहिए, सरकार को अब इस असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मैं जुलाई में आई बाढ़ से पीड़ित उड़ीसा के लोगों की स्थिति के बारे में जानता हूं, इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। लोग अभी तक खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में रेत भर गई है और इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। अब प्रधानमंत्री ने उड़ीसा का दौरा करने के बाद वादा किया है कि अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। लेकिन मेरे विचार से अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है। यही बात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य हमारे भाईयों के साथ होगी। अत: इस लक्ष्क्षण रेखा को हटाया जाना चाहिए। यह तमिलनाडु अथवा आंध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा में या कहीं भी हुआ हो वास्तव में जो हानि हुई हो उस पर ध्यान देना चाहिए केन्द्र को कम-से-कम जन-जीवन को सामान्य बनाने के लिए तो उन्हें सहायता देनी चाहिए। अगर केन्द्र द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है तो संसद में इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहस केवल बहस तक ही सीमित रह जाती है। मैंने देखा है कि हम बहस करते रहते हैं और सरकार अपने फार्मूले से चिपकी रहती है, तथा लोगों की पीड़ा पर ध्यान नहीं देती है। और आज उत्तरकाशी में यही घटित हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन फार्मूलों को मार्ग निदेश नहीं माना जाना चाहिए, लोगों की वास्तविक पीड़ा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समस्याग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कोई अन्य फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए।

वह पहले ही बता चुके हैं कि जब भी चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो वह उड़ीसा गए थे। वह काफी द्रवित हुए थे और उन्होंने 50 करोड़ रुपयों की राशि का वायदा किया था। लेकिन ये 50 करोड़ रुपए कभी उड़ीसा नहीं पहुंचे। इस राशि से किसी लेखा-प्रक्रिया से समायोजित कर लिया गया। इसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री भी उड़ीसा गए थे, उन्होंने 35 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था, वह फार्मूले से बाहर नहीं था। लेकिन उड़ीसा को वह धनराशि भी नहीं मिली। ये बातें मैं कृषि मंत्रालय को याद दिलाना चाहता हूं कि वह इन्हें कार्यान्वित करे।

इस देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं। इस सदन में, एक वर्ष पहले हमने आंध्र प्रदेश की स्थित पर बहस की थी, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से कितनी हानि पहुंचाई थी। वहां तूफान आना एक नियमित सी घटना बन गए हैं। पिछली बार चर्चा के समय मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि इसके लिए कोई केन्द्रीय प्राधिकरण होना चाहिए। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए। एक बार एक अनौपचारिक बहस में प्रधान मंत्री ने मुझे बताया कि—मैं उस बात से सहमत हूं—कि आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हमेशा तूफान से प्रभावित होते रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अतः इन क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र माना जाना चाहिए और इनके लिए केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। उस केन्द्रीय प्राधिकरण का कार्य तूफान और बाढ़ के प्रभावों को कम करना होगा। राज्यों को उसके लिए योजना बनानी चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को इन प्रभावों के लिए धनराशि देनी चाहिए। इस लिए मैं कई चीजों की आवश्यकता होगी। बाढ़ का ही मामला लें जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है नदियों में गाद भर चुकी है और वर्तमान तटबन्ध बाढ़ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। या तो आपको इसके लिए नए रास्ते खोजने होंगे अथवा तटबन्धों को ऊंचा करना होगा। जितना आप तटबन्धों को ऊंचा करेंगे उतना ही नदियों में गाद भरेगी। अतः ऐसे तो समस्या हल नहीं होगी। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नई समझ बनाना आवश्यक है। और यह नई समझ होगी कि नदी की पर्यावरणीय स्थिति पर तथा अन्य मुद्दों पर विचार किया जाए तथा इसके प्रभावों को कम करने के लिए कुछ नए रास्ते खोजे जाएं। अन्यथा आने वाले दिनों में तूफानों और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी।

अपनी बात को समेत्ते हुए मैं दो बातें कहना चाहूंगा : पहली तो यह है कि केन्द्र को अपने फार्मूलों से नहीं चिपकना चाहिए। तथा लोगों के कष्टों को देखते हुए तदनुसार कर विचार करने अनुदान किया जाना चाहिए। बाढ़ और तूफान के सुझावों को कम करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करके एक केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जाए लोगों को एक तरह कष्ट न उठाने पड़ें जैसे कि वे अब उठा रहे है।

श्री बी० अकबर पाशा (वेल्लोर) : सभापति महोदय, नवम्बर से पहले तमिलनाडु में पानी की स्थिति बहुत खराब थी, यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं था। यद्यपि हम अपने पड़ौसी राज्य से पानी के लिए चिल्लाते आ रहे हैं, भगवान ने पर्याप्त मात्रा में पानी दिया है परन्तु साथ ही यह आपदा भी दी है। कई लोगों ने नहरों में अपने घर बनाए थे, ऐसे स्थानों पर जहां आमतौर पर पानी बहता रहता था और वे घर बिलकुल बह गए थे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्थान, यानि वेल्लोर में

गुडीयत्लम तथा पेरनामबूत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। बाढ़ के तत्काल बाद मैं तमिलनाडु सरकार में मंत्री श्री जी० विश्वनाथन, जिला कुलेम्हर, तहसीलदार तथा अन्य लोगों के काफिले के साथ वहां गया था। उन्होंने प्रति परिवार जिनके घर बह गए थे, 400 करोड़ रुपए, पांच किलो चावल तथा कुछ साड़ियां तथा धोतियां देने की घोषणा की। ये चीजें बांट दी गई। परन्तु बाढ़ की दशा इतनी खराब थी कि पेरनामबूत में काफी विध्वंश हुआ। बाढ़ इतनी विकराल थी कि एक बस नदी में बह गई। यह पूरी तरह रेत के नीचे दब गई थी। लोग यह पता लगने की कोशिश कर रहे थे कि बस वहां गई। आपदा इतनी उमंकर थी।

कल श्री के० वी० तंग्काबाल ने फसलों तथा घरों, जो बाढ़ में बह गए थे, तथा सड़कें, जो टूट गई थीं और पुलों जो ढह गए थे, अनुमानित क्षति लगभग 390 करोड़ रुपए बताई थी।

अब मैंने देखा कि तमिलनाडु के लिए आपदा राहत निधि 39 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई। जो श्री के० वी० तंग्काबालू द्वारा मांगी गई राशि का ठीक 10% हैं। कल, मुझे प्रधानमंत्री जी का एक पत्र मिला। मेरे अभ्यावेदन पर उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था, जो सील बन्द था, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से वह पूरे तमिलताडु के लिए 40 लाख रुपए दे रहे हैं जब कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन स्थानों, गुडीयत्लम तथा पेरनामबूत के लिए अनुमानतः 90 लाख रुपये की क्षति हुई है। परन्तु यहां वह पूरे तमिलनाडु के लिए 40 लाख रुपये दे रहे हैं। इस आपदा अवधि में कुल अनुमानित वर्षा 2800 मि० मी० हुई जो बहुत भारी वर्षा है। मुझे बताया गया है कि हमारे यहां ऐसी वर्षा 35 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके पश्चात् हस खुश हुए किं आने वाले दो वर्षों तक पीने के पानी की ममस्या नहीं होगी। परन्तु इस आपदा के लिए हमें सरकार तथा कृषि मंत्री से निवेदन करना पड़ता है कि बह ध्यान दें और देखें कि राहत कार्य तत्काल शुरू किए जाएं।

ऋण, जो किसानों ने लिए थे क्योंकि उनकी फसलें चौपट हो गई थीं, काम करने के बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मुझे कोई फसल दिखाई नहीं दी है। फसल की जगह रेत ने ले ली है। रेत को हटाने तथा खेत को कृषि योग्य बनाना किसानों के लिए बहुत कठिन समस्या है। जब हम तमिलनाडु के राज्य मंत्री तथा अन्य लोगों के काफिले के साथ कई स्थानों पर गए तो हमें कई चक्कर लगाने पड़े क्योंकि सड़कें टूट गई थीं। हम सीधे नहीं पहुंच सके थे। कुछ अन्य स्थानों पर भी हमें पैदल चलना पड़ा क्योंकि पुल टूट गए थे। कुछ स्थानों पर झीलें भी कट गई थीं तथा जिस पानी की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है—जिस पर किसान सिंचाई के लिये पूरे वर्ष निर्भर रहते हैं—वह भी बर्बाद चला गया है। परन्तु बांध की मरम्मत करनी होगी और इसे पानी से करने के लिये हमें मानसून की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राहत कार्य के लिये कौर अधिक धनराशि प्रदान करे। आवंटित 39 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं। ये बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही दसनीय परिस्थितियां है। अधिकांश पीड़ित लोग बहुत गरीब हैं विशेषतौर पर किसान और हरिजन हैं। अधिकांश हरिजनों के घर नष्ट हो गये हैं। सरकार को इस बातों का ध्यान रखना चाहिये।

सरकार ने 39 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की है। 9 करोड़ रुपये पहले ही विकमित

किये जा चुके हैं और बाकी 10 करोड़ रुपये वितरित किये जाने हैं। मुझे बताया गया है कि राहत का 25% प्रतिशत भाग राज्य सरकार तथा 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार वहन करेगी। इस धनराशि को यथाशीघ्र जारी करना होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उचित वितरण किया जाना चाहिए।

मैं एक उदाहरण दूंगा। इन प्रभावित स्थानों के मेरे दौरे के पश्चात् कुछ बैठकें हुई थीं और उन बैठकों में कुछ लोगों ने शोर मचाया कि उन्हें पूरी धनराशि नहीं मिली है। 400 रुपए की जो धनराशि मन्त्री महोदय की उपस्थिति में दी गई थी वह पूरी धनराशि थी। परन्तु जिन लोगों को धनराशि बाद में दी गई थी उन्हें यह कब मिली तथा इसका कुछ हिस्सा वहां के अधिकारियों ने रख लिया।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह वितरण उपायों का ध्यान रखे तथा यह भी देखें कि लोगों को तत्काल राहत सहायता मिले।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष का बहुत शुक्र-गुजार हूं जिन्होंने कृषि मंत्री को बाढ़ से प्रभावित आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों का दौरा करने का निर्देश दिया, जिसके फलस्वरूप आज यह चर्चा हो रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री के० पी० सिंह देव, श्री डी० पांडियन, श्री लोकनाथ चौधरी तथा अन्य माननीय सदस्य इन तीन बाढ़ प्रभावित राज्यों की विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं। कुल मिला कर हम प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में एकाई राहत कोष, फसलों, पशुओं, भेड़ों मुर्गीपालन इत्यादि के लिए व्यापक बीमा नीति, जनता बीमा, राहत तन्त्र जैसी बातों पर विचार किया है मैं इन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि ये मुख्य बातें हैं जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विचारार्थ रखी गई हैं।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1989 में जब श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तथा डा० चेन्ना रेड्डी—जो आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे—ने मछलीपट्टनम का दौरा किया था जब चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि इसे प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए और उन्होंने 84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

महोदय, मैं यह सकता हूं कि जब राजस्थान, बिहार तथा अन्य जगहों पर तीन साल तक सूखा पड़ा था इसे प्राकृतिक आपदा माना गया था और जो धनराशि खर्च की गई थी उसे भारत सरकार ने वहन किया था। परन्तु आंध्र प्रदेश के मामले में 84 करोड़ रुपये के अनुदान के बाद केन्द्र सरकार ने एक नया पैसा भी नहीं दिया था। अचानक, पिछले नवम्बर में, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के किसानों को बाढ़ तथा चक्रवात ने बुरी तरह प्रभावित किया है।

महोदय, यहां तक कि श्री चेन्ना रेड्डी ने भी एक योजना की रूपरेखा तैयार की थी कि चाहे कोई भी बात हो, आर्थिक सहायता को या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार वहन करे परन्तु किसानों

को यह मिलनी ही चाहिए। हमआंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के किसी भी क्षेत्र में प्रभावित किसानों कम-से-कम 685 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक सहायता देनी होगी। परन्तु यह भी नहीं दी गई है।

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी, कृपया कुछ देर के लिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि माननीय गृह मंत्री, श्री एस० बी० चह्वाण दिल्ली में सरकारी ढांचे की पुनः संस्थना पर वक्तव्य देंगे।

———

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में शासकीय ढांचे का पुनर्गठन

4.30 म० प०

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार ने संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए दिसम्बर, 1987 में एक समिति गठित की थी। समिति ने दिसम्बर, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार दिल्ली को विधान सभा वाली और मंत्री परिषद तथा उपयुक्त अधिकारों तथा दर्जे के साथ संघ शासित क्षेत्र बनाए रखने का निर्णय लिया है। सरकार दिल्ली के लिए भावी शासकीय ढांचे के निर्णय को लागू करने के लिए उत्सुक है। इस दिशा में, मैं, संसद के चालू सत्र में दिल्ली के लिए नया शासनकीय ढांचा लाने के लिए आवश्यक संवैधानिक विधेयक और विधायन पुरस्थापित करने और यदि सम्भव हो, इसे पारित करने का प्रस्ताव रखता हूं। आवश्यक विधायन अधिनियमित करने के बाद तथा चुनाव क्षेत्रों के फिर से सीमा निर्धारिण के आधार पर लगभग 6 से 8 महीनों में नई विधान सभा के लिए चुनाव कराने के हर सम्भव प्रयास किए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : माननीय मंत्री जी डेट की घोषणा करें।....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : खुराना जी, वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा आता है। अब, श्री

रेड्य्या अपनी बात जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, मैं किसी और सम्बन्ध में खड़ा हो रहा हूं, वक्तव्य के बारे में नहीं ।

मैंने इस मुद्दे को सुबह उठाया था और गृह मंत्री महोदय को हमें इस बात से अवगत कराना चाहिए कि मेघालय पर इस सदन में चर्चा कब की जाएगी क्योंकि उस दिन हमें बताया गया था कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं और इस कारण उस दिन चर्चा नहीं की जा सकी । मैंने अखबारों में समाचार पढ़ा देखा है जिसमें राज्यपाल ने उनसे मिले कुछ विधायकों को यह कहा बताते हैं कि वह पहले ही पहली तारीख को ही रिपोर्ट भेज चुके हैं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मुझे राज्यपाल की रिपोर्ट आज सुबह मिली है। मुझे राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रति आज सुबह मिली है, किन्तु क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री सरकारी तौर पर भारत की यात्रा कर रहे हैं तथा प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, मुझे रिपोर्ट मन्त्रिमण्डल के सामने रखनी होगी तथा उनमें अनुदेश प्राप्त करने होंगे । उसके बाद हीं हम उसे इस सदन में ला सकते हैं !···

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, वे समझ रहे हैं कि उन्हें इसका कुछ श्रेय मिल रहा है । किन्तु श्रेय सरकार को मिलना चाहिए क्योंकि समिति 1987 में कांग्रेस सरकार ने नियुक्त की थी तथा निर्णय भी कांग्रेस सरकार ने लिया था । · **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस सदन की परम्परा यह है कि मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिए जाने के बाद, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है । अब हमारे सामने बाढ़ की स्थिति तथा चक्रवात चर्चा के विषय में हैं ।

अब श्री रेड्डय्या अपनी बात जारी रखें ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि जो चुनाव होंगे वे किस साल की जनगणना आधार पर होंगे ? ··**(व्यवधान)**

क्या कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट भी किया जाएगा।····**(व्यवधान)**···अभी जनगणना सामने नहीं आई है । क्या कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट किया जाएगा । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है । उनको धन्यवाद देना चाहिए । जब स्टेटमेंट होता है तो उसके बाद पुनः डिसकशन नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : हमें बताएं कि 91 की जनगणना पर कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट होगा या नहीं।····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप इस सदन के नए सदस्य नहीं हैं। आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं। ऐसा कानून है कि स्टेटमैंट होने के बाद बहस नहीं होती है। बधाई देने के बाद आप सवाल पूछ रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री कालका दास : कई बार स्टेटमेंट होने के बाद क्लेरीफिकेशन हुआ है। इस सदन की कार्यवाही देखी जा सकती है।····(**व्यवधान**)

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : कई वर्षों से लगातार दिल्ली के लोग इस बात की मांग करते रहे हैं। बी० जे० पी० के लोग वी० पी० सिंह की सरकार में और मोरारजी भाई की सरकार में शरीक थे। कहने बावजूद भी आप लोग विधान सभा नहीं दे सके। अब मैं केन्द्रीय सरकार को और गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।···(**व्यवधान**)

भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के इस्तेमाल के लिए इस सवाल को उठाती रही है।····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री सज्जन कुमार : श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने कमेटी का गठन किया गया था।···· (**व्यवधान**)····आपकी सरकार डेढ़ साल में नहीं कर सकी जबकि हमने छह महीने में कर दिया।····

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा हूं, तो आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है कि वह एक संविधान विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको इस सम्बन्ध में कोई बात उपयुक्त समय पर कहने का पूरा अवसर मिलेगा। अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को जारी रखें।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदय, में कांग्रेस पार्टी की ओर सरकार की प्रशंसा करने वाले माननीय सदस्य से मैं उस समिति के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा जिसकी स्थापना की गयी थी। उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गयी थी और क्या सरकार वी० पी० सिंह सरकार द्वारा गठित की गयी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है।.... **(व्यवधान)**.... आप बिल्कुल भ्रम में हैं। आपको उस समिति के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है। जिसको जनता दल की सरकार द्वारा श्री वी० पी० सिंह के शासन काल में अन्तिम रूप दिया गया था तथा स्थापित किया गया था।....

(व्यवधान)

———

4.41 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बंगाल की खाड़ी में हाल में आए समुद्री तूफान के कारण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति—जारी

सभापति महोदय : अब यदि आप बोलते रहे तो मैं कहूंगा कि इसे कार्यवृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : पहले चक्रवात के दौरान, केन्द्र सरकार ने 84 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कुछ नही दिया है तथा दुर्भाग्यवश दूसरे चक्रवात ने आंध्र प्रदेश में सारी खड़ी फसलों का नाश कर दिया है। 18 नवम्बर तक खड़ी फसलों का करीब 20 प्रतिशत भाग काट लिया गया था तथा खड़ी फसलों का 80 प्रतिशत भाग पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। **(व्यवधान)** आंध्र प्रदेश के किसानों ने असंख्य हानियां उठायी हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान उसके द्वारा राज्य सरकार को सलाह देने में उसके पक्षपात के कारण इस ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने कहा है कि धनराशि सीमित है, चक्रवातों का आगमन निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमें कोई बीच का रास्ता तथा कुछ उपचारात्मक उपाय ढूंढ़ने हैं। सिंचाई तथा जल निकासी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में राज्य सरकारों को भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि 1990-91 के दौरान डा० चेन्ना रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में अपने मुख्यमन्त्रित्व में जल-निकासी सम्बन्धी कार्यों के लिए विश्व बैंक से 700 करोड़ रुपये लिए हैं। एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। उन्होंने पहले वर्ष में 120 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और विश्व बैंक के साथ यह समझौता तीन वर्षों के लिए है। तटवर्ती जिलों में, 700 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि तीन निरन्तर वर्षों में खर्च की जानी हैं। उसका क्या हुआ ? आंध्र प्रदेश भयंकर सूखे बाढ़ से जूझ रहा है तथा कृष्णा, गोदावरी और तटवर्ती जिलों में आन्ध्र प्रदेश की सरकार दूसरी फसल के लिए पानी देने से इंकार कर रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कारण यह बताया है कि विश्व बैंक ने जोर दिया और यह शर्त लगा दी कि कृष्णा तथा गोदावरी में इस वर्ष के दौरान किसी दूसरी फसल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का ध्यान उनके द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देने की ओर दिलाना चाहता हूं।

यदि आंध्र प्रदेश की सरकार दूसरी फसल फरवरी के अन्त तक उगाने की अनुमति देगी तो दूसरी फसल पूरी हो जायेगी। इसके द्वारा दूसरी फसल में 2.5 लाख एकड़ की सिंचाई हो जायेगी और प्रत्येक एकड़ भूमि में 30 बोरे धान पैदा होगा जिसका मूल्य 150 करोड़ रुपये की धनराशि है जो अकेले कृष्णा गोदावरी जिले के किसानों को ही मिल जायेगा। किसानों को दूसरी फसल उगाने की अनुमति न देने का कारण आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने यह बताया है कि यदि हम दूसरी फसल की अनुमति देते हैं तो हम जल-निकासी का कार्य इस मौसम में पूरा नही कर पायेंगे। विश्व बैंक की शर्त के अनुसार, तीसरे वर्ष के दौरान भी हम शेष निकासी सम्बन्धी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, विश्व बैंक के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ही इंजीनियरों ने राजनीतिज्ञों के साथ मिलीभगत की। वे कृष्णा तथा गोदावरी जिलों में दूसरी फसल हेतु पानी देने के अधिकार को अवरुद्ध करना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री, सिंचाई मंत्री तथा मुख्य सचिव से भी मिल चुका हूं तथा मैंने पत्र भी लिखे हैं। यदि वे दूसरी फसल दें तो जल-निकासी कार्यों को मार्च-अप्रैल-मई-जून में कार्य करके भी पूरा किया जा सकता है। इन चार महीनों के दौरान जल-निकासी सम्बन्धी शेष कार्य साथ-साथ पूरा किया जा सकता है। आखिरकार, अकेले गोदावरी जिले के लिए ही इस मौसम में जल-निकासी कार्यों पर वे 38 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जहां तक कृष्णा जिले का सम्बन्ध है यदि दूसरी फसल के लिए पानी की अनुमति नहीं दी जाती है तो इन दो महीनों में हम 150 करोड़ के धान से हाथ धो बैठेंगे। तो आंध्र प्रदेश की अक्षम सरकार के कारण इन किसानों की त्रासदी को आप भली-भांति समझ सकते हैं। इस बात के लिए, मैं माननीय कृषि मन्त्री श्री बलराम जाखड़ से आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री को सलाह देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : वह आ गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुझे तीन या चार और वक्ताओं को बोलने का अवसर देना है। अतः, आप अपेक्षित उपायों का सुझाव दें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसान लोग राज्य सरकार के विरुद्ध संघर्ष पर उतारू हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को सलाह दे कि वह दूसरी फसल के लिए फरवरी के अन्त तक जल उपलब्ध कराए और उसके बाद यह जल-निकासी का कार्य विश्व बैंक के धन से मार्च अथवा अप्रैल अथवा मई के पश्चात् शुरू करे। 38 करोड़ रुपये की धनराशि से गुंडेरू, बुडामेरू, पोलाराज तथा उप्पेटेरू नामक नालों के संबंध में निकासी कार्य एक महीने में पूरा किया जा सकता है। यदि हम 38 करोड़ रुपए की सोचें तो हम 150 करोड़ रुपये मूल्य के धान से वंचित हो जायेंगे।

अब, मैं केन्द्र सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उड़ीसा, बंगाल से लेकर मद्रास

तक तटवर्ती पट्टी पर जहां कहीं भी तटवर्ती जिले हैं, कोई ऐसा तंत्र बनाए जाए जिसके द्वारा नदियों और नालों के आखिरी छोर पर, जहां पर पानी जाता है और सागर में मिलता है, स्थायी रूप से निकर्षण का कार्य किया जा सके। अत., एक स्थायी निकर्षण मंडल बनाया जाये ताकि इस समस्या से बचा जा सके। जब बाढ़ आती है तो सारे भू-भाग जल-मग्न हो जाते हैं। यदि हम कुछ स्थायी राहत उपाय करें तो बाढ़ के कारण होने वाले भारी नुकसान को रोका जा सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदायें घटित होती रहती है। आंध्र प्रदेश में हमारा क्षेत्र अर्थात् रायलसीमा क्षेत्र भीषण आधे साल सूखे की चपेट में रहेगा। इस समय यहां बंगाल की खाड़ी में हाल में आये चक्रवाती तूफान से बाढ़ आयी हुई है।

महोदय, पिछले सत्र में हमने राहत उपायों के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उस समय हमारा जिला भीषण सूखे की चपेट में था, इस शीतकालीन सत्र में हम पुनः अपने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं। हर किस्म की आपदा में अन्ततः कष्ट किसानों को ही उठाना पड़ता है, जिनके जीवन यापन का अन्य कोई जरिया नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि लगातार दो फसलों के दौरान कृषि कार्य शुरू नहीं किया जा सके, तो उन किसानों और कृषि श्रमिकों की दशा कैसी हो जायेगी जिनकी रोजी रोटी दिहाड़ी पर निर्भर है।

भारत में इस शीतकाल में भारी सर्दी पड़ रही है। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल है कि उत्तरकाशी के लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है और इस भीषण सर्दी में उचित आश्रय और पर्याप्त कपड़ों के अभाव में उनको रहना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में भी 20 प्रतिशत मकान ढह गये थे और मैंने देखा हैकि लोग उचित आश्रय के अभाव में कितने कष्टों का सामना कर रहे हैं। वे मेरे जिले के छोटे मन्दिरों, स्कूल की इमारतों, सामुदायिक भवनों में रह रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लोगों को बिना आश्रय के कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। यह वास्तव में हृदय-विदारक है। मेरे जिले में ही लगभग एक लाख से अधिक मकान ढह गये हैं। वे निर्धन किसान और कृषि श्रमिक जो इस आपदा के शिकार हुए हैं अधिकांशतः मिट्टी के मकान और घास फूस की छतों वाले मकानों में रहते हैं। राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए केवल 250 रुपये और पूर्णतः ध्वस्त मकानों के लिए 500 रुपये दे रही है।

महोदय, इन दिनों, जबकि मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गयी है, पीड़ित व्यक्ति इतनी न्यून धनराशि से क्या कर सकते हैं। जब मैंने इस मामले का उल्लेख मुख्यमन्त्री से किया तो उन्होंने और वित्तीय सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की तथा इच्छा व्यक्त की कि पीड़ित व्यक्ति आवास कार्यक्रम में शामिल हों इस आवास योजना के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति के पास 'ले आउट प्लान' के साथ-साथ अपनी भूमि भी होनी ही चाहिए। इस तकनीकी मुद्दे के साथ आवास योजना को लाभ पीड़ित व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3000 रुपये की धनराशि और पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 6000 रुपये की धनराशि देने में राज्य सरकार की सहायता करे।

बाढ़ इस क्षेत्र में जिसके कारण यहां पर अधितकम नुकसान हुआ है। छोटी सिंचाई और भंडारण सुविधायें, सिंचाई की नहरों और तालाबों के टूटने के कारण पानी का बहना, ये सभी गंभीर बातें हैं, जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने कीं आवश्यकता है।

बहुत अच्छे इरादों के बावजूद, धनराशि की कमी के कारण लाभ पहुंचने का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि और सहायता दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० विश्वनाथम कैनिकी (श्रीकाकुलम) : इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरे मित्रों ने प्राकृतिक आपदा के वाद राहत उपायों की समस्या के अनेक पहलुओं को हुआ है।

मैं केन्द्रीय सरकार को, आपदाग्रस्त राज्यों के लिए आपदाओं से तत्काल निबटने के लिए आवंटन निर्धारित करने हेतु बधाई देता हूं। अधिसंख्य मामलों में निर्धारित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये आपदाएं विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में अकसर आती रहती हैं।

अपने राज्य आंध्र प्रदेश में हमको प्रतिवर्ष या तो तूफान अथवा बाढ़ अथवा सूखे का सामना करना पड़ता है। इस आपदा के अन्तर्गत में सभी आते हैं। यदि एक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है, तो दूसरा क्षेत्र बाक से प्रभावित है। जब तक तूफान नहीं आता है, सूखा प्रवण क्षेत्रों को नियमित पानी नहींमिलता। अतः इन सारी वातों के लिए आवंटित धनराशि के अतिरिक्त, इसका कुछ भाग स्थाई निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाए, विशेष रूप से बाढ़ के मामले में आपको कुछ सावधान करना चाहिए! जैसे तूफान के मामले में आपके पास तूफान चेतावनी केन्द्र है, उसी तरह बाढ़ के मामले में नदी के मार्ग के आर-पार आपके पास बाढ़ चेतावनी केन्द्र होने चाहिए ताकि लोग इसे महसूस कर सकें और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से उन्हें हटाया जा सके।

चूंकि नदी संरक्षण केन्द्रीय सरकार का भाग है। उन्होंने ऐसी कुछ नदियों का पता लगाया है। लेकिन कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। जब आप की स्थिति की तुलना दस वर्ष पूर्व की स्थिति से करेंगे तो पायेंगे कि नदियों की गहराई कम हुई है, यहां तक कि दो फीट ऊंची बाढ़ भी वहां रह रहे लोगों के लिए भयंकर तबाही का कारण रही है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इस संरक्षण की सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए और स्रोत को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को धीरे-धीरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए।

अन्य जिस मुद्दे पर मैं जोर देना चाहता हूं वह गांवों के संरक्षण के बारे में है। नदियों के

किनारे स्थिति गांवों को संरक्षण देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गांवों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। नदी के मार्ग के आर-पार भी तालाबों और जलाशयों की तरह आप अतिरिक्त बांध बना सकते हैं ताकि अतिरिक्त पानी जलाशय ले सकें तथा बाढ़ के स्तर को भी कम कर सकते हैं। अतिरिक्त बांध वहां पर भी बनाए जा सकते हैं, जहां नदी में सहायक नदियां मिलती हैं।

तटवर्ती क्षेत्रों में, सरकार ने तूफान आश्रय स्थल बनाये थे जिनका उपयोग केवल तूफान के दौरान ही किया जा रहा है। उनका उपयोग निरन्तर न होने के कारण वे अप्रयुक्त रहते हैं और उनमें टूट-फूट होती रही है। और इन दिनों जब वहां बाढ़ आई है, वे ढह रहे हैं, परिणामस्वरूप इसमें दूसरी आपदा जुड़ रही हैं। इसके बजाय, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, उन सबको तूफान सह अथवा तूफान रोधी मकान उपलब्ध कराए जाने चाहिये। जब तक हम मछुवारों की कालीनियों की सुरक्षा के स्थाई उपाय नहीं करते हैं, प्रतिवर्ष यह राहत बढ़ती जाएगी और मांग भी बढ़ती जाएगी।

श्री के० एच० मुनियप्पा (कोलार)* : सभापति महोदय, हम कल से दक्षिणी राज्यों में हाल ही के भयंकर तूफान द्वारा हुए विनास पर चर्चा कर रहे हैं। आरम्भ में, मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उसने बंगाल की खाड़ी के तूफान से बुरी तरह प्रभावित लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता दी। कर्नाटक सरकार ने भी राहत उपायों के लिए धनराशि जारी की है। हमारे माननीय कृषि मंत्री, श्री बलराम जाखड़ ने भयंकर बाढ़ के कारण हुई क्षति के परिणाम का पता लगाने के लिए कोलार और बंगलौर जिलों के बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था किन्तु मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा कर्नाटक को दी गयी 27 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। अचानक आए तूफान से कोलार, बंगलौर, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिले प्रभावित हुए हैं। तूफान से बंगलौर शहर सहित कोलार और बंगलौर जिलों में अधिक विनाश हुआ है। 28, 29 और 30 अक्तूबर को चौबीसों घने भारी वर्षा हुई थी। 17 और 18 नवम्बर को पुनः भारी वर्षा हुई। कर्नाटक राज्य को तूफान से 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। केवल कालोर जिले में लगभग 70 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 20 हजार मकान पूर्णरूप से नष्ट हुए हैं। इस जिले में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इनकी मरम्मत के लिए कम-से-कम दस करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। एक तालूक में 16 तालाबों और पूरे जिले में 26 तालाबों को नुकसान हुआ है। इस चक्रवात के दौरान जिले में 55 वर्षों अर्थात् 1955 के बाद से सबसे अधिक वर्षा हुई। बंगलौर में इस सदी की अभूतपूर्व वर्षा हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलार में दस हजार परिवार बेघर हो गए। इस समय उनमें से अधिकांश परिवार स्कूलों और धर्मशालाओं में रह रहे हैं। उनका भविष्य अन्धकारमय है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हुडको और अन्यएजेंसियों के द्वारा इन पीड़ित परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण कराया जाए। अस्थायी प्रबन्धों से लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वी० कृष्णा राव और मैंने शहरी विकास मंत्री महोदय श्री उत्तम भाई पटेल से अनुरोध किया है कि वे हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करें। वह इस महीने की 7 और 8 तारीख को कोलार और चिक्कबल्लापुरा का दौरा करने के लिए सहमत हो गए हैं। 40 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो गई हैं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कोलार जिले के किसानों के पास बीज बोने के लिए धन नहीं है। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। कृषि मंत्री महोदय ने वहां के लोगों की दयनीय स्थिति देखी है। इसलिए मेरा श्री बलराम जाखड़ और श्री उत्तम भाई पटेल से अनुरोध है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के चक्रवात पीड़ित क्षेत्रों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाए।

कोलार जिले के किसानों के पास अपना कुछ नहीं बचा है। उन्हें बैंकों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए केन्द्र को इन क्षेत्रों के बैंकों को निर्देश देने चाहिए कि वे इन किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दें। कुछ महीने पहले बजट पर बोलते हुए मैंने कोलार जिले और कर्नाटक के अनेक भागों में सूखे की स्थिति बताई थी। अब हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि चक्रवात के कारण जिन लोगों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है।

5.00 म० प०

जैसा कि मैंने बजट चर्चा के दौरान कहा था कि हमें इन बारहमासी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना है। गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ दिया जाए। महानदी के जल को दक्षिणी राज्यों में बहाया जाए। इससे कावेरी विवाद, तेलगू-गंगा विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद आदि की समस्याएं स्वतः हल हो जायेंगी। इससे लोग छोटे-छोटे विवादों में उलझने के बजाए भाई-चारे से भी रहेंगे।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें इन सभी समस्याओं का स्थायी हल निकालने का रास्ता दिखाया था। हमें उन परियोजनाओं को शुरू करना है जिससे समस्याओं का स्थायी समाधान निकल सकता हैं। हमें अस्थायी राहत कार्यों पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को रोकना है। किसानों को सिंचाई के लिए जल मिलना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, बैंकों को किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। तभी किसानों का जीवन सुधर सकता है। वे अधिक से अधिक व्यवसायिक फसलें उगा सकते हैं और अपनी वित्तीय हालत सुधार सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं से किसान अधिक खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से पूनः अनुरोध है कि इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए और महानदी का जल दक्षिणी राज्यों की ओर बहाने के लिए सभी प्रयास किए जाए।

केन्द्र और राज्य सरकारों को भीषण चक्रवात से पीड़ित इन चार जिलों के लोगों को युद्धस्तर पर सहायता देने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। कोलार सबसे अधिक प्रभावित जिला है यहां अनुमानतः 70 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हैं। कर्नाटक में राहत कार्यों लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि श्री बलराम जाखड़ और श्री उत्तर भाई पटेल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए कार्यवाही करेंगे। प्रधानमंत्री राहत कोष से और अधिक धन दिया जाना चाहिए और यह राशि सीधे उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जिनके लिए यह निर्धारित हो। अस्थाई राहत पहुंचाते समय धन का अधिकांश भाग ठेकेदार हड़प जाते हैं। इसे पूरी तरह रोका जाना

चाहिए। नौकरशाहों को भी इस धन के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल जरूरत मंद और सही व्यक्तियों को सहायता दी जानी चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इन्दिराजी के अन्य क्रान्तिकारी कार्यक्रमों को लागू करते समय इन पहलुओं की ओर सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अस्थाई राहत कार्यों पर धन किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। यह मैंने केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक राज्य में देखा है विना किसी भागी योजना के करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यदि इस वर्ष 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं तो अगले वर्ष में और 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की मांग की जाएगी। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए मैं इस बात पर बार-बार जोर दे रहा हूं कि सरकार को स्थायी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। पक्के मकान बनाए जायें। किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधाएं दी जायें। गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ा जाए, इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। महानदी का जल में विलम्ब दक्षिणी राज्यों की ओर बहाया जाना चाहिये। तभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। किसान व्यवसायिक फसलें उगा सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है।

मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेगी और किसानों तथा चक्रवात से पीड़ित लोगों की सहायता करेगी। कोलार, टुमकुर, बंगलौर और चित्रदुर्ग को और अधिक सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि उन्हें अभी भी चक्रवात से हुए नुकसान से उबना है।

महोदय, मैं अपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया और इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत अधिक धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

सबसे पहले मैं तमिलनाडु की जनता और भारत सरकार को युद्ध स्तर पर शुरू किए गए उपचारात्मक उपायों के लिए समय पर वित्तीय और प्रशासनिक सहायता देने हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं भारत सरकार को भी बधाई देता हूं कि इसने तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किए गए उपचारात्मक उपायों पर ईमानदारी से कार्य किया और उन पर सतत निगरानी रखी।

सभापति महोदय हाल ही में हुई भारी वर्षा और कुड्डलौर और करैकल के बीच पूर्वी तट को पार कर गए चक्रवात से तमिलनाडु के दक्षिण आरकॉट और अन्य जिलो को बहुत भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के कारण मेरे जिले में अनेक लोगों की मौत हो गयी, हजारों लोग बेघर हो गये, 50 एकड़ भूमि में धान की फसल को नुकसान पहुंचा जिले के अनेक भागो में सड़कों को क्षति पहुंची और लगभग सारे गांव जल मग्न हो गये। सभी तालाबों और झीलों में जल ऊपर तक बहने लगा। बीरानाम झील में, जिसका निर्माण चोला राजा ने कराया था, दरारें पड़ गई हैं। पेरुमल झील में भी

दरारें पड़ गई हैं। समुद्र का पानी कुड्डालौर के तटीय गांवों के घुस गया और हजारों मुछुआरे बुरी तरह प्रभावित हुए। कलवारायन की पहाड़ियों में भूस्खथलन के कारण यातायात ठप्प हो गया हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलमार्गों मे जल भर गया है। यह जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन निवारक एक उपाय और मरम्मत कार्य जोरों पर चला रहा है। भारत सरकार को वहां पर राहत कार्यों में मदद करनी चाहिए और पीड़ित लोगों की सीधी-सीधी सहायता करनी चाहिए।

भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है। तथापि मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि तमिलनाडु को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने हेतु एक अध्ययन दल वहां पर भेजा जाये। जो वित्तीय सहायता दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए तमिलनाडु को 500 करोड़ रुपये दिए जायें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थित बैंकों को निर्देश दिये जायें कि वे हाल ही के चक्रवात और बाढ़ से पीड़ित लोगों को आवास ऋण, फसल ऋण और उपयोग ऋण दें। इसके अतिरिक्त मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि बैंकों को सलाह दी जाये कि वे हाल ही की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के देय ऋणों को माफ कर दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय सभापति महोदय, यहां सदन में मैंने माननीय सदस्यों के व्यथाओं से भरपूर उदगार सुनें। ऐसी विपत्ति हो, तो और क्या कर सकते हैं, सहानुमुति होती है, दुःख होता है, दर्द होता है और मन में पीड़ा का एक तीव्रग्रामी प्रवाह होता है। मैं भी वहां गया था और मैंने वहां की स्थिति को देखा और देख कर बहुत व्यथित हुआ। जहां पर भी मैं गया, वहां हृदय-विदारक दृश्य सामने होता। खास तौर पर उन लोगों के घर, उन लोगों की फसलें जो पकी हुई थीं और काटने के लिए तैयार थीं, उस समय में यह आकस्मिक विपत्ति आई और सब कुछ बहा कर ले गई। उनके तो आंसू भी नहीं पोंछे जा सकते सकते थे, उन गांवों में मैं गया जहां कच्चे घर ध्वंवस्त हो गए थे उनके सिर पर छत भी नहीं थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है केवल सहानुभूति के 2-4 शब्द बोले जा सकते हैं।

23 तारीख को प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, सारे आफिसर्स की, मैं भी वहां उपस्थित था। वहां पर उन्होंने समझाया था कि जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र जो कुछ उपाय किए जा सकते हैं, वे किए जाएं, जो साधन जुटाए जा सकते हैं, वे जुटाए जाएं और आगे के लिए कुछ सोचा जाए कि किस प्रकार हम यह सारा कुछ सम्भाल सकें, कि अगर ऐसी विपत्ति भविष्य में आ जाए तो उसका निरा- करण कैसे किया जाए, इसके विषय में भी सोचा जाए। और तो और उन्होंने एक सुझाव भी दिया जो शायद दूरगामी परिणाम हो और जो भी परिणाम ऐसे हों जो सुखदायी हों, ऐसा दिया था और वह था भविष्य में बीमा योजना का, कि अगर कोई, घर फैक्टरी या गाड़ी बीमा योजना के अंतर्गत आ सकती है तो फसल क्यों नहीं आ सकती !

अभी तक जो बीमा योजना हम करते रहे थे वह तो सिर्फ बैंकों के ऋणों की व्यवस्था तक ही

समाप्त हो जाती थी, 10,000 का ऋण होता था तो वहीं पर समाप्त हो जाता था। इसी के अनुसार इतनी रकम की बीमा योजना होती थी लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाई। अब उन्होंने कहा है और मैंने भी एक कमेटी बनाई है, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं और उनके सुझाव भी जानना चाहता हूं कि एसी सफल योजना बनाने में वे सहायक सिद्ध हों। जो भी नेक सलाह वे दे सकते हों मुझे भेजें ताकि हम हरेक चीज के लिए अलहदा-अलहदा, अलग प्रकार की एक नयी बीमा योजना बना सकें क्योंकि कुछ तो ऐसी जगह हैं जहां जेसे साइक्लोन आ गया है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां सूखा पड़ता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां ओले पड़ते हैं, अगर पहाड़ों में चले जाएं तो वहां ऐसा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां से ओले निकल जाते हैं और वे ओले ऐसे हैं जो एक खेत में से निकल जाते हैं बाकी बच जाता है। तो इस प्रकार की अलहदा-अलहदा, अलग-अलग प्रकार की फसलें हैं, अलग-अलग उनका प्रकोप होना है तो उसको किस प्रकार निपटा जाए, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। उसके लिए मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि वे कुछ सुझाव मुझे दें ताकि हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकें जो सबके लिए लाभदायक हो और किसान भी आगे आपत्ति से बच सके।

सरकार जितना कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार के पास भी इतने साधन नहीं हैं कि जो नुकासान हुआ है या हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कर सके, यह बिल्कुल असंभव है, चाहे कोई भी सरकार हो, कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितने ही बड़े भारी धनवान लोग हों, वे भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उसको खड़ा करने के लिए सहायता मात्र दे करके आगे चलाने की चेष्टा कर सकते हैं कि उसके कुछ दुःख कम हों, कुछ उसका भार कम हो और उस पीड़ा को कम करने के बाद वे अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें, इस प्रकार की सोंचने की बात है

हमारी मेटिरयोलोजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो भविष्यवाणी करता हैं तो उसने इस बार भी अच्छा काम किया है। कई मेरे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, उनमें एक बात यह भी थी कि यह सुझाव अभी अच्छा नहीं हुआ था या इस प्रकार की इनफोरमेशन, जो सूचना थी वह ठीक नहीं थी, इस प्रकार से नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आंध्रा में साइक्लोन आया था, उस वक्त हजारों लोग मारे गए थे और हम उस वक्त इतना उनको सूचित नहीं कर पाए, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि हम लगातार उनको सूचना देते रहे और उनको जन-हानि का बहुत कम नुकसान हुआ। जितने प्राणी वहां थे उनको हम वहां से हटा पाए। सबसे बड़ा आक्रमण पांडिचेरी का था, लेकिन पांडिचेरी में एक भी प्राणी का हनन नहीं हुआ, सारे के सारे वहां से हटा लिए गए, ज्यादा नुकसान वहां पर माल और मकान का हुआ, लेकिन वहां प्राणियों को बचा लिया गया, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि उसमें हम ठीक है।

अब दूसरी बात यह है कि जो सहायक निधि है या पैसा है उसकी कमी है। उसमें मुश्किल आती है। हमेशा से 1990 तक हमेशा एक सेंटर टीम जाया करती थी वह देखा करती थी कितना नुकसान हुआ है और उस टीम की सिपारिशों के अनुसार हम यहां से अनुदान दिया करते थे। लेकिन नाइंथ फाइनांस कमीशन जो बैठा था, उस कमीशन ने जो कुछ सोचा था हमारे प्रदेशों के आग्रह पर

और उनसे बातचीत होने के बाद यह तय पाया गया कि वह काम प्रदेशों को सौंप दिया जाए और सारा का मारा पैसा जो विपत्तियों के लिए दिया जाता है, वह प्रदेशों को दे दिया जाए और सेंटर के पास कुछ न रहे। प्रदेश अपने आप नीति-निर्धारित करेंगे कि कैसे खर्च किया जाना है, वे जहां, जिस जगह चाहें, जिस प्रकार चाहें, जो मान्यताएं वे निश्चित करें कि इतना पैसा इस जगह देना है, चीफ सेक्रेट्री जो वहां होता है और प्रदेश सरकारें इस चीज को तय करेंगी। तो नाइंथ फाइनांस कमीशन के बाद सेंटर के पास जो पैसे की बात थी, वह नहीं रही और सारे प्रदेशों को वह हक दे दिया गया। यह पैसा 4 किस्तों में दिया जाता है। हम यही कर सकते हैं। अभी मैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गया था। अगर उनके पास पहले किस्तें नहीं भी गई थीं वह भेजी गई और जो आगे किस्तें थीं वे भी हमने दे दीं। वह सब किया गया।

5.16 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद ऐसी कुछ बातें हैं, जिनके लिए और कुछ किया जा सकता है, उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। जैसे "नावाड" या हाउसिंग बैंक हैं, उनसे पैसा दिलवाया जाए। इसके अलावा भी आज की स्थिति को देखते हुए क्या किया जा सकता है, जैसे पैसे की कमी है तो पैसा ज्यादा दिलाया जाए, इसको नेशनल केलामिटी घोषित किया जाए. तो इसके लिए मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखी है और हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। मैं जब आंध्र प्रदेश गया था तो वहां के मुख्य मंत्री से मिला, अफसरों से मिला। इसके बाद मैं तमिलनाडु गया, वहां के मुख्य-मंत्री से भी बहुत सुखद वातावरण में बातचीत हुई। उन्होंने बहुत कुछ बताया, उनकी पीड़ा को भी मैंने जाना। जो काम वे कर रहे थे, उनको भी सराहा। उसके बाद उन्होंने जो आंकड़ें दिए, उनके अनुसार 390 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और भी सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके बाद पांडिचेरी गया, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मुख्यमंत्री से बातचीत की. कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बातचीत की, वहां पर सारी जगह घूम कर देखा, पता किया तो उन्होंने सबने बताया, अपनी-अपनी बातें बताई। मैंने उनको बताया कि हम यह-यह काम कर सकते हैं। जैसे रिलीफ के बारे में है या जो कर्जा दिया गया है, शार्ट टर्म लोन को लांग टर्म लोन में परिवर्तित करें, कर्जा माफ करें या उसका सूद माफ करने की घोषणा करें, रिलीफ मैयर्स इस प्रकार बनाकर कार्य करें, ये सारी बातें उनको बताई। इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा कि सेंटर कर सकता है, जैसे बीज के मुत्तलिक कर सकता है, सेंटर करेगा। क्योंकि यह सायक्लोन प्रोन एरिया है, जैसे इस साल 3 बार आ गया, पिछले साल भी आया था, हर बार आ जाता है, तो क्यों न यह सोचा जाए कि आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में बचत हो सके। इसके लिए फसलों को किस प्रकार से तय करें, ताकि वे फसलें सायक्लौन के प्रभाव को प्रभावशाली ढंग से सह सकें। इस बारे में मैंने बातचीत की हैं और यह भी कहा है कि यहां हार्टीकल्चर की बात सोची जा सकती है। जैसे आम के पेड़ लगाए जा सकते हैं, ताकि इस प्रकार का वातावरण वहां पर बने कि इस तरह की विपत्ति को सहा जा सके और किसान नुकसान से बच सके।

इसी प्रकार से बीजों के बारे में बातचीत की गई। नए बीजों के लिए जैसे आयल-सीड के लिए, तिलहन के लिए सूरजमुखी का बंदोबस्त करें। इस तरह से हमको नए तरीके अपनाने चाहिए।

अभी कुछ माननीय सदस्य कोलार की बात कर रहे थे। कोलार में मैं गया और वहां गांव-गांव घूम कर आया हूं, जहां मकान ध्वस्त हो गए थे, गरीबों के मकान ध्वस्त हो गए थे, लेकिन एक बात मैंने वहां देखी कि इस प्रकोप में भी कल के लिए मुझे कुछ चमक नजर आई कि कल शायद वहां अच्छा हो सकता है। कोलार में बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ था, कुएं बिल्कुल सूख गए थे, पानी का निशान नहीं था, लेकिन अब उनके कुओं में पानी है। तो मैंने कहा कि अब बरसात भी हुई है तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए और जितनी इनकी क्षति हुई है, उसकी इस प्रकार से पूर्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए। इनको बीज, खाद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने की चेष्टा की जाए, ताकि यह काम ठीक ही सके।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी जो 200-300 रुपए घर के डेमेजेज के लिए दिए गए हैं।.........।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने नहीं दिए।

श्री सूर्यनारायण यादव : आपके प्रतिवेदन में है, लायब्रेरी में जो आपकी किताब रखी है, उसमें दिया हुआ है। मेरा कहना यह है कि जिसको आप डेमेजेंज देना चाहते हैं, उसको इस हिसाब से दें ताकि उसको तत्काल राहत मिल सके। इस तरह से 200-3000 रुपया राहत देने से सरकारी धन का दुरुपयोग होगा।

आन्ध्र प्रदेश की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐड प्रोग्राम आया है। उसका भी इसमें सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए किया जा सकता है। पांडिचेरी का मामला फाईनेंस कमीशन में नहीं आता, वह होम मिनिस्टरी के तहत् आता है। उसको एक करोड़ सात लाख रुपये अनुदान पहले दे दिया है, और आवश्यकता पड़ी तो उनसे कहा जा सकता है कि आप और करें। जहां तक राज्यों का ताल्लुक है उसके लिए मैंने रिपोर्ट बनायी है। अभी और भी रिपोर्ट मेरे पास आ रही हैं। जितना नुकसान हुआ है सारा संकलित हो गया है। मैं रिपोर्ट प्राईम मिनिस्टर साहब को और केबिनेट में रखवा दूंगा, जिससे "हम आगे का साधन कर सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमें कुछ न कुछ ढांचा आगे के लिए बदलना पड़ेगा जिससे हम फैसला कर सकें कि किस प्रकार से, उन इलाकों में जहीं अक्सर साइक्लोन आता है उसमें हम आगे के लिए रक्षा की बात कर सकें।

मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सबने इसमें योगदान दिया और आपकी वाणी में आगे तक पहुंचाने की पूर्ण रूपेण चेष्टा करूंगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : जो पेडी डैमेज हुई है उसके बारे में आपने जो निर्देश

दिया, 20 परसेंट तक जो नुकसान हुआ उसी को खरीदेंगे बाकी को नहीं। इस तरह की एफ०सी०आई० को सूचना दी है। लेकिन हमारे आन्ध्र प्रदेश में बहुत से किसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे किसी की मदद नहीं होने वाली। 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पेडी को कौन खरीदेगा ?

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : वह छूट खाद्य निगम ने दी है। मैंने इसे करवाया है। मैंने ही उस धान की खरीदने का आदेश पारित कराया है जो कुछ हद तक खराब हो गया है। वह सारा काम प्रदेश की सरकारें करती हैं। कितना देना हैं, किस प्रकार देना है, किस जगह देना हैं, किस को देना है, यह सारा वहां से करते हैं। हम उनको एक मुश्त दे देते हैं। उन्होंने हमसे अधिकार ले लिया। लेकिन इसके पश्चात मैंने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को भेजी है। अब कैबिनेट में जिस दिन डिसकशन होगी, बातचीत होगी, उसके बाद जो नया तरीका निकल सकता है उसको निकालने की चेष्टा की जाएगी।

जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि इस ढांचें को बदलें। नवें फाईनेंस कमीशन की वजह से जितना दिया है, कम पड़ता है। तो किस प्रकार दें ? अभी तक आन्ध्र प्रदेश की घटना को नेशनल कैलामिटी घोषित करने की बात तय नहीं हो पायी। यह सारा प्रकरण दोबारा खोलने से होगा। मैंने अपने आपको अनुबन्धित कर लिया है एक सीमा में, नियमों के आधार अपने आपकोखड़ाकर लिया है। नियम आप तोड़ नहीं सकते जब तक आप नियमों को बदलेंगे नहीं। आज मैं अपने आपको सीमित पाता हूं। मैं सहानुभूति रख सकता हूं। जो कुछ मेरे बस में है, वह कर सकता हूं, नियम प्रकरण की बात कर सकता हूं, कल की बात कर सकता हूं। ये बातें मैं कर सकता हूं। उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूं। बीज भिजवा सकता हूं, खाद भिजवा सकता हूं। जितनी चेष्टा मुझसे हो सकती है, व्यापक तौर पर मैं करूंगा कि ठीक ढंग से हम अपने साथियों की सहायताकर सकें। पीड़ा चाहे मेरी है, चाहे किसान की है, पीड़ा तो पीड़ा है। उसको बांट सकते हैं। आप उससे खुश नहीं हो सकते, उससे दुःखी ही हो सकते हैं। उसका निराकरण करने की, उसको दूर करने की चेष्टा कर सकते हैं। जो मेरे हाथ में साधन होगा उसका मैं पूरा उपयोग करूंगा। मेरी वाणी में जितनी शक्ति होगी उसका पूरा उपयोग करने की चेष्टा करूंगा जिससे दिल पिघल जाएं। जहां हमने पैसा देना होता है, आप जानते हैं किस प्रकार का आज कल आर्थिक संकट है, लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी और उस बात को मैं पूरे ढंग से करूंगा। ये सारी बातें मेरे पास हैं।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटश्वरलू (तमिलनाडू) : इस छूट की अनुमति केवल 20 प्रतिशत तक दी गई है। लेकिन पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों में पांच लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हुई है और धान की खेती पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। यह क्षति 50 से 70 प्रतिशत से अधिक की हुई है।

श्री बलराम जाखड़ : इस खराब धान को खरीद कर हम उसे बेंच नहीं सकते। हम एक सीमा तक ही कुछ कर सकते हैं।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटश्वरलू : जब केन्द्रीय सरकार अच्छे दिनों में अनाज खरीदती है तो फसल अच्छी न होने पर भी उसे किसानों का साथ देना चाहिये। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी फसले नष्ट हो गई और किसान बड़ी कठिनाई में हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो कल खत्म होने वाला था और आज भी चला है। इसके बाद भी प्रश्न होते हैं यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त धन देने की हमारी इच्छा पूरी नहीं की गई। चूंकि यह विभाग उनके अधीन है इसलिए मैं मंत्री महोयय से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु राज्य के लिए आपदा नियन्त्रण कोष तुरन्त दिया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु राज्य को 522 करोड़ रुपए देने के लिए मन्त्रिमण्डल तथा प्रधान मन्त्री पर दबाव डालें अन्यथा हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, पिछली बार जब हमने उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की थी तो हमने कुछ मामला उठाया था। प्रधान मन्त्री ने हमारे राज्य का दौरा किया था और आश्वासन दिया था कि उड़ीसा राज्य को 35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। माननीय मंत्री ने सदन में भी यही आश्वासन दिया था। लेकिन यह धनराशि अभी तक नहीं दी गई। इसलिए…

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मैंने माननीय मन्त्री और भारत सरकार से भी निवेदन किया था कि इसे राष्ट्रीय आपदा समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मत दोहराइए।

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखा और अतिवृष्टि से देश के किसानों की फसल बर्बाद होती है। क्या केन्द्रीय सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई कानून बना रही है।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, उड़ीसा राज्य के सम्वन्ध में एक बात को छोड़कर और कुछ नहीं कहना है। यदि पूर्व प्रधान मन्त्री ने कोई वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस मामले को देखूंगा। मैं पिछली सरकार की गारन्टी नहीं ले सकता लेकिन मैं आपके सुझाव मानने को तैयार हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसे राष्ट्रीय आपदा समझा जाए।

श्री बलराम जाखड़ : उसके लिए कोई मानदन्ड नहीं है। इसे निश्चित करना है। यदि यही मामला है तो आपको पता होगा कि आन्ध्र प्रदेश के पहले तूफान को अब तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया है। यह राज्य का विषय है। वे केन्द्र से इसका अधिकार लेकर अपने अधिकार के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष है। मैं जो भी कर सकता हूं वह मैं करूंगा। आपकी भावनाओं को मैं सही अधिकारी तक पहुंचा दूंगा।

मेरे विचार से इस चर्चा का जो सर्वोत्तम परिणाम निकला वह है फसल बीमा योजना लागू करने के बारे में प्रधान मन्त्री की चिन्ता इसमें सभी फसलें शामिल होंगी।

———

[अनुवाद]

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची के अगले विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक घंटे का समय दिया गया और इसमें या मिनट का समय लगा। शेष 19 मिनट का समय हमारी इच्छा पर है। मेरे विचार से इस विधेयक को हमें आज ही पारित करना होगा अन्यथा, हम कल के लिए सूची बद्ध किए गए विषयों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे।

श्री विजय एन० पाटील खड़े हुए।

श्री विजय नवल पाटील (एरान्डोल) : यह विधान लाने के लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमने संसद में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विधान पर चर्चा की थी। हमने बहुत से कानून पारित किए हैं। मीसा है। टाडा है। औषधियों के अवैध व्यापार के विरुद्ध कानून है। यह सामाजिक कानून का एक भाग है। विवाह सम्बन्धी कानून में बहुत बाधाएं हैं।

बदलते समय के साथ विभिन्न धर्मों सम्बन्धी पर्सनल लॉ भी बदले जाने चाहिएं। मुझे हर्ष है कि पारसी समुदाय यह बदलाव लाना चाहता है और इसीलिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में यह संशोधन लाया गया है।

पारसी समुदाय एक प्रबुद्ध समुदाय है। यह बहुत ही शिक्षित व प्रगतिशील समुदाय है। मैं

आशा करता हूं कि अन्य समुदाय भी इसी प्रकार के सामाजिक कानून लाने के लिए अपनी सहमति देंगे क्योंकि यही समय की मांग है।

कुछ लोग सामाजिक कानून, विभिन्न धर्मों के लोगों सम्बन्धी पर्सनल लॉ में परिवर्तन लाने की बात पर बहुत भावुक हो उठते हैं। किन्तु आजकल की स्थिति को देखते हुए लगता है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी कानून की भी आवश्यकता है। यह सामाजिक कानून तथा आर्थिक कानून का एक भाग होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष थे तो राज्य सरकार परिवार नियोजन सम्बन्धी कानून लायी थी। किन्तु उस समय के सामाजिक, राजनैतिक दबावों के कारण दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे पाए थे। किन्तु ऐसे सामाजिक कानूनों की आवश्यकता है और आज का कानून इसका केवल अण्डमान है। मैं जानता हूं कि भविष्य में मन्त्री महोदय सामाजिक प्रगति तथा राष्ट्रीय अखण्डता बनाए रखने के लिए विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कानून लायेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल यों तो ठीक हिसाब से लाया गया है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। पारसी समुदाय भारतवर्ष में इण्डियन सक्सेशन एक्ट, 1925 के तहत गवर्न हुआ। लेकिन सेक्शन 50 से 56 के बीच में यह था कि यदि माता का देहांत हो जाए तो उसके लड़के को और लड़की को बराबर की सम्पत्ति मिलेगी, लेकिन यदि पिता का देहावसान हो जाये तो लड़के को दुगुना और लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा। इस असमानता को दूर करने के लिए आप इस बिल को यहां पर लाए हैं। इसी प्रकार से उनके सेक्शन 118 के अन्तर्गत यह था कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, अधिकृत करता है उसका भतीजा, भतीजी, या रिश्तेदार हो तो वह धार्मिक संस्था को नहीं दे सकता, उनकी मांग थी कि इस धारा को हटाया जाए और धार्मिक संस्था को अगर वह देना चाहे तो वह दे सके, इन दो मामलों के ऊपर मंत्री जी यह बिल लाए हैं। यह भेदभाव संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध था। यह तो .9 0 में ही आ जाना चाहिए था। इसको तत्कालीन मंत्री दिनेश गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया था यह कुछ देरी से लाया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी ठीक है।

आश्चर्य इस बात का है कि पारसी समुदाय की जाति काफी पढ़ी-लिखी रही है, लेकिन इस समाज में इतने वर्षों तक असमानता रही कि लड़की को जायदाद में आधा हिस्सा नहीं मिले, इसका कारण यह है कि भारत में महिलाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, जबकि यह महिला प्रधान देश है, दुर्गा, सीता का देश है। सीता राम और राधे श्याम दोनों में इनका ही पहले नाम आता है। इसलिए महिलाओं को श्रद्धा से नहीं देखा जाता है, यह एक आश्चर्य की बात है। मेरा निवेदन है कि महिलाओं को बिना किसी परेशानी के उत्तराधिकार का भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार का कानून में संशोधन हो जाए कि उसको कोर्ट में न जाना पड़े। क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसकी महिला के अधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसके लिए उसके कई अधिकारी खड़े हो जाते हैं और उसको कोर्ट में चक्कर खाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस नियत से लाया गया है, उसमें महिलाओं को उसका अधिकार मिले चाहे इसके लिए सिविल मैरिज कोड में संशोधन हो। मेरी तो यह मांग थी कि भारतवर्ष में जो सभी जातियां रह रही है, उसमें हिन्दू शब्द का व्यापक स्वरूप है, उन हिन्दू में क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं. उन पर भी यह लागू होता है। इसलिए यह समय की मांग है कि देश में एक यूनिफार्म सिविल कोड ऑल इण्डियन पर लागू होना चाहिए। उसके आधार पर भारतवर्ष की चाहे कोई जाति हो, उसका पति मर जाए तो उसकी पत्नी को और उसके बाद उसके लड़के और लड़की को आधा भाग मिले वरना एक जाति को यह अधिकार मिल जाएगा और दूसरी जाति को कम मिले, यह नहीं होगा। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि पारसी समाज में संशोधन आया है, वह ठीक है। इसलिए ऐसा कानून बने जो सब पर लागू हो, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं। मैं पूरे मत से विधेयक का समर्थन करती हूं कि चूंकि यहां तथा वहां पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं इसके विस्तार में नहीं जानी चाहती। यह एक छोटा सा संशोधन है। इस सम्बन्ध में मैं सदन के दोनों ओर बैठे अपने सहयोगियों से कहना चाहती हूं कि समान नागरिक संहिता का प्रश्न सर्वप्रथम राष्ट्रवादी सगठन ने ही उठाया था। यह एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है जहां किसी समय हम सब कार्यकरत थीं। वहां समान नागरिक संहिता का प्रश्न उठाया गया था। हम अब भी इस पर दृढ़ संकल्प है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक आदर्श समान संहिता बनाकर इसे प्रकाशित क्यों नहीं करतीं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं समझती हूं कि यह एक जटिल कार्य है। मेरा मानना है कि हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए ऐसा करना बहुत कठिन होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसी कारणवश इसे अब तक नहीं बनाया गया। विभिन्न समुदायों की महिलाओं को समय-समय पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके दृष्टिगत ऐसा करना चाहिए किन्तु हमें न तो अधिक रूढ़िवादी होना है और ही अधिक उद्यमशील।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : मैं राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित वर्ष 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय पारसी समुदाय को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने का यह उपाय करने लिए बधाई देना चाहती हूं जिससे महिलाएं पैतृक सम्पत्ति में बराबर की हकदार होंगी।

यद्यपि मैं भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की समर्थक हूं, मुझे

अपनी उन बहनों के बारे में सोचकर दुख होता है जिन्हें कानून द्वारा समान अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान की गई है किन्तु वे अभी भी ऐसी स्थिति में रह रही हैं जिसे निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

इस देश में अच्छे कानूनों की कोई कमी नहीं है और हमारे कानून बनाने वालों ने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं और आवश्यकतानुसार सभी कमियां पूरी करने का प्रयास किया है किन्तु जब इनको क्रियान्विन किए जाने की बात होती है तो तथाकथित प्रगतिशील लोगों के हाथ-पांव फूल जाते हैं ।

ऐसे स्थानों जहां के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य इतने पक्षपाती नहीं हैं में गिरते हुए लिंग-अनुपात को देखकर निरक्षता, दरिद्रता, मृत्यु-दर व अस्वस्थता इत्यादि जैसे कारणों की गंभीर छानबीन करने की आवश्यकता है ।

महोदय, यद्यपि यह एक पृथक विषय है, इसका संबंध महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने से भी है । इस देश में महिलाओं के साथ जन्म से पूर्व ही पक्षपात बरता जाता है, उन्हें गर्भपात जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके जन्म से पहले ही ठिकाने लगाया जाता है । इसलिए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है । किन्तु अकेला कानून ही काफी नहीं । मैं मंत्री महादय से आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसे कानूनों को न केवल महानगरों के विशिष्ट और शिक्षित लोगों के मामले में, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के मामले में भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि वे उस मूलभूत वैधानिक ढांचे जिसके अन्तर्गत आज की भारतीय महिला ग्रामों में वास करती है, को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता को समझे उन्हें समय पर तथा प्रभावी ढंग से जब कभी आवश्यकता हो, तो वैधानिक पहलुओं पर सहायता उपलब्ध करनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय तथा पारसी समुदाय को सदन में विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा बिल है । जेण्टलमैन और लेडीज को बराबर करने का है ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्य सभा में जो इस बिल को दिनेश गोस्वामी जी ने लाने का काम किया था, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और पारसी समाज को इस सरकार से भी पहले धन्यवाद देना चाहता हूं ।

हमारी सरकार पीछे है और पारसी समाज के वह लोग जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है, सरकार को जगाने का काम किया है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, उनको धन्दवाद देता हूं। अभी मैं कुमारमंगलम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस बिल को देर से ही सही, लेकिन लाए।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह बिल हिन्दू समाज में आया और कानून बनने के बाद हम लोगों में आधे-आधे का अधिकार है, लेकिन बड़े लोगों ने इस कानून को दहेज प्रथा में कनवर्ट किया। जो बेटी का अधिकार है, उसको अगर संपत्ति नहीं देते तो उसको दहेज ही दे दें। नतीजा यह हुआ कि कानून के दोनों रूप होते थे, एक अच्छा रूप और एक बुरा रूप होता था। इसलिए मेरा इस बिल पर हार्दिक समर्थन है लेकिन यह सुझाव भी है कि कानून का ज्यादा प्रचार-प्रसार हम लोग करें ताकि वह महिला भी समाज में जागरूक हो और अपने अधिकार को समझे और वह लड़ाई लड़कर अपना हक ले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पारसी समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। उनको भी हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरा धन्यवाद यह भी है कि विधि आयोग ने भी कहा है कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं रहना चाहिए। ये सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि पहले लोग यह समझते थे कि बेटी का जितना हक होता है उतना ही हक हम कहीं दूसरे घर में, दूसरे के लड़के से शादी करेंगे, उसको उतना ही हक पहुंचा दें इस तरह दहेज देकर।

जब ऐसा लोग करते रहे तो उसका परिणाम बहुत खराब हमारे सामने आया। आज जो बिल सदन में आया है, वह महिलाओं के और खास तौर पर विधवाओं के हित में है। पहले क्या होता था कि बिहार में यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो सिर्फ उसके पालन पोषण का व्यय ही मिल पाता था, अपने पति की सम्पत्ति में से उसे और कुछ नहीं मिलता था लेकिन कुछ समय पहले बिहार में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है, और उसका कोई नहीं है, तो वह अपने पति की सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला हमारे यहां तो लागू हो गया लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि विधवाओं को उनके पति की सम्पत्ति में से पूरा हक नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन-यापन में काफी तकलीफ उठानी पड़ती थी।

इसलिए सदन में प्रस्तुत भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक का, मैं समर्थन पूर्ण रूप से करता हूं। महिलाओं को ऐसा हक मिले, इसकी लड़ाई बहुत समय से लड़ी जा रही थी और इस सदन में भी बराबर बोला जा रहा कि लड़के और लड़की को बराबरी के आधार पर हक मिले। महिलाओं की कद्र नहीं होती थीं। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद, महिलाओं को, महिला

समाजको फायदा मिलेगा और दहेज प्रथा का अंत भी होगा, दहेज प्रथा में कमी आएगी, इतना ही कह कर मैं बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति (विशाखा पटनम) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रशंसा के योग्य है। यद्यपि इसे देर से लाया गया, यह इस समय विद्यमान कुछ विसंगितियों का समाधान करने का एक अच्छा निर्णय है।

वास्तव में पारसी समुदाय समाज का प्रगतिशील समुदाय है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी विसंगतियां आज भी विद्यामान हैं।

मैं मंत्री महोदय को कम से कम इस समय यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि समान अधिकार दिए जायेंगे और पारसी समुदाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का एक भाग बनेगा।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस गतिप्रशंसनीय विधेयक का स्वागत व समर्थन करता हूं। और इस विधेयक का उद्देश्य पारसी समुदाय में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले पक्षपातों को समाप्त करना तथा इच्छापत्र छोड़े बिना मरने वाले मां-बाप की सम्पत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देना है।

महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई भी कदम अति प्रशंसनीय व वांछनीय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक एक पहलू पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिसको माननीय मंत्री महोदय ध्यानपूर्वक सुनें, भारतीय उ राधिकार अधितियम के कुछ कानूनी मामले परस्पर विरोधी निर्णयों पर पहुंचते हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में अधिनियम लागू करने सबंधी अस्पष्टता इसका एक उदाहरण है, मैं पूछना चाहूंगा। कि क्या केरल के पूर्व ट्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र में ईसाई अभी भी ट्राव-कोर ईसाई उत्तराधिकार विनियमन, 1916 के अधीन हैं अथवा वर्ष 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वर्ष 1951 के पश्चात केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ही लागू होगा। ट्रांवणकोर कोचीन तथा मद्रास उच्च न्यायालयों ने अपने क्षेत्रों में ट्रावणकोर कोचीन विनियमन अधिनियम ही लागू होने संबंधी अधिकांश फैसले दिए हैं। यदि इसे पूर्व प्रभावी ढंग से वर्ष 1951 के पश्चात से लागू किया जाता है तो इस आधार पर किए गए सभी कार्य तथा उच्च न्यायालय के फैसले और केरल के कानूनी निर्णय व विनिर्णय विधि सम्मत नहीं समझे जाएंगे। पिछले 35 वर्षों के दौरान हुए लेन-देन के बारे में अन्तहीन मुकदमे बाजी शुरू हो जाएगी जिससे ईसाई परिवारों की एकता और शाश्वतता नष्ट हो जाएगी। केरल में ईसाई परिवारों में दृढ़ स्थायित्व और एकता विद्यमान है तथा वे काफी सुगंठित परिवार माने जाते हैं।

इसलिए, यदि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है, तो इससे सारा परिवार बिखर जाएगा। अतः, महोदय आपके माध्यम से मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें जिसमें इससे संबंधित अनियमितताओं पर विचार किया जा सके।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर वाद-विवाद मेंभाग लिया है तथा इसे अपना समर्थन दिया है।

यद्यपि, यह एक बहुत ही छोटा संशोधन है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि अधिक शिक्षित समुदाय में भी भेदभाव की समस्या होती है और उन्होंने खुद आगे आकर यह मांग की है कि इस भेदभाव को दूर किया जाए।

कुछ माननीय सदस्यों, विशेष रूप से पाली के माननीय सदस्य, न्यायमूर्ति लोढ़ा ने अपने भाषण में और आगे बढ़कर कहा कि ऐसा ही अन्य समुदायों के साथ भी क्यों नहीं किया जा रहा है। किन्तु, जो रोचक बात है, वह यह है कि समस्या केवल अल्पसंख्यकों में ही विद्यमान नहीं है, बल्कि यह बहुसंख्यक समुदायों में भी विद्यमान है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन उत्तरजीवी सहदायिक वह व्यक्ति होता है जो वास्तव में उत्तरजीविता के आधार पर सम्पत्ति को प्राप्त करता है। कुछ राज्यों में संशोधन किए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह तभी सम्भव है जब कोई समुदाय एक-साथ मिलकर आगे आये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस अवसर पर सभी समुदायों से अपील करनी चाहिए, चाहे कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के हों या बहुसंख्यक समुदाय के, उन्हें अपने समुदाय का नेता बनकर आगे आना चाहिए और इन समुदायों के लोगों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि पुरुषों और स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया जायेगा। यह उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक नीति के रूप में सरकार ने न केवल इस बार बल्कि पहले भी इसका साफ-साफ उल्लेख किया है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, हम उनके वैयक्तिक कानूनों में तब तक संशोधन नहीं करेंगे, जब तक स्वयं आगे नहीं आते और अनुरोध करते क्योंकि अन्यथा अल्पसंख्यक लोग यह महसूस कर सकते हैं कि संविधान में संरक्षण की जो गारंटी दी गई है, उसे अनुचित तरीकों से कम किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि समय बीतने के साथ वे स्वयं आगे आ जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि अल्पसंख्यकों की आलोचना करने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि बहुसंख्यक समुदाय में क्या कानून है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैं इस समय उठाना चाहता हूं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्बन्ध में गिरिजाजी ने इस प्रश्न को बहुत दृढ़ता पूर्वक उठाया है। यद्यपि यह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, उन्हें पता है कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री कार्यालय से एक वक्तव्य जारी किया गया है और महिला संसद सदस्य विशेष रूप से इसके स्पष्टीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहेंगी। मुझे विश्वास है कि वे इस मामले में उनसे विचार-विमर्श करेंगी तथा उनके मन में यदि कोई सन्देह हो, तो उसे स्पष्ट करेंगी। इस समय मैं इससे कुछ अधिक कहना नहीं चाहता।

समान नागरिक संहिता और संविधान के अनुच्छेद पद के सम्बन्ध में यह एक मार्ग दर्शक होगा। यह राज्य के लिए न केवल मार्ग-दर्शक है बल्कि राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धान्त भी है। लेकिन साथ ही, मुझे विश्वास है कि समय आ गया है कि हम सभी को, जो सर्वाजनिक जीवन जीते हैं, इनके बारे में सम्बन्धित लोगों को यह जानकारी दें कि यह उन प्रमुख सिद्धान्तों में से एक है जो हमारे राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में निहित है जिसे सभी को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और यह किसी व्यक्ति पर लादने जैसा कोई मामला नहीं है। यह एक स्वागतयोग्य स्थिति है। लेकिन ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब सभी समुदायों के लोग आगे आकर यह कहें कि यही तो वह चीज है जिसे वे चाहते थे। अन्यथा, इससे समस्या का समाधान होने के स्थान पर, हम सांप्रदायिक संकट को ही बुलावा देंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिनियम की धारा 118 के सम्बन्ध में अब तक जो अन्य मसले उठाए गए हैं, उसके सम्बन्ध में हमने अनिवार्यतः पारसी समुदाय के अनुरोध पर इस संशोधन को पेशकिया है। हमारे लिए यह बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आज हम उन्हें किसी भी तरह 'नहीं' कहें। हमारे सामने एक संशोधन लाया गया है जिसके बारे में एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि केवल समय-सीमा को 12 महीने से घटाकर छः महीने और छः महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया जाए। लेकिन मूल बात यह है कि हमने इस संशोधन को इस आधार पर पेश नहीं किया है। पारसी समुदाय ने इसकी मांग की थी। हमने इससे सहमत हैं। मेरा विचार है कि सामान्य तौर पर से सभा समुदाय की भावना का सम्मान करती है। जिसे विधि आयोग आयोग द्वारा और सुदृढ़ किया जाता है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरा अनुरोध है कि सभा विधेयक को एकमत यथा प्रस्तुत रूप में पारित करे। सर्वोत्तम गुण अक्षुण रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित, में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 5 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खण्ड 6 में एक संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। क्या आप उसे रख रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 7

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में अगला विषय क्या है ?

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, यदि प्रतिपक्ष के सदस्य आज की कार्यवाही को पूरा करना चाहते हैं तो हम बैठने को तैयार हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम इस पर कल विचार कर सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, हम शून्य काल में उठाए जाने वाले मामलों के बारे में नोटिस दे रहे हैं और ये नोटिस 10 बजे से पहले दिए जाते हैं। लेकिन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय : यहां इस तरह का मामला नहीं उठाया जाता है। विधान मण्डल सचिवालय से सम्बन्धित मामले यहां नहीं उठाए जाते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। जो सदस्य अपने मामले आज नहीं उठा सके उन्हें इसकी अनुमति अगले दिन देनी चाहिए। इसका सचिवालय के कामकाज से कोई मतलब नहीं है।

6.00 म० प०

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, श्री मुकुल वासनिक ने इसाई समुदाय में उत्तराधिकार सम्बन्धी दो कानूनों के सम्बन्ध में कतिपय निर्णयों पर हुए विवाद के प्रश्न का मुद्दा उठाया है। यहां पर स्थिति भिन्न है मुझे इस मुद्दे पर जबाब देने का अवसर, नहीं मिल पाया। मेरे विचार से इसे सुलझा लिया गया है। मैं माननीय सदस्य को लिखूंगा कि वे सविस्तार बताएं कि मामले को किस प्रकार सुलझाया गया।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरा निवेदन है कि जहां तक उत्तराधिकार का सम्बन्ध है उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए। विद्यमान प्रक्रिया पेंचीदी है यह खर्चीली है तथा इस पर समय भी अधिक लगता है। इसलिए इस प्रक्रिया को सरल बनाकर परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद असहाय हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1991/15 अग्रहायण, 1913 (शक) को 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6